अष्टम माला, खंड 43, अंक 8

सोमवार, 21 नवम्बर, 1988

30 कार्तिक, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

ARY
No. B 60
Date 15/3/89

(खण्ड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 21 नवम्बर, 1988/30 कार्तिक, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
(111)	नीचे से 5	"जी0 वेंगल राव" के स्थान पर "जे0 वेंगल राव" पढ़िये ।
116	12	"रिपोर्टों" के स्थान पर "रिपोर्ट" पढ़िये।
119	15	पंक्ति के आरंभ में "(ख)" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 43, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 8, सोमवार, 21 नवम्बर, 1988/30 कार्तिक, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 142, 143, 145, 146, 149 और 150 . .	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 144, 147, 148 और 151 से 162 . . .	19-29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1342 से 1441, 1443 से 1451, 1453 और 1455 से 1568	29-179
सभा पटल पर रखे गये पत्र	181-184
राज्य सभा से संदेश	184
भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1988	
राज्य सभा द्वारा यथापारित	184
वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन के बारे में वक्तव्य	
श्री सुख राम	185-186
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	186
नियम 377 के अधीन मामले	186-189
(एक) बेलगाम से गोवा, बंबई और बंगलौर के लिए बोइंग विमान सेवाएं आरंभ की जाना	
श्री एस०बी० सिदनाल	186
(दो) एल्यूमिनियम फास्फाइड और ई०डी०बी० एम्प्यूल्स का दुरुपयोग रोकने के लिए उन्हें "अनुसूचित औषधियों" में सम्मिलित किया जाना	
श्री बीरेन्द्र सिंह	187

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) हथकरघा बुनकरों, विशेषकर नागपुर क्षेत्र के बुनकरों की आय बढ़ाए जाने के लिए कदम उठाए जाना	
श्री बनवारी लाल पुरोहित	187
(चार) चम्बल काम्प्लैक्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना	
श्री जुझार सिंह	187-188
(पांच) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में उद्यमियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निदेश दिये जाना	
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	188
(छः) भारत सरकार और मैसर्स समतेल-कोनिंग के बीच हुए समझौता-ज्ञापन को रद्द किए जाने की आवश्यकता	
श्री बसुदेव आचार्य	188
(सात) देश की खनिज तेल की मांग पूरी करने के लिए देश में उसका उत्पादन बढ़ाया जाना	
श्री विजय एन० पाटिल	189
(आठ) अस्पतालों से दुर्घटना के शिकार लोगों की ओर शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती ऊषा रानी तोमर	189
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक	189-197, 200-248
विचार करने के लिए प्रस्ताव	189
श्री बिन्देश्वरी दुबे	189-191
श्री जी० भूपति	191-192
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	192-193
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	193-195
डा० गौरी शंकर राजहंस	195-197
श्री तम्पन थामस	200-202
श्रीमती बसवराजेश्वरी	202-204
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	204-206
श्रीमती गीता मुखर्जी	206-209
श्री सोमनाथ रथ	209-212
श्री शांति धारीवाल	212-213
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	213-216

विषय		पृष्ठ
	श्री भद्रेश्वर तांती	216-217
	श्री विजय एन० पाटिल	217-219
	कुमारी ममता बनर्जी	219-221
	श्री मोहम्मद महफूज अली खां	221-222
	श्री महाबीर प्रसाद यादव	222-224
	श्री मनोज पांडे	224-225
	डा० दत्ता सामंत	225-230
	श्रीमती ऊषा ठक्कर	230-231
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	231-232
खंडवार विचार		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री बिन्देशवरी दुबे	232-248
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के अध्यक्ष, श्री गोर्बाचोव की यात्रा के बारे में वक्तव्य		
	श्री राजीव गांधी	197-199
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक		248-254
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री जी० वेंगल राव	248-249
	श्री सी० माधव रेड्डी	249-252
	श्री शांताराम नायक	253-254
कार्य-मंत्रणा समिति		
	62वां प्रतिवेदन	255

लोक सभा

सोमवार, 21 नवम्बर, 1988/30 कार्तिक, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिए सांविधिक विकास बोर्ड

[अनुवाद]

*142. **डा० वत्ता सामंत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र विदर्भ, मराठवाड़ा तथा कोंकण क्षेत्रों के लिए सांविधिक विकास बोर्ड स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). अगस्त, 1984 में, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 371(2) के उपबंधों के अन्तर्गत राष्ट्रपति आदेश द्वारा पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की गयी थी। इन विकास बोर्डों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से बाद में प्राप्त मसौदा योजना संविधान के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाया गया इसलिए मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया। राज्य सरकार मामले पर पुनः विचार कर रही है और अभी तक कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

डा० वत्ता सामन्त : महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण जैसे पिछड़े क्षेत्रों को पूर्णतः नजर-अन्दाज किया गया है। 27 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने विदर्भ में बहुत बड़ी रैली आयोजित की और महाराष्ट्र सरकार ने इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए सांविधिक विकास बोर्डों का गठन करने का निर्णय लिया। इसकी घोषणा बड़े पैमाने पर की गई और महाराष्ट्र में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। तदनुसार, महाराष्ट्र विधान सभा ने 27 जुलाई, 1984 को एक मत से संकल्प पारित किया और इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके तथ्यों का यहां उल्लेख किया गया है। सन् 1968 में केन्द्र सरकार द्वारा पाण्डेय समिति नियुक्त की गई थी और सारे देश के लिए रखे गए मानदण्ड के अनुसार इस समिति ने विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण को भी पिछड़ा क्षेत्र माना। बाद में चक्रवर्ती समिति और दाण्डेकर समिति नियुक्त की गईं। दाण्डेकर समिति ने भी छठी योजना के अन्त में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1,000 करोड़ रुपये,

1,400 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये के बैक-लॉग का जिक्र किया। सन् 1973 में माननीय मंत्री श्री बसंत साठे ने भी इस सदन में इस आशय का एक संकल्प पेश किया था कि महाराष्ट्र सरकार विदर्भ की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। यह वर्षों से चलता आ रहा है और विदर्भ तथा मराठवाड़ा के लोगों को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया है—जो आपकी पार्टी से हैं।

महोदय, जब 1956 में महाराष्ट्र राज्य बना तो इस सरकार और तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय श्री वाई०बी० चव्हाण ने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया था कि यह सरकार महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों—यह बम्बई में 105 लोगों के शहीद होने के बाद हुआ—की उचित देखभाल करेगी और इसीलिए अनुच्छेद 371 (2) .....

प्रो० मधु दण्डवते : शहीदों में से अधिक संख्या कोंकण क्षेत्र के लोगों की थी।

डा० दत्ता सामन्त : जी हां, कोंकण जिले से। इस पिछड़े क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 371(2) में विशेष रूप से संशोधन किया गया था। मैं केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए इस विशिष्ट आश्वासन का उल्लेख कर रहा हूं कि इन क्षेत्रों की उचित देखभाल की जाएगी। **(व्यवधान)** इसलिए मैं सरकार से सीधा प्रश्न कर रहा हूं। सरकार इन सभी आश्वासनों से पीछे हट रही है।

एक माननीय सदस्य : आपका प्रश्न क्या है ?

डा० दत्ता सामन्त : मेरा प्रश्न यह है कि संविधान में इस राज्य के लिए किसी मानदण्ड को परिभाषित नहीं किया गया है—मैंने संविधान को पूरी तरह पढ़ा है—और इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव किस सीमा तक मानदण्डों पर खरा उतरता है और संविधान के अनुसार नियत किए गए मानदण्ड क्या हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, विधान सभा में पारित किया गया संकल्प 9 अगस्त, 1984 को सरकार के पास भेजा गया और यह संकल्प एक-पृष्ठ का था जिसमें किसी योजना का उल्लेख नहीं था। हमने विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के बाद मई, 1985 में महाराष्ट्र सरकार को दोबारा लिखा कि उन्हें योजना भेजनी चाहिए। तत्पश्चात हमारे पास योजना भेजी गई और हमने विधि मंत्रालय की सहायता से इसकी जांच की किन्तु दुर्भाग्य से यह योजना अनुच्छेद 371(2) के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। इसके बाद गृह मंत्री श्री बूटा सिंह जी ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा.....

डा० दत्ता सामन्त : कब ?

श्री सन्तोष मोहन देव : यह पत्र 1986 में लिखा गया था और इसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एस०बी० चव्हाण से इस आशय का उत्तर प्राप्त हुआ कि वह अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों को इस सम्बन्ध में एक मत करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद ही योजना भेजी जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल, जिनसे संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, का भी यह मानना है कि इससे राज्य सरकार के अधिकार कम होंगे और इसलिए धन के नियतन और कृत्यों के निर्धारण के बारे में स्पष्ट विनिर्देश होने चाहिएं जो कि स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 371(2) में—महोदय, यदि मैं तीनों खण्डों को पढ़ूं, यह खण्ड इस कार्य क्षेत्र,

धन के नियतन और कृत्यों के निर्धारण को स्पष्ट करता है। संविधान के इस प्रावधान का मुख्य आधार यह है कि राज्य सरकार के अधिकारों को इस ढंग से कम किया गया है कि राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेगा न कि परामर्श और उन प्रावधानों के अनुसार जो राज्य विधानमंडल या मंत्रि-परिषद को संविधान ने दिए हैं। इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ; हम अपने वचन से नहीं मुकरेंगे। विशिष्ट रूप से संविधान के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद हम इसे लागू करेंगे।

डा० दत्ता सामन्त : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने दो महीने पहले नागपुर में दिए गए अपने भाषण में यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही थी कि "यद्यपि हम अपनी विधान सभा के कुछ अधिकारों को खो रहे हैं, तथापि इस क्षेत्र के और विकास के लिए हम इस विधेयक को स्वीकार करने के लिय तैयार हैं। संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अनुसार, राज्यपाल संविधान के अनुसार दिए गए राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा, न कि राज्यपाल स्वयं अपने विवेकानुसार और उन्होंने सर्वसम्मति से वह संकल्प भी पारित कर दिया, जिसका आपने उल्लेख किया है। इसलिए, यह महाराष्ट्र की सभी पार्टियों की इच्छा और मांग है, यहां तक कि मुख्य मंत्री श्री शरद पवार के हाल ही के वक्तव्य में भी यह लक्षित होता है।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लूंगा। इन पिछड़े क्षेत्रों में से विदर्भ में 8 प्रतिशत, मराठवाड़ा में 4 प्रतिशत और कोंकण में 2 प्रतिशत उद्योग हैं। सिन्ध दुर्ग क्षेत्र में, जहाँ से माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते निर्वाचित हुए थे, मुश्किल से 3 प्रतिशत उद्योग हैं और छठी योजना के अन्त में कोंकण में 1000 करोड़ रुपये, मराठवाड़ा में 1400 करोड़ रुपये और विदर्भ में 2000 करोड़ रुपये का बैकलॉग था। इन सब बातों पर विचार करते हुए और जब पूरा विधान मण्डल और मुख्य मंत्री तथा हर व्यक्ति यह चाहता है और जबकि इसके लिए और धन भी हमें उपलब्ध नहीं कराना है, जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा कि "हम अपने अधिकारों का भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं" क्या सरकार इस विषय पर दोबारा विचार करेगी।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, इस पर पुनः विचार किए जाने की बात नहीं है, हम इस पर सक्रिय ढंग से ही विचार करेंगे। राज्य सरकार की ओर से कोई पक्का प्रस्ताव आने दें। यह अच्छी बात है कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने भी पूर्व मुख्य मंत्री के निर्णय का समर्थन किया है और जैसे ही यह निर्णय आएगा हम इसे मानने में अधिक समय नहीं लगाएंगे।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : क्या मैं इस मामले में कुछ बोल सकता हूं। यह विदर्भ की ही समस्या नहीं है .....

प्रो० मधु दण्डवते : कोंकण की भी है।

श्री राजीव गांधी : देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं। यह केवल महाराष्ट्र की ही समस्या नहीं है। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां असंतुलित विकास के कारण लोगों में असंतोष व्याप्त है—मैं केवल असंतोष कह रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह न्यायोचित है या अन्याय पूर्ण है ! यह असंतोष कुछ क्षेत्रों में हो सकता है और कुछ अन्य क्षेत्रों में नहीं भी हो सकता है ! इसलिए लोगों के मन में यह भावना है कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। ऐसी कुछ भावनाएं तो इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोग यह सोचते हैं जब कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो पूरा कार्यक्रम निचले स्तर तक इस रूप में नहीं पहुंचाया जाता जिस रूप में इसे तैयार किया गया है अथवा प्रचारित किया गया है।

हम ऐसे किसी भी सुझाव का समर्थन करेंगे और इसके अतिरिक्त, जैसा कि सदस्य जानते हैं, हम इस कार्य में भी लगे हुए हैं कि जिला परिषदों को मजबूत करने, और जिला परिषदों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे यह समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी। यह इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन है। इसलिए जब यह कार्यक्रम ठीक से तैयार हो जाएगा तो उसे निश्चित रूप से सदन में पेश किया जायेगा। इससे उन प्रश्नों का भी उत्तर मिल जायेगा जो यहां उठाए जा रहे हैं।

श्री शरद दिघे : जो उत्तर दिया गया है उसमें राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली योजनाओं के बारे में बताया गया है। अब वास्तव में यह स्वीकृत तथ्य है कि महाराष्ट्र विधान मंडल के दोनों सदनों ने इन बोर्डों की स्थापना की मांग करते हुए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है। यदि अनुच्छेद 371(2) की योजना पर विचार किया जाता है तो राज्य सरकार से योजना प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति पृथक बोर्डों की स्थापना के लिए सरकार की विशेष जिम्मेवारी निर्धारित करता है। इन बोर्डों की स्थापना करना केन्द्र सरकार का काम है। राज्य सरकार के लिए कोई योजना भेजना आवश्यक नहीं है। आप कैसी योजना चाहते हैं ? अनुच्छेद में कहा गया है कि बोर्डों की स्थापना आप करेंगे। राज्यपाल को अधिकार दें। यह कार्य केन्द्र को ही करना है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार से योजनाएं मांगने की क्या आवश्यकता है। अनुच्छेद 371(2) इस सम्बन्ध में स्पष्ट है।

श्री सन्तोष मोहन देव : अनुच्छेद 371(2) के अनुसार विधि मंत्रालय का कहना है कि हमें प्राप्त प्रस्ताव में कमियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 371(2) के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट मामलों के लिए योजना में राज्यपाल की विशेष जिम्मेवारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रस्तुत योजना राज्यपाल के अनुमोदन से तैयार की गई हैं या नहीं। राज्यपाल को संवैधानिक प्रावधान में उल्लिखित विभिन्न मामलों के संबंध में अपनी विशेष जिम्मेवारी निभानी है।

इसके अतिरिक्त, विशेष जिम्मेवारी निभाते हुए राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना है और उसे अपनी मंत्री-परिषद से सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं होती। योजना में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि राज्यपाल इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा।

विधान सभा को इन प्रावधानों की व्यवस्था करनी चाहिए। विधि मंत्रालय का यह मत है। हमने महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में अवगत करा दिया है। वे इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसा कि यह कहा जा चुका है कि हम शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के विरुद्ध नहीं हैं। किन्तु इसके साथ ही हम यह चाहते हैं कि यह तंत्र कारगर होना चाहिए, जिसे कार्य करने के लिए उचित मात्रा में धन मिले और राज्य सरकार तथा प्रस्तावित बोर्डों के बीच भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जो कुछ भी किया है बोर्डों के वास्तविक कार्य के हित में किया है और महाराष्ट्र सरकार इसी प्रकार कार्य कर रही है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा इस सरकार का उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने और इसे निचले स्तर को सौंपना है। यह इसका एक तरीका है।

सदस्यों को विश्वास दिलाया जाता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर हम पीछे नहीं हटेंगे और हम इसे शीघ्र ही अनुमोदित कर देंगे।

श्री शरद दिघे : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है। अनुच्छेद में राज्य सरकार से किसी भी योजना के आने की बात नहीं कही गई है। इन बोर्डों की नियुक्ति करना केन्द्र सरकार का काम है। आप राज्य सरकार से योजनाएं क्यों मांग रहे हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की सम्मति होनी चाहिए। संघीय ढांचे में मैं राज्य-सरकार पर अपना निर्णय नहीं थोप सकता।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा पूरक प्रश्न प्रधान मंत्री महोदय द्वारा किए गए हस्तक्षेप के दौरान उनकी टिप्पणी और श्री सन्तोष मोहन देव के प्रारम्भिक कथन से उत्पन्न होता है।

जहां तक अनुच्छेद 371 का सम्बंध है प्रधान मंत्री महोदय को इस वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए कि आरम्भ में यह अनुच्छेद संविधान में नहीं था परन्तु संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किये जाने के काफी समय बाद संसद-सदस्यों ने यह अनुभव किया कि हमारे देश में पिछड़े क्षेत्र हैं और सामान्य विकास प्रक्रिया से पिछड़े क्षेत्रों को कोई सहायता नहीं मिल रही है, इसलिए 1956 में अनुच्छेद 371 में संशोधन किया गया और उचित रूप से विचार और पुनर्विचार करने के बाद इस उपबन्ध को जोड़ा गया। पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में पहले भी विचार किया गया था और श्री शरद दिघे ने उचित ही कहा है कि यद्यपि माननीय राज्य मंत्री ने यह कहा है कि इस योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजा गया था और यह पाया गया कि यह योजना संवैधानिक उपबन्धों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने इस मामले के बारे में पुनर्विचार करने के लिए कहा है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह वास्तविकता नहीं है कि जहां तक संवैधानिक उपबन्ध 371 का सम्बन्ध है विस्तृत योजना देना आवश्यक नहीं है ? महाराष्ट्र विधान मण्डल द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव संवैधानिक उपबन्धों के अनुरूप है और क्योंकि ऐसा है, तो क्या वे अनावश्यक रूप से उस योजना का आश्रय नहीं ले रहे हैं, जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसका उपबन्ध है। परन्तु जिसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, और क्या वे पिछड़े क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन देंगे कि बिना किसी विलम्ब के वे महाराष्ट्र विधान मण्डल के सर्वसम्मत प्रस्ताव को ध्यान में रखेंगे—इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह जनता पार्टी का प्रस्ताव नहीं है। यह दोनों सदनों का सर्वसम्मत प्रस्ताव है और इसीलिए क्या आप ऐसी समयसीमा निश्चित करने के बारे में आश्वासन देंगे, जिससे पहले महाराष्ट्र विधान मण्डल द्वारा की गई इस विशेष मांग के बारे में इस विशेष उपबन्ध को कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री सन्तोष मोहन देव : यह एक अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे बार-बार यह उत्तर दिये जाने के बावजूद कि भारत सरकार अपनी वचनबद्धता से पीछे नहीं हट रही है, हमें ऐसा संविधान के उपदन्धों के अनुसार ही करना पड़ता है, कुछ माननीय सदस्यों में इस बारे में मतभेद है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय, कृपया मुझे क्षमा कीजिये।

श्री सन्तोष मोहन देव : परन्तु क्योंकि शक्ति बोर्ड में निहित है इसलिए यह देखना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्यवाही न करे कि बोर्ड के साथ मतभेद उत्पन्न हो। एक सूचना के तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि गुजरात सरकार ने प्रधान मंत्री महोदय को इस बारे में एक पत्र लिखा था कि पहले राष्ट्रपति का आदेश दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का आदेश दे दिया गया था।

बाद में उसी मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री महोदय को यह लिखा कि राष्ट्रपति के आदेश को वापस ले लिया जाना चाहिए और गुजरात सरकार को अपने प्राधिकार के अन्तर्गत एक बोर्ड गठित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और गुजरात के राज्यपाल ने बजट सत्र के अपने भाषण में ऐसा कहा है, जिसे सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, क्योंकि ऐसा विचार था कि सम्भवत राज्यपाल और राज्य के मध्य मतभेद हो सकता है ।

अब हम उन विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए वचनबद्ध हैं । वास्तव में यह योजना विस्तृत रूप में सामने आई परन्तु यह योजना संविधान के कुछ खडों के अनुरूप नहीं है । हमें इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से भी बातचीत करनी चाहिए जैसे ही वह प्रस्ताव हमारे सामने आएगा हम उसे अपनी सहमति दे देंगे । परन्तु इस दौरान महाराष्ट्र के सभी सदस्यों से मैं यह अनुरोध करूंगा कि प्रस्ताव उसी रूप में हमारे सामने आना चाहिए, जिस रूप में हम उसे चाहते हैं और हम निश्चित रूप से उसे अपनी सहमति दे देंगे । मैं यह आश्वासन दे सकता हूं । इस बारे में सदस्यों के मन में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । हम विकास चाहते हैं और मैं समझता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी ऐसा ही कर रहे हैं और जैसे ही प्रस्ताव हमारे सामने आयेगा हम उसे अपनी अनुमति दे देंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने एक विशेष मुददे का उत्तर नही दिया है । आपके अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई योजना का कौन सा भाग संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है ? आप इस बात का सीधा उत्तर दीजिये ।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं, उन तीनों विसंगतियों को पढ़ चुका हूं जो लिखित रूप में बताई गई हैं । प्रो० मधु दंडवते इसकी जांच कर सकते हैं । ऐसे तीन खंड हैं जिन्हें मैं पहले ही पढ़ चुका हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : वे गलत नहीं हैं । आपकी धारणा गलत है ।

श्री मुकुल वासनिक : पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना केन्द्रीय और राज्य-सरकारों का संयुक्त कार्य है । क्योंकि राज्य सरकार महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड बनाने के लिए पहले ही एक सर्वसम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुकी है, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि—वे इस बारे में आग्रह कर रहे हैं कि राज्य सरकारों को इस बारे में अपनी योजनायें प्रस्तुत करनी चाहिए—क्या ऐसी योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत सरकार केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए राज्य सरकारों की एक बैठक बुलाएगी, जिसका उत्तरदायित्व वे राज्य-सरकार को सौंप रहे हैं ? राज्य सरकार ने पहले ही अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है । अब उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है और केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा योजना प्रस्तुत करने का इन्तजार करने की अपेक्षा इस बारे में कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए । क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या ऐसी बैठक की जायेगी अथवा नही ?

श्री सन्तोष मोहन देव : यह एक अच्छा सुझाव है, हम सक्रिय रूप से इस बारे में विचार करेंगे ।

ट्रैकिंग पर जाने वालों के हताहत होने की घटनाओं में वृद्धि

+

*143. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**

श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैकिंग पर जाने वाले व्यक्तियों के हताहत होने की घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं, जिसके कारण पर्वतारोहियों में गम्भीर चिन्ता व्याप्त है ;

(ख) क्या इसका कारण गैर-पंजीकृत प्राइवेट पार्टियों/क्लबों द्वारा व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष हिमालय में ट्रैकिंग कार्यक्रम प्रायोजित किया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि ट्रैकिंग पार्टियां हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग पर जाने के लिए अपने साथ प्रशिक्षित गाइड लेकर जाएं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं तथा पर्वतारोही केन्द्रों द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) ट्रैकिंग का व्यक्तियों और संगठनों द्वारा आयोजन किया जाता है । उनकी और राज्य सरकारों की सलाह और मशविरे से, जिन से पर्यटक आधार संरचना और सुरक्षा उपाय प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तथा गाइडों को प्रशिक्षण देने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उपाय किये जाएगें ।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय ट्रैकिंग नवयुवकों का एक साहसिक कार्य है । बहुत से ट्रेवल एजेन्ट और टूरिस्ट गाईड बिना उचित अनुभव पथ-प्रदर्शक और उचित उपकरणों के ट्रैकिंग पर जाने वाले व्यक्तियों से अनुचित कमाई कर रहे हैं और अपने लाभ के लिए वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं । इसे ध्यान में रखते हुए और इसे विनियमित करने और बहुत से नवयुवकों की जान बचाने के लिए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या वह उन अनेक मान्यता प्राप्त पर्वतारोहण संगठनों जैसे दिल्ली पर्वतारोहण संगठन और विभिन्न राज्यों के अन्य संगठनों की सहायता लेंगे । ट्रेकिंग प्रेमियों को इस धोखे से बचाने के लिए यदि भारतीय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा परमिट एक आवश्यकता बना दिया जाता है तो उससे संगठनों को सभी प्रकार की मदद देंगे । अथवा उन्हें कम से कम ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि रास्ते के पास वाले पुलिस स्टेशनों में उन संस्थानों का पंजीकरण होना चाहिए अथवा किसी प्रकार की अन्य कोई प्रणाली होनी चाहिए । अत: क्या वे इसे नियमित करने के लिए ऐसी कोई प्रणाली विकसित करने जा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, ट्रैकिंग का आयोजन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और कभी-कभी वे ग्रुप बनाकर ट्रैकिंग पर जाते हैं । माननीय सदस्य ने एक ऐसा सुझाव दिया है जिसका अत्यन्त ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए और हम इस बारे में यथासम्भव कार्यवाही करेंगे । इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि यदि ट्रैकिंग की अनुमति दिये जाने से पहले पंजीकरण एक शर्त बना दी जाती है तो व्यक्तियों के लिए और ट्रैकिंग के लिए इसका क्या

निहितार्थ है। पर्यटन की देखरेख सामान्यतया निजी क्षेत्र और राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है और उसके लिए कुछ विशेष उपकरणों की व्यवस्था करती है। हम निश्चित रूप से इस मामले के बारे में पर्यटन से सम्बन्धित व्यक्तियों से बातचीत करना चाहेंगे और एक ऐसी नीति अथवा तरीका विकसित करने का प्रयास करेंगे जिसके द्वारा हमारे लिए पर्यटन को प्रोत्साहन देना संभव हो सके और इसके साथ ही हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना संभव हो सके, जिसकी इस मामले में आवश्यकता है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि ट्रैकिंग पर जाने वाले व्यक्तियों को दुर्घटना होने पर जल्दी से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं ? क्या उनके पास कोई हैलीकोप्टर अथवा वायरलैस प्रणाली अथवा बचाव प्रणाली है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : ट्रैकिंग विभिन्न राज्यों में की जाती है। यह हिमाचल क्षेत्र, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी आयोजित की जाती है। उन खतरनाक क्षेत्रों में जहां कभी-कभी सहायता की आवश्यकता पड़ती है रक्षा मंत्रालय बचाव कार्यवाही और अन्य बातों की व्यवस्था करने के लिए सहायता करता रहा है। राज्य सरकारों के पास भी कुछ उपकरण होते हैं और उनकी सहायता से वे बचाव कार्य की व्यवस्था कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार बचाव कार्य की व्यवस्था नही करती है। राज्य सरकार और अन्य विभागों के माध्यम से बचाव की व्यवस्था की जाती है। परन्तु हम उन नीतियों, सिद्धान्तों और तरीकों का निर्धारण करते हैं जिन्हें सहायता देने के लिए अपनाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस बार हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में 10 बंगाली लड़के ट्रैकिंग के लिए गये थे। उस दुर्घटना में 6 शवों को निकाल लिया गया। अत: मैं अपने प्रधान मंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहूंगी क्योंकि उनकी सहायता से ही शवों को निकाला जा सका। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगी। अन्य चार शव बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं। उनके माता-पिता अपने बच्चों के शवों को देखना चाहते हैं। क्या माननीय मंत्री उन चार शवों को निकालने के लिए भी प्रबन्ध करेंगे ?

दूसरे, मैं उन चार शवों को निकालने के लिए मनाली गई थी। मैं लगभग 10 दिन तक वहां रही थी। मैंने अपने आंखों से यह देखा है कि वहां क्या कठिनाई होती है। ट्रैकिंग पर जाने वाले लड़कों का स्थानीय पुलिस स्टेशन से कोई सम्पर्क नहीं होता है। उनके पास कोई वायरलैस अथवा कोई अन्य उपकरण नहीं होते हैं। क्या माननीय मंत्री इन खेल-प्रेमी, ट्रैकिंग पर जाने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करेंगे ? केन्द्रीय सरकार को कम से कम एक बचाव दल और एक निगरानी दल की स्थापना करने के बारे में कुछ कार्य करना चाहिए ताकि इन बच्चों को हिमपात से बचाया जा सके। अन्य शवों को निकाल लाने के बारे में क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ट्रैकिंग पर जा सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं तैयार हूं। **(व्यवधान)**

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक शवों को निकालने के लिए सहायता देने का सम्बन्ध है, हम निश्चित रूप से इस बारे में विचार करेंगे और अन्य विभागों की सहायता लेकर उन शवों को निकालने का प्रयास करेंगे।

जहां तक यह निर्धारित करने का सम्बन्ध है कि इस बारे में कौन-कौन से सिद्धान्त और नीतियां अपनानी चाहिए कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, कैसे बचाव कार्यवाही तंत्र की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा सकती है और क्या यह सब पर्याप्त होगा आदि बातों पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए । सामान्यत: इन बातों की देखरेख राज्य-सरकारों द्वारा की जाती है और जब उनके पास साधन नहीं होते हैं तो हम केन्द्रीय सरकार की ओर से अवश्य उनकी सहायता करते हैं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इन दुर्घटनाओं के दौरान एक बात हमेशा होती है कि मृतक का शव काफी समय तक नहीं मिल पाता है । तथा क्षतिपूर्ति अधिकांशत: मृतक के शव से जुड़ी होती है । हाल ही में एक दुर्घटना हुई तथा मैं श्रीमती माग्रेट अल्वा जी के पास गई । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी, क्या मृतक का शव न मिलने की समस्या तथा क्षतिपूर्ति की दृष्टि से दुर्घटना सम्बन्धी प्रमाण यह स्पष्ट करते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है इसे और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है ताकि जो जीवित है अर्थात् उनके परिवार को तकलीफ न हो, क्योंकि मृतक का शव नहीं मिल पाया ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है । जब वे ट्रैकिंग या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे कहीं अपना पंजीकरण करायें कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं । अत: राज्य सरकारों के लिए भी यह जानना मुमकिन नहीं है कि वह व्यक्ति वहां गया या नहीं । हमें ऐसा तन्त्र बनाना होगा जिसके अन्तर्गत यदि कोई व्यक्तियों का समूह ट्रैकिंग पर जा रहा है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी न किसी को सूचित करना चाहिए कि वे लोग बाहर जा रहे हैं तथा राज्य सरकार उन लोगों के नाम लिख सकती है तथा सभी सुविधाएँ उन्हें प्रदान की जा सकती हैं । परन्तु यह कानूनी मामला है । मात्र कोई व्यक्ति लापता है, चाहे वह जीवित हो अथवा मृत हो, इस का फैसला न्यायालय में होगा । कतिपय कानूनी प्रावधान हैं और इसके लिये बनायी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के लिये यह कहना मुश्किल होगा कि फलां व्यक्ति जीवित है अथवा नहीं ।

कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त परियोजनाएं

***145. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त परियोजनाएं आरंभ की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के संबंध में बहुत ही कम प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए और उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

जबकि कुष्ठ रोगियों के उपचार और स्वास्थ्य की समस्याओं से संबंधित पहलू मुख्यत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, कल्याण मंत्रालय इसके पुनर्वास पहलू से संबंधित है। कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में भी प्रतिनिधि है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक सर्जरी, व्यावसायिक पुर्नवास और प्रशिक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए एक प्रस्ताव स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस०आई०डी०ए०) को भेजा गया है। इस बीच, कल्याण मंत्रालय ने स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की अपनी योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोगी मुक्त व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे 6 मुख्य संगठनों को वित्तीय सहायता दी है। ये संगठन हैं :—

1. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, शिमला।
2. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।
3. जर्मन कुष्ठ रोग राहत संघ,
   4, गजापति स्ट्रीट, शिनाई नगर, मद्रास-600000
4. सोसायटी आफ दी सेकरड हार्ट कुष्ठ रोग केन्द्र,
   सिक्कोटाई-612401
   कुम्बकाकोनम (तमिलनाडु)
5. हिन्द कुष्ठ निवारण संघ,
   पश्चिम बंगिया शाखा,
   94, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता।
6. संथल पहाड़िया सेवा मण्डल,
   बैद्यनाथ, देवघर (बिहार)

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : मेरा प्रश्न कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास तथा इस बीमारी के इलाज के लिये कार्यक्रम बनाये जाने के संबंध में है। मैं समझता हूं कि इलाज एवं पुनर्वास से ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी रोकथाम एवं उन्मूलन हैं। कुष्ठ रोग लम्बी चलने वाली तथा छूत की बीमारी है। यह देश की भयंकर सामाजिक आर्थिक समस्या है। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या 40 लाख है। औसत पांच या छह व्यक्ति प्रति हजार इस रोग से ग्रस्त हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिये संयुक्त परियोजना शुरू करने के लिये दिल्ली में दो दिन की राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी। इसलिये इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि दो-दिवसीय कुष्ठ रोगी पुनर्वास राष्ट्रीय गोष्ठी में कौन से संयुक्त कार्यक्रम बनाये गये थे।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इसके उपचारात्मक उपाय करना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है ; पुनर्वास का कार्य कल्याण मंत्रालय का है। एक संयुक्त उद्यम किया गया है ; स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम में कल्याण मंत्रालय भी शामिल है। इसलिये हमने इस मामले को उठाया है। रोग निवारक सर्जरी, व्यवसायिक पुनर्वास

तथा प्रशिक्षण का एक पैकेज प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलेपमेंट एजेन्सी को भेजा गया है ताकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से परियोजना को धन मिल सके। इस पर विचार किया जा रहा है।

हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इस पर संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। अभी तक यह स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है कल्याण मंत्रालय में हम पुनर्वास कार्यक्रम पर ध्यान दे रहे हैं। कल्याण मंत्रालय अखिल भारतीय स्तर पर छह बड़े गैर-सरकारी स्वैच्छिक एजेन्सियों एवं देश में फैली उसकी शाखाओं को धन दे रहा है तथा पुनर्वास कार्यक्रम चला रहा है। हमारा मंत्रालय केवल उन्हें धन मुहैय्या कराता है। हम इस पर काम करना चाहते हैं चूंकि हम समझते हैं कि यह एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें काम करना चाहिये और कोई योजना बनायी जाये। अतः यह काम प्रारम्भिक अवस्था में है। ज्यादा कुछ नहीं किया गया है।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ भाग इस बीमारी से बुरी तरह प्रभावित बताये जाते हैं। कर्नाटक में कोल्लीगल (मैसूर जिला), सौडही तथा लक्ष्मेशवर (धारवाड़ जिला) इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन क्षेत्रों को जो कि मैंने बताये हैं, पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जिन संगठनों को मंत्रालय वित्तीय सहायता दे रहा है वह इस प्रकार हैं, मद्रास में जर्मन लेपरोसी रिलीफ एसोसिएशन, कुम्बकोजम (तमिलनाडु) में सोसायटी आफ दी सेकरेड हार्ट लेपरोसी सेन्टर, कलकत्ता में हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, इसी तरह एक-एक बिहार, उड़ीसा तथा शिमला में भी हैं। शिमला स्थित केन्द्र सबसे पुराना है।

अन्य क्षेत्रों में जैसा कि आपने बताया, हम निश्चित रूप से इसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

श्री तम्पन थामस : दक्षिण में एक प्रमुख कुष्ठ निवारण केन्द्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है जिसका नाम है नूरण्ड लेपरोसी सेन्टर। वहां एक हजार से अधिक रोगी हैं। मैंने उस केन्द्र का कई बार दौरा किया है। इससे अभी भी ऐसा लगता है कि कुष्ठ रोग का इलाज नहीं हो सकता तथा रोगियों को लाइलाज समझ लिया गया है।

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एशियन रीजनल कान्फ्रेंस आयोजित की थी। इसने अपने 10वें अधिवेशन में यह साबित कर दिया कि कुष्ठ रोग के कारण विकलांगता कोई बीमारी नहीं है तथा विभिन्न सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिलाने के लिए उन्हें विकलांग व्यक्तियों के बराबर समझा जाना चाहिये। हो यह रहा है कि जिन लोगों का इलाज हो जाता है उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। उन्हें कुष्ठ रोग चिकित्सा गृह बाहर कर देते हैं। बाहर आकर उन्हें पुनर्वास के लिये कोई स्थान नहीं मिलता है। वे यहां से वहां घूमते हैं तथा निराश हो जाते हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या केन्द्र सरकार प्रत्येक कुष्ठ रोग केन्द्र को और अधिक साधन सम्पन्न बनाने के लिये कार्यक्रम बनायेगी और देखेगी कि इसके लिए साथ ही साथ पुनर्वास केन्द्र भी खोला जाये। क्या भारत सरकार इस विषय पर विचार करेगी तथा उत्तर में दिए गए सुझाव के अनुसार एस०आई० डी० ए० का अन्य अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से मदद लेगी तथा इन्हें उन संगठनों एण्ड संस्थानों तक पहुंचायेगी जहां कहीं भी वे कार्यरत हों ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : भारत सरकार इस शताब्दी के अन्त तक देश से कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिये वचनबद्ध है। अत: इस कार्यक्रम के अंतर्गत जहां कहीं भी इस बीमारी के लिए मदद की आवश्यकता है हम उसे मदद पहुंचायेंगे। इस रोग को शताब्दी के अन्त तक समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम बनाया गया है तथा माननीय सदस्य द्वारा बताये गये कार्यक्रमों को भी हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, हम देश में लिप्रौसी उन्मूलन का प्रोग्राम जितना तेजी से चला रहे हैं और इस दिशा में हम जितने सजग होकर कार्य कर रहे है ताकि देश से जल्दी से जल्दी यह भयंकर बीमारी खत्म की जा सके, उतने ही तेजी के साथ लिप्रौसी पेशेंटस की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि कुष्ठ रोगियों के उपचार और स्वास्थ्य की समस्याओं से संबंधित पहलू मुख्यत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हैं। कल्याण मंत्रालय इसके पुनर्वास पहलू से सम्बद्ध है। उन्होने यह भी कहा कि कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में भी प्रतिनिधि है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक सर्जरी, व्यावसायिक पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए एक प्रस्ताव स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस०आई०डी०ए०) को भेजा गया है। जब इनके मंत्रालय का मुख्य कार्य रिहैबिलिटेशन से सम्बन्धित है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगी कि पिछले एक साल में आपके मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच कितना कोआर्डिनेशन बन पाया जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि लिप्रौसी उन्मूलन के कार्यक्रम में हम कहां तक सफल हो पाये हैं और हमने कितनी प्रगति कर ली है। जहां तक वालेंटरी आर्गेनाइजेन्शस का सम्बन्ध है या स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का इस ओर कितना ध्यान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीटूऐन्सी में जयप्रकाश बाबू के नाम से एक कुष्ठ आश्रम काफी समय से है और, इस समय उसमें कुष्ठ रोगियों की संख्या दो या तीन हजार के बीच होगी। माननीय मंत्री जी ने यहां जो कुछ उत्तर दिया है, वह वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है। जब हम धरातल पर जाकर देखते हैं तो यह वास्तविकता है कि न किसी वालेंटरी आर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति और न स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई व्यक्ति इन कुष्ठ आश्रमों में जाकर पता लगाता कि वास्तविकता स्थिति क्या है। इसे देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय, जो मुख्य तौर से इन रोगियों के पुनर्वास से सम्बन्धित है, उनके बीच में उपयुक्त को कोआर्डिनिशन बन पाए, क्या उन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है क्या आपके मंत्रालय ने कभी ऐसी समीक्षा कराई है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या हमारे देश में क्यों बढ़ती जा रही है। यदि बढ़ रही है तो उसके क्या कारण हैं। और अद्यतन आपके पास क्या रिपोर्ट है कि देश भर में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है और उनके कल्याण के लिए आपका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जैसा मैंने पहले बताया, लिप्रौसी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जो कमेटी बनायी गयी है उसमें कल्याण विभाग के साथ हैल्थ विभाग को भी जोड़ा गया है, दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं ताकि अगली शताब्दि तक हम इसे खत्म कर सकें।

[अनुवाद]

श्रीमती वसवराजेश्वरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार के कुष्ठ रोगियों के ठीक हो जाने पर भी समाज उन्हें उनके परिवार में रहने की अनुमति नहीं देता ? पुर्नवास कार्यक्रमों के समय क्या सरकार उन्हें आवास के लिये अच्छे मकानों के साथ-साथ वित्तीय सहायता देने पर गम्भीरता से विचार करेगी, अन्यथा वे सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो जायेंगे ?

महोदय, हाल ही में मैंने बेल्लारी कुष्ठ रोग गृह का दौरा किया था। उसमें आज की तारीख में 180 मरीज हैं। मरीज आंध्र प्रदेश से आते हैं जो कि बेल्लारी के पड़ौस का राज्य है। अत: क्या सरकार नये पुनर्वास केन्द्रों को खोलने की स्वीकृति देते समय एक केन्द्र बेल्लारी में खोलने पर विचार करेगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, हमारा कार्यक्रम इन लोगों को स्व:रोजगार देने का है ताकि यह समस्या ही समाप्त हो जाये। कुछ और भी रोजगार हैं जहां उनका पुनर्वास किया जा सकता है। इससे वे स्वयं काम-धन्धा करने लगेंगे।

समस्या केवल आवास तथा वित्तीय मदद करना अर्थात् व्यक्तिगत लाभ देने की नहीं है। समस्या है कि वे कैसे और उन्हें कैसे काम दिया जाये। वे कैसे काम करेंगे। सारी योजना इसी के लिए बनाई गई है ताकि समस्या समाप्त हो जाये।

जिस विशेष स्थान के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, उस पर हम विचार कर सकते हैं।

गोवा हवाई अड्डे पर माल गोदाम

*146. **श्री शांताराम नायक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोवा के डेबोलिन हवाई अड्डे पर एक माल गोदाम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा ;

(ग) निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ होने की आशा है; और

(घ) इसके पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं हैं।

श्री शांताराम नायक : महोदय, गोवा का डेबोलिन हवाई अड्डा अब पहले जैसा नहीं रहा है। हाल के वर्षों में इसमें बहुत से परिवर्तन हुए हैं, पहले इंडियन एयर लाइन्स के एक या दो विमान उतरते थे, परन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय तथा चार्टर्ड विमानों के अतिरिक्त इंडियन एयर लायन्स के अनेक विमान उतर रहे हैं। वहां बहुत सा माल आता है। खाड़ी के देशों में जो लोग हैं वह भी माल लाते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में जब यह एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा होता जा रहा है, तो इस पर कोई माल गोदाम क्यों नही है ? क्या आपने यह निश्चय कर लिया है कि इस हवाई अड्डे पर कोई

माल गोदाम नहीं होगा या भविष्य में मालगोदाम बनाने पर विचार करेंगे ? आपकी वर्तमान कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि गोवा हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा बनने जा रहा है तथा इस पर कुछ सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएं। परन्तु यह हवाई अड्डा भारतीय नौ सेना के क्षेत्र में है। हमें वहां अपनी टर्मिनल इमारत बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता है। हमने जमीन के लिए राज्य सरकार से कहा है। जमीन मिलने के बाद हम वहां टर्मिनल इमारत बनाएंगे ?

टर्मिनल इमारत में माल के लदान-उतराई के लिए कुछ सुविधायें भी प्रदान की जा सकती हैं। परन्तु इस समय तुरन्त कार्य शुरू करना सम्भव नहीं है। क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। तथा गोवा से और गोवा को माल का चढ़ाना-उतारना बहुत अधिक नहीं है। परन्तु दूसरे आश्वासन तथा योजनाओं को पूरा करने के बाद हम इस पर उचित ढंग से निश्चित रूप से ध्यान दे सकते हैं।

श्री शांताराम नायक : माल के लदान-उतराई के बारे में हमने देखा है कि यह कार्य लापरवाही से किया जाता है। हमारे सामान को कुली एक या दो मीटर से फेंक देते हैं। उन्हें फेंक दिया जाता है जिससे वी० आई० पी० या सफारी ब्रीफकेसों के अन्दर का सामान खराब हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एयर कार्गो मैनेजमेंट का एक इंस्टीटयूट है क्या उसने माल की सुरक्षा के लिए कोई विशेष निर्देश दिए हैं ? वे कौन से निर्देश हैं ?

श्री शिवराज पी० पाटिल : हम उन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं जो माल तथा सूटकेस का काम संभालते हैं। हम उनसे उस माल को उचित ढंग से संभालने के लिए कहते हैं जिसे सावधानीपूर्वक संभाला जाना चाहिए। यह ऐसा कार्य है जिसे करना पड़ेगा। बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिए हमें अपने लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा।

असम के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के लम्बित मामले

*149. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम राज्य के स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के वर्ष 1984 से अब तक के कितने मामले मंजूरी हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) उनमें से कितने मामले राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं; और

(ग) इन मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). असम से प्राप्त हुए सभी मामलों को जुलाई/अगस्त, 1986 के विशेष अभियान के दौरान निपटा दिया गया था। तथापि, राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण कुछ मामलों को निपटाया नहीं जा सका आज तक 76 मामले लम्बित हैं।

(ग) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर इन मामलों को निपटा दिया जायेगा।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, मंत्री महोदय का जबाब सुनकर मुझे खेद हुआ है। जबाब बहुत अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि असम के सभी मामले जुलाई/अगस्त 1986 के विशेष अभियान

में निपटा दिये गये थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने मामले निपटाये गये। मैं जानता हूँ कि 1986 के दौरान प्राप्त हुए बहुत से मामले अभी लम्बित पड़े हैं। मंत्री महोदय स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से राजनीति का खेल खेल रहे हैं। वह किसकी कीमत पर मंत्री बने हैं ? मैं एक विशिष्ट जवाब चाहता हूं। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। यदि असम की सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखती है तो उसे कभी कोई जबाब नहीं मिलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने मामले निपटाये जा चुके हैं, कितने लंबित हैं तथा लंबित मामले कब तक निपटाये जायेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा कि मैंने बताया, राज्य सरकार की रिपोर्ट के अभाव में 76 मामले लम्बित हैं। मैं सदस्य महोदय, जो वहां के सत्ता दल के सदस्य हैं, से कहूंगा कि वह हमें रिपोर्ट भिजवाएं। मैं उन्हें उन स्मरण पत्रों की प्रतियां दूंगा जो असम सरकार को रिपोर्ट शीघ्रता से भेजने के लिए भेजे गए हैं। अपेक्षित जानकारी मिलने पर मैं पेंशन की मंजूरी दे दूंगा। विशेष अभियान में 70,000 मामले प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया था। हमने 1500 मामलों में पेंशन मंजूर की है तथा असम के 101 मामलों में पेंशन मंजूर की है। उसके बाद यदि नव साक्ष्य मिलते तो हम और मामलों पर भी विचार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विशेष अभियान में हमने असम राज्य के 101 मामलों को मंजूरी दे दी है।

श्री सत्येन्द्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। पूर्वी बंगाल केमामलों के सम्बन्ध में जहां रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, वहां हम इस गैर-सरकारी समिति की सिफारिश के आधार पर उन मामलों पर विचार करेंगे।

मैं राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की चिंता को भली-भांति समझता हूं। मैं भी राजनीति पीड़ित परिवार का हूं। मेरे पिताजी तथा चाचाजी राजनीति पीड़ित थे। इसलिए मैं जानता हूं कि राजनीतिक पीड़ित की स्थिति क्या होती है। अतः माननीय सदस्य को उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री महेश्वर तांती : जब कभी हम मंत्री महोदय से प्रश्न पूछते हैं तो उनके जवाब बड़े अस्पष्ट होते हैं। वे समयबद्ध जबाव नहीं देते हैं कि अमुक मामला अमुक तारीख तक निपटा दिया जायेगा। पहले मैंने बिहार के एक विशिष्ट मामले के बारे में श्री चिंतामणि पाणिग्राही को लिखा था, परन्तु उस मामले पर अभी विचार नहीं किया गया है। लोग मेरे पास आये मैंने मंत्री महोदय को लिखा परन्तु उस मामले को अभी तक नहीं निपटाया गया है।

असम की जनता के साथ केन्द्रीय सरकार ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। यदि आप असम की जनता की तरफ विशेष ध्यान नहीं देंगे तो अधिक समय तक नहीं रहेंगे। आपकी पार्टी स्वतः खत्म हो जायेगी।

श्री सन्तोष मोहन देव : असम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हीनता की भावना से पीड़ित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सरकार का किसी विशिष्ट क्षेत्र के प्रति कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं है (**व्यवधान**) माननीय सदस्य ने जिस विशेष मामले का उल्लेख किया है उसके बारे में वह मुझे लिख सकते हैं मैं उसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, फ्रीडम फाइटर्स की हालत बहुत खराब है। डिपार्टमेंट इस दिशा में कोई भी काम नहीं कर रहा है। 5-5 रिमाइंडर देने के बाद भी उसका जवाब नहीं आता है। ऐसे कई केसिज पेंडिंग पड़े हुए हैं। अत: इस पर चर्चा करवायी जानी चाहिए। मेरा तो यह आग्रह है कि इस पर आधे घण्टे की चर्चा करवायी जाये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : करवा देंगे।

विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म शताब्दी समारोह आयोजित करना

[अनुवाद]

***150. प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्र के विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म-शताब्दी समारोहों का आयोजन करती रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आचार्य जे० बी० कृपालानी, डॉ० सी० वी० रमण और डॉ० सेफुद्दीन किचलू जैसे विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म-शताब्दी वर्ष भी 1988 है; और

(ग) यदि हां, तो इन विशिष्ट व्यक्तियों की जन्म शताब्दी मनाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ और पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी समारोहों की कार्यान्वयन समिति को संस्कृति विभाग के सहयोग से आचार्य जे० बी० कृपालानी, डा० सी० वी० रमण और डा० सेफुद्दीन किचलू जैसे विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म शताब्दी समारोह जो सन् 1987 से 1990 की अवधि के दौरान पड़ते हैं, का आयोजन करने की पूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आचार्य जे० बी० कृपालानी की जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। जन्म शताब्दी 11 नवम्बर की थी, जो पहले ही निकल गयी परन्तु कुछ नहीं किया गया। जब मैंने प्रधान मंत्री को लिखा तो बहुत दिनों के बाद उनकी यात्रा वापिसी के बाद मुझे जवाब मिला कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मैं युवा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आचार्य कृपालानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे जब कांग्रेस की ओर से माउंट बेटन योजना तथा सत्ता के हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के फैसले की सूचना दी गई थी। वह सर्वोच्चतम अधिकारी तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। मैं जानना चाहता हूं कि आचार्य कृपालानी की शताब्दी मनाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया और यदि आप समझते हैं कि कदम उठाये गये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन से कदम उठाये गये हैं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : यह कहना गलत है कि कोई कदम नहीं उठाया गया है। केन्द्रीय समिति के परामर्श से गुजरात सरकार ने आचार्य कृपालानी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया है। ज्यों ही मुझे विवरण मिल जायेगा मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। आचार्य कृपालानी, प्रो० रंगा मेरी बात का समर्थन करेंगे, एक विशिष्ट व्यक्ति थे। स्वतंत्रता संग्राम तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महा-सचिव के रूप में वह महात्मा गांधी के 25 वर्ष तक दाहिने हाथ रहे। ऐसे अखिल भारतीय व्यक्तित्व की शताब्दी मनाने का काम राज्य को क्यों सौंपा गया? और मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि विख्यात स्वतंत्रता सेनानी श्री गंगा चरण सिन्हा ने स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव की शताब्दी मनाने के लिए सरकार को लिखा था। आचार्य नरेन्द्र देव एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, महान समाजवादी, अहमद नगर जेल में पंडित जवाहर लाल नेहरू के एक साथी तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कार्यकारिणी के एक सदस्य थे तथा इनके बारे में पंडित नेहरू ने **'डिस्कवरी ऑफ इंडिया'** में लिखा है, "मैं यह पुस्तक इसलिए लिख सका क्योंकि मेरे पास दो विश्वकोष थे एक तो मौलाना अबुल कलाम आजाद दूसरे आचार्य नरेन्द्र देव।" ऐसे व्यक्ति की शताब्दी अखिल भारतीय स्तर पर मनाई जानी चहिए थी परन्तु श्री गंगा चरण सिन्हा को एक मंत्री की बजाय एक अधिकारी से यह पत्र मिला कि आचार्य नरेन्द्र देव की शताब्दी के लिए आवश्यक तैयारी करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया है।

मैं प्रधान मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि आचार्य नरेन्द्र देव पंडित जवाहर लाल नेहरू के उन साथियों में से थे जिनका अत्यधिक आदर किया जाता था। उन्होंने ऐसा संसद में, बाहर तथा 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में कहा। क्या वे अपना निर्णय संशोधित करेंगे और अखिल भारतीय स्तर पर कुछ करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आचार्य नरेन्द्र देव एक प्रादेशिक व्यक्तित्व न होकर एक उच्च स्तर के स्वतंत्रता सेनानी तथा इस देश के राष्ट्रीय नेता थे?

सरदार बूटा सिंह : सभा को यह जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रीय ख्याति के 14 नेताओं की जन्म शताब्दी इस वर्ष पड़ रही है और इस बारे में कार्यवाही की गई है। वे हैं;

(1) श्री के० एम० मुंशी
(2) डा० एस० राधाकृष्णन
(3) श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद
(4) श्री आसफ अली
(5) श्री बी० जी० खेर
(6) डा० सैफुद्दीन किचलू
(7) सर सी० वी० रमन
(8) आचार्य जे० बी० कृपलानी
(9) श्री जी० वी० मावलंकर
(10) आचार्य नरेन्द्र देव

(11) खुदी राम बोस

(12) श्री जमनालाल बजाज

(13) श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर और

(14) श्री शरत चन्द्र बोस

केन्द्रीय समिति ने इस बारे में कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। आखिरकार, जैसा कि आप जानते हैं राज्य सरकार के शामिल होने को नकारा नहीं जा सकता है, राज्य सरकारें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य हमारे देश के अभिन्न अंग हैं। यदि एक राज्य में एक महान नेता का जन्म स्थान है और यदि राज्य सरकार उनकी शताब्दी मनाने के लिए उत्सुक है तो हम उस विशेष राज्य को कार्यक्रम क्यों नहीं दे सकते ? यदि एक राज्य इन्हें मनाता है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर मनाने से किस प्रकार भिन्न है ? अत: हम विभिन्न राज्यों के सहयोग से एक योजना बना रहे हैं। तथा जिन 14 नेताओं का मैंने अभी उल्लेख किया है हम उन सब की शताब्दी मनाएँगे।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आचार्य नरेन्द्र देव जैसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता की शताब्दी अखिल भारतीय स्तर पर नहीं मनाई जा रही है, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि यह राज्य कर रहा है।

सरदार बूटा सिंह : मैंने कहा है कि समारोह राष्ट्र व्यापी होंगे लेकिन प्रमुख भूमिका राज्य की है। राज्य इन कार्यक्रमों को लागू करेंगे जो केन्द्रीय समिति उन्हें देगी।

प्रो० मधु दंडवते : यदि पंडित जवाहर लाल नेहरू जीवित होते तो वे इस पर नाराजगी जाहिर करते।

डा० जी० एस० ढिल्लों : माननीय गृह मंत्री ने डा० सैफुद्दीन किचलू के नाम का भी उल्लेख किया है। पंजाब, दिल्ली, अमृतसर तथा अन्य स्थानों पर अनेक समितियां कार्य कर रही हैं। जलियांवाला बाग आंदोलन के दो नायक डा० सत्यपाल तथा डा० किचलू थे और दोनों को मौत की सजा दी गई थी। यह बाद में कारावास में बदल गई थी। डा० किचलू की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गई थी। यहां पर उनके दो पुत्र आवास अथवा अन्य किसी सहायता के बगैर बहुत दुखी हैं। क्या मंत्री महोदय उनके दो पुत्रों की व्यथा पर गौर करेंगे ? इसके साथ ही डा० किचलू एक विख्यात पुरुष थे वह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के अलावा बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव भी बने। वह लेनिन पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। उनका जन्म दिवस मनाने के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में विचार करें। यह गृह मंत्री का राज्य है, जहां से वह आए हैं।

सरदार बूटा सिंह : यह सच है कि उनके पुत्रों की आवास समस्या हमारे पास आई थी। हम स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे में से उन्हें एक मकान देने पर विचार कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में तथा विशेषकर पंजाब में डा० किचलू के योगदान से परिचित हैं। मैं डा० ढिल्लों से सहमत हूं कि वह हमारे अत्यधिक विख्यात तथा सम्मानित नेताओं में से हैं। राज्य सरकार के सहयोग से हम निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर डा० किचलू की शताब्दी मनाएंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैंने डा० के० के० शाह के बारे में लिखा है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीयों में से थे जिनमें समाजवादी अर्थशास्त्र के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का सम-

धंन करने का साहस था जबकि उस समय हमारे देश में अधिकतर प्रोफेसर साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र का प्रचार कर रहे थे। वह योजना समिति तथा संविधान सभा के सदस्य भी थे। मुझे यह उत्तर मिला कि राज्य सरकार इस पर कार्यवाही कर सकती है। मुझे इस प्रकार का जवाब नहीं चाहिए। केन्द्रीय समिति को ये दायित्व विभिन्न राज्यों को सौंप देने चाहिए, हमें यह राज्यों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें मनाने में राज्यों के उत्साहित होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? ऐसी परिस्थितियों में इन समारोहों में प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति को अध्यक्षता करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि हम देश को आश्वस्त कर सकें कि हम अपने देश के इन विख्यात देशभक्तों तथा सेवकों को राष्ट्रीय मान्यता दे रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : माननीय प्रो० रंगा जी ने जो सुझाव दिया है वह ठीक है। राष्ट्रपति जी तथा उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि हम इन राष्ट्रीय नेताओं की जन्म शती राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय एजेंसी बनाकर मनाएं तथा हम इसी योजना पर चल रहे हैं और यह निर्णय राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता वाली समिति ने लिया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय वायुसेना के परमाणु अस्त्रों से लैस होने के बारे में समाचार

[अनुवाद]

*144. **श्री कमलनाथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में "डिफैन्स एण्ड फारेन एफेयर्स वीकली, लंदन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अपनी वायु सेना को परमाणु बमों से लैस कर रहा है और इन बमों को गिराने की तकनीक के विकास के लिए वायु सेना मुख्यालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां। सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) 4 अक्तूबर, 1988 को रक्षा मंत्रालय में जन सम्पर्क निदेशालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें इस समाचार को पूर्णतः असत्य एवं राजनीति से प्रेरित बताया गया है।

चीन के प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा

*147. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन संबंधी एक चीनी प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी तथा नागर विमानन विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विमान सेवाओं पर बातचीत दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर की गई थी। सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय वाहकों के बीच सम्पर्क बढ़ाने पर बल दिया गया। चार्टर उड़ानों तथा अनुसूचित उड़ानों के प्रचालन के सम्बन्ध में भी बातचीत की गई।

"पुलिस समाज संबंध" के बारे में कार्यशाला

*148. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1988 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में "पुलिस समाज संबंध" के बारे में तृतीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) कार्यशाला में किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) कार्यशाला में की गई चर्चा के प्रकाश में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वे छः मुद्दे जिन पर विचार गोष्ठी में चर्चा की गई

1. नशीली दवाओं का दुरुपयोग: अपराध अथवा एक सामाजिक बुराई, सरकारी तथा गैर-सरकारी (स्वयं सेवी) संगठनों की भिन्न-भिन्न भूमिका।

2. महिलाओं तथा बच्चों के प्रति पुलिस की भूमिका : कदाचार, महिलाओं के प्रति अपराध घरेलू हिंसा तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार।

3. फौजदारी न्याय प्रणाली : अपनी भिन्न-भिन्न उप-प्रणालियों से प्रत्यक्ष लोक ज्ञान आशाएं।

4. पुलिस तथा जन-संचार माध्यम : भिन्न-भिन्न भूमिका का ज्ञान : क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

5. समाज तथा पुलिस की बदलती आशाएं : कानून की एजेंसी अथवा सामाजिक परिवर्तन का यंत्र।

6. पुलिस किसके प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए।

चर्चा के दौरान उठाए गए विषय

1. यह अनिवार्य है कि थोड़ी मात्रा में भी नशीली दवाओं के खतरे को रोका जाए क्योंकि नशीली दवाओं के फुटकर विक्रेता आमतौर पर थोड़ी मात्रा देते हैं और अपने पास बड़ी मात्रा में दवाएं नहीं रखते। लोकतंत्र में भी, उपचारी उपाय किए जाने चाहिए जहां बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं।

2. नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए शिक्षा का मुख्य महत्व है। तेज नशीली दवाओं पर प्रयास केन्द्रित किए जाने चाहिए।

3. उत्तर-पूर्वी दिशा से उच्च किस्म की शुद्ध हेरोइन की तस्करी को ध्यान में रखते हुए बर्मा सीमा पर अतिरिक्त चौकसी रखी जानी चाहिए।

4. पुलिस की कार्यविधि को जो अधिक रहस्यमयी है और स्पष्ट किया जाना चाहिए।

5. पुलिस कर्मियों में कारगर प्रवर्तन और व्यवहारीय परिवर्तन लाने के लिए कुछ संस्थागत प्रबंध किए जाने चाहिए।

6. महिलाओं की शिकायतों का बेहतर मूल्यांकन करने और समझने के लिए पुलिस स्टेशन पर महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए।

7. स्वतंत्रता के बाद के युग में समाज की बदलती हुई आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए।

8. 1980 से तीन मुख्य आयोगों नामत. विधि आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग तथा जेल सुधार आयोग की रिपोर्टों में दिए गए विभिन्न सुझावों का अध्ययन किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

9. पुलिस की छवि को प्रदर्शित करने और प्रेस के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखने के लिए व्यवसायी व्यक्तियों की एक कारगर लोक, सम्पर्क इकाई होनी चाहिए।

10. समाज के निम्न वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति पुलिस को उत्तरदायी बनाने के लिए पुलिस बल में उनको अधिक संख्या में भर्ती किया जाना चाहिए।

विचार गोष्ठी के कार्यवृत्त सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किए गए हैं।

सिल्वर पेस्ट का उत्पादन

*151. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्वर पेस्ट का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के अलावा किसी नई प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रौद्योगिकी सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विकसित की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का नई प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). विभिन्न किस्मों के इलेक्ट्रॉनिक संघटक अर्थात सेरामिक कैपेसाइटर माइका कैपेसाइटर और हाइब्रिड सर्किट तथा सौर सैल बनाने के लिए एक ही प्रकार के संयोजनों और ज्वलन तापों के सिल्वर पेस्ट काम में लाए जाते हैं। इस समय 5 कम्पनियां इस किस्म के पेस्ट तैयार कर रही हैं। इनमें से 4 कम्पनियां निजी क्षेत्र और 1, सैन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकारी क्षेत्र में है।

जबकि सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और 3 निजी क्षेत्र की कम्पनियां उत्पादन परिसर में विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित इस किस्म के पेस्ट तैयार कर रही हैं। चौथी निजी क्षेत्र की कम्पनी विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित पेस्ट तैयार कर रही है।

(ग) इलेक्ट्रानिक्स विभाग का विचार अपने एक प्रस्तावित सामग्री विकास केन्द्र पर थिक फिल्म सामग्री के क्षेत्र में जिसमें सिल्वर पेस्ट भी शामिल है, विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य अलग-अलग क्षेत्रों में शुरू करने का है। इस केन्द्र पर इस क्षेत्र में उद्योग (उपभोक्ता और संभरक) को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता तथा परीक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी का विषय अनिवार्य न रखना

[हिन्दी]

*152. **श्री मदन पांडे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी का विषय अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त परीक्षा में यह विषय हटा देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). कोठारी समिति, जिसने सिविल सेवा परीक्षा योजना की पुनरीक्षा की थी, ने सिफारिश की थी कि उम्मीदवारों को अंग्रेजी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तदनुसार, वर्ष 1979 से सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का, एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र (पेपर) होता है जो कि अर्हक स्वरूप का तथा मैट्रिक स्तर का होता है।

इस व्यवस्था में फेर-बदल किए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

हाइपरप्लेन परियोजना

[अनुवाद]

*153. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाइपरप्लेन परियोजना शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से प्राप्त होने वाले वैज्ञानिक और अनुसंधान लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसे पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

वी० सी० आर०/रंगीन टी० वी० की कम मूल्य पर सप्लाई

*154. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इलाट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नालोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई० टी० एण्ड टी०) ने अपनी "टेलीटीच" परियोजना के लिए 6000 रुपये की कम कीमत पर वीडियो कैसेट रिकार्डर सप्लाई करने की पेशकश की है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई० टी० एण्ड टी० द्वारा अपने रंगीन टेलीविजन सेटों को 6400 रुपये प्रति सेट बेचने के दावे को गैर-सरकारी क्षेत्र के वीडियो कैसेट रिकार्डर और रंगीन टेलीविजन निर्माताओं द्वारा चुनौती दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं की मूल्य संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) के 51 सेमी० आकार वाले क्षैतिज रंगीन टी० वी० माडल का मूल्य 6575 रुपये है जिसमें स्थानीय कर शामिल नहीं है, और 51 सेमी० आकार वाले ऊर्ध्वाधर रंगीन टी० वी० का मूल्य 7774 रुपये है, जिसमें स्थानीय कर शामिल नहीं है। सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम० टी० बी०) नामक अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष के आरम्भ में 51 सेमी० आकार वाले रंगीन टी० वी० के एक नए डिजाइन की शुरूआत करने की उनकी योजना है, जिसका मूल्य लगभग 6400 रुपये होने की संभावना है, जिसमें स्थानीय कर शामिल नहीं है, और ये ई० टी० एण्ड टी० के देशभर में स्थित सभी कार्यालयों से इसी मूल्य पर उपलब्ध होंगे। भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ (आई० टी० एम० ए०) ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 1988 के प्रेस नोट में यह बताया है कि ई० टी० एण्ड टी० घोषणा से इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि मूल्यों में बिक्री कर शामिल है या नहीं, क्या गारंटी शामिल है और क्या उपभोक्ताओं को अपने घरों में बैठे ही बिक्री उपरांत सेवाएं उपलब्ध होंगी, आदि। ई० टी० एण्ड टी० के टी० वी० सेटों के उपर्युक्त मूल्यों में एक वर्ष का समाश्वासन, जिसके दौरान संघटक-पुर्जों को निःशुल्क बदला जाएगा, और उनके कार्यालयों में बिक्री उपरांत सेवा शामिल है।

तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकाप्टर सेवा

*155. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वैष्णो देवी को अपनी सेवाएं जारी रखने के अलावा, पवन हंस लिमिटेड अन्य स्थानों को भी ऐसी सेवाएं प्रचालित कर सकता है बशर्ते कि यह व्यवहारिक हो।

साम्प्रदायिक दंगे

[हिन्दी]

*156. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान किन-किन राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे हुए ;

(ख) इन दंगों के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन दंगों में कितने व्यक्ति मारे गए और कितनी सम्पत्ति का नुकसान होने का अनुमान है;

(घ) इन दंगों से प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए यदि कोई कार्यवाही योजना बनाई गई है तो वह क्या है ; और

(च) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन महीनों के दौरान निम्नलिखित राज्यों में साम्प्रदायिक हिंसा की मुख्य घटनाएं हुईं :—

क्र० सं०	राज्य का नाम जहां घटना हुई	घटना की तारीख	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	सम्पत्ति की हानि (लाख रुपयों में)
1.	**कर्नाटक**			
	बिदर	14 और 15 सितम्बर, 1988	6	50.00 लाख रु०
2.	**उत्तर प्रदेश**			
	अलीगढ़	8 से 13 अक्तूबर, 1988 तक	5	उपलब्ध नहीं
	मुजफ्फर नगर	—वही—	24	उपलब्ध नहीं
	खतौली	—वही—	2	उपलब्ध नहीं
3.	फैजाबाद	21 से 24 अक्तूबर, 1988 तक	5	उपलब्ध नहीं

ये दंगे निश्चित रूप से साम्प्रदायिक और समाज-विरोधी तत्वों का कार्य है।

(घ) पिछले तीन महीनों के दौरान, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की पर्याप्त कम्पनियां उपलब्ध करायी गयी थीं, किन्तु, कर्नाटक सरकार से केन्द्रीय बलों की सहायता के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ङ) और (च). जहां तक बिदर में 14 और 15 सितम्बर, 1988 को हुई साम्प्रदायिक हिंसा का संबंध है, साम्प्रदायिक झगड़े की जानकारी मिलते ही गृह राज्य मंत्री (आंतरिक सुरक्षा) ने कर्नाटक के राज्यपाल से इस मामले पर तुरन्त विचार-विमर्श किया और केन्द्रीय गृह सचिव ने कर्नाटक के गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से साम्प्रदायिक स्थिति को नियंत्रित करने के बारे में किए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा की और राज्य सरकार से साम्प्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए सभी संभव उपाय करने का आग्रह किया। उन्हें अर्द्ध सैनिक बल भेजने की भी पेशकश की गई थी, यदि राज्य सरकार चाहती। प्रधान मंत्री के निदेश पर श्री सन्तोष मोहन देव, गृह राज्य मंत्री, श्री जनार्दन पुजारी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सहित एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने 29 सितम्बर, 1988 को बिदर का दौरा किया और उसी दिन बंगलौर में मुख्यमंत्री से बिदर की साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा की। राज्य सरकार को विशेष रूप से इस बात पर जोर देकर कहा गया कि वह अल्पसंख्यक समुदाय विशेषत: बिदर के छात्रों को पुन: आश्वस्त करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये ताकि वे अपनी पढ़ाई पुन: शुरू कर सकें।

2, कर्नाटक सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। 27 अक्तूबर, 1988 को कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि बिदर में हुए साम्प्रदायिक हिंसा की जांच करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश श्री पी०के० श्यामसुन्दर का एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग नियुक्त किया गया है जो तीन महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर तथा अन्य स्थानों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने की बात सुनने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री ने तुरन्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श किया और राज्य प्राधिकारियों को अतिरिक्त कुमुक भेजने का आश्वासन दिया ताकि साम्प्रदायिक स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके। समाज-विरोधी तथा साम्प्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ भिन्न-भिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सावधान रहने के लिए सामान्य निर्देश जारी किया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि वे संबंधित राज्यों में हिंसा के भड़कने को रोकने के लिए जिला प्राधिकारियों इत्यादि को सतर्क करने हेतु उपयुक्त उपाय करें। केन्द्रीय गृह मंत्री ने बाबरी मस्जिद आन्दोलन की समन्वय समिति के सदस्यों से भी आग्रह किया कि वे 14 अक्तूबर, 1988 को अपने प्रस्तावित अयोध्या मार्च को स्थगित करें और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद के प्रश्न पर न्यायालय से बाहर समझौता कराने का प्रयास करेगी और ऐसा न होने पर कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के परिणामस्वरूप बाबरी मस्जिद की समन्वय समिति ने अपने प्रस्तावित अयोध्या मार्च को रद्द कर दिया।

4 राज्य सरकारों को, दंगे की स्थिति को शुरू में ही कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए ऐसा अवसर उत्पन्न होने पर अथवा मांग करने पर अर्द्ध सैनिक बलों और उपकरणों के रूप में भरपूर सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने में उनकी सहायता करने और साम्प्रदायिक सद्भाव बहाल करने और सुदृढ़ करने के लिए दिशा-निदेश परिचालित किये हैं। इनमें साम्प्रदायिक हिंसा रोकने और नियंत्रित करने के

लिए दिशानिदेश, जलूसों के लिए दिशानिदेश और राहत तथा पुनर्वास उपायों के लिए दिशानिदेश शामिल हैं।

5, उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय एकता परिषद, समय-समय पर, धर्म-निरपेक्ष समाज बनाने के दीर्घावधि उपायों पर विचार करती रही है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

6. मेरठ में हाल में हुए दंगों से सबक प्राप्त किए गये हैं और इस अनुभव पर आधारित नवीन दिशानिदेश 26 फरवरी, 1988 को सभी राज्य सरकारों को परिचालित किये गये।

7. पंजाब तथा देश के अन्य भागों में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए धार्मिक संस्थानों का इस्तेमाल राजनीतिक और अवैध उद्देश्यों के लिए करने और धर्म को राजनीति से अलग करने के संदर्भ में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि इस दुरुपयोग को तत्काल रोका जाय और तदनुसार 26 मई, 1988 को धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग की रोकथाम) अध्यादेश, 1988 प्रख्यापित किया गया। तद्पश्चात इस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक लाया गया और 2 सितम्बर, 1988 को अधिनियमित किया गया।

पुरातत्वीय महत्व के स्थानों का सुधार

[अनुवाद]

*157. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री पुरातत्वीय महत्व के स्थानों के सुधार के बारे में 1 सितम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4710 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारनाथ में स्थल-दृश्य निर्माण के बारे में प्रस्ताव का प्रारूप इस बीच सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा की कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

*158. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पाण-वैष्णव, कण्डरा वैष्णव, गोख वैष्णव, हाडि वैष्णव, घाबा और घाबी-वैष्णव, बाउरी वैष्णव आदि जातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है क्योंकि ये जातियां अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल पाण, कण्डरा, गोख, हाडि, घोबा, बागुरी जातियों के समान हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डॉ० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख). उड़ीसा में अनुसूचित जातियों की वर्तमान सूची में संशोधन करने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों सहित, उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 341 को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों की वर्तमान सूची में संसद के अधिनियम के सिवाय कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

भारत-नेपाल सीमा पर यूरेनियम की तस्करी

[हिन्दी]

*159. **श्री तेजा सिंह दर्दी :**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1988 में भारत-नेपाल सीमा पर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिससे परिष्कृत यूरेनियम बरामद हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में यूरेनियम पकड़ी गई और उसका अनुमानित मूल्य क्या था;

(ग) क्या सरकार ने उस स्रोत का पता लगाया है जहां से इस व्यक्ति ने यूरेनियम प्राप्त की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (घ). सरकार ने इस बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं कि बिहार सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने भारत-नेपाल सीमा पर रांची के रहने वाले एक व्यापारी के पास से परिष्कृत यूरेनियम बरामद किया है। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों से परमाणु ऊर्जा विभाग को इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से यूरेनियम बरामद हुआ है। राज्य सरकार से मामले के तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

अनुसंधान हेतु भारत-अमरीकी समझौता

[अनुवाद]

*160. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने हेतु अमरीका से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे वैज्ञानिक अपने अनुसंधान लक्ष्य किस हद तक प्राप्त कर सकेंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) हालांकि संयुक्त राज्य के साथ हाल ही में कोई नया औपचारिक समझौता नहीं किया गया है, लेकिन गांधी-रेगन विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रारम्भन कार्यक्रम को 1 अक्तूबर, 1988 से और 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है ।

(ख) इस विस्तारण के अंतर्गत कुछेक चालू परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा और स्वास्थ्य, कृषि, जैव-भार, मानसून अनुसंधान, इंजीनियरी और सोलिड-स्टेट विज्ञानों के क्षेत्र में कुछ नये विषय शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) आशा है कि अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन से अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

शार्ट सर्विस कमीशन के लिए उम्मीदवारों का चयन

*161. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शार्ट सर्विस कमीशन अथवा स्थायी कमीशन के लिये चुने गये कुछ उम्मीदवार चयन के पश्चात् प्रशिक्षण के लिये नहीं आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनके द्वारा भाग न लिए जाने के क्या कारण थे ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1986, 1987 और 1988 के दौरान उन उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है जिनका चयन हो गया था लेकिन जिन्होंने चयन के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया:

	अल्पकालीन सेवा कमीशन			स्थायी कमीशन		
	थलसेना	नौसेना	वायुसेना	थलसेना	नौसेना	वायुसेना
1986	56	5	9	65	28	43
1987	41	4	8	39	35	37
1988	101	2	16	59	15	22

अल्पकालीन या स्थायी कमीशन के लिए चयन हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट न करने वाले उम्मीदवारों के बारे में इसके वास्तविक कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है । यह निश्चित है कि सशस्त्र सेनाओं में रोजगार का अवसर है लेकिन यह उन विभिन्न विकल्पों में से एक है जिन्हें उम्मीदवार स्कूल

और विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात् सोचते हैं। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए परीक्षा देने के साथ-साथ वे वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। इसलिए सशस्त्र सेना और सेना प्रशिक्षण अकादमियों में प्रवेश के लिए औपचारिक बुलावा पत्र जारी होने तथा पाठ्यक्रम के आरम्भ होने की अवधि के बीच उनको जो वैकल्पिक रोजगार प्राप्त होता है, वे उसे चुन लेते हैं।

अल्पकालीन सेवा कमीशन के लिए चुने जाने के बाद उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश न लेने के मुख्य कारणों में से एक कारण अल्पकालीन सेवा अवधि और स्थायी कमीशन प्राप्त करने के बारे में अनिश्चितता है।

पैट्रो-रसायन, तेल शोधक कारखानों और फार्मास्युटिकलों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

[हिन्दी]

*162. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पैट्रोरसायन, तेल शोधक कारखानों ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों, इस्पात भट्टियों और फार्मास्युटिकलों आदि के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या इस मिशन ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बीच किन-किन क्षेत्रों में कार्य आरम्भ हो चुका है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रीलंका के शरणार्थी

[अनुवाद]

*1342. **श्री सी० के० कुप्पु स्वामी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में श्रीलंका के अभी कितने शरणार्थी शेष हैं;

(ख) उन्हें श्रीलंका वापिस भेजने के लिए विचाराधीन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) श्रीलंका के 89407 शरणार्थी अभी भारत में हैं।

(ख) और (ग). योजनानुसार 24.12.1987 से 17.10.88 तक 25065 शरणार्थी 48 बैचों में श्रीलंका वापस जा चुके हैं। समुद्री मार्ग खराब होने के कारण 17.10.88 से शरणार्थियों को वापस भेजने का कार्य रोकना पड़ा और इसको जनवरी, 1989 के पहले सप्ताह में किसी भी समय पुनः शुरू किये जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका के शरणार्थियों की श्रीलंका को वापसी, शिविरों में नहीं रह रहे पंजीकृत शरणार्थियों की उपलब्धता और उन्हें वापस लेने के कार्य में

श्रीलंका सरकार की सुविधा जैसे तत्वों पर निर्भर करती है। इन परिस्थितियों में, इस समय शेष शरणार्थियों की वापसी के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार नहीं किया जा सकता है।

महिलाओं का अपराधिक मामलों में शामिल होना

*1343. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1988 से 31 अक्तूबर, 1988 तक दिल्ली में महिलाओं द्वारा अपराध करने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में कितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और अपराध के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1987 के दौरान प्रति माह किए गए अपराधों की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार का ऐसे अपराधों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 927 ।

(ख) वर्ष 1988 में 927 मामलों में 1229 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं जब कि 1987 की इसी अवधि में 963 मामलों में 1291 महिलाएं गिरफ्तार की गई थीं।

(ग) कानून के अनुसार, अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है। बदनाम स्थानों पर समय-समय पर छापे मारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में बदनाम औरतों/लड़कियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों/वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। होटलों तथा गैस्ट हाऊसों की वड़ी जांच की जाती है। जनता का सहयोग लेने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

भारतीय नौसेना में समर्थन लागत प्रणाली संबंधी अध्ययन

*1344. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कास्टस् एण्ड वर्क्स अकाउन्ट्स ऑफ इंडिया को भारतीय नौसेना परिचालन और समर्थन लागत के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन करने का काम सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था द्वारा नौसेना के लिए किए गए लागत अध्ययन का निष्कर्ष क्या है और इसने विशेष रूप से प्रणालियों के विकास पर क्या मुख्य टिप्पणियां की हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त संस्थान को यह अध्ययन करने के लिए कितने पारिश्रमिक अथवा शुल्क का भुगतान किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ कॉस्टस् एण्ड वर्क्स एकाउन्ट्स ऑफ इंडिया को भारतीय नौसेना के लिए तटीय प्रणाली के संचालन एवं सहयोग के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने

का कार्य सौंपा गया था । संस्थान की रिपोर्ट अक्तूबर, 1988 में प्राप्त हुई और इसकी जांच की जा रही है ।

(घ) फीस के रूप में 50,000 रुपये ।

मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

1345. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में विशेष रूप से गुजरात में मानसिक रूप से पूर्णत: अशक्त व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित शारीरिक चिकित्सा विभागों और पुनर्वास केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की संख्या का रिकार्ड रखने का कोई प्रयास किया है ताकि उनके पुनर्वास कार्यक्रम के लिए समुचित धनराशि आवंटित की जा सके;

(ग) यदि हां, तो उनके मूल धर्म और उनके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने अथवा न होने के विशिष्ट उल्लेख सहित उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है और पूरे देश में विशेष रूप से गुजरात में उनकी कठिनाइयां कम करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम हेतु आवंटिक धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मानसिक रूप से अशक्त और विकलांग व्यक्तियों की संख्या के अलग-अलग आंकड़े रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को मंत्रालय सहायता योजना के अन्तर्गत प्रमस्तिष्कीय अंगघात मानसिक विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कार्यरत अनेक स्वयं सेवी संगठनों को वित्त-पोषित किया जा रहा है। इन संगठनों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ये संगठन स्पास्टिक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विशेष शिक्षा, शारीरिक तथा कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के धर्म या जाति के उद्भव से संबंधित जनगणना आंकड़े नहीं रखे गए हैं जबकि विकलांगता स्वयं अपने आप में बाधक समझी जाती है ।

(ग) और (घ) . कल्याण मंत्रालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रलेखन केन्द्र का गठन कर रहा है जो कि स्पास्टिक सहित विकलांग व्यक्तियों की देश भर की सूचना रखेगा ।

विवरण

1987-88 में प्रमस्तिष्कीय, अंगघात/मानसिक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित स्वयंसेवी संगठनों की सूची

1. मानसिक रूप से विकलांगों के पुनर्वास के लिए ठाकुर हरि प्रसाद संस्थान ।

2. पामेनकप केन्द्र,
2-बी वारूवी कालोनी,
विकेट, सिकन्दराबाद-500003

3. देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए
विशेष स्कूल, हैदराबाद
1-2/20/90 महानकाली स्ट्रीट
सिकन्दराबाद ।

4. मेडिकल देखभाल केन्द्र न्यास,
जालाराम मार्ग,
कारीलीबाग,
बरीदा-390018

5. शिशु कुन्ज,
मानसिक रूप से बच्चों के लिए विशेष
स्कूल रूपालीबा मार्डन,
एम० जी० रोड़,
पोरबन्दर (गुजरात)

6. मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के
लिए रोटरी इनरव्हील गृह
भारत छावनी, पोस्ट नं० 57, जम्मू ।

7. मानसिक रूप से विकलांगों के लिए संस्था
भायर सान्दरा,
बंगलौर ।

8. नव ज्योति न्यास,
बसन्त विहार,
14 स्पैन्सर रोड़, बंगलौर-577961

9. मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए
डॉ० स्टीनर कुराटिव शिक्षा संस्थान,
विद्यागिरी, धारबाद ।

10. मन्द बुद्धि बच्चों के पुनर्वास के लिए सोसायटी
कन्नोर

11. स्पास्टिक सोसायटी आफ इंडिया,
अपर कोलवा रोड़,
अफगान चर्च के सामने
बम्बई-4000005

12. विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल,
चिकित्सा प्रशिक्षण सोसायटी,
सिवारी हिल, सिवारी रोड़,
बम्बई-400002

13. मातृ सेवा संघ,
सीताबुलदी, नागपुर

14. मानसिक हायजिन केन्द्र,
सागर रोड़,
थिन्गाम लीकत,
इम्फाल (मणिपुर)

15. बाल बिहार,
मानसिक रूप से विकलांगों के लिए गृह,
हालरोड़, कीलयूक,
मद्रास-600010

16. तमिलनाडु स्पास्टिक सोसायटी
9, आर्कविशप मार्थीस एवेन्यू
मद्रास-600028

17. मानसिक रूप से विकलांगों के लिए
अन्बागम संस्थान,
रेसकोर्स रोड़,
मदुराई-2 (तमिलनाडु)-19538

18. मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा तथा पुनर्वास के लिए
पथवे केन्द्र,
15-प्रथम मेन रोड़, गांधी नगर, अदयार
मद्रास-600020

19. नव ज्योति न्यास,
ए-916, पुनमाल्ली,
हाई स्कूल रोड़,
मद्रास-600084

20. मानसिक रूप से विकलांगों के लिए चेतना स्कूल
8-बी निराला नगर, लखनऊ।

21. प्रभाटक मानसिक रूप से विकलांगों के लिए संस्थान,
पोस्ट चन्दजी नगर,
जिला-हुगली।

22. स्पास्टिक सोसायटी आफ ईस्टर्न इन्डिया,
15, बैल्लवादीरी कोर्ट
11 तथा 13 अलीपुर रोड़, कलकत्ता-700027

23. अलकेन्दू बोध निकेतन,
प्लाट नं० 8-54,
वी० आई० पी० रोड़, सी० आई० टी० योजना
कन्कुरगाची, कलकत्ता

24. विकलांगों के लिए उपचारी शिक्षा, मूल्यांकन,
काउसलिग सोसायटी,
73-1/ए-पालम एवेन्यू
कलकत्ता-700010

25. अभिनव भारती, (मनोविकास केन्द्र)
11 प्रीटोरिया स्ट्रीट,
कलकत्ता-700071

26. मानसिक रूप से अविकसितों के कल्याण के लिए संघ
(भारत) शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय,
इन्स्यूट क्षेत्र, नई दिल्ली-110067

27. बलवन्त मेहता विद्या भवन,
लाजपत भवन,
लाजपत नगर, नई दिल्ली-110021

28. स्पास्टिक सोसायटी आफ नार्दन इन्डिया,
बलवीर सक्सेना मार्ग,
जनरल राज स्कूल के पास, हौजखास
नई दिल्ली।

29. मानसिक रूप से बच्चों के कल्याण के लिये दिल्ली सोसायटी,
ओखला मार्ग, नई दिल्ली।

30. एसोशिएशन फार द डेवलेपमेन्ट आफ द
मल्टीप्लाय हेन्डीकेप्ड,
बी-56, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली।

31. समाधान,
जी-32, साउथ एक्शटेंशन,
पार्ट-1, नई दिल्ली।

32. तमन्न 183, मुनिरका इन्कलेव,
नई दिल्ली।

लेसर तकनीक के बारे में विज्ञान सलाहकार परिषद की सिफारिशें

1340. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान सलाहाकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रयोगशालाओं के कार्यों हेतु पांच वर्ष की अवधि में लगभग दस करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है;

(ख) क्या इसमें यह बताया गया है कि लेसर तकनीक के क्षेत्र में भारत अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां। प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद ने लेसर पर अपनी तकनीकी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि देश में पांच वर्ष की अवधि में लेसर कार्यक्रमों के विकास के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये देने की आवश्यकता होगी।

(ख) जी, हाँ। "लेसर" पर प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लेसर प्रौद्योगिकी की स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे है।

(ग) देश में लेसर प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने के लिए, रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :

(1) निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू करने के लिए तीन नयी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं अथवा वर्तमान प्रयोगशालाओं में से तीन को अभिनिर्धारित किया जाए।

(i) प्रयोगशाला—क—मुख्य लेसरों का अनुसंधान, विकास और सीमित उत्पादन;

(ii) प्रयोगशाला ख—सेमी कंडक्टर लेसरों और संसूचकों का अनुसंधान और विकास तथा सीमित उत्पादन;

(iii) प्रयोगशाला—ग— प्रकाशकीय आंकड़ा प्रसारण, संसाधन और भण्डारण से सम्बंधित कार्यक्रम।

(2) इन प्रयोगशालाओं में विकसित जानकारी के प्रयोग के लिए इनके साथ उत्पादन एकक स्थापित किये जाने चाहिए।

(3) एम०एस० सी०/एम० टेक तथा पीएच० डी० के स्तर पर जनशक्ति प्रशिक्षण हेतु कुछेक शैक्षणिक संस्थाएं अभिनिर्धारित की जानी चाहिए।

(4) उद्योग, चिकित्सा आदि में लेसरों के संभावित प्रयोगकर्ताओं को लेसर की क्षमताओं और भारत में लेसरों तथा इससे संबंधित उपकरणों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना जरूरी है। यह कार्य संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और अल्प पाठ्यक्रमों के जरिये किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद् की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने लेसरों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है।

प्रादेशिक सेना में भर्ती

1347. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना में पिछले तीन वर्षों से भर्ती नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं। प्रादेशिक सेना में पदों की स्थिति के अनुसार भर्ती समय-समय पर की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान परिचारिकाओं के सेवानिवृत्त होने की आयु

1348. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में विमान परिचारिकाओं के सेवा-निवृत्त होने की आयु 35 वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो सेवा-निवृत्त होने की आयु इतनी कम रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेवा-निवृत्ति आयु को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या परिचारिका के रूप में चार वर्ष की अवधि के भीतर विवाह करने पर या दो बच्चों के जीवित रहते हुए तीसरी बार गर्भ धारण होने पर, जो भी पहले हो, की जाती है। तथापि, सक्षम अधिकारी, विमान परिचारिका की सेवा को 35 वर्ष की आयु के बाद एक बार में एक वर्ष करके 45 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते विमान परिचारिका स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ हो।

(ख) विमान परिचारिकाओं की सेवा-निवृत्ति की आयु उनके कार्य के स्वरूप, विद्यमान परिस्थितियों इत्यादि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित ठहराया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विमान परिचारिकाएं स्वयं एक अलग श्रेणी में आती हैं और इनकी सेवा निवृत्ति की आयु विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न तत्वों के साथ जुड़ी हुई हैं।

परिवार पेंशन को विधवा और मृतक के माता-पिता के बीच बांटना

1340. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा नियम है जिनमें युद्ध में/ड्यूटी पर मारे गए किसी मृतक भूतपूर्व सैनिक/जवान की परिवार पेंशन को विधवा और मृतक के माता-पिता के बीच बांटने का उपबंध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपयुक्त नियम कौन कौन से हैं और पेंशन के बंटवारे के लिये क्या-क्या सूत्र हैं और इसके लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग कितने मामलों में रक्षा लेखा नियंत्रक को पेंशन के बंटवारे के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ है और उनमें ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें पी० पी० ओ० एफ०/235/88 और एफ 236/88 के अनुसार पेंशन के विभाजन के आदेश दिए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). जी, हां। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। विशेष परिवार पेंशन को बांटने के सभी मामलों को पेंशन विनियमों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार निपटा लिया गया है।

विवरण

थलसेना पेंशन विनियन, 1961 के भाग-1 के अंतर्गत सामान्य परिवार पेंशन को दिवंगत भूतपूर्व सैनिकों/जवानों की पत्नियों और उनके माता-पिता के बीच बांटने के लिए कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। लेकिन पेंशन विनियम में युद्ध/ड्यूटी में वीरगति प्राप्त अफसर रैंक से नीचे के दिवंगत सेना कार्मिक की विशेष परिवार पेंशन का बंटवारा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक की पत्नी एवं उसके माता-पिता के बीच करने का प्रावधान है जबकि विशेष परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता दिवंगत सैनिक के उन अन्य पात्र उत्तराधिकारियों की सहायता करने के लिए आनुपातिक अंशदान करने से इंकार कर देता है जो कि इस दिवंगत सैनिक पर आश्रित थे। विशेष परिवार पेंशन के बंटवारे के पश्चात् युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक की पत्नी का हिस्सा, उस सामान्य परिवार पेंशन की सामान्य दर से कम नहीं होगा जो कि उसे तब स्वीकृत होती जब जवान की मृत्यु सेवा के कारणों से नहीं होती। यह बंटवारा तभी तक रहेगा जब तक कि इस अनुदान से लागू विनियमों के अंतर्गत मूल प्राप्तकर्ता को पेंशन देय है। यदि इस अवधि के दौरान बंटवारे के हिस्सेदारों (मूल प्राप्तकर्ता के अलावा) में से एक इसे पाने का पात्र नहीं रहता या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा मूल प्राप्तकर्ता को दिया जाएगा यदि वही केवल जीवित है अथवा यदि एक से अधिक प्राप्तकर्ता जीवित हैं तो उनमें बांटा जाएगा।

बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास

[हिन्दी]

1350. **श्री सरफराज अहमद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री बौद्ध धर्म स्थलों के विकास के लिये जापान द्वारा वित्तीय सहायता के बारे में 8 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बौद्ध धर्म तीर्थ स्थलों के नाम क्या हैं जिन पर जापान सरकार से प्राप्त होने वाली 95 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी है;

(ख) यह धनराशि कब प्राप्त होने की संभावना है और बौद्ध धर्म तीर्थ-स्थलों के विकास का कार्य कब आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) धनराशि के आबंटन के लिये क्या मानदंड अपनाये जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पर्यटक आधार-संरचना का विकास करने के लिए एकीकृत मास्टर प्लान में शामिल बौद्ध तीर्थ केन्द्र हैं— बिहार में वैशाली, पटना, नालन्दा, राजगीर, बोधगया, जेहानाबाद और मुजाफिरपुर तथा उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सारनाथ, गोरखपुर, कुशीनगर परेन्दा, श्रावस्ती एवं लखनऊ।

(ख) सहमत समय सारणी के अनुसार, जापानी सहायता 1989 में मिलनी शुरू हो जाएगी और अन्तिम किस्त 1992 में मिल जाने की संभावना है।

(ग) अलग-अलग तीर्थ-केन्द्रों पर किया जाने वाला खर्च विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए और भारत सरकार द्वारा यथाअनुमोदित-अनुमानों के अनुसार होगा।

प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित अशक्त व्यक्तियों को सहायता

[अनुवाद]

1351. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित अशक्त व्यक्तियों के लिए सहायता हेतु अपनी योजना का विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को दी गई सहायता और उपकरणों के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) विकलांगों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता की योजना में प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों को शामिल करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित सहायक यंत्र तथा उपकरण शामिल किए गए हैं :—

1. रोलेटर (वाकर)
2. विशेष कुर्सियां तथा कोने की सीट
3. शौचालय सीटें
4. अधोमुख बोर्ड।

हजरत पैगम्बर मोहम्मद के जन्म दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना

1352. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए नयी योजनाएं

1353. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की आदिवासी जनता की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ नई योजनाएं तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए इस समय लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा कौन-कौन से सुधार-कार्य किए जाएंगे; और

(ग) उन योजनाओं में कितनी योजनाएं उड़ीसा में लागू की जाएंगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के भाग के रूप में मुक्त किए गए बन्धक श्रमिकों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जाति से संबंधित लघु तथा सीमान्तिक किसानों के लिए एक मिलियन सिंचाई कुओं का निःशुल्क निर्माण करने की एक योजना प्रारम्भ की गई है। कुछ राज्यों में समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत खण्डों में गरीबी के लिए ऋण उपभाग हेतु जोखिम कोष की चल रही गैर योजना स्कीम को प्रायोगिक आधार पर विस्तार करने का प्रस्ताव है। शिफ्टिंग कृषि के नियन्त्रण की एक योजना कार्यान्वयनाधीन है। दो नई योजनाएं अर्थात् (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल तथा (2) गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार जिन्होंने अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेजा है, के लिए प्रोत्साहन राज्य सरकार के परामर्श से विचाराधीन है। आदिवासियों के लघु वन तथा अतिरिक्त कृषि उत्पाद के विपणन के लिए सहकारी विपणन विकास संघ भारत लिमिटेड (ट्राइफेड) स्थापित किया गया है। रोजगार सृजन तथा वित्त प्रायोगिक कार्यक्रमों का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम की स्थापना की जा रही है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित दो निगम तथा योजनाएं उड़ीसा में भी संचालित की जाएंगी इसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार ने आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं प्रारम्भ कर ली हैं अथवा शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(I) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासी चूककर्त्ताओं की लघु ऋणों से मुक्ति।

(II) कोरापुट जिले के काशीपुर ब्लाक में अन्तर राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की अंशतः सहायता से आदिवासी विकास परियोजना।

(III) कोरापुट जिले के 7 ब्लाकों में सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा कालाहाडी जिले के कुछ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों सहित 8 ब्लाकों में गरीबी समाप्ति के लिए क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (ए०डी०ए०पी०टी०) अपनाया गया है।

सहायक ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थान

1354. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए सहायक ग्रेड में आरक्षित अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक ग्रेड की परीक्षाओं का लिया जाना बन्द करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). चूंकि सहायक ग्रेड एक विकेन्द्रीकृत ग्रेड है और सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियंत्रित है इसलिए पदों पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ). सहायक ग्रेड परीक्षा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस कार्य को कर्मचारी चयन आयोग में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

इंजीनियरों का राष्ट्रीय सम्मेलन

[हिन्दी]

1355. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 1988 के 'नवभारत टाइम्स' के पृष्ठ 3 पर 'भेदभाव के विरोध में इंजीनियरों का सम्मेलन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंजीनियरों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस समाचार में कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं उठाया गया है। इसमें इंजीनियरों की कथित मांगों का उल्लेख है जो सामान्य स्वरूप की हैं जैसे कि इंजीनियरों को तकनीकी निर्माण कार्यों के बारे में नीतिगत निर्णय लेने तथा साथ ही ऐसे निर्माण-कार्यों के प्रबन्ध और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपना तथा उन्हें पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करना। सरकार इंजीनियरों

तथा इसके कर्मचारियों के किसी समूह के प्रति कोई भेदभाव नहीं बरतती है, अतः भेदभाव को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का कार्य-निष्पादन

[अनुवाद]

1356. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का है ;

(ख) क्या इलैक्ट्रानिक एककों की क्षमता, उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात आदि से संबंधित वर्तमान स्थिति में सुधार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इलैक्ट्रॉनिक उद्योग पर एक कार्यदल गठित किया है। इस कार्यदल के गठन के साथ ही आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य आरम्भ हो गया है। योजना तैयार करने की इस प्रक्रिया के अंतर्गत सम्पूर्ण इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाएगी, जिसमें उद्योग का क्षेत्र भी शामिल होगा।

(ख) और (ग). इलैक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए तैयार की गई उदार नीति के इस ढांचे में इन इकाइयों का विस्तार करने तथा इनका आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं। आधुनिकीकरण का उच्चतर स्तर प्राप्त करने तथा आयात का बेहतर लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से इन इकाइयों को सहायता प्रदान की जा रही है तथा सलाह दी जा रही है।

इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा नये रंगीन टेलीविजन का निर्माण

1357. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम ने एक नये रंगीन टेलीविजन का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्य कितना होगा और इसे बिक्री के लिये कब जारी किया जायेगा ;

(ग) क्या इसके सभी उपकरण स्वदेशी हैं ; और

(घ) इलेक्ट्रानिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा निर्मित की जा रही अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) इस समय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं

का विनिर्माण स्वयं नहीं करता। "सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम०टी०बी०)" नामक अपनी योजना के अंतर्गत ई० टी० एण्ड टी० देश के लघु उद्योग क्षेत्र में कई विनिर्माणकर्ताओं को सामग्रियों की आपूर्ति करके तथा प्रौद्योगिकी और ब्रांड नाम के रूप में सहायता उपलब्ध कराकर 35 से० मी० आकार वाले रंगीन दूरदर्शन सेटों के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। इस समय यह उपक्रम एक ऐसे रंगीन दूरदर्शन सेट का डिजाइन तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है जिसमें काफी कम कीमत वाले संघटक-पुर्जे लगाए जायेंगे और विद्युत आपूर्ति का ऐसा यूनिट लगाया जाएगा जिसमें 110 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक के वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को सहन करने की क्षमता होगी, जो अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी है।

(ख) सामग्री, प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम० टी०बी०) नामक अपने कार्यक्रम के अंतर्गत, अगले वर्ष के आरम्भ में 51 से० मी० आकार वाले रंगीन दूरदर्शन सेट का एक नया डिजाइन बाजार में पेश करने की उनकी योजना है जिसकी कीमत 51 से०मी० आकार वाले रंगीन दूरदर्शन के वर्तमान मॉडलों से कम होने की संभावना है।

(ग) जिन महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों का उत्पादन देश में नहीं होता उनका आयात किया जाता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

चमड़ा प्रौद्योगिकी का उन्नयन

1358. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी० एल० आर० आई०) में चमड़ा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए अनुसंधान कार्य को गति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है जिससे यह विदेशी चमड़ा चमड़े का सामान तथा जूता निर्माताओं का प्रतियोगी बन सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : भारत में चमड़ा अनुसंधान के लिये शीर्षस्थ निकाय केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान (सी० एल० आर० आई०) पहले से ही चमड़ा उद्योग के उन्नयन हेतु सक्रिय अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न है। जूतों व अन्य चमड़े की वस्तुओं के लिए कम्प्यूटर पोषित डिजाइनों और परिष्कृत निर्यात किस्म के चमड़े का उत्पादन करने के लिए नये संश्लेषित कमावन प्रतिकारकों के उत्पादन हेतु विशेषज्ञ समिति जैसी आधुनिक स्टेट आफ द आर्ट सुविधाएं इस संस्थान में उपलब्ध हैं। सी० एल० आर० आई० को इस प्रकार से ढाला गया है जिससे वह चमड़ा उद्योग में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी/उत्पाद उन्नयन संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। सी० एल० आर० आई० के प्रयासों के माध्यम से चमड़ा उद्योग अपने निर्यात लक्ष्य को पूरा कर रहा है।

दिल्ली में पर्यटन का विकास

1359. **श्री श्रीकांत वत्स नरसिंहराव वाडियर** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग दिल्ली सहित समूचे देश में पर्यटन का संवर्धन एवं विकास कार्य करता है। दिल्ली में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उठाये गए कदमों में, राज्य में पर्यटन आधार संरचना को सुदृढ़ करना, प्रचार सामग्री (ब्रोशर्स, फोल्डर्स, डाइरेक्टरोज, नक्शे, पोस्टर्स, फिल्म इत्यादि) का उत्पादन और प्रिंट मीडिया अभियान शामिल हैं। 1988-89 के दौरान विभाग ने दिल्ली पर एक फोल्डर और एक नक्शा तथा पर्यटन के संवर्धन के लिए एक फिल्म का निर्माण किया है।

आन्ध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

1360. **श्री एस० फ्लाकोंड्रायुडू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों का संवर्धन/विकास करने के लिए आरम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है और कितनी धनराशि पहले ही व्यय की जा चुकी है तथा अब तक कितने एकक स्थापित किये जा चुके हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग इलेक्ट्रानिकी के संवर्धन विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश में निम्न-लिखित कार्यक्रमों/योजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है—

(i) इलेक्ट्रानिकी सामग्री विकास अभिकरण (ई० डी० एम० ए०) जिसके अंतर्गत हैदराबाद में पराशुद्ध सामग्री तथा संघटक-पुर्जों के लिए एक समर्पित केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

(ii) अपने मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी विभाग ने हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अंशांकन, परीक्षण तथा विकास की सुविधाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के जरिए अपने उत्पादों की क्वालिटी तथा विश्वसनीयता का दर्जा बढ़ाने के लिए स्थानीय इलेक्ट्रानिक उद्योग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र के स्थापना काल से इसके लिए 1 करोड़ रुपये निर्धारित कर दिया गया है और पूंजी तथा राजस्व के शीर्ष के अंतर्गत प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये के आवर्ती व्यय की योजना बनाई गई है।

(iii) स्वदेशी इलेक्ट्रानिकी उपस्कर की प्रौद्योगिकी का ग्रेड उन्नयन करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिकी विभाग नवम्बर, 1988 तक देश के विभिन्न भागों में 10 बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (एल० एस० आई/वी० एल० एस० आई०) केन्द्रों की स्थापना कर रहा है। इनमें से एक केन्द्र हैदराबाद में होगा। 10 डिजाइन केन्द्रों की स्थापना के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की जरूरत है। 9 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है।

(iv) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने राष्ट्रीय रेडार परिषद के प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न संगठनों में 12 परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है।

राष्ट्रीय रेडार परिषद के प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के संगठनों को सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 127.74 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी गई है।

इलेक्ट्रानिकी विकास इस समय मरीन एण्ड कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स (इण्डिया) लिमिटेड विशाखापटनम के साथ साम्यापूंजी में सहभागिता करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, जिसका कुल परिव्यय 58 लाख रुपये है।

(v) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है—

(क) कम्प्यूटर शिक्षा (32 संस्थान)

(ख) मरम्मत-सेवा तकनीशियन योजना (5 संस्थान)

(ग) विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) परियोजना (117 विद्यालय तथा 3 साधन-स्रोत केन्द्र)

इलेक्ट्रानिकी विभाग का सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में अपने नियंत्रण के अन्तर्गत कोई विनिर्माण एकक स्थापित करने का विचार नहीं है।

संसद सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र

1361. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र बड़ी संख्या में कार्मिक विभाग में उत्तर के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पत्रों के उत्तर शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). 31-10-1988 की स्थिति के अनुसार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में संसद सदस्यों के 172 पत्र अन्तिम निपटान के लिए लम्बित थे। संसद सदस्यों को यथासंभव शीघ्र उत्तर अन्तिम भेजने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है। इन मामलों में से बहुत से मामलों में सूचना विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से एकत्रित की जानी होती है।

दिल्ली-गोआ-कोचीन-त्रिवेन्द्रम उड़ानों को रद्द करना

1362. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-गोआ-कोचीन-त्रिवेन्द्रम उड़ानों को गत छः महीनों के दौरान कितनी बार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रद्द किया गया था; और

(ख) इस प्रकार उड़ानें रद्द किये जाने के कारण क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). अप्रैल, 1988 से सितम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान दिल्ली-गोआ-कोचीन-त्रिवेन्द्रम, सेक्टर पर इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आई० सी०-467 को एक बार कोचीन से चलते समय खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में इसके अधिकारियों के लिए आरक्षित कमरे

1363. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत होटलों में कितने कमरे हैं;

(ख) इन होटलों में कितने कमरे भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1988 की स्थिति के अनुसार इन होटलों के कितने कमरों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किराए पर दिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). 31 अक्तूबर 1988 के अनुसार अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है—

1. कुल किराये पर दिए जाने वाले कमरे	2410
2. भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यालय के रूप में उपयोग किए जाने वाले कमरे	43
3. होटल अधिकारियों के लिए आवास के रूप में परिवर्तित किए गए कमरे (उपर्युक्त 1 में दिखाये गए किराये पर दिए जाने वाली क्षमता में शामिल नहीं)	26
4. पब्लिक/प्राइवेट उपक्रमों को किराये पर दिए गए कमरे	314

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के उग्रवादियों द्वारा शस्त्र समर्पण

1364. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के साथ किए गए समझौता ज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के कितने उग्रवादियों ने शस्त्रों का समर्पण किया है; और

(ग) उनके द्वारा समर्पण किए गए हथियारों और गोला-बारूद का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के साथ किए गए हाल के त्रिपक्षीय समझौते से दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में शांति आई है। जैसा कि समझौते में व्यवस्था की गई पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा पहाड़ी परिषद विधेयक को पारित कर चुकी है तथा परिषद के चुनाव 13 दिसम्बर 1988 तक होने की आशा है। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सभी आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियों के मामले तथा अन्य अपराधिक मामलों की समीक्षा की गई और उन्हें संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किया गया। आंदोलन के सिलसिले में कर्मचारियों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही बन्द कर दी गई है। इन संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूटरों के संचालन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के मार्ग में निर्देश

[हिन्दी]

1365. **श्री राम समुझावन** :

श्री जनक राज गुप्त :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सरकारी कार्यालयों में जहां कम्प्यूटरों की आवश्यकता है तथा इनके संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है, कम्प्यूटरों हेतु व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या के बारे में कोई नीति अथवा मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख). भारत सरकार ने विभिन्न विभागों को कम्प्यूटर आधारित सूचना सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना की है। इसके अनुसरण में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सूचना प्रणालियों के विकास के लिए आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर जनशक्ति तथा प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। यह सरकारी विभागों के लिए गहन व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करता है जिनमें कम्प्यूटरीकरण आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा जनशक्ति का विवरण दिया जाता है। प्रयोक्ता विभागों के अधिकारियों तथा स्टाफ को भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सूचना प्रणालियों को प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण तथा पुनप्रक्षित किया जाता है। यह क्रमिक आधार पर किया जाता है।

2. सरकार का जोर अनिवार्य रूप से मौजूदा कार्मिक का उपयोग करते हुए सरकारी कार्यालयों में कार्य-संस्कृति को बदलने पर है। विशेषज्ञ कम्प्यूटर कार्यक्रम सिस्टम्स एनालिसिस तथा मोडलिंग आवश्यकताएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों तथा स्टाफ द्वारा पूरी की जाती है। इन विभागों के अधिकारियों और स्टाफ के व्यक्तिगत सहायता देने के लिए प्रत्येक विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के स्टाफ को लगाया गया है। इस समय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में कम्प्यूटर संचालन, कम्प्यूटर कार्यक्रम विकसित करने तथा कम्प्यूटर संचालन में अन्य विशेषज्ञ सहायता देने के लिए लगभग 2000 अधिकारी तथा स्टाफ है।

जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में विवादास्पद स्थानों के संयुक्त सर्वेक्षण के लिए पाकिस्तान को भारत की पेशकश

[अनुवाद]

1366. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जम्मू तथा कश्मीर की नियंत्रण रेखा के साथ विवादास्पद स्थानों के संयुक्त सर्वेक्षण के लिए पाकिस्तान के समक्ष किसी प्रस्ताव की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने इसका उत्तर दिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा की सही स्थिति के बारे में हाल ही में उत्पन्न एक विवाद को निपटाने के लिए भारत और पाकिस्तान आर्मी सेक्टर कमाण्डर स्तर पर उस क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण कराने पर सिद्धान्त रूप में सहमत हो गए हैं।

जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आए शरणार्थियों के दावों को निपटाना

1367. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1947, 1965 और 1971 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से भारी संख्या में शरणार्थी अपने घरों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू, पुंछ, राजौरी, कठुआ और उधमपुर जिलों में बस गए थे;

(ख) क्या उनके पुनर्वास संबंधी दावों को अभी तक निपटाया नहीं गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन विस्थापित व्यक्तियों के दावों को निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). केवल उन 696 परिवारों को छोड़कर जो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान छम्ब नियाबत क्षेत्र से विस्थापित हुए थे और जिनको जम्मू-कश्मीर में भूमि उपलब्ध न होने के कारण उनके हिस्से के भाग की सम्पूर्ण भूमि आबंटित नहीं की जा सकी थी, सभी विस्थापित व्यक्तियों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है।

दिल्ली और पंजाब में अवैध मद्य निर्माण शालाओं का पता लगाने के लिये छापे

1368. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान अवैध रूप से मद्य निर्माण करने वाली यूनिटों का पता लगाने के लिये संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पंजाब में मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान अवैध रूप से शराब बनाने वाली कितनी मद्य निर्माण यूनिटों का पता चला; और

(ग) भविष्य में अवैध शराब बनाये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :

(क) और (ख). 1987-88 के दौरान अवैध रूप से मद्य निर्माण करने वाली यूनिटों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस/उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा अनेक छापे मारे गए । इन छापों के दौरान अवैध रूप से मद्य निर्माण करने वाली 3 यूनिटों का पता लगाया गया ।

(ग) अवैध व्यापार में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है । स्त्रोतों से आसूचना एकत्र की जाती है तथा ऐसी सूचना मिलने पर छापे मारे जाते हैं ।

एक अंकीय लाटरी प्रणाली

1369. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री सोमजी भाई डामर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न लाटरी एजेंसियां एक अंक पर पुरस्कार देने वाले लाटरी टिकट बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये एजेंसियां इस प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत आती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस प्रकार के लाटरी टिकट बेचने वाली एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). लाटरी एजेंसियों और पुरस्कार निर्धारण की पद्धति भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों द्वारा संचालित की जाती है। तथापि, केन्द्र सरकार ने लाटरियों का संचालन करने में कदाचार को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

चीन में बने हथियारों का पकड़ा जाना

1370. **श्री एस० एम० गुरड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आतंकवादियों द्वारा चीन में बने हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान पकड़े गए चीन में बने हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

'सी-डॉट' के उद्देश्य और कृत्य

1371. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सेंटर फार द डेवलपमेंट ऑफ टेलिमेटिक्स" के उद्देश्य और कृत्य क्या हैं;

(ख) वर्ष 1987-88 में इस केन्द्र पर कितना व्यय किया गया और वर्ष 1988-89 के बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है;

(ग) इसके कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(घ) इस केन्द्र की स्थापना से लेकर अब तक उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) इसकी वर्ष 1988-89 की कार्य योजना क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) पहले अंकीय इलेक्ट्रॉनिक स्विचन प्रणाली की प्रौद्योगिकी का डिजाइन बनाने, विकास करने तथा इंजीनियरी का कार्य शुरू करना और उसके बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अद्यतन तकनीकी जानकारी की प्रौद्योगिकी की अवधारणा का प्रयोग करते हुए टेलीमैटिक्स प्रौद्योगिकी का डिजाइन बनाने, विकास करने तथा इंजीनियरी का कार्य शुरू करना।

(ख) 15.28 करोड़ रु०

12.00 करोड़ रु०

(ग) 498

(घ) व्यवसायिक अनुप्रयोगों के लिए 128 पोर्ट के सी-डॉट निजी शाखा एक्सचेंज (पी०बी० एक्स०) का विकास कर लिया गया तथा अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए इस प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों को अन्तरित कर दिया गया है।

ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए 128 पोर्ट के सी-डॉट ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (आर०ए०एक्स०) का विकास कर लिया गया तथा भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई०टी०आई) द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है।

दिल्ली छावनी में 512 पोर्ट का सी-डॉट मुख्य स्वचालित एक्सचेंज (एम०ए०एक्स०) प्रतिष्ठापित कर दिया गया है तथा इसे व्यावसायिक प्रयोग में लाया जा रहा है।

16000 पोर्ट के सी-डॉट मुख्य स्वचालित एक्सचेंज (जिसे पहले 4000 लाइनों से सुसज्जित किया जाएगा) की उल्सूर, बंगलौर में परीक्षा की जा रही है तथा साथ ही क्षेत्रीय परीक्षण भी किया जा रहा है।

स्विचन प्रणालियों के लिए उत्पादन की मूलसंचनात्मक सुविधाओं का विकास।

इलैक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों तथा परीक्षण उपस्कर के लिए विक्रेताओं का विकास।

(ङ) सी-डॉट की स्वदेशी मुख्य अंकीय स्विचन प्रणालियों (डी०एस०एस०) का उत्पादन थोक मात्रा में करने की दिशा में तेजी लाना।

ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टी०एक्स०) तथा बड़े निजी शाखा एक्सचेंज (पी०बी०एक्स०) को शामिल करने के लिए अंकीय स्विचन प्रणाली (डी०एस०एस०) के परिवार का विस्तार करना।

सी-डॉट के अंकीय स्विचन उत्पादों में टेलीमैटिक्स अथवा एकीकृत अंकीय नेटवर्क सेवा (आई० एस०डी०एन०) की सुविधाओं का विकास करना।

ग्रामीण संचार के लिए जापानी कम्पनी द्वारा प्रौद्योगिकी का हस्तातंरण

1372. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में रेडियो उपकरण के एक प्रमुख निर्माता ने टी० डी० एम० ए० तथा डिजिटल रेडियो रिले उपकरणों, जिनका ग्रामीण संचार तथा ग्रामीण जनता को विश्वसनीय संचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, के निर्माण के लिए पंजाब वायरलेस सिस्टम लिमिटेड को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) सरकार ने प्रस्ताव की क्या शर्तें स्वीकार की हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) मेसर्स पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लि० ने "बड़े रेंज के रेडियो संचार उपस्करों के विनिर्माण के लिए जापान की मेसर्स जापान रेडियो कम्पनी (जे आर सी) के साथ विदेशी-सहयोग का करार किया है। इस करार के क्षेत्र-के अन्तर्गत, मेसर्स जापान रेडियो कम्पनी (जे०आर०सी०) ने अंकीय रेडियो रिले तथा अंकीय बहु-अभिगमन (मल्टी-ऐक्सेस) रेडियो (टी०डी०एम०ए०) उपस्कर की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए भी सहमति प्रकट की है।

(ख) सरकार ने मार्च, 1985 में उपर्युक्त विदेशी-सहयोग के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया था।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों में तकनीकी-जानकारी शुल्क के रूप में 3 करोड़ जापानी येन की एक-मुश्त की अदायगी तथा रायल्टी के रूप में 3 प्रतिशत की अदायगी भी शामिल है।

टी० वी० सैटों के मूल्य

1373. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि टी० वी० सैटों के मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि मध्य और निम्न वर्ग के लोग उन्हें खरीद सकें ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : दूरदर्शन सेटों की कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(I) 31 से०मी०/36 से०मी० आकार वाले श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों पर लगने वाला उत्पादन शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है।

(II) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई०टी० एण्ड टी०) नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम०टी०बी०) नामक अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए दूरदर्शन उद्योग, को सहायता प्रदान करता है, जिसके लिए वह थोक मात्रा में सामग्रियां खरीद कर उद्योग को उनकी आपूर्ति करने के साथ ही साथ आवश्यक प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध कराता है।

(III) व्यवहार्य उत्पादन क्षमता के लिए औद्योगिक अनुमोदन उदारतापूर्वक जारी करना ताकि कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके।

(IV) प्रतिष्ठापित संयंत्र तथा मशीनरी का पूरा-पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिकी के लिए एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत विविध किस्म की वस्तुओं के विनिर्माण की अनुमति दी गई है, जिसमें श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन, रंगीन दूरदर्शन रिसीवर और रेडियो, टेप रिकार्डर, अंकीय दीवार घड़ी के साथ उनके मिले-जुले सेट जैसे वीडियो उत्पाद शामिल हैं लेकिन वीडियो कैसेट रिकार्डर/वीडियो कैसेट प्लेयर शामिल नहीं हैं।

(V) इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, जिसमें एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां शामिल हैं और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति उदारतापूर्वक दी जाती है।

काम्पैक्ट डिस्क बनाने वाले संयंत्र की स्थापना

1374. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामोफोन कम्पनी ऑफ इंडिया (हिज मास्टर्स वायस) ने सरकार से देश में एक काम्पैक्ट डिस्क बनाने वाले संयंत्र की स्थापना करने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कहां स्थापित किया जायेगा और क्या इसे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जायेगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिए उच्च प्रौद्योगिकी किस देश से प्राप्त की जायेगी; और

(घ) वर्ष में कुल कितनी डिस्कों का उत्पादन किया जायेगा और इसके मूल्य में कितनी कटौती होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण

1375. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **प्रधान मंत्री** विदेशी सहयोग से रंगीन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के बारे में 3 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1109 के उत्तर के सम्बन्ध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स फिलिप्स हाल्लैंड के सहयोग से रंगीन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स डेवेलपमेंट कारपोरेशन के आवेदन की नवीनतम स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : "सरकार ने रंगीन पिक्चर ट्यूबों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने तथा मेसर्स फिलिप्स, हॉलैण्ड के साथ विदेशी सहयोग करने के लिए मिली-जुली अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में मेसर्स आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम के आवेदन-पत्र को स्वीकार नहीं किया है।"

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में नए उद्यमी

1376. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में उद्यमियों की संख्या सीमित करके अधिकतम तीन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो नए एककों में उद्यमियों की संख्या सीमित करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी, नहीं। प्रत्येक क्षेत्र/उत्पाद के लिए कितनी इकाइयों को अनुमति प्रदान करने की संभावना है, यह विभिन्न बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि उत्पादन-क्षमता कितनी सृजित की गई है, पूंजीनिवेश की सीमा क्या है, तथा न्यूनतम आर्थिक आकार कितना है, आदि।

शैवाल तंतुओं का परीक्षण

1377. **डॉ० ए० के० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी वैज्ञानिक शैवाल की कुछ किस्मों पर परीक्षण कर रहे हैं, जो भारी मात्रा में तरल पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिसको डीजल, तेल और पेट्रोल बनाने के उपयोग में लाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, क्या डीजल और पेट्रोल के स्रोत के रूप में शैवालों की पैदावार के लिए कोई प्रयोग किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कहां और यह मामला किस चरण में है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) बोट्रोयोकाक्कस ब्राउनाइ, एक हरी शैवाल जिसमें हाइड्रोकारबनों के तत्व अधिक मात्रा में पाये जाते हैं, पर यह सूचना प्राप्त हुई है कि वर्ष 1970 से अमेरिकन वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). इस शैवाल का ऊर्जा के वैकल्पिक पुनर्योजी स्रोत के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन०बी०आर०आई०) (सी०एस०आई०आर० की एक प्रयोगशाला) में किया गया था। केवल

प्रयोगशाला स्तर के परीक्षण ही किए गए हैं। तथापि, परिणामों से ज्ञात हुआ कि जैवभार और हाईड्रोकारबनों का वृहद स्तर पर उत्पादन करने के लिये इस शैवाल की खेती आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं है।

उर्दू के कम्प्यूटर

1378. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू के कम्प्यूटर लगाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उर्दू कम्प्यूटर कब तक उपलब्ध हो जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बर्मा से घुसपैठ

1379. **श्री सी० माधव रेड्डी** :

श्री मानिक रेड्डी :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री बृज मोहन महन्ती :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में राजनैतिक उथल-पुथल होने के कारण बर्मा से भारत में भारी संख्या में घुसपैठ हो रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में राज्य-वार अनुमानत: बर्मा के कितने राष्ट्रिक आकर बस गये हैं;

(ग) उन्हें किन-किन स्थानों पर शरण दी गई है और उनकी देखरेख पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) उनकी घुसपैठ रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) बर्मा में हाल के उपद्रवों के परिणाम-स्वरूप बर्मा के राष्ट्रिक, विशेषकर विद्यार्थी छोटे-छोटे समूह में मणिपुर तथा मिजोरम में घुस रहे हैं।

(ख) 24 सितम्बर, 1988 से अधिक संख्या में शरणार्थियों का आना शुरू हुआ। 15-11-88 तक मणिपुर में 78 तथा मिजोरम में 134 बर्मा शरणार्थियों ने शरण ली थी।

(ग) उनमें से अधिकांश लैखुन (चंदेल जिला, मणिपुर) तथा ऐजावल जिला मिजोरम में चम्फाई में ठहरे हुए हैं। कुछ शरणार्थी मिजोरम में ऐजावल तथा सैहा और मणिपुर में मोरेह में ठहरे हुए हैं। मणिपुर तथा मिजोरम राज्य सरकारों ने उनके भोजन आदि की व्यवस्था की है। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(घ) भारतीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि शरण लेने वाले बर्मा राष्ट्रिक भारत में प्रवेश कर सकते हैं और अस्थाई आधार पर भारत में ठहर सकते हैं।

आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत भूमिहीनों को भूमि

1380. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी उप-योजना लागू करने वाले राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अपनी भूमि पर खेती करने वाले लगभग 60,000 आदिवासियों को इससे वंचित नहीं किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए इन आदिवासी उप-योजना राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी अतिरिक्त भूमि पर खेती आरंभ की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : **(क) से (ग)**. आदिवासी उपयोजना गत सभी 17 राज्यों व 2 केन्द्र शासित प्रदेशों ने आदिवासी भूमि अंतरण विरोधी भूमि कानून बनाए हैं। वर्तमान भूमि कानूनों की समीक्षा कर बचाव के रास्ते बंद करने व आदिवासियों को उनकी जमीनों से वंचित न होने देना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को समय-समय पर अनुदेश दिए गए हैं। हरिजनों/आदिवासियों को अतिरिक्त भूमि वितरण की उच्चतम सीमा योजना में 16 आदिवासी उपयोजना राज्य आते हैं। हरिजन/आदिवासी लाभ-ग्राहियों को अतिरिक्त भूमि वितरण की उच्चतम सीमा में हुई राज्य वार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क्षेत्रफल एकड़ों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अनुसूचित जाति लाभग्राही		अनुसूचित जनजाति लाभग्राही	
	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	179160	146008	67671	57070
2. असम	31960	32164	42450	28811

1	2	3	4	5
3. बिहार	139283	165726	29185	29559
4. गुजरात	60281	9310	26823	11538
5. हिमाचल प्रदेश	2305	2934	139	261
6. कर्नाटक	62821	16255	3218	880
7. केरल	23688	52832	5011	6839
8. मध्य प्रदेश	37128	15338	59786	20099
9. महाराष्ट्र	150157	39074	101008	26283
10. मणिपुर	5	3	25	15
11. उड़ीसा	45976	41506	60363	45273
12. राजस्थान	131431	26940	39882	10293
13. तमिलनाडु	49063	43612	127	84
14. त्रिपुरा	217	256	448	358
15. उत्तर प्रदेश	237923	200343	2054	1522
16. पश्चिम बंगाल	308844	642369	158670	328779
कुल :	1460242	1434670	596860	567664

सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

1381. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक मुश्त प्रोत्साहनों की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो एकमुश्त प्रोत्साहनों का सारांश क्या है;

(ग) इससे सॉफ्टवेयर के निर्यात में कितना सुधार होगा; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) . भारत में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) भारत सरकार ने दिसम्बर, 1986 में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात, सॉफ्टवेयर विकास तथा प्रशिक्षण के संबंध में नीतिगत घोषणा की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य

स्वदेशी और निर्यात बाजारों के लिए सॉफ्टवेयर का समेकित रूप से विकास करना है। इस नीति के अंतर्गत निर्यात के प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का आयात करने की अनुमति उदारता पूर्वक दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए और निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के विपणन संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त रूप से अनुमति दिए जाने के लिए कुछ सरल कार्यविधियां तैयार की गई हैं।

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सॉफ्टवेयर के विकास के लिए तथा सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में एक सॉफ्टवेयर विकास अभिकरण स्थापित किया है।

(iii) सरकार ने सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है जिसके लिए उपग्रह सम्पर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चरण में भुवनेश्वर, पुणे तथा बंगलौर में एक-एक, इस प्रकार तीन प्रौद्योगिकी पार्क और अगले चरण में चंडीगढ़ में एक प्रौद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र शत प्रतिशत निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर विकास एककों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

(iv) जिन सॉफ्टवेयर कम्पनियों को हार्डवेयर का आयात करने तथा अथवा सॉफ्टवेयर के निर्यात की बाध्यता के अंतर्गत कम्प्यूटर/कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों के सॉफ्टवेयर का आयात करने की अनुमति दी गई है, और जिन्होंने प्रतिवर्ष 10 करोड़ रु० से अधिक मूल्य के सॉफ्टवेयर के निर्यात की सीमा पार कर ली है, उनके मामले में यह निर्णय किया गया है कि निर्यात की बाध्यता अब मशीन के आधार पर होने के बजाय कम्पनी के आधार पर होगी।

(v) जहां तक सॉफ्टवेयर के निर्यात का संबंध है यह निर्णय किया गया है कि कम्प्यूटर प्रणाली उधार पर लेने/वापस लौटाने के आधार पर आयात करने की अनुमति दी जाएगी जो अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और जिसमें सीमा शुल्क कम होगा तथा निर्यात की बाध्यता भी कम होगी।

(vi) पुणे और बोस्टन के बीच भारत-अमरीकी सॉफ्टवेयर नेटवर्क के लिए आयोजना संबंधी एक महत्वपूर्ण अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और मैसाचुसेट्स राष्ट्रमण्डल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पूंजीनिवेश कार्यालय के बीच एक करार-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अध्ययन के फलस्वरूप अमरीकी बाजार को सॉफ्टवेयर के निर्यात का आधार तैयार करने की कार्य-योजना बनाई जाएगी।

(vii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने का एक व्यापक अभियान शुरू किया है। भारतीय क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों में सॉफ्टवेयर सेमीनार आयोजित किए जा रहे हैं। विदेशों में आयोजित सॉफ्टवेयर प्रदर्शनियों/मेलों में सरकार भी भाग लेती है।

(ग) निर्यात में वृद्धि वर्ष 1987-88 के सॉफ्टवेयर के निर्यात के मूल्य की तुलना में 80 प्रतिशत तक होने की संभावना है।

(घ) वर्ष 1984 से लेकर 1987 तक के दौरान भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है, अर्थात् यह वर्ष 1984-85 के 28.6 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1986-87 में 49.4 करोड़ रु० और वर्ष 1987-88 में 80 करोड़ रु० हो गया है। वर्ष 1988-89 के दौरान 140 करोड़ रु० का और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 300 करोड़ रु० के सॉफ्टवेयर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र

[हिन्दी]

1382. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र हैं;

(ख) इस समय इन केन्द्रों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्र के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्विनियोग और इस तरह के अन्य मामलों की शिकायतें दर्ज की गई हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) एक।

(ख) और (ग). इस समय इस केन्द्र में 16 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस केन्द्र का अधिग्रहण हिमाचल प्रदेश सरकार से दिनांक 1-5-88 को किया गया था। इन कर्मचारियों को विभाग के संवर्ग में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इनमें से दो कर्मचारियों के सम्बन्ध में उस समय शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जब यह केन्द्र हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। चूंकि इन्हें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के संवर्ग में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, अत: इस समय उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन

[अनुवाद]

1383. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार कितने स्वतंत्रता सैनानी हैं; और

(ख) राज्यवार, कितने स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त 4,46,062 आवेदनों में से 1,45,765 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। संलग्न विवरण में राज्य-वार स्थिति दी गई है।

विवरण

नाम राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	26060	9149
असम	26528	4124

1	2	3
बिहार	94753	22384
गुजरात	6753	3468
गोवा	3257	712
हरियाणा	2758	1439
अरुणाचल प्रदेश	41	2
हिमाचल प्रदेश	1180	458
जम्मू और कश्मीर	3067	1647
कर्नाटक	18547	9925
केरल	30089	2580
महाराष्ट्र	37566	16017
मध्य प्रदेश	8296	3215
मणिपुर	220	62
मेघालय	234	74
मिजोरम	4	3
नागालैण्ड	32	3
उड़ीसा	14974	3820
पंजाब	12466	6312
राजस्थान	1592	705
तमिलनाडु	11825	3871
त्रिपुरा	3349	705
उत्तर प्रदेश	27105	17329
पश्चिम बंगाल	75571	16374
अंडमान और निकोबार	93	38
चण्डीगढ़	137	83
दिल्ली	3054	1892
पाण्डीचेरी	1846	283
आजाद हिंद फौज कार्मिक	34665	19086
जोड़	4,46,062	1,45,765

कांगासबाती परियोजना का आधुनिकीकरण

1384. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कांगासबाती परियोजना के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 1988 को इस परियोजना पर विचार किया गया था तथा यह समझा गया कि पर्यावरणीय दृष्टि से अनुमेय होने पर ही इसे स्वीकार किया जाये। अत: समिति ने पश्चिमी बंगाल सरकार को सलाह दी है कि पर्यावरण विभाग से शीघ्रतिशीघ्र इस मामले पर स्वीकृति ले । अब राज्य सरकार को ही इस संबंध में स्वीकृति लेनी है ।

पाकिस्तान द्वारा सीमा को बंद करना

1385. **श्री शांतिलाल पटेल** :

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ लगने वाली अपनी सिंध सीमा को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ लगने वाली कुछ अन्य सीमाओं को भी बन्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो घुसपैठ रोकने में यह दोनों देशों के लिए किस हद तक सहायक होगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). सरकार को कुछ जानकारी है कि पंजाब तथा राजस्थान सीमाओं पर पाकिस्तान की तरफ कई सीमा बाह्य चौकियों पर पाकिस्तानी सेना के कार्मिक तैनात किए गए हैं तथापि, यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा सिंध सीमा को बन्द करने के लिए किया जा रहा है । भारत की ओर सीमा सुरक्षा बल को भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुदृढ़ किया गया है । सीमा बाह्य चौकियों के बीच दूरी कम कर दी गई है और अतिरिक्त बुर्जों का निर्माण किया गया है तथा सीमा पार के अपराध, घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर गश्त बढ़ाई जा रही है ।

विदेशों से वित्त पोषण

1386. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की मध्यम अवधि की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से वित्त पोषण को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की अनुमति देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) 2 प्रतिशत से अधिक विदेशों से वित्त पोषण की अनुमति देने से निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति में कहां तक सहायता मिलेगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में वित्त व्यवस्था के लिए संसाधनों को निर्धारित करने के लिए वित्तीय संसाधनों तथा भुगतानों के संतुलन संबंधी कार्यकारी दल का गठन किया गया है। विदेशी वित्त व्यवस्था के वास्तविक घटक की आवश्यकता की जानकारी, इन दोनों दलों के अनुमानों के उपलब्ध होने पर ज्ञात होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संबंद्ध विभिन्न मुद्दों के बारे में कार्यकारी दल अभी भी विचार विमर्श कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों हेतु समुद्री तटों का विकास

1387. **श्री चिन्तामणि जेना :**

डा० फूलरेणु गुहा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु और अधिक समुद्री तटों का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो समुद्र तट पर किन-किन तटों को विकास हेतु चुना गया है तथा उड़ीसा के लिए किन-किन समुद्र तटों को चुना गया है; और

(ग) अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समुद्री तटों के विकास के लिए कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन आधार-संरचना के विकास हेतु समुद्र तटों की पहचान का काम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है बशर्ते कि समुद्र तटों के विकास, देश और विदेश के बाजारों आदि में प्रचार अभियानों के लिए निर्धारित सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाए।

दिल्ली में प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में आग लगना

1388. **डा० गौरीशंकर राजहंस :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्रीमती माधुरी सिंह :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अक्तूबर, 1988 को दिल्ली में लारेंस रोड पर स्थित एक अवैध प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस आग के लगने के कारण जान-माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) आग लगने का वास्तविक कारण क्या हैं; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऐसी अवैध फैक्ट्रियों की वृद्धि रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). 22 अक्तूबर, 1988 को लारेंस रोड पर स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें 31 व्यक्ति जलने से घायल हो गए जिनमें से 23 व्यक्तियों की घायल होने के कारण बाद में मृत्यु हो गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/337/385/286 तथा 304क के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। आग लगने के ठीक कारण तथा सम्पत्ति को हुए नुकसान का पता अभी नहीं लगा है। अवैध फैक्ट्रियों के मालिकों के विरुद्ध कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में उप-योजना कीप्र थमिकताओं का मूल्यांकन

[हिन्दी]

1389. **श्री हरीश रावत** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पर्वतीय उप-योजना की प्राथमिकताओं का कोई मूल्यांकन और निगरानी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिकताओं के क्रम में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला और भविष्य के लिए पर्वतीय क्षेत्रों हेतु निर्धारित की गई उपयोजना प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) और (ग). पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की नीति, कार्यनीति तथा प्राथमिकताएं सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेखांकित की गई है इन्हें राज्य सरकारों द्वारा पहाड़ी उप-योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। पहाड़ी उप-योजना का प्रबोधन योजना आयोग तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक में वार्षिक उप-योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय

किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र उप-योजना के वित्तीय तथा भौतिक कार्यक्रमों को जिला/प्रभाग तथा राज्य स्तर पर पहाड़ी विकास विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है।

राम जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद का मामला

1390. **श्री राजकुमार राय :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री राम प्यारे पनिका :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राम जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद मामले को निपटाने हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्यवाही के निष्कर्ष क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). बातचीत जारी है। इस स्थिति में ब्यौरे देना लोक हित में उचित नहीं होगा।

वायुदूत के लिए सोवियत विमानों की खरीद

1391. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के लिए सोवियत विमानों को खरीदने संबंधी कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने सोवियत संघ का दौरा किया है; और

(ग) वहां पर हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) प्रस्ताव पर मैसर्स वायुदूत द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). अक्तूबर, 1988 में सोवियत संघ गए भारतीय शिष्टमंडल के दौरे के दौरान विमान सेवाओं के परिचालन तथा नागर विमानन से संबद्ध सामान की बिक्री/खरीद की संभाव्यता से सम्बन्धित मामले पर विचार-विमर्श किया गया।

त्रुटिपूर्ण राष्ट्रीय झंडा बेचे जाने के बारे में शिकायतें

1392. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली गलत विशिष्टियों का राष्ट्रीय झंडा बेच रहा है;

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा बेचे जाने वाले झंडे की केन्द्रीय प्रयोगशाला में कराई गई जांच से यह पता लगा था कि यह झंडा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ). कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और मामले को तथ्यों के लिए औद्योगिक विकास विभाग को भेजा गया था। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जांच किए नमूने पर भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी स्मृति उत्सव की कार्यान्वयन समिति के एक आदेश पर "ग्रेट फ्रीडम 40 मैराथन रेस" के संबंध में 15,000 तिरंगी झंडियां निर्मित की गई थी, जिन्हें राष्ट्रीय झंडा नहीं माना जाना चाहिए, यद्यपि ये राष्ट्रीय झंडे से मिलते जुलते हैं। खादी ग्रामोद्योग नई दिल्ली, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप भिन्न-भिन्न आकार के राष्ट्रीय झंडे नियमित रूप से बेच रहा है।

केरल में पाथिरामनाल-वैकम-कुमाराकोम सर्किट का विकास

[अनुवाद]

1393. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के प्रसिद्ध जलमार्गों के चारों ओर पाथिरामनाल-वैकम-कुमाराकोम सर्किट के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अथवा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस स्तर पर है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों को उनकी गुणवत्ता और व्यवहार्यता आदि का निर्धारण करने की दृष्टि से संवीक्षा की जा रही है।

इन्सैट-1 सी० में खराबी

1394. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट-1 सी० में आई खराबी को दूर कर लिया गया है तथा यह उपग्रह अब पूर्णतः ठीक कार्य कर रहा है; और

(ख) इन्सैट-1 बी० द्वारा पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही दूर संचार सुविधाओं के अतिरिक्त इन्सैट-1 सी० द्वारा कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) संशोधी उपायों को करने में अन्तर्निहित जोखिम को देखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल अन्तरिक्षयान की खराबी को दूर करने का प्रयास न किया जाय तथा जिस रूप में भी यह कार्य कर रहा है उसी रूप में उपलब्ध नीतभार सेवाओं सहित इसे चालू रखा जाय।

(ख) इन्सैट-1 बी० द्वारा इस समय प्रदान किए जा रहे 4000 द्विमार्गी सर्किटों के अलावा इन्सैट-1 सी० अतिरिक्त 2000 द्विमार्गी टेलीफोन सर्किट प्रदान करेगा । इन्सैट-1 सी० का उपयोग करते हुए अतिरिक्त प्रादेशिक टी०वी० नेटवर्क प्रदान करने की भी योजना बनाई गई है ।

जमशेदपुर में खनन कार्यक्रम

1395. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जमशेदपुर में किसी मुख्य यूरेनियम खनन विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसकी समयावधि कितनी होगी; और

(ग) क्या प्रस्तावित खनन कार्यक्रम हेतु एक रक्षित बिजलीघर स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). नरवापहाड़ और तुरमडीह में यूरेनियम की नई खानें खोलने तथा जमशेदपुर के समीप तुरमडीह में एक यूरेनियम संसाधन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है । आशा है कि यह परियोजना संस्वीकृत होने की तारीख से लगभग 5 वर्ष के समय में पूरी हो जाएगी ।

(ग) तुरमडीह में एक स्थैतिक विद्युत संयंत्र लगाना विचाराधीन है तथा यह बताना असामयिक है कि इस पर कितनी लागत आयेगी ।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

1396. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु कुछ कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सातवीं योजना के दौरान क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को परियोजनाओं के लिए जैसे यात्री निवास, मार्गस्थ सुविधाएं, ओपन एयर थियेटर, जलक्रीड़ तथा नौका उपकरणों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

कैगा परमाणु बिजलीघर के निर्माण कार्य में प्रगति

1397. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के कैगा में परमाणु बिजलीघर के स्थापना संबंधी निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). कैगा परियोजना के मुख्य संयंत्र से संबंधित सिविल निर्माण-कार्य के लिए खुदाई की जा रही है। जाब-शैफ, वर्कशाप भवन, आने-जाने के लिए सड़कें आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी होने वाली हैं। कैलेण्डिया, एंड शील्ड और वाष्प जनित्र जैसे जटिल उपस्करों का निर्माण किया जा रहा है।

तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता

1398. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तकनीकी जन-शक्ति की आवश्यकता, वास्तविक उपलब्धता के बारे में कोई सामयिक आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) 1986-1990 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों में इनके लिए क्या संभावनाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या वर्तमान औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकताओं और विकास को ध्यान में रखते हुए उनकी भविष्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्यों में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) क्या सीमेंट, रसायन और कपड़ा उद्योग आदि के सम्बन्ध में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ङ) लघु क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के लिए कितने तकनीकी लोगों की आवश्यकता होगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जन संसाधन संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग की विभिन्न श्रेणियों की संख्या का तथा "2001 तक शिक्षित जनशक्ति की विभिन्न श्रेणियों की संख्या का अनुमान" नामक अध्ययन में तकनीकी जनशक्ति का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। इस रिपोर्ट में 1981 से 2001 तक की अवधि के लिए इंजीनियरिंग में जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रीकल, कैमीकल इलैक्ट्रानिक्स, दूर-संचार, खनन, मैंट्रालोजीकल तथा अन्य विषयों में डिग्री तथा डिप्लोमा होल्डर की संख्या के अनुमान दिए गए हैं। तथापि, इस रिपोर्ट में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता के अनुमान नही है।

(ख) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली के कार्यक्रम के अन्तर्गत जन संसाधन अनुसंधान संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग की उपयोग प्रणाली तथा विभिन्न राज्यों में डिग्री तथा डिप्लोमा स्तरों पर तकनीकी जनशक्ति के सम्बन्ध में निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रकों में औद्योगिक स्थापनाओं से आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। पूरे देश के लिए प्रक्षेपणों पर कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। तथापि, रोजगार निदेशालय राजस्थान सरकार ने सीमेंट, सेरमिक तथा

खनिज आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग तथा अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में राजस्थान में तकनीकी जनशक्ति आवश्यकता '(1986 से 1990 तक)' नामक रिपोर्ट में 1986 से 1990 तक तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता के अनुमान तैयार किए हैं।

(ङ) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

ट्रेकिंग पर जाने वाले व्यक्तियों की मृत्यु

1399. **डॉ० डी० एन० रेड्डी :**

श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ट्रेकिंग पर जाने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों की मौतें हो गई; और

(ख) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) और (ख). विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वी घाटों का विकास

1400. **डॉ० जी० विजय रामाराव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हिमालय और पश्चिमी घाटों की तरह पूर्वी घाटों के विकास का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) नए पहाड़ी क्षेत्रों की रूपरेखा सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद् के अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई है।

'साइंस एज' का प्रकाशन बन्द करना

1401. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू सेन्टर, बम्बई के प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली "साइंस एज" मासिक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन बन्द होने के कारण क्या हैं; और

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों के सचिवों की उप-समिति की, अगस्त, 1988 में हुई बैठक में इस लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका का वित्त पोषण करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारी हानियां और वित्तीय अक्षमता 'साइंस एज' को बन्द करने के कारण बताये जाते हैं।

(ख) चूंकि 'साइंस एज' एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है इसलिए भारत सरकार ने यह देखने के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया है कि क्या 'साइंस एज' का प्रकाशन शीघ्र पुनः शुरू किया जा सकता है।

हुबली हवाई अड्डा

1402. **श्री वीरेन्द्र पाटिल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने वायुदूत विमान सेवाएं आरम्भ करने के लिए हुबली हवाई अड्डे में एक हवाई पट्टी बनाई है और वहां पर अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो सुविधाएं प्रदान किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस हवाई अड्डे से कब तक विमान सेवाएं आरम्भ की जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : **(क) और** (ख). एप्रन, कार पार्क पहुंच सड़क और टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य और कांटेदार तारों को बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

धावनपथ और टैक्सी ट्रैक को एक तरफ डामर वाली सतह बिछाने का कार्य भी हो चुका है। इस समय धावनपथ और टेक्सी ट्रैक को पूरी लम्बाई पर 5 सैंटी मीटर की डामर वाली कंक्रीट की अंतिम सतह बिछाई जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्य 31 दिसम्बर, 1988 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) अतिरिक्त विमान क्षमता के शामिल किये जाने के बाद, वायुदूत हुबली को जल्दी ही विमान सेवा प्रदान करने पर विचार करेगा।

भारतीय नौसेना कैन्टीन सेवा के कर्मचारियों को प्रदत्त लाभ

1403. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के सिविल कर्मचारियों को प्रदत्त लाभ और सुविधाएं भारतीय नौसेना कैन्टीन सेवा के कर्मचारियों को भी दिए जायेंगे;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय नौसेना कैन्टीन सेवा में कार्यरत सिविल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). भारतीय नौसेना कैन्टीन सेवा के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और न ही

उन्हें सरकारी निधियों से अदायगी की जाती है। फिर भी सामान्यत: उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू वेतन-मानों के अनुसार वेतन, मकान किराया भत्ता और नगर भत्ता तथा छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा सुविधा, शिशु शिक्षा भत्ता जैसे अन्य लाभ दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना कैन्टीन सेवा के कर्मचारियों को तदर्थ अनुदान एवं अनुग्रहपूर्वक अदायगियां भी की जा रही हैं।

(ग) 1 जुलाई, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय नौसेना कैन्टीन सेवा के कर्मचारियों की संख्या 250 थी।

बम्बई में विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए छोटी हवाई पट्टी वाला विमान पत्तन बनाना

1404. **श्री शरद दिघे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुफे परेड, दक्षिण बम्बई में 5 करोड़ रुपये की लागत से विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए एक छोटी हवाई पट्टी वाला विमान पत्तन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कुछ लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण बम्बई हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ कम करने तथा स्टोलपोर्ट हवाई अड्डा स्थापित करने के संबंध में कुछेक संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रस्ताव पर अभी केवल विचार किया जा रहा है। तथापि, ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।

आठवीं योजना की विकास दर पर चर्चा

1405. **श्री एस० जी० घोलप** :

श्रीमती मनेम्मा अंजैया :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के सप्ताहों में, आठवीं योजना में विकास प्राथमिकताओं व पूंजी निवेश प्राथमिकताओं के संबंध में कोई चर्चा हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) आठवी योजना की विकास दर कितनी निश्चित की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख). आठवीं योजना के लिए संवृद्धि दर के लक्ष्य पर हाल के सप्ताह में विचार विमर्श हुआ। संवृद्धि प्राथमिकताओं तथा निवेश प्राथमिकताओं के ब्यौरे अभी निर्धारित करने हैं।

(ग) आठवीं योजना के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत की लक्षित संवृद्धि दर निर्धारित की गई है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि आठवीं योजना के लिए नीतिपत्र पर कार्यवाही शुरू है। इससे विशेष उद्देश्य प्राप्त होंगे तथा कार्यनीति पर अनुसरण होगा। नीतिपत्र पूर्ण होने पर, प्रारूप योजना संवृद्धि प्राथमिकताओं तथा निवेश प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए तैयार की जाएगी।

शिमला वेधशाला

1406. **श्री जी० भूपति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला वेधशाला में कार्य होना बन्द हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर नारायणन) : (क) जी नहीं। शिमला में 23 दिसम्बर, 1987 से एक पूर्णकालिक विभागीय वेधशाला स्थापित की गयी है। इसके साथ ही सी०टी०ओ०, शिमला में पुरानी अंशकालिक वेधशाला को बन्द कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पर्यटन स्थलों का विकास

1407. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ऐसे कुछ स्थल हैं जिनका आदर्श हिल स्टेशनों के रूप में विकास किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने उन स्थानों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फुलबनी जिले में दारिंगबाड़ी एक ऐसा ही स्थल है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त स्थल को एक आदर्श हिल स्टेशन के रूप में विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ). पर्यटन आधार संरचना के विकास हेतु पर्यटक केन्द्रों की पहचान और केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों को बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों को वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर देता है। विभाग को उड़ीसा सरकार से दारिंगबाड़ी के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रक्षा सेवाओं में कार्यरत नर्सों द्वारा विवाह करने पर उनकी सेवाएं समाप्त किया जाना

1408. **श्री तम्पन थामस :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री पी०ए० एन्टनी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं में काम करने वाली नर्सों की सेवाओं को उनके विवाह करने पर समाप्त कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस वर्ष कितनी विवाहित नर्सों की सेवाएं समाप्त की गई हैं;

(घ) न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कितनी नर्सों की सेवाए जारी हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में आदेश वापस लेने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी, हां। मिलिटरी नर्सिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां मरीज की सेवा के प्रति समर्पित होना अति आवश्यक है और विवाह की प्रतिबद्धता के कारण, नर्सों के लिए मिलिटरी में, विशेषकर युद्ध की परिस्थितियों में, कार्य करना कठिन हो जाता है। पहले नर्सिंग काडर में नर्सों की कमी होने के कारण जनवरी, 1988 से यह उपाय किया गया कि नर्सिंग अफसरों को विवाह के पश्चात् भी उनकी कार्य कुशलता संतोषजनक होने पर, सेवा में बनाए रखा जाए। इसके लिए उनकी सेवा अवधि एक समय में दो वर्षों के लिए बढ़ाई जाती थी। नर्सिंग काडर में अब अफसरों की उतनी कमी नहीं रह गई इसलिए इस नीति की समीक्षा की गई। कार्य दक्षता के हित में अब उन विवाहित नर्सों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है।

(ग) और (घ). पिछले एक वर्ष में 45 विवाहित नर्सों की सेवा अवधि नहीं बढ़ाई गई क्योंकि उनका रिकार्ड संतोषजनक नहीं था। उनमें से 16 न्यायालय में गई और स्थगन आदेश प्राप्त कर लायीं। न्यायालय के अंतिम आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) सरकार की यह दृढ़ नीति है कि विवाहित नर्सों को सेवा में तभी बनाए रखा जाए जब उनका कार्य, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार संतोषजनक हो। यह नीति सशस्त्र सेनाओं के हित में है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में कन्नड़ शिक्षक की नियुक्ति

1409. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रत्येक वर्ष कन्नड़ संवर्ग के कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षणार्थ नियुक्त किए जाते हैं;

(ख) क्या उक्त अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कन्नड़ में प्रशिक्षण देने के लिए कोई योग्यता प्राप्त कन्नड़ शिक्षक नहीं है; और

(ग) उक्त अकादमी में कन्नड़ पढ़ाने के लिए एक कन्नड़ शिक्षक नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1983 से 1987 तक आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर कर्नाटक संवर्ग में आबंटित परिवीक्षाधीनों की संख्या निम्नानुसार है—

परीक्षा का वर्ष	कर्नाटक संवर्ग में आबंटित उम्मीदवारों की संख्या	
	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा
1983	8	3
1984	8	2
1985	7	3
1986	7	3
1987	8	आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में केवल आधारिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उन्हें आबंटित राज्य की भाषा का प्रशिक्षण सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी, हैदराबाद में दिया जाता है।

(ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में एक अर्हताप्राप्त भाषा शिक्षक है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों को कन्नड़ और मलयालम पढ़ाता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

एक कम्प्यूटर परामर्श संगठन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

1410. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम्प्यूटर प्रणाली तथा सॉफ्टवेयर विकास क्षेत्र में परामर्श प्रदान करने के लिए एक कम्प्यूटर परामर्श संगठन प्रारम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परामर्शदात्री संगठन द्वारा किस प्रकार की सेवा प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कौन-कौन से परामर्श संगठन सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के परामर्श संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसमें क्या खामियां पाई गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परामर्श-सेवाएं लेते हैं। वे सी०एम०सी० लि० (इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले भारत सरकार का एक उपक्रम), योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र तथा अन्य संगठनों की परामर्श-सेवाओं का उपयोग करते हैं।

(घ) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने निजी क्षेत्र के किसी भी परामर्श-दाती सेवा संगठन को पंजीकृत नहीं किया है और इसलिए निजी क्षेत्र की परामर्शदात्री सेवाओं के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) और (च). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का भरना

1411. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित पदों का कोटा भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कितने प्रतिशत कोटा अभी नहीं भरा गया है; और

(ग) इन आरक्षित पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। विभिन्न श्रेणियों में कोटे का प्रतिशत जो अभी रिक्त है, इस प्रकार है—

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह "क"	—	—
समूह "ख"	1.8	6.5
समूह "ग"	—	4.8
समूह "घ"	—	2.05

(ग) आरक्षित रिक्त पद, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को सूचित कर दिए गए हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मांग रखने और इस मंत्रालय को उपयुक्त कर्मचारी देने के लिए सेवा नियंत्रण प्राधिकारी हैं।

अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं

1412. **श्री नारायण चौबे :**

श्री राम स्वरूप राम :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर वर्ष 1987 और 1988 में अब तक अत्याचार की हुई घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) अत्याचार की इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ग) अत्याचार की इन घटनाओं के कितने मामले दर्ज किए गए और अब तक कितने विचाराधीन हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना, दो विवरणों में (विवरण-I अनुसूचित जातियों और विवरण-2 अनुसूचित जनजातियों के लिए) संलग्न है। अक्तूबर, 1988 को समाप्त अवधि की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

जैसा कि राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा बताया गया है 1987 और 1988 में अनुसूचित जातियों पर दूसरे वर्गों द्वारा अत्याचार के मामलों की कुल संख्या और मारे गए व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	बताए गए कुल मामलों की सं०	हत्या किए गए व्यक्तियों की संख्या	आंकड़े अवधि तक
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	508	28	जुलाई, 1988
2.	असम	15	—	अगस्त, 1988
3.	बिहार	1867	92	जून, 1988
4.	गोआ	1	1	सितम्बर, 1988
5.	गुजरात	1246	24	सितम्बर, 1988
6.	हरियाणा	151	4	सितम्बर, 1988

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	115	4	सितम्बर, 1988
8.	जम्मू एवं कश्मीर	271	2	सितम्बर, 1988
9.	कर्नाटक	535	25	सितम्बर, 1988
10.	केरल	997	8	जुलाई, 1988
11.	मध्य प्रदेश	4681	102	मई, 1988
12.	महाराष्ट्र	682	26	जुलाई, 1988
13.	उड़ीसा	383	5	अगस्त, 1988
14.	पंजाब	41	14	जुलाई, 1988
15.	राजस्थान	2634	54	सितम्बर, 1988
16.	सिक्किम	9	—	सितम्बर, 1988
17.	तमिलनाडु	1145	46	अगस्त, 1988
18	उत्तर प्रदेश	7371	417	अगस्त, 1988
19.	पश्चिम बंगाल	13	—	अगस्त, 1988
20.	दिल्ली	3	—	सितम्बर, 1988
21.	पाण्डिचेरी	2	—	अक्तूबर, 1988
22.	दादर एवं नागर हवेली	1	1	सितम्बर, 1988
	कुल योग :	22671	852	

नोट : अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

विवरण 2

जैसा कि राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा बताया गया है। 1987 और 1988 में अनुसूचित जनजातियों पर दूसरे वर्गों द्वारा अत्याचार के मामलों की कुल संख्या और मारे गए व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	बताए गए कुल मामलों की सं०	हत्या किए गए व्यक्तियों की संख्या	आंकड़े अवधि तक
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	2	फरवरी, 1988
2.	अरुणाचल प्रदेश	27	1	जून, 1988

1	2	3	4	5
3.	असम	17	—	अप्रैल, 1988
4.	बिहार	225	6	अगस्त, 1988
5.	गुजरात	230	21	सितम्बर, 1988
6.	गोआ	—	—	अक्टूबर, 1988
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	सितम्बर, 1988
8.	कर्नाटक	3	—	जनवरी, 1988
9.	केरल	125	3	मार्च, 1988
10.	मध्य प्रदेश	2570	77	मई, 1988
11.	महाराष्ट्र	270	17	जुलाई, 1988
12.	मणिपुर	10	—	सितम्बर, 1988
13.	मेघालय	—	—	अगस्त, 1988
14.	मिजोरम	—	—	अगस्त, 1988
15.	नागालैण्ड	—	—	सितम्बर, 1988
16.	उड़ीसा	109	3	अगस्त, 1988
17.	राजस्थान	760	26	सितम्बर, 1988
18.	सिक्किम	7	—	सितम्बर, 1988
19.	तमिलनाडु	8	—	अगस्त, 1988
20.	त्रिपुरा	—	—	अगस्त, 1988
21.	उत्तर प्रदेश	—	—	जून, 1988
22.	पश्चिम बंगाल	23	—	अगस्त, 1988
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	—	सितम्बर, 1988
24.	दादरा एवं नागर हवेली	10	1	सितम्बर, 1988
25.	दमण एवं दीव	—	—	अगस्त, 1988
26.	लक्षद्वीप	—	—	अक्टूबर, 1988
	कुल योग :	4456	157	

नोट : अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बारे में सूचना शून्य है ।

सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

1413. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों की जांच कर ली है; और

(ग) सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). अभी तक केवल 8 राज्य सरकारों से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति में प्रतिवेदन पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन को विचार-विमर्श के लिए लिया जाय।

दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव

1414. **श्री सी० गंगा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव नियत समय पर कब कराये जाने देय थे और उन्हें तब टालने के क्या कारण थे;

(ख) दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव अब कब कराये जाने देय हैं;

(ग) क्या चुनाव उक्त नियत समय पर कराये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ). नई महानगर परिषद को गठित करने के लिए 16 मार्च, 1988 से पूर्व चुनाव कराये जाने थे। केन्द्र सरकार संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी और यह उचित समझा गया कि दिल्ली महानगर परिषद का कार्यकाल बढ़ाया जाय। परिषद का कार्यकाल 16 मार्च, 1988 के बाद एक साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। तदनुसार ही चुनाव मार्च, 1989 से पहले किए जाने हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल को चुनाव आयोग के साथ परामर्श करके महानगर परिषद के लिए चुनावों का निश्चय करना होता है। उपराज्यपाल द्वारा परामर्श किए जाने पर चुनावों की वास्तविक तिथि के बारे में चुनाव आयोग सलाह देगा।

सचिवों के निजी सचिवों के पद हेतु भर्ती नियम

1415. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **प्रधान मंत्री** सचिवों के निजी सचिवों के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में 31 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों के निजी सचिवों के पदों से सम्बन्धित भर्ती नियमों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). भर्ती नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह की इस विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड के तलोजा एकक को संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में बदलना

1416. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड, तलोजा एकक को एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में बदलने के प्रस्ताव पर अभी भी विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). तलोजा संयंत्र की भावी प्रबंध संरचना पर अभी अन्तिम रूप से विचार किया जाना है।

"स्नूजर्स" उड़ानें शुरू करना

1417. **श्री डी०के० भंडारी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने "स्नूजर्स" उड़ानें आरम्भ की हैं;

(ख) क्या "स्नूजर्स" उड़ानों के यात्रियों को कोई अतिरिक्त किराया देना होगा;

(ग) यदि हां, तो किराये का तथा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में अन्य देशों के लिए इस प्रकार की अधिक उड़ानें आरम्भ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) "स्नूजर्स उड़ान" एयर इंडिया द्वारा ऐसी लगभग पन्द्रह "नान-स्टाप" उड़ानों को दिया गया

नाम है जो रात्रि में देर से प्रस्थान करती है और सुबह अपने गंतव्य स्थानों पर जल्दी पहुंच जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं है।

(घ) और (ङ). 1988 के शरदकालीन शैड्यूल के दौरान और अधिक "स्नूजर्स" उड़ानों को शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स की समय अनुसूची में परिवर्तन

1418. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने हाल ही में अपनी समय अनुसूची में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों से समाप्त की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 25 अक्टूबर, 1988 से इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी दो सेवाओं अर्थात् आई०सी० 598/597 (बंबई-कोचीन-बंबई) और आई०सी० 249-250 (कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता) को रद्द कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्र

1419. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान, पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, पश्चिम बंगाल में कितने पर्यटन केन्द्रों के स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं करता। पर्यटक केन्द्रों का विकास राज्य सरकारों द्वारा भिजवाए गए ऐसे प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है जो विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार तैयार किए गए हों।

तथापि, 1988-89 के दौरान विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए निम्नलिखित स्कीमों को मंजूरी दी है :—

स्कीम का नाम	स्वीकृति राशि ((लाख रुपयों में)	दी गई राशि
हुगली में क्रूजिंग के लिए लांच	46.28	6.00
सुन्दरबन में फ्लोटिंग आवास	49.50	10.00

तट रक्षकों द्वारा विदेशी मत्स्य नौकाओं को पकड़ना

1420. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तट रक्षकों ने हाल ही के महीनों में भारतीय समुद्र क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ते हुए कोई विदेशी मत्स्य नौकाएं पकड़ी हैं;

(ख) कितनी मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई और/अथवा रोकी गईं;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उनके द्वारा कुल कितनी मात्रा में मछली पकड़ी गई; और

(ङ) भारतीय समुद्र क्षेत्र में विदेशी नौकाओं द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने की कार्य प्रणाली सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1988 से 14।

(ग) भारत के समुद्री क्षेत्रों में लागू अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध मुकदमा आरम्भ कर दिया गया है।

(घ) लगभग 450 टन मछली और 1.50 टन झींगा।

(ङ) ये नौकाएं सामान्यतः ऐसे समुद्री क्षेत्र में आती हैं जो अधिक मछलियां पाए जाने के लिए प्रसिद्ध हैं।

नान्देड़ के लिए वायुदूत सेवा

1421. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से नान्देड़ के लिए वायुदूत के विमान रविवार को औरंगाबाद तक ही चलते हैं, और नान्देड़ तक नहीं चलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रविवारों को नान्देड़ तक वायुदूत के विमानों को कब से चलाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). बम्बई और औरंगाबाद के बीच रविवारों को उड़ानें स्वतंत्र रूप से परिचालित की जाती हैं।

(ग) नांदेड़ को अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है। लेकिन पर्याप्त विमान क्षमता और परिचालनों के आर्थिक रूप से साध्य होने पर, वायुदूत रविवार को भी परिचालन करने पर विचार कर सकता है।

"गंगा-यमुना रिजोर्ट एरिया प्रोजेक्ट"

1422. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में 974 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय से स्थापित की जाने वाली एक "गंगा यमुना रिजोट एरिया प्रोजेक्ट" नामक पर्यटन योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई परियोजना रिपोर्ट/संभाव्य रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). निवेश-पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन का काम हाथ में ले लिया गया है तथा इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जापान से पट्टे पर विमान लेना

1423. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार जापान से पट्टे पर विमान प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे प्राप्त किए जाने वाले विमानों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). एयर इंडिया ने मैसर्स सिटी बैंक को एक सभादेश दिया है कि वे जापान में एक विशेष प्रयोजन की कम्पनी नियमित करें जिसके द्वारा एक बोइंग 747-300 (कोम्बी) विमान को लीज पर लेने के लिए जापान के साथ लीज पैकेज करें और जो विमान को लीज करने के लिए एयर इंडिया के साथ 12 वर्षीय लीज समझौता करेगी। लीज अवधि की समाप्ति पर एयर इंडिया के पास विकल्प रहेगा कि वह विमान को उसकी मूल खरीद कीमत, 115 मिलियन यू० एस० डालर के 45% कीमत पर खरीद कर सकेगी।

प्रथम श्रेणी यात्रा पर प्रतिबन्ध

1424. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

श्री श्रीवल्लभ पात्रिग्रही :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी यात्रा करने की दी गई सुविधा समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1987 के दौरान एयर इंडिया के कितने कर्मचारियों ने प्रथम श्रेणी में यात्रा की और इस अवधि के दौरान प्रथम श्रेणी की कितनी सीटें खाली रहीं; और

(घ) इसके फलस्वरूप एयर इंडिया को कितना नुकसान हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). अपने कार्य तथा यात्रा सुविधाओं में सुधार के लिए एयर इंडिया के प्रबंधकों ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें से एक उपाय था, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की प्रथम श्रेणी यात्रा की हकदारी को युक्तिसंगत बनाना। अब केवल निदेशक या उससे ऊपर के स्तर के तथा कुछ अन्य श्रेणी के अधिकारी ही प्रथम श्रेणी से यात्रा करने के हकदार हैं। छुट्टी यात्रा में वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों सहित सभी कर्मचारी "क्लब श्रेणी" अथवा इकनोमी श्रेणी से यात्रा करेंगे।

(ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) एयर इंडिया यह आशा करता है कि प्रथम श्रेणी यात्रा की सुविधा को युक्तिसंगत बनाने से इसे किराया देकर प्रथम श्रेणी करने वाले अधिक यात्री उपलब्ध हो सकेंगे। इस कारण लगभग 28 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानों के उतरने के लिए देश के हवाई अड्डों का विकास

1425. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिये उतरने की सुविधा प्रदान करने हेतु देश के कुछ हवाई अड्डों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं; और

(ग) मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास करने तथा यात्रियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पटिल): (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद और बंगलौर विमान क्षेत्रों को सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिये विकास किये जाने की योजना है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर विचाराधीन/निर्माणाधीन मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :

(1) नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लेक्स, मद्रास ।

(2) नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लेक्स, कलकत्ता ।

(3) वर्तमान अंतर्देशीय टर्मिनल काम्प्लेक्स, बम्बई का सुधार और विस्तार ।

(4) नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लेक्स, बम्बई (चरण-3) ।

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर यात्रियों को पूर्वप्रदत्त टैक्सी, हवाई पुलों, आधुनिक सामान वाहक पट्टियां और बेहतर फर्नीचर, चित्रों, सी० सी० टी० वी० जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

1426. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और ग्राउण्ड प्रशिक्षण तथा उड़ान प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने की तिथि तथा प्रथम चरण में कितने प्रशिक्षणार्थियों को रखा जायेगा; और

(ग) परियोजना के पूरा होने पर हेलीकाप्टर प्रशिक्षण सहित ग्राउण्ड और उड़ान प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के ब्यौरे सहित इस समूची परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 2654.56 लाख रुपये है । ग्राउंड प्रशिक्षण और उड़ान प्रशिक्षण क्रमश: 30-6-88 तथा 22-10-1988 को प्रारंभ किया गया है । प्रथम चरण में प्रशिक्षणार्थियों की प्रवेश संख्या (i) वाणिज्यिक पायलट लाइसैंस के लिए लगातार चलने वाले दो बैचों में प्रति बैच 20 प्रशिक्षार्थी तथा (ii) हैलिकाप्टर पायलट के लिए वाणिज्यिक लाइसैंस 10 पायलट प्रति बैच रहेगी ।

(ग) देश की एयर लाइनों के लिए वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए इग्नुआ नामक इस पूर्णतया आवासीय संस्थान की स्थापना की गई है । इस प्रशिक्षण में ट्रिवन इंजन पृष्ठांकन व इन्स्ट्रूमेन्ट रेटिंग का प्रशिक्षण शामिल है । वाणिज्यिक हैलिकाप्टर पायलटों को भी प्रशिक्षित किया जाता है ।

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को रियायतें

1427. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली रियायतों के प्रावधान के बारे में कोई औपचारिक मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन का क्या परिणाम रहा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में कोई औपचारिक मूल्यांकन किया जायेगा और संभावित तारीख क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चित्तमणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). रोजगार, स्व:रोजगार, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को दिए जाने वाली रियायतों के प्रावधानों की केन्द्रीय सरकार ने समीक्षा की है और उन्हें उचित पाया है। इसके अतिरिक्त युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को भी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो नई स्व:रोजगार योजनाओं "सेमफेक्स-I" जो 1-4-1987 से आरम्भ हुई और "सेमफेक्स-II" जो 15-1-1988 से आरम्भ हुई, के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है।

राज्य सरकारों ने भी ऐसी रियायतों के कई प्रावधान लागू किए हैं, यद्यपि इन रियायतों का स्वरूप और मात्रा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को दी गई रियायतों के प्रावधान, उनके पुनर्वास के कई पहलुओं में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर भी कतिपय पहलुओं में एक राज्य में उपलब्ध रियायतों के उन प्रावधानों को जो अन्य राज्यों में नहीं हैं, अन्य राज्यों द्वारा अपनाने के लिए विचार किए जाने को कहा गया है।

अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या वाले जिलों की विशेष परियोजनाएं

1428. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जाति की 30 प्रतिशत और उससे अधिक जनसंख्या वाले जिलों, 50 प्रतिशत और उससे अधिक जनसंख्या वाले ब्लाकों तथा 30 प्रतिशत से कम जनसंख्या वाले ब्लाकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत और इससे अधिक जनसंख्या वाले ब्लाकों में विशेष परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) यह सूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी "अनुसूचित जातियों से संबंधित चुनिंदा आंकड़े" (जून, 1984 प्रकाशन) के पृष्ठ 81-91 में उपलब्ध है। लोक सभा तथा राज्य सभा पुस्तकालयों को उक्त प्रकाशन की दो-दो प्रतियां पहले ही दे दी गई हैं।

(ख) और (ग). नीति यह रही है कि अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न योजनाओं के लाभों का विस्तार सभी क्षेत्रों तक किया जाए। तथापि, अनुसूचित जाति बस्तियों को विशिष्ट सुविधाएं देने व उनकी छोटी से छोटी जरूरतें पूरी करने तथा सामान्य रूप से उनकी आर्थिक सहायता के मामले में पिछड़ी व अग्र अवसंरचनात्मक कड़ियां जोड़ने के लिए समूह की कार्य-नीति अपनाने का भी दृष्टिकोण रहा है।

पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशें

1429. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यटन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गयी प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा अब तक जो प्रमुख सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, उनमें पर्यटन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास हेतु सहायता प्रदान करने की स्कीम और पर्यटन संबंधी कार्यकलापों के लिए चार्टर नीति में उदारता तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्धन शामिल है ।

आई०एल-62 एम० विमान के लिए "वेटलीज समझौता"

1430. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ एयर इंडिया द्वारा आई०एल०-62 एम० विमान के प्रयोग के लिए वेटलीज समझौते में विस्तार करने लिये सहमत हो गया है;

(ख) क्या सोवियत संघ "वेटलीज" के आधार पर दूसरे आई० एल०-62 विमान के स्थान पर आई०एल०-76 मालवाहक विमान देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सोवियत संघ एयर इंडिया को एक और आई० एल०-62 एम० विमान और एक आई० एल०-76 मालवाही विमान "वेटलीज" पर देने को सहमत हो गया है । इसकी शर्तों पर बातचीत की जा रही है ।

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा

1431. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 1988 से अक्तूबर, 1988 तक विभिन्न राज्यों द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्रवार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी-मार्च, 1988, अप्रैल-जून, 1988 तथा जुलाई-सितम्बर, 1988 तक की तीन तिमाहियों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सूत्रवार उपलब्धियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6766/88]**

चिलका झील में जल-क्रीड़ायें

1432. **श्री हरिहर सोरन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा की चिलका झील में जल क्रीड़ायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह जल कीड़ाएं कब से आयोजित करने का विचार है;

(ग) क्या इन कीड़ाओं के कारण अधिक संख्या में पर्यटक इस झील की ओर आकर्षित होंगे;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में किन योजनाओं का प्रस्ताव दिया है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जल कीड़ाओं का आयोजन राज्य सरकार द्वारा आवश्यक उपकरण प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). उड़ीसा सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव के आधार पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने जल क्रीड़ा उपकरणों की खरीद के लिए 81.96 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

मौसम की भविष्यवाणी को अद्यतन बनाने की आवश्यकता

1433. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मौसम की भविष्यवाणी व्यवस्था अद्यतन बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) हालांकि भारत में मौसम पूर्वानुमान संबंधी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी मौसम विज्ञान के क्षेत्र ने आधुनिक तरीकों और प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान संबंधी क्षमताओं में सुधार करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) पूर्वानुमान संबंधी क्षमता में सुधार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अनेक कदम उठाये हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(1) एक राष्ट्रीय माध्यमं अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र में सुपर कम्प्यूटर ओर मौसम पूर्वानुमान के परिष्कृत मॉडलों का प्रयोग किया जाएगा और यह केन्द्र दो-एक वर्षों में कृषि प्रयोजनों के लिए माध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगा।

(2) भारत मौसम विज्ञान विभाग के भूआधारित सतह और ऊपरी वायु प्रेक्षणात्मक नेटवर्क को लगातार सुदृढ़ और अद्यतन किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ उपकरणों का देश में ही अभिकल्पन और विकास किया जा रहा है।

(3) ध्रुवीय वायु-मंडल और भू-स्थिर उपग्रहों वाली अंतरिक्ष पर आधारित प्रेक्षण प्रणाली का दूरस्थ क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से दोहन किया जा रहा है। भारत का अपना भू-स्थिर उपग्रह इनसैट है, जो मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है।

(4) गरज-वर्षा, धूल भरी आंधी, अंधड़ और चक्रवातों आदि जैसी घटनाओं के मॉनीटरन के लिए मौसम राडर और चक्रवात संसूचन राडार स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(5) चक्रवात के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिए उपग्रह पर आधारित आपदा चेतावनी प्रणाली उत्तरी तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश पर स्थापित की गयी है। अन्य क्षेत्रों पर लागू करने के लिए इस स्कीम का विस्तार किया जा रहा है।

उड़ीसा में पर्यटक होटलों का निर्माण

1434. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से उड़ीसा में राऊरकेला, सूनाबेदा तथा अन्य स्थानों पर पंथ निवास पर्यटक होटलों का निर्माण कराया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). इस समय भारत पर्यटन विकास निगम उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पुरी में संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में 3 स्टार सुविधाओं सहित 50 कमरों वाले एक होटल का निर्माण कर रहा है। इस होटल के 36 कमरों की इस वर्ष चालू होने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में समुद्री विकास के लिए सर्वेक्षण

1435. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री विकास के लिए आंध्र प्रदेश तट पर कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में समुद्री विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। पिछले विभिन्न वर्षों के दौरान आंध्र तट के आसपास अनुसंधान पोत गवेषणी ने 26 समुद्री यात्राएं तथा सागर कन्या ने 7 समुद्री यात्राएं की हैं जिनमें गवेषणी ने 1284 स्टेशनों पर तथा सागर कन्या ने 146 स्टेशनों पर कार्य किया। इस कार्य में समुद्र विज्ञान के भौतिक, रसायनिक, भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय पहलू और प्रदूषण नियंत्रण पहलू शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र तट पर प्लेसर भंडारों, तटीय कटाव, तलछट, अवसाद विज्ञान आदि के लिए भी अध्ययन किए गए हैं।

(ग) और (घ). जी हां, श्रीमान। उपर्युक्त सर्वेक्षण एवं खोज कार्य को जारी रखने के अलावा इस तट में समुद्री प्रदूषकों की मानीटरन के बारे में विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित हैं।

श्रीलंका में मारे गए तमिल उग्रवादी

1436. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका में गत तीन महीनों के दौरान भारतीय शांति सेना की कार्यवाही में एल० टी० टी० ई० के कितने उग्रवादी और अन्य तमिल उग्रवादी मारे गये हैं और कितने पकड़े गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : 7.8.1988 से 6.11.1988 की अवधि के दौरान पकड़े गए तमिल उग्रवादियों की कुल संख्या 231 है। इस प्रकार की कार्यवाही में मारे गए उग्रवादियों की वास्तविक संख्या बता पाना संभव नहीं है।

पठानकोट-जम्मू सड़क पर पड़ने वाले नालों पर पुलों का निर्माण

1437. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग तथा जम्मू-पुंछ सड़क पर पड़ने वाले नालों में भारी वर्षा के कारण पानी का भारी उफान आ गया था और कालू चाक, जम्मू तथा राजौरी जिले में खुन्दरवन के समीप इन नालों को पार करते समय कुछ लोग मर गये थे तथा कुछ वाहन बह गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्थानों पर उपरि पुलों के निर्माण का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां, चरणबद्ध तरीके से।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू-पुंछ सड़क को चौड़ा करना

1438. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-पुंछ सड़क इकहरा मार्ग है और उक्त सड़क पर भारी यातायात के सुव्यवस्थित संचालन के लिए उसे चौड़ा करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त सड़क को चौड़ा करने के लिए धनराशि प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि प्रदान करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जम्मू की ओर से जम्मू-पुंछ को जाने वाली सड़क के प्रथम 34 किलोमीटर दुहरे-पथ (लेन) के विनिर्देशन के अनुसार है और शेष 208 किलो मीटर इकहरे-पथ (लेन) के विनिर्देशन के अनुसार है। फिलहाल इस सड़क को चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विसंगतियों संबंधी समिति

1439. **श्री पी०एम० सईद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को दूर करने हेतु विसंगति समिति की नियुक्ति की है;

(ख) कर्मचारियों की तरफ से विसंगति समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय विसंगति संबंधी समिति के विचारण के लिए कुल 38 मदें प्राप्त हुई हैं। इन सभी मदों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। प्रारम्भमें प्राप्त 19 मदों पर 21.10.1988 को हुई पहली बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। अपने विभाग से संबंध रखने

वाली विसंगतियों को निपटाने के लिए विभागों में ही विभागीय विसंगति संबंधी समितियां भी कार्य कर रही हैं।

विवरण

राष्ट्रीय परिषद (जे०सी०एम०) की विसंगति संबंधी समिति की मदों की सूची।

क्र०सं०	विषय
1.	वेतन निर्धारण में विसंगतियां।
2.	रु० 1350-2200 के न्यूनतम का संशोधन।
3.	समूह "घ" कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड समाप्त करना।
4.	वेतन वृद्धि की दरों में विसंगति।
5.	रु० 840-1200 के वेतनमान के न्यूनतम में संशोधन।
6.	विशेष वेतन की दर को दुगुना कर देने के पश्चात् भी विशेष वेतन के कारण परिलब्धियों की हानि के लिए संरक्षण प्रदान करना।
7.	केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के नियम 8 के उपबंधों के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर संशोधित वेतनमान में कनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा अधिक वेतन लेने की विसंगति।
8.	जिन व्यक्तियों ने 1.1.1986 के बाद एक अथवा दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन पर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियमावली के नियम 8 के परन्तुक 3 तथा 4 को लागू करना।
9.	उच्चतर वेतनमान के बदले में मंजूर किए गए विशेष वेतन को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में मानना।
10.	रु० 1500-1800 के संशोधन पूर्व वेतनमान वाले पदों के साथ सम्बद्ध आशुलिपिकों (समूह III) के पदों के ग्रेड का बढ़ाया जाना।
11.	पुराने वेतनमानों के अधिकतम पर रुके व्यक्तियों के संबंध में संशोधित वेतनमान के अधीन अगली वेतनवृद्धि की तारीख का नियतन।
12.	1.1.1986 तथा 30.6.1987 के बीच सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्होंने संशोधित वेतनमान के लिए विकल्प दिया है उन कर्मचारियों के मामले में पेंशन के संबंध में परिलब्धियों में कुछ कमी संबंधी विसंगति को दूर करना।
13.	गत्यावरोध वेतनवृद्धि।
14.	केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियमावली, 1986 के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को बढ़ाने के संबंध में।

15. *उन कर्मचारियों को रुकी वेतनवृद्धि के लाभ का दिया जाना जिन्होंने 1.1.1986 के बाद भी दो वर्ष पूरे कर लिए हैं ।*

16. पूर्व संशोधित वेतनमान 550-900 तथा रु० 1640-2900 के संशोधित वेतनमान वाले कर्मचारियों के वेतन ढांचे में विसंगति ।

17. अण्डमान विशेष वेतन के संबंध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में विसंगतियां ।

18. सादृश्य तथा निम्न वेतनमान वाले पदों पर लागू किए गए संशोधित वेतनमानों की तुलना में अन्वेषक के वेतनमान (रु० 1640-2900) में विसंगति ।

19. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

20. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के नियमों में परिवर्तन ।

21. चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमान के आबंटन में अन्त: विभागीय विसंगति ।

22. चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए अनुसार, विशेष वेतन की विद्यमान दर को दुगुना करना ।

23. निम्नतम राजपत्रित संवर्ग (समूह ख) के वेतनमान ।

24. समूह "घ" स्टाफ के तत्काल निम्न स्तर के ग्रेड की तुलना में उच्चतर ग्रेड में उसी वेतन वृद्धि स्तर पर पहुंचने में अधिक समय लगना ।

25. संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के प्रयोजन से 1.1.1986 के बाद उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) 1986 नियमों में आने के लिए विकल्प देने की छूट ।

26. केन्द्रीय सिविल पदों का समूहवार वर्गीकरण ।

27. चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 के नियम 8 के परन्तुक 3 और 4 अंतर्गत रुकी हुई वेतनवृद्धि के न दिए जाने के कारण विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों में कमी ।

28. 1.1.1986 को अथवा उसके बाद संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धि का आहरण ।

29. आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 1.4.1986 की बजाए 1.1.1986 से संशोधित वेतन को भूतलक्षी प्रभाव से दिए जाने के कारण विसंगति ।

30. संशोधन पूर्व वेतनमान के न्यूनतम तथा संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के संदर्भ में वेतन के निर्धारण में विसंगति ।

31. संशोधित वेतन, नियमावली, 1986 के नियम 7 के नीचे की टिप्पणी 7 का उदारीकरण ।

32. 1.9.85 से पहले उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्ग से उच्चतर पद पर पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में वेतनमान के संशोधन के परिणामस्वरूप रु० 35/- के विशेष वेतन को किस रूप में माना जाए।

33. वेतनमानों के संशोधन से पहले और बाद की रुकी वेतनवृद्धि को किस रूप में माना जाए जिसके कारण संशोधित वेतनमान के निर्धारण में विसंगति पैदा होती है।

34. वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर आशुलिपिकों के संवर्ग में वेतन संबंधी गत्यावरोध को दूर करने में असफलता।

35. संशोधन पूर्व वेतनमानों में अधिकतम पर रुके हुए कर्मचारियों का संशोधित वेतन के नियतन में विसंगति।

36. रु० 35/- प्रति मास के विशेष वेतन से संबंधित निर्णय, जिसे 1.9.1985 से लागू किया गया है, के कारण विसंगति।

37. संशोधित वेतनमानों में वैयक्तिक पेंशन की मंजूरी।

38. 1.1.1986 से पहले के पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में गृह मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 26.9.81 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 7/1/80-स्था०पी० 1 के 9.1 के अधीन दिए गए विकल्प के कारण विसंगति।

वारंगल में प्रोपेलेंट संयंत्र की स्थापना

1440. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार वारंगल में पोपेलैंट संयंत्र की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि और बुनियादी ढांचे संबंधी अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) किसी आयुध निर्माणी की स्थापना के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता एवं देश में विद्यमान क्षमताओं के उपयोग के संदर्भ में गहन समीक्षा की जानी होती है। यह बताना संभव नहीं है कि प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना एवं स्थान के बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा क्योंकि यह प्रस्ताव समस्त निवेश-निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग के अलावा अन्य कम्पनियों द्वारा स्विचिंग उपकरण का निर्माण

1441. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 51 प्रतिशत अनिवासी भारतीय भागीदारी से भारतीय टेलीफोन उद्योग के अलावा अन्य कम्पनियों को स्विचिंग उपकरण के निर्माण की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे भारतीय टेलीफोन उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, जहां पहले से ही श्रमिक बेकारी की समस्या है; और

(घ) इनका निर्माण करने वाले इन एककों में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी क्या होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). अनिवासी भारतीयों सहित निजी क्षेत्र को 2000 लाइनों वाले अथवा ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों जैसे कम क्षमता वाले स्विचन उपस्करों के विनिर्माण की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, नहीं; क्योंकि भारतीय टेलीफोन उद्योग मुख्य रूप से मुख्य स्वचालित एक्सचेंज के विनिर्माण में लगा हुआ है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है।

(घ) विनिर्माण इकाइयां स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगी।

ताईवान की मत्स्य नौकाओं को पकड़ना

1443. **श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1988 के तीसरे सप्ताह के दौरान समुद्र तट से दूर भारतीय तट रक्षक के एक गश्ती जहाज द्वारा ताईवान की छः आधुनिक मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई थीं जो गुजरात समुद्र तट से दूर अनधिकृत रूप से मछली पकड़ रही थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या दूसरे अन्य देश भी भारतीय समुद्र क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने में संलग्न हैं; और

(घ) दूसरे देशों द्वारा अनधिकृत रूप से पछली पकड़ने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). जी, हां। 15 अक्तूबर, 1988 को तट रक्षक पोत "विक्रम" ने, 164 कर्मियों एवं लगभग 460 टन मछली, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1.00 करोड़ रुपये है, सहित ताईवान की 6 बड़ी "तूना लांग लाइनर" नौकाएं पकड़ीं। ये नौकाएं भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर पोरबंदर के लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में चोरी छुपे अवैध रूप से मछली पकड़ रहीं थीं। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए पकड़ी गई नौकाओं को संरक्षण में बम्बई लाया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) समुचित रूप से सुसज्जित पोतों एवं विमानों को शामिल करके चरणबद्ध रूप में तटरक्षक की सैन्य शक्ति में वृद्धि की जा रही है। तटरक्षक बल को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि

वे भारतीय समुद्री सीमा में मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं द्वारा चोरी छुपे अवैध रूप से मछली पकड़े जाने पर निगरानी रखें।

"दि सेटैनिक वर्सेस" पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना

1444. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में "दि सेटैनिक वर्सेस" पुस्तक की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध समाज के कुछ वर्गों द्वारा की जा रही आलोचना की जानकारी है;

(ख) क्या फैडरेशन आफ पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की आलोचना की है;

(ग) क्या उक्त फैडरेशन ने सरकार से इस मामले में इसके रवैये पर पुनर्विचार करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) सरकार निर्णय पर पुन: विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझती है।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा कीटनाशक दवा की खोज

1445. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने हाल ही में चावल के कीड़े (कोरसीरा सेफालोनिका) के लिए एक प्रभावी कीटनाशक दवा की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई कीटनाशक दवा से गोदामों को किस हद तक लाभ होगा और चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की कितनी मात्रा को नष्ट होने से बचाया जा सकेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) यह जानकारियां प्रारंभिक हैं और इनकी सक्रिय शक्ति की पुष्टि करने के लिए क्षेत्रीय परीक्षण और विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है।

(ग) क्षेत्रीय परीक्षणों के पश्चात आर्थिक संभाव्यता आदि के अध्ययनोंपरान्त इन तथ्यों का पता लगेगा।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त धनराशि

1446. **श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री के० एस० राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कितने स्वयसेवी संगठन विदेशों से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कितनी विदेशी धनराशि प्राप्त की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). उन स्वयंसेवी संगठनों की संख्या, जिन्होंने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त करना सूचित किया है, इस प्रकार है :

वर्ष	प्राप्त करने वाले संगठनों की कुल संख्या	विदेशी अंशदान के रूप में प्राप्त सूचित राशि करोड़ों में
1984	3612	253.98
1985	5099	317.51
1986	5401	438.27

विमान सेवा कम्पनियों के पास विमानों की कमी

1447. **डॉ० दत्ता सामंत :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान सेवा कम्पनियों के पास विभिन्न प्रकार के विमानों की कमी है;

(ख) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, श्रेणीवार कितने विमान उपलब्ध हैं; और

(ग) सरकार देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमानों की संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया, वायुदूत और पवन हंस लिमिटेड के वर्तमान बेड़े में निम्नलिखित विमान हैं :

विमान की किस्म		विमान की संख्या
क. इंडियन एयरलाइंस		
एयरबस ए-300		11 (एक पट्टे पर लिया गया है)
बोइंग-737		26 (दो पट्टे पर लिए गए हैं)
एच एस-748 (एवरो)		6
एफ-27 (फॉकर फ्रैंडशिप)		4 (इनमें से दो तट रक्षक पट्टे पर दिए गए हैं)
	जोड़ :	47
ख. एयर इंडिया		
बोइंग-747-200		10
बोइंग-747-300 (कोम्बी)		1
एयरबस ए-300 बी-4		3
एयरबस ए-310-300		6
	जोड़ :	20
ग. वायुदूत		
डोर्नियर		10
एच एस-748		5
एफ-27		3
	जोड़ :	18
घ. पवन हंस लिमिटेड		
हेलीकाप्टर		
वेस्टलैंड-30		20
डाफिन-365 एन		20
	जोड़ :	40

(ग) इंडियन एयरलाइंस पट्टे पर कुछ विमान प्राप्त करने के अतिरिक्त, 1989-90 के दौरान 18 एयरबस ए-320 विमान प्राप्त करेगा।

एअर इंडिया का एक बी-747-300 कीम्बी विमान जिसका आर्डर दिया गया है, के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

वायुदूत के वर्तमान बेड़े को बढ़ाने और इंडियन एयरलाइंस से लिए गए पुराने टर्बो-प्रोप विमानों को बदलने के लिए वायुदूत के निदेशक मंडल द्वारा एक समिति गठित की गई है जो 40 से अधिक सीट वाले नए विमानों का मूल्यांकन करेगी।

सरकारी विभागों में कम्प्यूटर के प्रयोग का रोजगार पर प्रभाव

1448. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में कम्प्यूटर और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी छूटने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय शांति सेना पर व्यय

1449. **श्री कमल नाथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में भारतीय शांति सेना पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) क्या इस व्यय के कारण देश की रक्षा, खरीद और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 30.9.1988 तक भारतीय शांति सेना की संक्रियाओं पर 130.17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) जी, नहीं।

भारत में बने रक्षा उपकरणों का निर्यात

1450. **श्री कमल नाथ** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से विभिन्न देशों द्वारा भारत में निर्मित हथियारों, उपकरणों और विमानों की खरीद के लिए उत्साहवर्धक पूछताछ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से देश हैं; और

(ग) इनके निर्यात से कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). भारतीय रक्षा सामान एवं उपस्कर की खरीद के लिए विभिन्न देशों से अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते हैं।

प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में मांगे गए ब्यौरे प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं होगा।

वायुदूत विमान सेवा के लिए रूस से विमानों की खरीद

1451. **श्री कमल नाथ** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी तृतीय वायुदूत विमान सेवा के लिए उसके वाई०ए०के० 42 विमानों की खरीद का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने विमान खरीदे जायेंगे, इनमें सीटों की संख्या कितनी है और इनका मूल्य कितना है;

(ग) क्या अधिक संख्या में सोवियत संघ के छोटे विमान खरीदने की भी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). निवेश के प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त होने पर, वायुदूत 2 वाई०ए०के०-42 विमानों के अर्जन पर विचार कर रहा है। विमान की सीट क्षमता 120 है और इसका लागत प्रत्येक विमान 15.50 करोड़ रुपये है।

(ग) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान कम्पनियों में लाभ तथा घाटा

1453. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया तथा वायुदूत को कितना लाभ प्राप्त हुआ अथवा कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ख) यात्रियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यात्री यातायातों में वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले दस वर्षों के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका प्रत्येक एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान इंडियन एअरलाइंस ने 75.60 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया, एअर इंडिया को 43.41 करोड़ रुपयों का निवल घाटा हुआ तथा वायुदूत लिमिटेड को 7.62 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा रहा।

(ख) एअरलाइंस द्वारा ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए उठाये गए कुछ कदम इस प्रकार हैं—

— कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा का विस्तार

— भोजन विभिन्नता में वृद्धि की दृष्टि से मीनू में बदलाव ।

— हवाई अड्डों पर सुविधा तथा शिकायत काउंटरों की स्थापना;

— टैलीफोन संख्या को पुन: मिलाने की सुविधा का प्रावधान करना;

— बैगेज वितरण को मानीटर करना;

— रजिस्टर्ड बैगेज रहित यात्री के लिए तुरंत काउंटरों का प्रावधान करना;

— इंडियन एयरलाइंस द्वारा मुख्य कैसेरोल डिश में से शाकाहारी/मांसाहारी डिसों को अलग-अलग करना ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि शाकाहारी भोजन की कोई कमी न हो;

— कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम;

— एअर इंडिया द्वारा कुछ मार्गों पर तीव्र बिना रुकी उड़ानों को शुरू करना;

— एअर इंडिया की कान्टीनेन्टल कुशिन की गुणवत्ता तथा सेवा में बढ़ोतरी;

— एअर इंडिया आदि के बिजनेस श्रेणी यात्रियों के लिए विशेष बिजनेश श्रेणी कक्षों को खोलना;

(ग) और (घ). जबकि सरकार ने अभी तक एअर इंडिया के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार नहीं की है परंतु इंडियन एयरलाइंस ने अपनी संदर्शी योजना बना रखी है । एअर इंडिया ने बोर्ड के अनुमोदन के लिए 1995-96 तक की अवधि के लिए एक एकीकृत योजना तैयार की है ।

तथापि वृद्धि दर पर योजना आयोग की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एअरलाइंस की निर्धारित सीमाओं के अनुरूप, वृद्धि दर से निपटने के लिए विमानों को शामिल करने की योजना है ।

उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना

1455. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या योजना मंत्री गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्रों के एककों को आदर्श कम्पनियों के रूप में विकास के बारे में 31 अगस्त, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा औद्योगिक एककों की उत्पादन क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 औद्योगिक उद्यमों का पता लगाने में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में ऐसे एककों का, उद्योग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पर्याप्त औद्योगिक एककों का पता लगाने की औपचारिकताओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग). योजना आयोग पहले ही सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से चालू औद्योगिक ढांचे से अधिकतम उत्पादन

संभावना तथा उत्पादन को ध्यान में रखकर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रकों में लगभग 500 औद्योगिक उद्यमों की पहचान के सम्बन्ध में सुझाव पर अनुवर्ती कार्यवाही करने का अनुरोध कर चुका है। सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही के ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

निम्न प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी उत्पाद

1456. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम प्रौद्योगिकी वाले उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के संवेधन हेतु अनेक ग्रामीण इलैक्ट्रॉनिक्स सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). सरकार ने रेडियो, दीवार घड़ियों, कलाई घड़ियों, टू-इन-वन, टेप रिकॉर्डरों आदि जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए ग्रामीण सहकारी समतियों तथा संस्थाओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 1-3-1988 की अधिसूचना सं० 88/88 के जरिए वर्ष 1988-89 के बजट में छूट दी गई है, बशर्ते विनिर्माण ग्रामीण क्षेत्र में हुआ हो। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग राज्य इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम तथा संगठित क्षेत्रों की कम्पनियों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वे तकनीकी तथा विपणन संबंधी सहायता के जरिए इन संस्थाओं को आवश्यक सहायता मुहैया कराएं।

सिंचाई के लिए धनराशि का उपयोग

1457. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के लिए सातवीं योजना के प्रथम चार महीनों में आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे आठवीं योजना के लक्ष्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) प्रथम तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षेत्रक में व्यय तथा 1988-89 का स्वीकृत परिव्यय किसी तरह की वास्तविक कमी नहीं दर्शाता है। सातवीं योजना में वास्तविक विभिन्नता यदि कोई हो तो वह वार्षिक योजना 1989-90 के कार्यान्वयन के बाद ही ज्ञात होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं योजना में आवंटन 7वीं योजना से मदों के पूर्वावशिष्ट को ध्यान में रखते हुए निश्चित किए जाएंगे।

सरकारी विभागों में कम्प्यूटरों का प्रयोग

1458. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, जिसकी स्थापना विभिन्न सरकारी विभागों के लिए निर्णय लेने तथा आयोजना के लिए विकास तथा कार्यान्वित कम्प्यूटर आधारिक सूचना प्रणालियों के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए 1977 में की गई थी, द्वारा लगभग सभी सरकारी विभागों में कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर जनशक्ति तथा सूचना प्रणालियों के विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है। अधिकारी उपयोक्ता विभागों के अधिकारी तथा स्टाफ अपने दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेने तथा आयोजना उद्देश्यों के लिए इन प्रणालियों का प्रयोग करते हैं।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने अब तक विभिन्न सरकारी विभागों के लिए 250 से अधिक आंकड़ा आधारों का विकास तथा कार्यान्वयन किया है।

सड़क और रेल द्वारा माल परिवहन के लिए पूर्वानुमान मांग संबंधी मानदण्ड

1459. **श्री महेश्वर तांती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क और रेल द्वारा माल परिवहन के लिए पूर्वानुमान मांग का आधार क्या है; और

(ख) ऐसे पूर्वानुमान के लिए विधितंत्र और मानदण्ड क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख)- एक विवरण संलग्न है जिसमें सड़क तथा रेल द्वारा माल परिवहन के लिए मांग का पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त आधार तथा क्रियाविधि दी गई है।

विवरण

रेल तथा सड़क द्वारा माल परिवहन के लिए मांग के पूर्वानुमान के लिए क्रियाविधि

योजना आयोग रेल मार्गों तथा अन्य परिवहन द्वारा माल परिवहन के लिए मांग प्रक्षेपित करने के लिए अनिवार्य रूप से दो तरीके अपनाता है। एक निवेश-उत्पादन मॉडल है तथा दूसरा सामग्री संतुलन उपगमन है।

निवेश-उत्पादन मॉडल के ढांचे में, एक विशिष्ट उद्योग के लिए निवेशों के अनुसार वस्तुओं की परिवहन आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं की परिवहन आवश्यकताओं को एक अलग मद के रूप में नहीं मानकर इन वस्तुओं का उपभोग करने वाले सभी उद्योगों के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा। परिवहन के लिए कुल मांग का आकलन अन्त: उद्योग मांग तथा अन्तिम मांग खपत, निवेश तथा निर्यात मांग के जोड़ के रूप में किया जाता है। निर्यात उद्देश्यों के लिए रेल द्वारा ले जाए गए एक वस्तु के टनभार को उस वस्तु के अन्तर्गत नहीं गिना जाएगा बल्कि "रेलवे" की पंक्ति में सम्पूर्ण निर्यात के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा।

निवेश उत्पादन तालिका में रेलवे की परिवहन गतिविधियां शामिल हैं, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) माल यातायात

(2) यात्री यातायात

यात्री यातायात जबकि पूर्व में देखे गए व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर पर्याप्त मात्रा में सही प्रक्षपित की जा सकती है, इस तरह की तकनीक माल यातायात प्रक्षेपणों के लिए सही परिणाम नहीं देगा। यह इसलिए है कि प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य तथा उनकी परिवहन आवश्यकताएं योजना में अपनाई गई विकास कार्य नीति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। माल अवयव के लिए स्वतंत्र अनुमान (जो कि पहले उपगमन में उपलब्ध नहीं) के लिए तथा निवेश उत्पादन उपगमन को पूरा करने के लिए, सामग्री संतुलन उपगमन या प्रयोग किया जाता है। यह उपगमन उत्पादन तथा खपत प्रणालियों के विशेष पहलुओं को ध्यान में रखता है जो प्राथमिक रूप से परिवहन के लिए आवश्यकता या अन्य को निर्धारित करते हैं।

रेलवे माल यातायात योजना के लिए सामग्री उपगमन विशेष रूप से इन वस्तुओं की परिवहन आवश्यकताओं का पता लगाती है :

खाद्यान्न

कोयला

कच्चा लोहा

इस्पात संयंत्र कच्चा माल

इस्पात

सीमेंट

उर्वरक

पैट्रोलियम उत्पाद

ये वस्तुएं रेलवे के लिए सृजित टनभार का समूह बनाती है।

रेलवे द्वारा वहन किये जाने वाले टनभार का अनुमान लगाने के लिए रेल परिवहन के गुणांकों का प्रयोग किया जाता है। इस गुणांक की परिभाषा रेल द्वारा ले जाई गई एक वस्तु के टनभार की गति परिवहन के सभी साधनों द्वारा ले जाई गई वस्तुओं के कुल टनभार के अनुपात (प्रतिशत) के रूप में की जाती है। उपर्युक्त वस्तुओं के लिए रेल परिवहन गुणांक पूर्व वार्षिककियों के आधार पर एक समय श्रंखला के रूप में प्राप्त है। असामान्य वर्षों के अतिरिक्त वस्तुवार गुणांकों ने पर्याप्त स्थिरता प्रदर्शित की है।

भविष्य में रेल परिवहन गुणांकों के प्रक्षेपण मांग के स्थलीय प्रभाव तथा वस्तुओं के सप्लाई केन्द्रों जैसे कोल पिट हैड स्थलों पर उर्वरक तथा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के स्थान को ध्यान में रखता है। स्थलीय विचार में रेल परिवहन द्वारा एक वस्तु के परिवहन के लिए आर्थिक प्रगति है।

कोयले की तटीय जहाजरानी तथा थर्मलपावर स्टेशनों के पिट हैड लोकेशन के कारण कोयला गुणांक में कमी आती है। सीमेंट उत्पादन और खपत के अधिक व्यापक संवितरण के परिणामस्वरूप काफी मात्रा में खपत और उत्पादन केन्द्र लम्बी दूरी में है जिससे सड़क परिवहन तथा निरन्तर रेल परिवहन गुणांकों में वृद्धि होती है; क्षेत्रीय आधार पर खपत प्रणालियों से मिलने वाले उत्पादन के कारण खाद्यान्नों के लिए रेल परिवहन गुणांकों में गिरावट की प्रवृत्ति है। रेल परिवहन गुणांकों को प्रक्षपित करते समय इन तथ्यों को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाता है।

निवेश उत्पादन मॉडल सभी अन्य परिवहनों, जिसमें सड़क, जल तथा वायु परिवहन शामिल हैं, के लिए मांग का अनुमान लगाता है। सड़क परिवहन आवश्यकताओं के लिए अलग कोई अनुमान की व्यवस्था नहीं की जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का अनुरक्षण

1460. **श्री० मधु दण्डवते :**

श्री एच० एम० पटेल :

श्री उत्तम राठौड़ :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अक्तूबर, 1988 के "इंडियन एक्सप्रेस" (दिल्ली संस्करण) में "मेन्टेनेन्स आई० ए० स्टाइल" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ठोस दस्तावेजों और प्रमाण के आधार पर प्रकाशित इस रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के प्रभारी अनुरक्षण अभियन्ताओं की यह एक प्रथा बन गई है कि वे विमानों का निरीक्षण किए बिना उनकी सक्षमता और हवाई उड़ान की योग्यता संबंधी कोरे फार्मों पर हस्ताक्षर कर देते हैं;

(ग) क्या वर्ष 1986 में अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने वाले एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खामियों की जांच करने वाली सी०के०एस० राजे समिति ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाये थे;

(घ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के अनुरक्षण अभियन्ताओं की इन कमियों से विमानों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो विमानों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स/वायुदूत में पायलट

1461. **श्री० मधु दण्डवते** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत को बढ़ती हुई विमान दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान हुई इन दुर्घटनाओं से ऐसे कितने पायलट और चालक दल के सदस्य संबंधित हैं जिन्होंने वर्ष 1986 में और उसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(ग) क्या सरकार को उन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें यह बताया गया है कि न्यूनतम परीक्षण कराने वाले स्वयं भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पूरी तरह योग्यता प्राप्त नहीं होते, चालक दल गिरते हुए स्तर की सम्भावना की जानकारी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के 7 विमान चालक और वायुदूत के 5 विमान चालक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। विमान चालकों के वैमानिकी ज्ञान के मूल्यांकन के स्तर में कोई ढील नहीं दी गई है। परीक्षाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

तमिलनाडु में बहुओं का जलाया जाना

1462. **श्री पी० आर० वेंकटेशन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में विशेष रूप से मद्रास में, बहुओं को जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) तमिलनाडु में गत एक वर्ष के दौरान बहुओं की जलाने की कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई नये उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). वर्ष 1986, 1987 और 1988 (अगस्त तक) के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों का एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1987 के दौरान दहेज के कारण जलकर आत्म-हत्या करने के पांच मामले मद्रास में दर्ज किए गए।

(ग) और (घ). दहेज विरोधी अधिनियम, 1961 को अधिक कड़ा बनाने के लिए वर्ष 1984 और 1986 में संशोधन किया गया। दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों से अधिक प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में भी संशोधन किया गया है।

विवरण

तमिलनाडु में वर्ष 1986, 1987 और 1988 में (अगस्त माह तक) दहेज के कारण जलकर आत्महत्या करने, जलाकर हत्या करने, जलकर आत्महत्या के प्रयास करने और जलाकर हत्या करने के प्रयास के दर्ज किए गए मामलों की संख्या

क्र०सं०	वर्ष	दर्ज किये गये मामलों की संख्या					
		दहेज के कारण जलकर आत्महत्या	दहेज के कारण जलाकर हत्या करना	जोड़	जलकर आत्महत्या करने का प्रयास	जलाकर हत्या करने के प्रयास	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1986	6	6	12	2	2	4
2.	1987	16	5	21	6	2	8
3.	1988 (अगस्त माह तक)	16	4	20	1	5	6

टिप्पणी : आंकड़े मासिक अपराध संख्या पर आधारित हैं, इसलिए अस्थाई समझे जाएं।

बम्बई से लापता हुए मछुआरे

[हिन्दी]

1463. **श्री मदन पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों के दौरान बम्बई क्षेत्र से कुछ भारतीय मछुआरे लापता हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें खोजने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). बम्बई क्षेत्र से मछुआरों के लापता होने की निम्नलिखित चार घटनाओं के बारे में तटरक्षक बल को सूचना दी गई थी :—

(i) 23 सितम्बर, 1988 को बम्बई समुद्री क्षेत्र में आए आंधी-तूफान के मौसम के कारण कई मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लापता होने की रिपोर्ट की गई थी;

(ii) 23 सितम्बर, 1988 को "सी राक होटल और नेपीयन सी रोड के पास के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली कुछ नौकाओं के उलट जाने की रिपोर्ट की गई थी;

(iii) 24 सितम्बर, 1988 को "डोंग्री प्वाइंट" के पश्चिम में 15 न्यूटिकल मील दूर मछली पकड़ने वाला भारतीय पोत "प्रभु धान" के विपत्ति में फंसे होने की रिपोर्ट की गई थी; और

(iv) 14 अक्तूबर, 1988 को बम्बई के समुद्री क्षेत्र से 7 कर्मियों सहित मछली पकड़ने वाला एक व्यापारिक पोत "मंगल मूर्ति मौर्य" के लापता होने की रिपोर्ट की गई थी।

उपर्युक्त रिपोर्टों के प्राप्त होने पर विपत्ति में फंसे मछुआरों की आवश्यक सहायता करने के लिए तत्काल वांछित संख्या में तटरक्षक के जवानों को (दो हेलीकाप्टरों सहित) सेवा में लगाया गया। ऊपर क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित मामले में तटरक्षक के जवान सभी मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बचाने में सफल रहे। अन्य सभी मामलों में खोज एवं बचाव कार्य बंद कर दिए गए क्योंकि मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं के सुरक्षित वापिस लौटने की रिपोर्ट मिल गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एअर बस ए-320 की खरीद का विरोध

1464. **श्री मदन पांडे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइंस के कर्मचारियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमानों के बेड़े में एयरबस ए-320 को शामिल करने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरोध करने के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). हाल में इंडियन एयरलाइंस के विमान चालक संघ (आई०सी०पी०ए०) ने यह व्यक्त किया था कि एयरबस ए-320 विमान न तो परखा हुआ है न ही इंडियन एयरलाइंस के पास इन विमानों के रख-रखाव के लिए आधारभूत सुविधा है। आई०सी०पी०ए० ने जिन पहलुओं पर संदेह व्यक्त किया था, वे उन्हें बता दिए गए हैं और विमान एवं आधारभूत सुविधाओं के बारे में भी उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

सुपर कम्प्यूटर के लिए बातचीत

[अनुवाद]

1465. **श्री पी०एम० सईद** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रयोग के लिए सुपर कम्प्यूटर और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी की खरीद के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस बीच किस देश के साथ बातचीत आरम्भ की गई है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है और इसे कब से काम में लाया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने अक्टूबर, 1988 में एक सुपर कम्प्यूटर क्रे एक्स०एम०पी०/14 प्राप्त कर लिया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के लिए दूसरा सुपर कम्प्यूटर खरीदने का प्रस्ताव है। क्रे एक्स०एम०पी० 24, क्रे वाई०एम०पी०-132 तथा कंट्रोल डेटा ई०टी०ए० 10 ई और एन०ई०सी०एस०एक्स०आई०ई०ए० जैसी विभिन्न सुपर कम्प्यूटर प्रणालियों का मूल्यांकन कर लिया गया है। प्रणाली के चयन के बारे में अन्तिम अनुमोदन अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान की प्रणालियों के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने सुपर कम्प्यूटर के लिए और उससे संबद्ध मूल-संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 35 करोड़ रु० के पूंजीगत पूंजीनिवेश का तथा प्रतिष्ठापन से सम्बन्धित आवर्ती व्यय के लिए प्रतिवर्ष 5.4 करोड़ रु० का अनुमान लगाया है। प्रणालियों के चयन के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर

1466. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना, स्वास्थ्य, रक्षा विपणन आदि क्षेत्रों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के एक कार्यक्रम पर विचार कर रही है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम का समर्थन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

ग्रामीण विकास विभाग ने कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना (सी०आर०आई० एस०पी०) को प्रायोजित किया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कार्यान्वित कर रहा है। अभी यह परियोजना जिला स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर निगरानी रखने तथा उनका आयोजन करने के उद्देश्य से साफ्टवेयर का विकास करने के कार्य तक ही सीमित है। इस परियोजना के दूसरे चरण में, इसका विस्तार करके ग्रामीण इलाकों के अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

यह कार्यक्रम पूर्णतः ग्रामीण विकास विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा वित्त-पोषित है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आतंकवाद से निपटने के लिए हरियाणा को वित्तीय सहायता

1467. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से राज्य में आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए विशेष सहायता देने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए हरियाणा सरकार को कोई शस्त्र अथवा गोलाबारूद दिए गए हैं;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कांस्टेबलों अथवा कमान्डोओं की विशेष भर्ती के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध भी किया था। यदि हां, तो इन प्रयोजन के लिए हरियाणा सरकार को कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) क्या हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस विभाग में इस प्रकार की कोई भर्ती की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ग). हरियाणा सरकार ने राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने तथा पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 9वें वित्त आयोग को अपेक्षित निधि के

लिए प्रस्ताव भेजा था। इस संबंध में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(घ) हरियाणा सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हरियाणा के हिसार के लिए वायुदूत विमान सेवा

1468. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से हिसार तक वायूदूत सेवा आरंभ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कुछ समय बाद इसे बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस विमान सेवा को पुन: प्रारंभ करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) हिसार के लिए सेवाएं बन्द कर दी गई थीं क्योंकि वहां के धावनपथ पर मरम्मत की जरूरत थी।

(ग) विमान क्षमता की कठिनाई के कारण, वायुदूत अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस सेवा को शीघ्र शुरू करने पर विचार कर सके।

पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियां

1469. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से अक्टूबर, 1988 तक, माहवार, पंजाब में आतंकवादियों द्वारा कितने लोगों की हत्या की गई;

(ख) आतंकवादियों द्वारा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कितने कर्मी मारे गए और अपहरण किये गए;

(ग) इसी अवधि के दौरान माहवार पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा कितने आतंकवादी मारे गए और पकड़े गए;

(घ) आतंकवादियों से पकड़े गए हथियारों और गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने आतंकवादियों पर आरोप लगाये गये, न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया, सजा दी गई और बरी किए गए ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में मार्च, 1988 से अक्टूबर, 1988 की अवधि के दौरान पुलिस/अर्ध सैनिक बलों के 75 कार्मिकों सहित, 1442 व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में मारे गए और 270 आतंकवादी मारे गये तथा 2933 गिरफ्तार किए गए। विवरण-I में माहवार ब्यौरे दिए गये हैं।

उपरोक्त अवधि के दौरान पुलिस/अर्ध-सैनिक बलों के अपहरण किए गए कार्मिकों की संख्या एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण 1

पंजाब में मार्च, 1988 से अक्तूबर, 1988 की अवधि के दौरान आतंकवादियों द्वारा पुलिस कार्मिकों समेत मारे गए व्यक्ति, मारे गए/गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या का माहवार ब्यौरा

माह	आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या	पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों के मारे गये कार्मिकों की संख्या	मारे गए आतंकवादियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या
मार्च, 1988	265	9	25	277
अप्रैल, 1988	214	11	25	292
मई, 1988	343	10	66	677
जून, 1988	160	15	40	529
जुलाई, 1988	147	3	27	344
अगस्त, 1988	104	9	26	328
सितम्बर, 1988	97	11	31	239
अक्तूबर, 1988	112	7	30	247
जोड़	1442*	75	270	2933

*पुलिस/अर्धसैनिक बलों के 75 कार्मिकों सहित ।

विवरण 2

मार्च-अक्तूबर, 1988 की अवधि के दौरान पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में बरामद किए गए हथियार और गोला-बारूद का ब्यौरा

	मद	संख्या
1.	पिस्तौलें	706
2.	रिवाल्वर	198
3.	ए०के० 47 राईफल्स	227
4.	अन्य राईफल्स	120
5.	बन्दूकें	261
6.	स्टेनगन्स	13
7.	कार्बाईन्स	19
8.	एल०एम०जी०/एस०एम०जी०/एम०जी०	11
9.	राकेट	79
10.	राकेट लांचर	27
11.	राकेट के खाली खोल	3
12.	राकेट चार्जर	6
13.	मिसाईल्स	16
14.	टैंक विरोधी हथगोले की पावर चार्ज यूनिट	14
15.	चाबियों सहित लीवर डिवाईस	18
16.	हथगोले	129
17.	बम्ब	41
18.	प्लास्टिक विस्फोटक	15 पैकेट
19.	विस्फोटक पदार्थ	4 कि०ग्रा०
20.	डिटोनेटर	162
21.	मैगजीन्स	216
22.	कारतूस	64,384
23.	बुलेट प्रुफ जैकेट	1
24.	दूरबीन	1
25.	प्रोपेल्लर	1

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पुन: कंटीले तार लगाना

1470. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगाये गये कंटीले तार हाल की बाढ़ के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं;

(ख) इससे कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार का घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर पुन: कंटीले तार लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, तैयार बाड़ का एक भाग क्षतिग्रस्त हुआ है ।

(ख) इस कारण लगभग 2.9 करोड़ रु० की क्षति हुई है ।

(ग) जैसे ही क्षेत्र सुगम्य होगा क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कर दी जाएगी/बदल दिया जाएगा ।

(घ) क्षेत्र कब कार्य करने के योग्य होता है यह निश्चित करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है । कार्य प्रारंभ होने के बाद मरम्मत/बदलने के कार्य में लगभग दो महीने लगेंगे ।

मद्रास हवाई अड्डे पर एयरबस का सुरक्षित उतरना

1471. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान कमांडर के उचित समय पर सटीक कार्यवाही किए जाने से सिंगापुर से मद्रास आने वाली इंडियन एयरलाइंस की एयर बस भीषण दुर्घटना से बच गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस प्रकार की खराबी पाई गई तथा इस खराबी के क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना

[हिन्दी]

1472. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो विकास के लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). आधार-संरचना के विकास हेतु पर्यटक केन्द्रों की पहचान का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

(ग) राजस्थान से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटक बंगला, पर्यटक गृह, मार्गस्थ सुविधाओं आदि परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजनाएं

1473. **श्री शांति धारीवाल** :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कुछ योजनायें आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में भी ऐसी योजनायें आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का निजी क्षेत्र में किए जाने वाले पूंजी-निवेश पर राजसहायता देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी, हां। पर्यटन विभाग देश में पर्यटन का संवर्धन तथा विकास का कार्य करता है और देश की अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसकी अनेक स्कीमें हैं। अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उठाये गए कदमों में शामिल हैं—प्रचार सामग्री का उत्पादन; इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया अभियान; यात्री निवासों तथा यात्रिकयों के निर्माण सहित पर्यटन आधार संरचना को सुदृढ़ करना; समुद्र तट विहार-स्थलों का विकास; स्कीइंग, पर्वतारोहण एवं ट्रैकिंग सुविधाओं में सुधार और राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधाओं में सुधार।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नही उठता।

(ङ) और (च). जी, हां। पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत होटल परियोजनाएं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर किए गए ऋण पर ब्याज सहायता की मंजूरी की पात्र हैं। 4 और 5 स्टार होटल परियोजनाओं के संबंध में सहायता की दर 1% है जबकि 1, 2 एवं 3 स्टार होटल परियोजनाओं के मामले में सहायता को 3% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित होटल सेन्ट्रल आउटराइट ग्रांट अथवा सब्सिडी स्कीम, 1971 के अन्तर्गत केन्द्रीय निवेश सहायता की मंजूरी के पात्र भी हैं। तथापि, उद्योग मंत्रालय से यह पता चला है कि इस स्कीम की अवधि 30-9-1988 से आगे अभी बढ़ाई जानी है।

एक ब्याज सहायता स्कीम भी है जिसके अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता-प्राप्त अनुमोदित ट्रैवल एजेंटों को पर्यटक परिवहन वाहनों की खरीद करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के जरिए एकत्र किए गए ऋण पर ब्याज सहायता की पेशकश की जाती है।

रक्षा उपकरणों का निर्यात

[अनुवाद]

1474. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री पीयूष तिरकी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन रक्षा उपकरणों का विदेशों को निर्यात किया जाता है और यह निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के उपकरणों का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या रक्षा उपकरणों का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का आगामी वर्षों में रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए और बाजार खोजने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ). सरकार, हमारी उत्पादन यूनिटों में उपलब्ध क्षमताओं को ध्यान में रखकर, रक्षा सामान तथा उपस्करों के निर्यात में रुचि लेती है, बशर्ते पहले हमारी रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तदानुसार मित्र देशों से ऐसी मदों की खरीद के लिए आए अनुरोधों पर, औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है।

प्रश्न के (क) और (ख) भागों में मांगे गए ब्यौरे लोक हित में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में नियुक्त किए गये अमरीका के रसायन इंजीनियर द्वारा की गई सिफारिशें

1475. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने देश में रबड़ अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अमरीका से एक रसायन इंजीनियर नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त इंजीनियर ने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं तथा अब तक देश में प्रस्तावित संस्थान स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन सिफारशों को कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) यह संस्थान किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा तथा इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने देश में परिषद् (सी०एस०आई०आर०) के अधीन रबड़ अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए अमेरिका से किसी रसायन इंजीनियर को नियुक्त नहीं किया है। तथापि, वर्ष 1972 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति (एन०सी०एस०टी०) के सुझावानुसार, सरकार के ओटोमोबाईल टायर अनुसंधान, डिजाइन और डेवलेपमेंट सेंटर (टी०आर०डी एण्ड डी०सी०) स्थापित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया था और अनुरोध किया था कि प्रस्तावित केन्द्र की प्रबन्ध और निवेश रिपोर्ट तैयार करने के लिए सी०एस० आई०आर०किसी उपयुक्त व्यक्ति का पता लगाये। तदनुसार, सी०एस०आई०आर० ने मैसर्स गुड ईयर टायर एण्ड रबड़ कम्पनी, ओहिओ, यू०एस०ए० के एक भारतीय इंजीनियर को रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषाधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ, उद्देश्यों, कार्यों, संगठन और ढांचे के संबंधों, कर्मचारी और केन्द्र के लिए उपकरणों का उल्लेख सिफारिशों में किया गया था। जहां तक स्थान का संबंध है, यह सिफारिश की गई थी कि यह केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र के टायर उत्पादन यूनिट के पास ही होना चाहिए। चूंकि, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई केन्द्रीय टायर यूनिट स्थापित नहीं किया गया, इसलिए टी०आर०डी० एण्ड डी०सी० स्थापित नहीं किया गया।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत की मिट्टी में चुम्बकीय शक्ति का पता लगाने के लिए समिति

1476. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की मिट्टी में बढ़ती हुई चुम्बकीय शक्ति, जो विमानों को अपनी ओर खींचती है और जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं, का पता लगाने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विमान दुर्घटनाओं संबंधी जांच समितियों की रिपोर्टें

1477. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई विमान दुर्घटनाओं के कारण का पता लगाने के लिए सरकार ने कितनी जांच समितियां गठित की हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक समिति पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) सरकार को किन-किन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जांच समितियों ने क्या सुझाव दिए और सरकार ने इनमें से कितने सुझावों को लागू किया है; और

(ङ) विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए गए ये सुझाव कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ). गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् नवम्बर, 1985 से अब तक केवल एक जांच समिति गठित की गई । समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, 1988 के पहले सप्ताह में सरकार को प्रस्तुत कर दिया है । इसकी जांच की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र

[हिन्दी]

1478. **श्री हरीश रावत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव भेजा है कि कुछ विकास खंडों को, जिनमें मुख्यत: अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किस-किस तारीख को प्राप्त हुए थे तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत 1983 के दौरान देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल जिले के 7 ब्लाकों को शामिल करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह संभव नहीं पाया गया क्योंकि ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत पहले से ही शामिल थे। फिर भी राज्य सरकार को पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों के लिए उप योजना तैयार करने के लिए सलाह दी गई थी।

तवाघाट-जोप्ति सड़क का सर्वेक्षण

1479. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तवाघाट-जोप्ति सड़क के सर्वेक्षण के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या इस सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सूची निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) 1.87 लाख रुपये।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में सर्वेक्षण 30.11.1988 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों की झीलों का विकास

1480 **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की झीलों को स्वच्छ रखने तथा विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में पिथौरागढ़ जिले में स्थित श्यामला ताल का विकास भी शामिल है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों को केवल उन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विभाग की स्वीकृत योजना स्कीमों के कार्यक्षेत्र में आती है। झील की सफाई एवं विकास विभाग की किसी योजना स्कीम के अंतर्गत नहीं आता।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

1481. **श्री राज कुमार राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय पुलिस सेवा में कितने अधिकारी हैं;

(ख) क्या वहां पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के कोई मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) उत्तर प्रदेश संवर्ग में 1.1.1988 को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की अधिकृत संख्या 350 थी जिनमें से 310 अधिकारी पद भार संभाले हुए थे।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का उत्थान

1482. **डॉ० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक लोगों के आर्थिक विकास तथा उनकी कल्याण योजनाओं के लिए और अधिक वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी राशि की मांग की है और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुकृति उपाध्य) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1988-89 के लिए भूमि पर आधारित आर्थिक कार्यकलाप योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के प्रयोजन की विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायतार्थ और अधिक राशि नहीं मांगी है। भूमि पर आधारित आर्थिक कार्यकलापों हेतु उनके विशेष संघटक योजना प्रलेख तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यक्रम से यथा प्रतिबिंबित विशेष केन्द्रीय सहायता की उनकी आवश्यकता लगभग 18 करोड़ रुपये है। जून, 1988 में जारी विशेष केन्द्रीय सहायता की 19.30 करोड़ रुपये पहली किश्त में विशेष केन्द्रीय सहायता की यह राशि भी समाविष्ट है।

जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों का संबंध है, वर्ष 1988-89 की आदिवासी उप योजना के लिए उन्हें 36 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता अनंतिम रूप से आवंटित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायतानुदान के लिए दो विशिष्ट प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार से, अल्पसंख्यकों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतानुदान का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सियाचिन पर भारत-पाकिस्तान वार्ता

1483. डॉ० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :

श्री काली प्रसाद पांडेय :

श्रीमती मनोरमा सिंह :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री राधाकान्त डिगाल :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सरफराज अहमद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन मसले पर कोई वार्ता हुई है;

यदि हां, तो क्या सियाचिन के मसले पर कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मसले पर कब तक समझौता होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां। सियाचिन मामले पर विचार विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच चौथे दौर की बातचीत 22 से 24 सितम्बर, 1988 तक नई दिल्ली में हुई।

(ख) से (घ). विचार विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने इस मामले को शिमला समझौते के अनुसार शांतिपूर्वक एवं आपसी बातचीत द्वारा निपटाने पर बल दिया। इस बात पर भी सहमति हुई कि बातचीत का अगला दौर जनवरी/फरवरी, 1989 में इस्लामाबाद में होगा।

सरकारी कार्यालयों के परिसरों में शिशुगृह (क्रेच)

[अनुवाद]

1484. श्री एच० वी० पाटिल :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए मंत्रालयों और विभागों के परिसरों में शिशुगृह उपलब्ध कराये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसरों में उपयुक्त स्थानों का पता लगाएं तथा शिशुगृह उपलब्ध कराने की दिशा में तत्काल कदम उठाएं।

अल्पसंख्यकों के संबंध में डॉ० गोपाल सिंह समिति की रिपोर्ट

1485. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के संबंध में डॉ० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा वर्ष 1981 और 1983 में प्रस्तुत रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि इन रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है तो किस स्तर पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि इन पर किसी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है तो उस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं; और

(घ) क्या इस रिपोर्ट को की गई कार्यवाही ज्ञापन सहित अथवा ज्ञापन के बिना सभा पटल पर रखा जाएगा ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ). मामला सरकार के विचाराधीन है।

पवन हंस लिमिटेड के पास उपलब्ध हेलिकाप्टर

1486. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पवन हंस लिमिटेड को हाल ही की भीषण दुर्घटनाओं के जांच के निष्कर्ष आने तक अपने वैस्टलैंड हेलिकाप्टरों को उपयोग में न लाने के निर्देश दिए हैं;

(ख) देश में इस समय पवन हंस बेड़े में तथा अन्य सरकारी एजेंसियों अथवा प्राइवेट एजेंसियों अथवा प्राइवेट पार्टियों के पास कितने वैस्टलैंड हेलिकाप्टर हैं;

(ग) देश को अभी और कितने अतिरिक्त वैस्टलैंड हेलिकाप्टर मिलने हैं; और

(घ) प्रत्येक हेलिकाप्टर की रुपयों में औसतन लागत कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) पवन हंस लिमिटेड के पास 20 वैस्टलैंड डब्ल्यू-30 हेलिकाप्टरों का बेड़ा है। किसी अन्य सरकारी एजेंसी के नाम पर अथवा देश की किसी निजी पार्टी के नाम पर नागर विमानन महा-निदेशालय के पास फिलहाल कोई भी वैस्टलैंड डब्ल्यू-30 हेलिकाप्टर पंजीकृत नहीं है।

(ग) शून्य।

(घ) 21 डब्ल्यू-30 हेलिकाप्टरों तथा सम्बद्ध फालतू पुर्जों आदि की लागत 650 लाख पाउंड थी जो ओ०डी०ए० अनुदान के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी।

केरल में यात्री निवास

1487. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन्** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में यात्री निवासों के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय प्रस्ताव पर किस चरण पर विचार हो रहा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). विभाग ने केरल में त्रिवेन्द्रम, कोचीन, किवलान और त्रिशूर के लिए एक-एक यात्री निवास स्वीकृत किया है और ये निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कन्नानोर में यात्री निवास का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव अभी लंबित पड़ा है क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने, जोकि इस परियोजना का निष्पादन अभिकरण है, अभी तक अनुमान नहीं भिजवाए हैं।

भावी परिवहन की आवश्यकताओं के लिए संदर्शी योजना

1488. **श्री उत्तम राठौड** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, जल-भूतल परिवहन और नागर विमानन के विस्तार कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करते हुए, देश की भावी परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कोई दीर्घावधि संदर्शी योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; औम

(ग) इस पर कितना पूंजी निवेश करने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग). योजना आयोग ने परिवहन क्षेत्रक में दीर्घावधिक योजना की आवश्यकता को मान्यता देते हुए अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के साथ सम्यकरूप से एकीकृत भावी परिवहन योजना की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है। भविष्य के लिए योजना बनाते समय उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने और सेवाओं की उत्पादकता तथा क्षमता में सुधार करने के विचार से प्रौद्योगिक उन्नयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में क्रमिक आधार पर दीर्घावधि योजनाओं संबंधी कार्य को तरीकेबद्ध करने के लिए एक व्यापक नीति प्रारूप तथा संस्थानात्मक उपायों को विकसित करने हेतु विशिष्ट अध्ययन करने के लिए आयोग ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की है जो कि निश्चित रूप से सम्बद्ध मंत्रालयों को उनकी सम्मिलित योजनाएं विकसित करने के कार्य में अपेक्षित निवेश प्रदान करेगी।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र

1489. **श्री उत्तम राठौड** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों का दिल्ली में एक विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(घ) इसके लिए धन व्यवस्था तथा इसकी प्रबन्ध व्यवस्था किस प्रकार होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) यह केन्द्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम और सहयोग की सामान्य नीति द्वारा अपेक्षित विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देगा। यह केन्द्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसी हित के सहयोग और संयुक्त बैठकों को भी बढ़ावा देगा, प्रौद्योगिकीय सूचना के निकासी गृह का कार्य करेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञों की सूची रखेगा, प्रास्थिति रिपोर्टें तैयार करने के लिए पेनलों का गठन करेगा, आदि।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस प्रश्न पर केन्द्र की शासी परिषद् द्वारा इसकी पहली बैठक में, जो 1989 में होने की सम्भावना है, विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में होटल

1490. **डॉ० कृपा सिंधु भोई** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में "गोल्डन ट्राइएंगल" तथा अन्य विकास केन्द्रों में कुछ होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उड़ीसा के इन स्थानों पर होटल स्थापित करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र से भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने हाल में उड़ीसा में निम्न होटल परियोजनाओं को स्थापित किया है—

(i) एक नये ब्लाक को जोड़कर होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर का विस्तार किया गया जिसे 1987 में चालू किया गया था। 2 सितारा होटल की वर्तमान क्षमता 64 कमरों की है।

(ii) 3 सितारा स्तर के परिकल्पित सुविधाओं वाला एक 50 कमरे का होटल भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पुरी में उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इस होटल के 36 कमरे 26.11.1988 को चालू होने वाले हैं।

(ख) से (घ). पर्यटन विभाग को, उड़ीसा के प्राइवेट सेक्टर में एक नई होटल परियोजना स्थापित करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पक्षियों से टकरा जाने से होने वाली विमान दुर्घटनाएं

1491. डॉ० कृपासिंधु भोई :

डॉ० डी०एन० रेड्डी :

श्री हरीश रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानों के पक्षियों में टकरा जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986, 1987 में तथा 1988 में आज तक ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुई हैं;

(ग) कितनी उड़ानें रद्द की गईं; और

(घ) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1986, 1987 को अवधि में और 30.10.1988 तक, मद्रास विमान क्षेत्र पर इंडियन एयरलाइंस एयरबस विमान की केवल एक अधिसूचनीय दुर्घटना हुई जिसमें पक्षी से टकराना एक तत्यात्मक कारण था । तथापि, 1986, 1987 और 1988 (30.10.88 तक) पक्षी से टकराने की दुर्घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

1986	1987	1988 (30.10.88 तक)
150	138	145

(ग) 1986, 1987 और 1988 के वर्षों में (30.10.1988 तक) पक्षी से टकराने के बाद विमान में सुधार करने/मरम्मत करने के लिए क्रमश: 30, 34 और 33 विमानों को भूमि पर रखना पड़ा ।

(घ) धावनपथ पट्टियों के आस-पास घास काट कर विमान क्षेत्रों पर विमान के पक्षियों से टकराने को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाने जा रहे हैं । दवाओं का छिड़काव करके कूड़ा करकट को जलाकर, विमान क्षेत्रों पर पक्षियों पर धमका करके/डराकर और विमान क्षेत्रों के अन्दर और इसके आस-पास कूड़ा करकट का ढेर हटाकर पक्षियों से टकराने की घटना को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं । विमान क्षेत्रों को आस पास स्लम की सफाई और पशुओं की खाल उतारने और मरे पशुओं को हटाने और विमान क्षेत्रों के आस-पास की परिधि के 10 किलो-मीटर के घेरे में अनधिकृत मीट और मछली को दुकानों को हटाना जैसे अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं ।

राज्यों की राजधानियों को विमान सेवा से जोड़ना

1492. **डॉ० कृपासिंधु भोई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की राजधानियों को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों तथा उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से विमान सेवा से जुड़ी हुई हैं; और

(ग) भुवनेश्वर को शेष राजधानियों से जोड़ने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). यद्यपि, राज्यों की राजधानियों को विमान सेवा से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि दिल्ली, हैदराबाद और कलकत्ता के साथ भुवनेश्वर विमान सेवा से जुड़ा हुआ है।

दूर संवेदन प्रौद्योगिकी का विकास

1493. **डॉ० कृपासिंधु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूर संवेदन प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इसे अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). परीक्षणात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह, भास्कर-1 (1979) और भास्कर-2 (1981) तथा इनसे पहले रोहिणी उपग्रहों, जो अपने साथ परीक्षणात्मक सुदूर संवेदन नीतभार ले गए थे, ने प्रचालनात्मक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला की संकल्पना और निर्माण के लिए मार्ग-प्रशस्त किया। मार्च 17, 1988 को इस श्रृंखला के प्रथम उपग्रह आई०आर०एस०-1 ए० के सफलतापूर्वक प्रमोचन तथा तत्पश्चात् इससे प्राप्त आंकड़ों के अभिग्रहण, संसाधन और प्रकीर्णन के लिए इसकी प्रणालियों का प्रचालनात्मक होना, सुदूर संवेदन के क्षेत्र में इसरो की प्रमुख उपलब्धि हैं। विविध सुदूर संवेदन उपयोगों के लिए आई०आर०एस०-1 के लिए I और लिस-II कैमरे बेहतरीन आंकड़े प्रदान कर रहे हैं। इन अनुक्रम में प्रमोचित किया जाने वाला आई०आर०एस०-1 बी० उपग्रह आई०आर०एस०-1 ए० का स्थान लेगा और तत्पश्चात् भावी आई०आर०एस० सातत्य उपग्रहों का प्रमोचन किया जाएगा।

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली को कृषि, जल प्रबन्ध, वानिकी, भूविज्ञान, भूमि उपयोग आयोजना इत्यादि पर बल देते हुए भारतीय संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।

उपर्युक्त से गतिशील राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने से संबंधित अन्य उपलब्धियों में निम्नलिखित भी शामिल हैं : –

* राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणालियों (एन०एन०आर०एम०एस०) की स्थापना, जिसमें अन्तरिक्ष विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में है;

* प्रयोक्ता विभागों के सहयोग से परिणामोन्मुख उपयोग परियोजनाएं आरंभ की गईं। ये परियोजनाएं परतीभूमि मानचित्रण, भूमिजल की खोज, सूखे का मुकाबला करने के लिए समाकलित प्रयास, खनिज अन्वेषण, शहरी विस्तार/भूमि उपयोग मानचित्रण, कृषि संबंधी उपयोग मिशन इत्यादि जैसे व्यापक लक्ष्यों सहित एक मिशन के रूप में क्रियावित की जा रही हैं;

* देश में प्रयोक्ता संगठनों की सेवा के लिए क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्रों (आर०आर०एस०एस० सी०) के संचार जाल की स्थापना;

* अनेक राज्य सरकारी सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्रों/यूनिटों/सैलों की स्थापना;

* भारत सरकार और राज्य सरकारों के विविध प्रयोक्ता विभागों के बीच अन्योन्यक्रिया और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए संगठनात्मक यांत्रिकी का विकास और सुदूर संवेदन अर्थ निर्वचन उपकरणों का स्वदेशीकरण;

* अन्तरिक्ष विभाग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सुदूर संवेदन क्रियाकलापों को करने वाली राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन०आर०एस०ए०) और अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (सेक) को ज्यादा शक्तिशाली बनाना।

(ग) एन०एन०आर०एम०एस० के अन्तर्गत किए जा रहे क्रियाकलाप समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए विभाग की परिणामोन्मुख उपयोग परियोजनाओं और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अपराध (क्राइम) 'डाटा' बैंक

1494. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अपराध डाटा बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). नई दिल्ली में 1986 में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(घ) वर्ष 1988-89 के लिए 710.62 लाख रुपए का कुल बजट मंजूर किया गया है।

विमानों को उड़ान योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाना

1495. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों को उड़ान योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र देने और विमान चालकों को लाइसेंस जारी करने से संबंधित सभी उपबन्धों की जांच के लिए एक विशेष समिति के गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षमता

1496. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के पर्यटन मानचित्र में मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान है;

(ख) क्या राज्य में पर्यटक क्षमता का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इस संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) क्षमता का निर्धारण और पर्यटन आधार-संरचना की व्यवस्था एक चालू प्रक्रिया है। पर्यटक क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से, पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, समय समय पर आधार-संरचना का विकास किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा उठाये गये कदमों में राज्य को पर्यटन आधार-संरचना का निर्माण, फोल्डर्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स, फिल्म इत्यादि का उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता देना शामिल है।

(घ) और (ङ). विभाग को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

समान रैंक के लिये समान पेंशन की मांग

1497. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा समान रैंक के लिए समान पेंशन की लम्बे समय से की जा रही मांग की जानकारी है;

(ख) क्या उक्त मांग की सिफारिश भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए श्री के० पी० सिंह देव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी उक्त मांग को स्वीकार न करने के अपने पूर्व निर्णय का पुनरीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उक्त मांग कब तक स्वीकार करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । समिति ने अपनी सिफारिशों में इस मामले पर विचार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ।

(ग) और (घ). इस मांग पर चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने विचार किया और इसे स्वीकार नहीं किया । तदनुसार सरकार ने भी इस मांग को स्वीकार नहीं किया । इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं है । मामला भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है ।

इंडियन एयरलाइंस/वायुदूत की उड़ानों की समय सारणियों में समन्वय

1498. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की उड़ानों की समय सारणियों के बीच विशेष रूप से दूरस्थ स्टेशनों, जहां केवल वायुदूत सेवा उपलब्ध है, के लिए सेवाओं में सम्पर्क सुनिश्चित करने हेतु कोई उचित समन्वय सुनिश्चित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का समन्वय सुनिश्चित किया गया है;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान सेवा न चलाने/रद्द किए जाने अथवा इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के प्रारम्भ होने में विलम्ब के संबंध में और वर्ष 1987-88 के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक संगत/सम्पर्क वायुदूत सेवाओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाही की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). दोनों एयरलाइनों के विपणन उद्देश्य और कार्यनीति तथा उड़ान किए जाने वाले विमानों

के प्रकार के अनुरूप निर्धारित परिचालानात्मक क्षमताएं और सेवित गन्तव्य स्थान एक समान नहीं है। इसके बावजूद वायुदूत अपनी अनुसूचियों को इस प्रकार तैयार करता है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके यात्री यथासंभव इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को प्राप्त कर सकें।

(ग) और (घ). उल्लिखित कारणों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर निरंतर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

मुख्य युद्ध टैंक परियोजना

1499. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य युद्ध टैंक परियोजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक निर्माण होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन विकासाधीन है और इस समय उसके तकनीकी एवं प्रयोक्ता परीक्षण किए जा रहे हैं। संतोषजनक प्रयोक्ता परीक्षणों के पश्चात् दसवीं दशाब्दी के प्रारम्भ में मुख्य युद्धक टैंक—अर्जुन का उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है।

हल्के लड़ाकू विमान-परियोजना के लिए अमरीकी सहयोग

1500. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** :

श्री आर० एम० भोये :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के लड़ाकू विमान-परियोजना को हाल ही में अमरीकी सहयोग से अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो हल्के लड़ाकू विमानों के निर्माण के संबंध में किए गए इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). जी, नहीं। हल्के लड़ाकू विमान परियोजना का देश में ही विकास किया जा रहा है। फिर भी, भारत-अमरीका रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के अन्तर्गत हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए सितम्बर, 1988 में एक "प्रस्ताव और स्वीकार पत्र" पर हस्ताक्षर किए गए। "प्रस्ताव और स्वीकार पत्र" वह साधन है जिसके माध्यम से अमरीका सरकार की प्रयोगशालाओं और विशेषज्ञों की सुविधाएं उपलब्ध करने की लागत अदा की जाती है। "प्रस्ताव और स्वीकार पत्र" का संबंध इन गतिविधियों से है—प्रयोगशाला से प्रयोगशाला का सहयोग, अध्ययन एवं सर्वेक्षण, प्रशिक्षण एवं संघटकों का परीक्षण तथा प्रणालियां।

वायुदूत की "रेन्ट ए प्लेन" योजना

1501. **श्री के० राममूर्ति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान वायुदूत द्वारा, अपने संगठन को अर्थक्षम बनाने के लिए अपनाई गई विपणन नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान "रैन्ट ए प्लेन" योजना के अंतर्गत कितने विमानों का उपयोग किया गया; और

(ग) इन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत वायुदूत को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वायुदूत ने कम्पनी को आर्थिक रूप से सक्षम-बनाने के लिए निम्नलिखित विपणन कार्यनीति शुरू की है :

पैकेज टूर

विमान किराये पर देना

विमान खरीद लेना

हिमालय हवाई ट्रैक

अति तीव्र कूरियर सेवा

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमान दुर्घटनाएं

1502. **प्रो० के०वी० थामस** :

श्री मोहन भाई पटेल :

प्रो० पी०जे० कुरियन :

डा० प्रभात कुमार सिंह :

प्रो० राम कृष्ण मोरे :

श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

श्री सोमनाथ रथ :

श्री ए० चार्ल्स :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार :

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी से इंडियन एयरलाइन्स, वायुदूत और एअर इंडिया के विमानों की कितनी दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक दुर्घटना से अनुमानत: कितनी क्षति हुई है;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने मामलों में मुआवजे का दावा किया गया, कितने मामलों से मुआवजा दिया गया, मामलों का निपटान हो गया और कितने मामले अभी तक लम्बित हैं;

(घ) इन दुर्घटनाओं में से प्रत्येक दुर्घटना के मुख्य कारण क्या थे; और

(ङ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जनवरी, 1988 से 16.11.1988 तक अनुसूचित यात्री सेवाओं का प्रचालन कर रहे इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत के विमानों में से प्रत्येक तीन बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस अवधि में एयर इंडिया का कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ।

(ख) तीनों दुर्घटनाओं में इंडियन एयरलाइन्स को हुई अनुमानित हानि इस प्रकार है :—

(1) 19.6.88 की दिल्ली में वी० टी० -ई० ए० आई०—अनुमानित मरम्मत लागत 7.735 मिलियन अमरीकी डालर।

(2) 19.7.88 को बड़ौदा में वी०टी-ई एफ०के—अनुमानित मरम्मत लागत 1.250 मिलियन अमरीकी डालर।

(3) 19.10.88 को अहमदाबाद में वी० टी-ई०ए० एच—विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया था और 10 मिलियन अमरीकी डालर का बीमा किया गया था।

वायुदूत के बारे में तीन दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना जो 19.10.88 को गुवाहाटी में हुई थी, एफ-27 विमान वी० टी०-डी एम० सी पूरी तरह से नष्ट हो गया था और इसका बीमा 60 लाख रुपए का था। वायुदूत की शेष दो दुर्घटनाएं जो 20.6.88 और 22.9.88 को हुई थी, की हानि के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(ग) दिल्ली और बड़ौदा में क्रमश: वी० टी-ईए० आई० और वी० टी- ई० एफ० के० के इंडियन एयरलाइन्स की दुर्घटनाओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। वी० टी-ईए० एच० में यात्रा कर रहे 135 व्यक्तियों में से 133 यात्रियों की मृत्यु हुई। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के उत्तर में 15 नवम्बर, 1988 तक 46 दावे प्राप्त हुए थे जिनमें से 8 दावों का निपटान कर लिया गया है और दो दावों पर विचार किया जा रहा है।

इसी प्रकार गुना और औरंगाबाद में 20.6.88 तथा 22.9.88 को हुई वायुदूत की दुर्घटनाओं में कोई मृत्यु नहीं हुई। एफ-27 विमान वी० टी-डी० एम० सी० में सफर कर रहे सभी 34 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और उनके मुआवजे के दावों पर कार्यवाही चल रही है।

(घ) इन दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है। इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) जांच के दौरान दुर्घटनाओं के बारे में प्रमाणित निष्कर्षों और कारणों के आधार पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। ताकि ऐसी ही घटनाएं दुबारा न हों।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती हेतु खिलाड़ियों को वरीयता देना

1503. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती हेपु खिलाड़ियों को वरीयता दी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) केरल में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कितनी यूनिटें हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में संबंधित पद के भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल (जी डी) सहायक उप-निरीक्षक (अधिशासी) तथा उप निरीक्षक (अधिशासी) के रैंकों में सीधी भर्ती की जाती है। इन योग्यताओं को एक संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केरल में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 10 यूनिटें हैं।

विवरण

पद का नाम	भर्ती नियमों के अनुसार योग्यताएं
कांस्टेबल	मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा।
हैड कांस्टेबल	जिला/राज्य में खेल, खेलकूद एथलीट के प्रतिनिधित्व के साथ किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिकुलेशन।
सहायक उप-निरीक्षक (अधिशासी)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्टरमीडियेट या तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा अथवा 10+2 और राष्ट्रीय/राज्य/विश्वविद्यालय स्तर पर खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धि। **टिप्पणी** जो व्यक्ति न्यूनतम हायर सैकैण्डरी या उसके समकक्ष योग्यता वाले हों, जो अपने जिला/राज्य खेल, खेलकूद तथा एथलीट में प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी पात्र होंगे।
उप-निरीक्षक (अधिशासी)	(क) अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य या कानून में स्नातक डिग्री। (ख) वाछनीय : खेल, खेलकूद, एथलीट में दक्षता राष्ट्रीय कैडिट कोर की सदस्यता।

इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां

1504. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां हैं;

(ख) ये इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां कहां-कहां पर स्थित हैं तथा इनके द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ग) इन इकाइयों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन इकाइयों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो के ब्यौरे, उनके स्थापना-स्थल, उनकी जनशक्ति तथा उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) इन इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । इन इकाइयों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग लाइसेंस प्रदान करने, विदेशी सहयोग की अनुमति देने आदि से संबंधित मामलों में लचीली नीति अपना रहा है ।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने हाल ही में राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों के अंतर्गत आने वाली ऐसी तीन इकाइयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है, जो विद्युत सेमीकण्डक्टरों तथा संचार उपस्कर के विनिर्माण में लगी हुई हैं । ये इकाइयां हैं :—मेल्ट्रान सेमीकण्डक्टर लि०, केल्ट्रान पावर डिवाइसेज लि०, केल्ट्रान रेक्टिफायर्स तथा आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम का मरीन कम्युनिकेशन्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लि० ।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयां

सं०	इकाई	संयंत्र का स्थापना-स्थल	उत्पादन (1987) लाख रु० में	जनशक्ति 1987
1	2	3	4	5
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां				
1.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	बंगलौर	2,48,98.29	13,713
		गाजियाबाद	61,31.88	3,050
		कोटद्वार	1,10.00	लागू नहीं होता
		मछलीपटनम	5,48.91	875
		पंचकुला	19,82.00	541
		पुणे	4,38.55	203

1	2	3	4	5
		मद्रास	5,30.00	लागू नहीं होता
		हैदराबाद	6,04.00	लागू नहीं होता
		तालोजा	2,67.00	200
2.	भारत डायनामिक्स लि०	हैदराबाद	31,62 18	लागू नहीं होता
3.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	बंगलौर	68,34.51	लागू नहीं होता
		भोपाल	11,73.28	2,112
4.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	साहिबाबाद	16,99.18	572
5.	सी.एम.सी	बम्बई		
6.	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	हैदराबाद	1,12,77.21	7,761
7.	ई० टी० एण्ड टी० कारपोरेशन लि०	नई दिल्ली		
8.	हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि०	हैदराबाद	43,69.58	3,799
		लखनऊ	3,72.24	लागू नहीं होता
9.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	हैदराबाद		
10.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	मद्रास	3,36.13	1,916
11.	एच० एम० टी० लि०	बंगलौर	4,17.34	276
12.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०	बंगलौर	1,45,13.21	16,347
		मनकापुर	5,08.77	2,421
		नैनी	68,63.00	4,206
		पालघाट	31,20.10	261
		रायबरेली	92,43.00	6,166
		श्रीनगर	7,40.00	194
13.	इन्स्ट्रमेंटेशन लि०	कोटा	39,29.27	3,844
		पालघाट		

1	2	3	4	5
14.	राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपो० लि०	हावड़ा	1.32	लागू नहीं होता
15.	सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लि०	मोहाली	6,06.23	611
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां			
1.	आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०	हैदराबाद	79.49	37
	(i) हैदराबाद अलविन लि०	हैदराबाद	10,76.29	16
	(ii) मरीन एंड कम्युनिकेशन इले० (इं०) लि०	विसाखापटनम	2,80.87	120
2.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०	पटना	5.62	40
	(i) बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम्स लि०	दानापुर		
3.	तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिकी कारपोरेशन लि०	मद्रास	3,27.23	307
4.	इलेक्ट्रो-मेडिकल एण्ड एलाईड इंडस्ट्रीज लि०	कलकत्ता	74.44	लागू नहीं होता
5.	गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	मापूसा	1,76.21	93
	(i) गोवा टेलीकम्युनिकेसन्स एण्ड सिस्टम लि०	गोवा	1,37.86	94
6.	गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	वड़ोदरा	22,62.96	1,524
	(i) गुजरात ट्रांसरिसीवर्स लि०	हलोल	45.98	लागू नहीं होता
7.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०	अम्बाला	7.50	लागू नहीं होता
	(i) हरियाना टेलीकम्युनिकेमन्श लि०	हरियाणा		
	(ii) हरियाणा टेलीविजन लि०	फरीदाबाद		
8.	हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम	सोलन	1,58.00	48
9.	जम्मू तथा कश्मीर राज्य औद्यो० विकास निगम लि०	श्रीनगर		
10.	कर्नाटक राज्य इले० विकास निगम लि०	बंगलौर		
	(i) कीयोनिक वीडियो लि०	बंगलौर	2,42.60	183
	(ii) एन जी ई एफ लि०	बंगलौर	1,29.63	194

1	2	3	4	5
11.	केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०	त्रिवेंद्रम	17,68.04	2,385
		कालीकट मुल्लापुरम	1,80.08	54
(i)	केल्ट्रॉन कम्पोनेंट काम्प्लेक्स लि०	कन्नौर	6,85.40	307
(ii)	केल्ट्रॉन कंट्रोल्स	त्रिवेंद्रम	8,62.22	670
(iii)	केल्ट्रॉन काउंटर्स लि०	त्रिवेंद्रम	2,08.39	304
(iv)	केन्ट्रॉन क्रिस्टल्स लि०	कन्नौर	97.61	124
(v)	केल्ट्रॉन इलेक्ट्रो सेरामिक्स लि०	कुट्टीपुरम	98.78	101
(vi)	केल्ट्रॉन इंटरटेनमैंट सिस्टम लि०	त्रिवेंद्रम	16.02	62
(vii)	केल्ट्रॉन फेराइट्स प्रा० लि०	क्विलॉन	26.63	18
(viii)	केल्ट्रॉन मेगनेटिक्स लि	कन्नौर	52.71	33
(ix)	केल्ट्रॉन पावर डेवाइसिस लि०	त्रिचूर	1,09.31	159
(x)	केल्ट्रॉन प्रोजेक्टर्स लि०	त्रिवेंद्रम		
(xi)	केल्ट्रॉन रेक्टिफायर्स लि०	त्रिचूर	73.26	112
(xii)	केल्ट्रॉन रजिस्टर्स लि०	कन्नौर	25.51	48
12.	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास लि०	भोपाल	1,67.55	255
13.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०	बम्बइ		
(i)	महाराष्ट्र इले० निगम (रेडियो कम्यु० डि०)	नागपुर	8,00.52	163
(ii)	मेल्ट्रॉन आडियो विजुअल डिवीजन	बम्बई	10,41.95	लागू नहीं होता
(iii)	मेल्ट्रॉन इन्सट्रूमेंटेशन लि०	सिंधुदुर्ग	1,16.40	20
(iv)	मेल्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स लि०	नासिक	1,03.43	150
(v)	मेल्ट्रॉन टेलीमेटिक्स डिवीजन	औरंगाबाद	2,04.56	लागू नहीं होता
14.	उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास नि० लि०	भुवनेश्वर		
(i)	इपीट्रॉन टाइम्स लि०	भुवनेश्वर	1,47.04	194
(ii)	कोणार्क टेलीविजन लि०	भुवनेश्वर	15,69.60	361

1	2	3	4	5
15.	पंजाब राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास एवं उत्पादन निगम लि०	रोपड़/ होसियारपुर		
(i)	इलेक्ट्रानिक सिस्टम्स पंजाब लि०	सासरानगर	12,99.92	178
(ii)	पंजाब बायो-मेडिकल इक्विपमेंट लि०	मोहाली	6.80	15
(iii)	पंजाब कम्युनिकेशन लि०	मोहाली	7,53.1	124
(iv)	पंजाब डिजिटल इंडस्ट्रियल सिस्टम लि०	मोहली		
(v)	पंजाब इलेक्ट्रॉनिक काम्पोनेंट्स लि०	सासरा नगर	53.20	102
(vi)	पंजाब पावर पेक्टस लि०	मोहाली	3,51.52	लागू नहीं होता
(vii)	पंजाब रेकारडर्स लि०	मोहाली	14.26	63
(viii)	पंजाब वायरलेस सिस्टम लि०	मोहाली	12,08.49	550
(ix)	टेलीफोन केबल्स (पंजाब) लि०	सासस नगर		
16.	राजस्थान संचार लि०	जयपुर	2,10.71	172
(i)	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि० टी० वी० प्रोजेक्ट्स	अलवर		
(ii)	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रमेंट्स लि०	जयपुर	2,48.08	151
17.	उ० प्र० इलेक्ट्रानिकी निगम लि०	लखनऊ		
(i)	अपट्रॉन कॅलर पिक्चर ट्यूब लि०	साहिबाबाद	7,57.11	118
(ii)	अपट्रॉन इंडिया लि०	इलाहाबाद	6,20.33	160
		जौनपुर	1,92.41	55
		लखनऊ	32,90.42	800
(iii)	अपट्रॉन इंडिया लि० (केपेसिटर्स डिवी०)	लखनऊ	7,01.42	408
(iv)	अपट्रॉन इंडिया लि० (डिजीटल सिस्टम्स डि०)	लखनऊ	3,65.28	294
(v)	अपट्रॉन इंडिया लि० (इंस्ट्रमेंट्स डि०)	लखनऊ	2.33.94	91

1	2	3	4	5
18.	पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास निगम लि०	कलकत्ता		
(i)	वेबेल बिजनेस मशीन्स लि० कलकत्ता	कलकत्ता	95.67	43
(ii)	वेबेल कार्बन एण्ड मेटल फिल्म रजिस्टर्स लि०	कलकत्ता	44.00	20
(iii)	वेबेल क्रिस्टल लि०	कलकत्ता	5.54	38
(iv)	वेबेल इलेक्ट्रो सेरामिक्स लि०	कलकत्ता	3.77	44
(v)	वेबेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स लिमिटेड	कलकत्ता	14.24	13
(vi)	वेबेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	कलकत्ता		
(vii)	वेबेल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीस लि०	कलकत्ता	606.07	253
(viii)	वेबेल वीडियो डेवाइसिस लि०	कलकत्ता	15.65	107
19.	वेस्टिंग हाउस सेक्सबाई फार्मर लि०	कलकत्ता	1,08.59	636

कपूर मित्तल समिति का प्रतिवेदन

1505. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री जी०एस० बासवराजू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपूर मित्तल समिति का जिसने नवम्बर, 1984 के दौरान दिल्ली में हुए दंगों में पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के व्यक्तिगत आचरण की जांच की थी प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार उन्हें समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

हुगली किनारे पर्यटन का विकास

1506. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को हुगली किनारे, नदी के साथ-साथ पर्यटन का विकास करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा भारत पर्यटन विकास निगम ने अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दी है;

(ग) हुगली किनारे किन गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा;

(घ) क्या यह सच है कि सुन्दरवन क्षेत्र को अब तक पर्यटन के विकास के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पर्यटक साप्ताहिक छुट्टियों में कलकत्ता से पोत बिहार करते हुए कम दूरी के मार्ग से सुन्दरवन जाते हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम को पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को फाल्टा में एक पर्यटक काम्पलैक्स हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा है जो तैयार की जा रही है।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय पुलिस सेवा के लिए पृथक परीक्षा

1507. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में भर्ती के लिए पृथक परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बारे में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में रोष है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी नहीं। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा की योजना की समीक्षा तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है।

नन्दी पहाड़ियों पर भारत पर्यटन विकास निगम के होटल का निर्माण

1508. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नन्दी एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है;

(ख) क्या नन्दी पहाड़ियों पर भारत पर्यटन विकास निगम का कोई होटल है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पर्यटन विकास के लिए नन्दी पहाड़ियों पर भारत पर्यटन विकास निगम के किसी होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). नन्दी पहाड़ियों पर भारत पर्यटन विकास निगम का कोई होटल नहीं है । भारत पर्यटन विकास निगम की सातवीं पंचवर्षीय योजना में नन्दी पहाड़ियों में कोई होटल बनाने का प्रावधान नहीं है ।

वाजपे हवाई अड्डे पर दूसरी हवाई पट्टी का निर्माण

1509. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर स्थित वाजपे हवाई अड्डे पर दूसरी हवाई पट्टी के निर्माण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इसमें से अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है;

(ख) क्या हवाई पट्टी निर्माण कार्य अब तक शुरू हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो क्या दूसरी हवाई पट्टी के निर्माण के बाद बोइंग हवाई जहाज रात को उतर सकेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 3.00 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी । अब तक सर्वेक्षण कार्य के लिए 1.50 लाख रुपए की राशि दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) बोइंग विमान से रात्रि में दूसरी हवाई पट्टी पर परिचालन केवल तभी किए जा सकेंगे जब उच्च घनत्व वाली धावन-पथ प्रकाश व्यवस्था "पापी" (2 सैट) और पहुंच प्रकाश व्यवस्था कर दी जाएगी ।

गंगटोक में हवाई अड्डे का निर्माण

1510. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विमान सेवा उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंगटोक के लिए देश के किसी भी भाग से सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या गंगटोक में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में उन स्थानों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है, जिन्हें विमान सेवा से जोड़ा गया है ।

(ग) पवन हंस लिमिटेड के हेलीकाप्टर सेवा द्वारा गंगटोक को बागला के साथ जोड़ा गया है ।

(घ) हांलाकि गंगटोक में एक स्टोल (अल्पकालिक उड़ान और अवतरण) किस्म के हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है, तथा इसके लिए स्थल का पहले से ही पता लगा लिया गया है, लेकिन इसमें पहाड़ियो को अत्यधिक मात्रा में तोड़ना और घाटियों को भरने की आवश्यकता होगी जिसमें अधिक लागत आने तथा समय भी बहुत लगेगा ।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में विमान सेवा से जोड़े गए स्थानों के ब्यौरे

राज्य का नाम	स्थान का नाम	किस प्रकार से विमान सेवा उपलब्ध कराई गई
1	2	3
असम	1. डिब्रूगढ़	इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा
	2. जोरहाट (शिवसागर)	,,
	3. सिल्चर	,,
	4. तेजपुर (दरांग)	इंडियन एयरलाइंस द्वारा
	5. गुवाहाटी (कामरूप)	इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा
	6. लीलाबाड़ी	वायुदूत द्वारा
अरुणाचल प्रदेश	1. पासीघाट	*वायुदूत द्वारा
	2. जीरो	*वायुदूत द्वारा
	3. तेजू	वायुदूत द्वारा
	4. एलांग	*वायुदूत द्वारा
	5. दापारीजो	*वायुदूत द्वारा

1	2	3
मणिपुर	1. इम्फाल	इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा
मेघालय	1. शिलांग (बारापान)	वायुदूत द्वारा
नागालैंड	1. दीमापुर	इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा
मिजोरम	1. एजवाल	वायुदूत द्वारा
सिक्किम	1. गंगटोक	सिक्किम सरकार के साथ वेटलीज व्यवस्था के अंतर्गत पवन हंस लिमिटेड की हेलीकाप्टर सेवा द्वारा
त्रिपुरा	1. अगरतला	इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा
	2. कमालपुर	*वायुदूत द्वारा
	3. कैलाशहार	*वायुदूत द्वारा

*वायुदूत द्वारा अस्थायी रूप से बन्द कर दी गई है।

बोइंग विमानों में संरचनात्मक दोष

1511. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बोइंग 737 विमानों में संरचनात्मक दोष होने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दोषों का पता लगाने के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सब 737 बोइंग विमानों के पूर्ण निरीक्षण के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). 28 अप्रैल, 1988 को अलोहा एयरलाइंस का एक बोइंग 737 विमान 24,000 फुट की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जबकि उड़ान के दौरान विमान के ऊपर के भाग के मुख्य हिस्से अलग हो गए थे। लेकिन विमान को मोई पर सुरक्षित उतार लिया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित बी-737 विमान का संरचनात्मक निरीक्षण तुरंत किया गया जिसने 40,000 से अधिक अवतरण किए हैं और अभी तक उसमें कोई असामान्यता नोटिस नहीं की गई। इस प्रकार के विमानों की अधिकतम उड़ान ऊंचाई को भी 23,000 फुट की ऊंचाई तक सीमित रखा गया है।

एअर इंडिया के विमानों का खराब होना

1512. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के 10 बोइंग 747 विमानों में से तीन खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या 21 अक्टूबर, 1988 को एअर इंडिया की एयरबस ए-300 विमान को तकनीकी खराबी के कारण शारजाह में रोकना पड़ा जिसके कारण चालक दल को जो रसत खेमा से बम्बई की उड़ान पर था, उड़ान के बीच में रोकना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच की गई है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं और यात्रियों के आवास एवं भोजन आदि पर कितना व्यय किया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). इस समय अनुसूचित रख-रखाव कार्य के लिए एअर इंडिया के दो बोइंग 747 विमानों को भूमि पर रखा गया है।

(ग) 21 अक्टूबर, 1988 को एअर इंडिया की एअरबस ए-300 विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी और इसे शारजाह के लिए मोड़ दिया गया जहां उसे ग्राउंड किया गया। कर्मीदल ड्यूटी समय के दौरान खराबी दूर न हो सकने पर कर्मीदल को विमान से उतरना पड़ा। बाद में इसी कर्मीदल ने उड़ान का परिचालन किया।

(घ) और (ङ). क्योंकि शारजाह के लिए तकनीकी खराबी के कारण विमान को मोड़ना पड़ा था और शारजाह पर अवतरण सामान्य था, इसलिए कोई जांच नहीं की गई थी, यात्रियों के आवास और भोजन पर लगभग 2.61 लाख रुपये खर्च किए गए।

एअर इंडिया द्वारा रद्द की गयी उड़ानें

1513. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया ने हाल ही में इंजीनियरों के नियम के अनुसार धीरे काम करो, आंदोलन के कारण और अन्य कारणों से कितनी उड़ानें रद्द कीं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). 30 सितम्बर, 1988 से 17 नवम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान इंजीनियरों के प्रदर्शन और अन्य परिचालनात्मक कारणों से 160 एकल उड़ानें रद्द की गई थीं। इस अवधि के लिए अनुमानित राजस्व की हानि (लगभग) 9 करोड़ रुपए है। समाधान निकालने के लिए यूनियनों/संघों के साथ बातचीत चल रही है।

विश्व पर्यटन दिवस

1514 **श्री राम स्वरूप राम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 सितम्बर, 1988 तक भारत में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था;

(ख) क्या भारत को पर्यटन से होने वाली आय की क्षमता का कोई आकलन किया गया है और उक्त क्षमता का पूर्णतः उपयोग किये जाने के लिये नई योजनाओं पर विचार किया गया है;

(ग) विदेशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन-कौन से नये पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है;

(घ) क्या बिहार में कोई नए पर्यटन स्थल विकसित किये जा रहे हैं और उक्त राज्य में विद्यमान पर्यटन स्थलों तथा विकसित किये जा रहे पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत को पर्यटन से होने वाली आय संबंधी आकलन का कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक आधार-संरचना, मार्गस्थ सुविधाओं आदि का विकास करने और इन सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु पर्यटन विभाग की एक स्कीम है । विभाग ने राज्य सरकारों के परामर्श से पर्यटन आधार-संरचना के सघन विकास हेतु अनेक स्थानों का अभिनिर्धारण किया है ।

(घ) और (ङ). बिहार में अभिनिर्धारित स्थान गया, नालंदा और वैशाली जिलों में हैं । पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार से परामर्श करके एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें आवास, परिवहन, दूरसंचार और विदेशी पर्यटकों द्वारा प्रयोग के लिये अन्य सुविधाओं जैसे सभी महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं ।

उद्योग अन्तरिक्ष सहयोग के लिये पता लगाये गये क्षेत्र

1515. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2000 तक उद्योग अन्तरिक्ष सहयोग के लिये प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसने किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ग) इस संबंध में कार्यवाही योजना का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख).

वर्ष 2000 तक उद्योग अन्तरिक्ष सहयोग के लिये निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों का पता लगाया गया है :—

— भारतीय उद्योगों में अन्तरिक्ष प्रभागों/संयंत्रों/उत्पादन लाइनों को प्रोत्साहन।

— इसरो की जटिल आवश्यकताओं के लिये औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन।

— इसरो से उद्योगतंत्रवादी-उद्यमों का विकास और उद्यम पूंजीगत वित्तीय सहायता।

— व्यावसायिक "विक्रेता" विकास।

— इसरो की प्रौद्योगिकियों/अन्तरिक्ष-उद्योग उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन।

— उद्योग को दीर्घावधि वचनबद्धता/उत्पाद खरीदने की गारंटी।

— सरकार के नियंत्रणाधीन एजेन्सियों से भारतीय अन्तरिक्ष उद्योगों को सहायता देना।

— प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान/मूल्यांकन और अनुसंधान तथा विकास/उद्योग को डिजाइन तथा विकास का ठेका।

— प्रौद्योगिकी विकास और अवसंरचना संबंधी सूचना विनियम।

— अंतरिक्ष-उद्योग भागीदारी को बढ़ाने के लिये इसरो की अनुसंधान और विकास टीमें, परियोजना टीमें तथा उद्योग-अन्तरापृष्ठ व्यावसायिकों को प्रेरित करना।

(ग) उपरोक्त मुख्य क्षेत्रों में अनुपालन के लिये निम्नलिखित विविध कार्रवाईयों की आयोजना है :—

— उच्च तकनीकी विक्रेता विकास, निर्यात विपणन के लिये सहायता, प्रौद्योगिकी अन्तरण तथा सूचना सेवाओं के मान बढ़ाने सहित अन्तरिक्ष-उद्योग संवर्धन से संबंधित विशेषज्ञता वाले कार्यों को करने के लिये अन्तरिक्ष विभाग एक प्रौद्योगिकी प्रबन्ध कारपोरेट निकाय की स्थापना करने की आयोजना बना रहा है। इस निकाय में अन्तरिक्ष उत्पादों और इसके प्रचक्रण उत्पादों के विकास को बनाये रखने के लिये इसकी सेवाओं द्वारा किये गये अर्जन को वापस लेने का लचीलापन होगा।

— इसरो/अन्तरिक्ष विभाग के प्रौद्योगिकी लाइसेंसधारियों के लिये देश की विकासात्मक वित्तीय संस्थानों की सुस्थापित यांत्रिकियों के माध्यम से उद्यम पूंजी को उपलब्ध कराने के लिये भी विभाग द्वारा कार्रवाई करने की अपेक्षा है।

— अलग-अलग रूप से या सहयोग के आधार पर अन्तरिम कार्यक्रम के लिये उत्पादों और सेवाओं का विकास/निर्माण शुरू करने के लिये, सक्षम उद्योगों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिये इंजीनियरी उद्योगों की कन्फेडरेशन (सी०ई०आई०) जैसी विविध उद्योग एसोसिएशनों के साथ समन्वय को बढ़ाया जाएगा।

— अन्तरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निर्माण लाइनों/संयंत्रों को स्थापित करने में निवेश करने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये दीर्घावधि वचनबद्धता प्रदान करने की उपयुक्त यांत्रिकी क्रियान्वित की जायेगी।

ग्रामीण रोजगार के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

1516. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये कोई नया प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण संबंधी कार्य दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

1517. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग संबंधी कार्यदल ने अगस्त, 1988 के अन्तिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यदल की सिफारिशों को कब लागू किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जों पर गठित कार्यदल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें आर्थिक तथा कर संबंधी वित्तीय आयात-नीति, निर्यात आदि विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई है ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण आंकड़ों हेतु नक्शा तैयार करना

1518. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीय विकास एजेंसियों को सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु स्थलाकृतिक और भौगोलिक नक्शे तैयार कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग को यह कार्य सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भूपृष्ठीय, फोटो-ग्रामीट्रीक और भौगोलिक सर्वेक्षण तथा नक्शे तैयार करने संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी हां । विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग को विभिन्न राष्ट्रीय विकासात्मक अभिकरणों को सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए, स्थलाकृतिक मानचित्रों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है ।

देश की सर्वेक्षण और मानचित्रण संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन पंचवर्षीय योजनाएं बनाते समय किया जाता है तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय सर्वेक्षण विभाग की क्षमता और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर की जाती है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए भूपृष्ठीय, फोटोग्रामीट्रीक और भौगोलिक सर्वेक्षणों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) **भूपृष्ठीय सर्वेक्षण**

भूपृष्ठीय त्रिकोणीयन	291 स्टेशन
परिशुद्ध ट्रावर्स	1152 किलोमीटर
भूपृष्ठीय तलेक्षण	13193 किलोमीटर
गुरुत्वाकर्षण प्रेक्षण	993 स्टेशन
80 पत्तनों के लिए चुम्बकीय प्रेक्षण ज्वारिय पूर्वानुमान	277 स्टेशन

(2) **फोटोग्रामीट्रीक सर्वेक्षण**

लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है ।

(3) **भौगोलिक सर्वेक्षण**

लगभग 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है ।

(4) **प्रकाशित/विक्रय किए गए मानचित्र**

मानचित्रों की 164.7 लाख प्रतियां प्रकाशित/विक्रय की गयीं ।

"लेसर" के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये प्रयोगशालाएं

1519. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "लेसर" के अत्याधुनिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इन अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का उपयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किन स्थानों का पता लगाया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) मंत्री प्रधान

की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि भारत द्वारा लेसरों के विकास से संबंधित कार्यक्रम सक्रिय रूप से शुरू किया जाना चाहिए।

(ख) सरकार का विचार लेसरों के विकास से संबंधित कार्यक्रम शुरू करने का है तथा इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर तथा रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला की ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली द्वारा लेसरों के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य लगातार किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में कुछ अन्य प्रयोगशालाओं के बारे में विचार किया गया है तथा उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

पर्यटन और होटल उद्योग संवर्धन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय होटल एसोसिएशन की 26वीं बैठक में की गई सिफारिशें

1520. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1988 में अन्तर्राष्ट्रीय होटल एसोसिएशन की 26वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो होटल उद्योग और पर्यटन के संवर्धन हेतु क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय होटल एसोसिएशन द्वारा 26वीं बैठक की सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विदेशी चार्टर्ड विमानों से संबंधित नीति

1521. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी चार्टर्ड विमानों से संबंधित नीति को उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों में इस नीति को उदार बनाया गया है;

(घ) इससे पर्यटन को किस सीमा तक बढ़ावा मिलेगा; और

(ङ) इस वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन से कितनी आय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विदेशों को महत्वपूर्ण मार्केटों और देश के अधिकाधिक पर्यटक केन्द्रों के बीच सस्ती दरों पर सुविधाजनक हवाई उड़ानें मुहैया कराने के लिए, पर्यटक चार्टर उड़ानों संबंधी चार्टर दिशानिर्देशों के तहत अब यात्रियों को न केवल दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, डेबोलिम (गोआ) और बंगलौर में उतरने की अनुमति होगी बल्कि चार्टर उड़ानों को हैदराबाद, वाराणसी, अहमदाबाद और भुवनेश्वर (पूरा होने पर) में भी उतरने की अनुमति होगी। अतिरिक्त चार्टर यातायात से पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।

(ङ) 1988-89 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन को अनुमानित संख्या के आधार पर इस वर्ष पर्यटन से दो हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान सलाहकार समिति

1522. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या समिति की प्रथम बैठक हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां तो बैठक में किन-किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ;

(घ) देश इस समय किन-किन विशेष जैव प्रौद्योगिकी समस्याओं का सामना कर रहा है; और

(ङ) इन समस्याओं से उभरने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) समिति की प्रथम बैठक 26.10.86 को आयोजित की गई थी। तत्पश्चात समिति की चतुर्थ बैठक 15.11.88 को आयोजित की गई है।

(ग) विभाग द्वारा आरंभ किए जा रहे कार्यक्रमों की पुनरीक्षा की गई थी। विभाग द्वारा बायोटेकनालोजी के क्षेत्र में जो कार्यक्रम हाथ में लिए जा सकते हैं उनके संबंध में सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(घ) और (ङ). देश को बायोटेक्नालोजी पर जिन कुछेक प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा उनका मुकाबला करने के लिए पहले से जो कदम उठाए गए हैं वह इस प्रकार हैं :

1. देश में बायोटेक्नालोजी के क्षेत्र में कार्यरत प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्ध संख्या पर्याप्त नहीं है। स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने एकीकृत जनशक्ति विकास कार्यक्रम आरंभ किया है।

2. वायोटेक्नालोजी के नवीन क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास और उत्पादन कार्यकलापों के लिए पर्याप्त अवसंरचना समर्थन सृजित करने के लिए विभाग पौधों, पशुओं, शैवाल तथा रोगाणुओं के लिए जर्म प्लैज्म बैंक, ओलिगोन्यूक्लियोटाईड सुविधा, पशु गृह, जैव-प्रक्रिया अनुकूलन तथा पायलट प्लांट जैसी प्रचालन अवसंरचना सुविधाएं स्थापित की हैं।

3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के रोगक्षमीकरण कार्यक्रम के लिए वैक्सीनों में स्वत: समर्थ होने के लिए सरकार ने वैक्सीनों के उत्पादन की दिशा में कार्यकलाप आरंभ किए हैं ताकि वैक्सीनों के आयात पर निर्भरता से बचा जा सके।

4. उच्चतर मवेशी उत्पादकता प्राप्त करने के लिए भ्रूण अन्तरण टेक्नालोजी का उपयोग करके पशु रेवड़ के सुधार पर एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

5. खाद्य तेल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने देश में ऐसे चुनिंदा क्षेत्रों में, जिनको उपयुक्त पाया गया है, तैल ताड खेती की व्यवहार्यता के प्रदर्शन का एक कार्यक्रम आरंभ किया है।

विवरण

वायोटेक्नालोजी विभाग की विज्ञान सलाहकार समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1.	सचिव, बायोटेक्नालोजी विभाग	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	पदेन सदस्य
3.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	
4.	महानिदेशक, भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	
5.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
6.	डॉ० पी०एस० भार्गव, निदेशक सेन्टर कारसेल्युलर एंड मालिक्यूलर बायोलोजी हैदराबाद।	सदस्य
7.	प्रो०जी० पद्मानाभन, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	सदस्य
8.	प्रो०टी०के० घोष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
9.	प्रो०के० धर्मालिंगम, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	सदस्य
10	डॉ० ए०एस० गांगुली, अध्यक्ष हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	सदस्य

एस०ए०सी०-डी०वी०टी० के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :—

1. बायोटेक्नालोजी के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पावधिक और दीर्घावधिक कार्यक्रमों को सरकार द्वारा समर्थन पर परामर्श देना।

2. एक तरफ शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास प्रणाली और दूसरी तरफ उद्योग के बीच सम्पर्कों के विकास के लिए सिफारिश करना।

3. बायोटेक्नालोजी पर आधारित उद्योगों पर वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक कार्यकलापों पर परामर्श देना।

4. देश की भावी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय टेक्नालोजी को अद्यतन करने और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़/आरंभ करने की दृष्टि से भारतीय बायोटेक्नालोजी उद्योग के प्रौद्योगिकीय स्तर का मूल्यांकन करना ।

5. बायोटेक्नालोजी विभाग द्वारा इसको सन्दर्भित किये गए किसी अन्य विषय पर परामर्श देना ।

दिल्ली वित्त निगम द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकृत किये गये ऋण

1523. **श्री कमल चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों की स्व-रोजगार योजना एक और दो के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम को भूतपूर्व सैनिकों से गत तीन वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) योजना/परियोजना-वार श्रेणीवार, अर्थात् अधिकारियों जूनियर कमीशन्ड आफिसरों/अन्य श्रेणियों को स्वीकृत/बांटे गये ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). भूतपूर्व सैनिकों के लिए "सेमफैक्स-I" और "सेमफैक्स-II" नामक दो स्व-रोजगार योजनाएं क्रमशः 1.4.1987 और 15.1.1988 से आरम्भ की गयी थीं । दिल्ली वित्तीय निगम द्वारा "सेमफैक्स-I" योजना के अन्तर्गत केवल दिल्ली के लिए ऋण मंजूर किए जाते हैं । "सेमफैक्स-II" योजना के अन्तर्गत ऋण अनुसूचित बैंकों द्वारा मंजूर किए जाते हैं । इन दोनों योजनाओं के आरम्भ होने से लेकर इनके अन्तर्गत दिल्ली में ऋणों के लिए भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या और सितम्बर, 1988 के अन्त तक मंजूर दिए गए ऋणों के ब्यौरे नीचे विवरण में दिए गए हैं ।

	सेमफैक्स-I	सेमफैक्स-II
प्राप्त आवेदन-पत्र		
(संख्या)	468	47
मंजूर किया गया ऋण		
(संख्या)	136	15
मियादी ऋण (लाख रुपये में)	368.69	लागू नहीं होता
आधार पूंजी ऋण (लाख रुपये में)	73.23	—
कुल ऋण	441.92	लागू नहीं होता
दिया गया ऋण		
मियादी ऋण (लाख रुपये में)	160.52	4.00
आधार पूंजी ऋण (लाख रुपये में)	32.09	—
कुल	192.61	4.00

योजना/परियोजना-वार एवं श्रेणी-वार ब्यौरे एकत्र नहीं किए जाते । इन्हें एकत्र करके सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

राकेट पुर्जों के उत्पादन के लिए फैक्टरी

1524. **प्रो०के०वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राकेट पुर्जों के उत्पादन के लिए केरल में एक फैक्टरी लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इसे कब तक चालू किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग). फिलहाल, अन्तरिक्ष विभाग का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, यह ज्ञात हुआ है कि केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (के०एस०आई०डी०सी०) केरल में उच्च टेक्नोलॉजी एयरोस्पेस यूनिट की स्थापना करने पर विचार कर रहा है।

केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे

1525. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे के बारे में 10 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2150 में उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1987 से 21 मई, 1988 की अवधि के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा देश के भीतर कितने दौरे किये गये; और

(ख) इन दौरों पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय मंत्री को कितना यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता का भुगतान किया गया ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है।

लक्षद्वीप में पर्यटन की संभावनाओं का आकलन

1526. **श्री पी०एम० सईद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में अब तक पर्यटन की संभावनाओं का आकलन तथा आवश्यक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान इस द्वीप में कितने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आये ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) द्वीप विकास प्राधिकरण की संचालन समिति द्वारा नियुक्त एक कार्य दल ने लक्षद्वीप में पर्यटन विकास का आकलन किया है।

(ख) लक्षद्वीप में पर्यटक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं—पर्यटक आवासीय इकाइयों का निर्माण, वायुद्यूत सेवा शुरू करना, जल क्रीड़ा सुविधाओं का सृजन, प्रवेश प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त बनाना, पैकेज टूअर्स का संवर्धन करना आदि।

(ग) प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1987-88 के दौरान 1922 स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक लक्षद्वीप की यात्रा पर आए।

एयर इंडिया के विमानों द्वारा समुद्र में इंधन तेल गिराना

1527. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के विमानों द्वारा समुद्र में ईंधन तेल गिराने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यट नमंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय पर्यटन विकास निगम के एकक खोलना

1528. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान मणिपुर और अन्य सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजधानियों में पर्यटक विकास निगम के एकक खोलने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक राज्य में इस समय भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों/गैस्ट हाउसों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या इन राज्यों के होटलों में कमरों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) वर्तमान योजनावधि के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अपने प्रचार अभियानों के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न पर्यटक स्थलों का संवर्धन करने के लिए कदम उठाए हैं और पूर्वोत्तर राज्य को पर्यटन आधार-संरचना का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग). सातवीं योजनावधि के दौरान पूर्वोत्तर तथा पड़ौसी राज्यों में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(घ) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्वीकृत होटल परियोजनाओं के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-I

संयुक्त उद्यम होटल

(i) ब्रहमपुत्र अशोक नाम का एक 50 कमरों की क्षमता वाला 3 सितारा होटल गुवाहाटी में चालू कर दिया गया है।

(ii) ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में एक बीस कमरों की क्षमता वाला 1/2 सितारा होटल निर्माणाधीन है।

संबंधित राज्य सरकारों/निगमों की तरफ से भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित एवं मार्केटिड होटल

(i) इम्फाल (मणिपुर) में होटल इम्फाल अशोक नामक 45 कमरों वाला एक 3 सितारा होटल।

(ii) शिलांग (मेघालय) में 41 कमरों वाला एक तीन सितारा पाईनवुड अशोक होटल।

(iii) एक 30 कमरों वाला जैफू अशोक होटल, कोहिमा (नागालैंड)।

अन्य परियोजनायें

(i) सिक्किम में पर्यटन के विकास के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने पश्चिम बंगाल परामर्शी निगम लि० के सहयोग से एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है।

(ii) नागालैंड और त्रिपुरा में पर्यटन के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारों हेतु एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है।

विवरण-2

क्रम सं०	स्थान	प्रस्तावित स्टार श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	कमरों की संख्या
1.	बंगाई गांव	2	1	22
2.	डिब्रुगढ़	3	1	60
3.	गुवाहाटी	2	1	18
		3	2	99
		4	1	40
4.	सिलीगुड़ी	3	1	64
5.	तिनसुखिया	3	1	50
6.	शिलांग	3	3	217
		4	1	26

महाराष्ट्र में 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1529. श्री प्रताप राव बी० भोसले : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र 20-सूत्री कार्यक्रम लागू करने वाले राज्यों में एक प्रमुख राज्य है; और

(ख) यदि हां, तो जून 1988 तक, मदवार प्रत्येक जिले में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। अप्रैल-सितम्बर, 1988 के दौरान दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र तीसरे दर्जे पर रहा।

(ख) महाराष्ट्र द्वारा अप्रैल-जून 1988 के दौरान सूत्रवार प्राप्त उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र में 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन

सूत्र सं०	मद	इकाई	लक्ष्य अप्रैल-जून'88	उपलब्धि अप्रैल-जून'88	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1क	ए०ग्रा०वि०का०	"000सं०	33.3	27.0	81
1ख	रा०ग्रा०रो०का०	—वही—	3713.0	1755.0	47
1ग	ग्रा०भू०रो०गा०का०	वही—	2940.0	3624.0	123
1घ	लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	3250	2767	85
5	फालतू जमीन का वितरण	एकड़	1200	4139	345
6.	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	संख्या	5	20	400
7	गांवों में पेय जल आपूर्ति	संख्या	220	776	353
8क	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	—वही—	प्रथम तिमाही में कोई लक्ष्य नहीं		
8ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	—वही—	—वही—		
8ग	उप केंद्र	—वही—	कार्यान्वयन नहीं किया गया।		
8घ	बाल प्रतिरक्षण	"000संख्या	212.0	262.4	124
9क	परिवार नियोजन नसबंदी	—वही—	75.0	95.1	108
9ख	नसबंदी के समतुल्य	—वही—	91.1	67.7	74
9ग	ए०बा०वि०सेवा खण्ड(संचयी)	संख्या	105	105	100
9घ	आंगनबाड़ी (संचयी)		14458	14458	100

1	2	3	4	5	6
11क	सहायता प्राप्त अ०जा० परिवार	—वही—	12636	5356	42
11ख	सहायता प्राप्त अ०ज०जा० परिवार	—वही—	12000	10006	83
14क	गृह स्थल आवंटित	—वही—	4200	शून्य	शून्य
14ख	निर्माण सहायता	—वही—	4200	6916	165
14ग	इंदिरा आवास योजना	-- वही—	2306	446	19
14घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मकान	—वही—	3570	779	22
14ङ	निम्न आय वर्ग को मकान	—वही—	3570	1635	46
15	गंदी बस्तियों का सुधार	'000सं०	63.0	89.9	143
15	वृक्षारोपण	लाख संख्या	80.0	64.7	81
18	उचित दर दुकानें	संख्या	80	49	61
19क	विद्युतीकृत गांव	—वही—	45	35	78
19ख	शक्ति चालित पम्प सेट	—वही—	10140	15808	156
19ग	सुधरे चूल्हे	—वही—	7000	5002	71
19घ	बायो गैस संयंत्र	—वही—	4500	11238	250

जापान और अमरीका के पश्चिम तट के लिए एअर इंडिया की उड़ानें

1530. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से आगे अमरीका के पश्चिम तट तक उड़ान के लिए एअर इंडिया का जापान से कोई अनुबंध है;

(ख) क्या जापान के लिए एअर इंडिया की उड़ानों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

1531. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट से कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हवाई अड्डे से खाड़ी देशों सहित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ करने की कोई दीर्घाविधि योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एझिमला स्थित नौसेना अकादमी

1532. **श्री के० कुन्हम्बु** :

श्री के० मोहनदास :

श्री टी० बशीर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एझिमला में नौसेना अकादमी की स्थापना के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना का कुल परिव्यय कितना है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) नौसेना अकादमी के लिए एक उपयुक्त डिजाइन चयन करने के लिए एक अखिल भारतीय वास्तुशिल्पीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। चुने हुए वास्तुकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के उत्तरदायी होंगे। उस स्थान (साइट) पर विज्ञान एवं जलीय (हाइड्रोलोजिकल) अध्ययन शुरू किए गए हैं और राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे आधारभूत सुविधाएं प्रदान करें। राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के आरम्भ होने की पुष्टि की है।

(ख) और (ग). परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् ही यह पता चलेगा कि परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी और कितनी अवधि के पश्चात् यह पूरी हो जाएगी। भारत सरकार ने परियोजना पर अब तक लगभग 95 लाख रुपए खर्च किए हैं। वर्ष 1988-89 के बजट में इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये रखे हुए हैं।

दिल्ली में बच्चों के प्रति अपराध

1533. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) अक्तूबर, 1988 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली के प्रतीक पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार ने बच्चों के प्रति ऐसे अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) निम्नलिखित पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों में अक्तूबर, 1988 माह में 51 मामले सूचित किए गए हैं—

1.	पुलिस स्टेशन, सराय रोहिल्ला	1
2.	पुलिस स्टेशन, तिमारपुर	1
3.	पुलिस स्टेशन, डाबरी	1
4.	पुलिस स्टेशन, दिल्ली कैंट	1
5.	पुलिस स्टेशन, हौज खास	1
6.	पुलिस स्टेशन, कालकाजी	2
7.	पुलिस स्टेशन, लाजपत नगर	1
8.	पुलिस स्टेशन, मालवीया नगर	1
9.	पुलिस स्टेशन, डिफैंस कालोनी	1
10.	पुलिस स्टेशन, प्रसाद नगर	2
11.	पुलिस स्टेशन, चांदनीमहल	1
12.	पुलिस स्टेशन, जामा मस्जिद	2
13.	पुलिस स्टेशन, कमला मार्केट	1
14.	पुलिस स्टेशन, देश बन्धु गुप्ता रोड़	1
15.	पुलिस स्टेशन, हौज काजी	1
16.	पुलिस स्टेशन, मुखर्जी नगर	1
17.	पुलिस स्टेशन, सरस्वती विहार	1

18.	पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी	9
19.	पुलिस स्टेशन, मंगोलपुरी	1
20.	पुलिस स्टेशन, किंग्सवे कैम्प	1
21.	पुलिस स्टेशन, नांगलोई	1
22.	पुलिस स्टेशन, पश्चिम विहार	2
23.	पुलिस स्टेशन, तिलक नगर	1
24.	पुलिस स्टेशन, मोती नगर	2
25.	पुलिस स्टेशन, गांधी नगर	4
26.	पुलिस स्टेशन, यमुना विहार	4
27.	पुलिस स्टेशन, भजनपुरा	2
28.	पुलिस स्टेशन, वैलकम,	1
29.	पुलिस स्टेशन, सीलमपुर	1
30.	पुलिस स्टेशन, कनाट प्लेस	1
31.	पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग	1

(ग) 26।

(घ) जब कभी ऐसे अपराध की सूचना दी जाती है तो अपराधियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है। अपने अपने क्षेत्रों में अपराध का पता लगाने के लिए कर्मचारी अधिक सतर्क रहते हैं।

लक्षद्वीप में समुद्री विमान सेवा प्रारंभ करना

1534. **श्री पी० एम० सईद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को चिकित्सा सहायता शीघ्र पहुंचाने हेतु लक्षद्वीप में समुद्री विमान सेवा प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). लक्षद्वीप में और इसके चारों ओर फ्लोट विमान शुरू करने की व्यवहार्यता पर विचार किया गया था लेकिन इस पर आगे जोर नहीं दिया गया क्योंकि इस समय बाजार में उपलब्ध फ्लोट विमान तकनीकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर अधिक विलम्ब शुल्क वसूल करना

1535. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर छुट्टियों के दौरान 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) 1988 और हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों की हड़ताल के दौरान सामान पर अधिक विलम्ब शुल्क लगाया गया;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब शुल्क की राशि कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का इस अधिक विलम्ब शुल्क में छूट देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विलम्ब शुल्क लगाने की मौजूदा निर्धारित पद्धति के अंतर्गत, जनसाधारण के लिए पहले से अधिसूचित की गई छुट्टियों के दौरान किसी विशेष छूट का प्रावधान नहीं है। विलम्ब शुल्क दरों में केवल ऐसी छुट्टियों में छूट दी जाती है जो छुट्टियों की सूचि में नहीं होती। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर न तो सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल की गई और न ही सूचीबद्ध छुट्टियों में अधिक विलम्ब शुल्क लगाया गया।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी निवेश के माध्यम से विकास दर में वृद्धि

[हिन्दी]

1536. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह मत है कि विदेशी निवेश के माध्यम से देश की विकास दर में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त विकास दर क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अब इस निवेश का बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी निवेश के माध्यम से विकास दर में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) संवृद्धि में निवेश योगदान देता है। यद्यपि आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए तथा विदेशी ऋण का भार उचित सीमाओं में अन्तर्विष्ट होने से विदेशी उधार तथा विदेशी निवेश पर हमारी निर्भरता बल्कि कम है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक सकल घरेलू उत्पादन में दीर्घावधि संवृद्धि दर लगभग 3,5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। छठी योजना के दौरान संवृद्धि दर में औसतन 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की

उपलब्धि हुई है। सातवीं योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पादन औसतन लगभग 5 प्रतिशत प्रति वर्ष होने की आशा है।

(ग) जी, नहीं। विदेशी निवेश के प्रति हमारी नीति निरन्तर चयनात्मक रहेगी।

(घ) विदेशी निवेश की वास्तविक धनराशि और उसका आठवीं योजना के दौरान संवृद्धि में योगदान अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की योजना

[अनुवाद]

1537. **श्री टी० बशीर :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

श्री एस० डी० सिंह :

श्री मोहन भाई पटेल :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान में प्रशिक्षित और सशस्त्र घुसपैठियों के जरिए जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की योजना की जानकारी है;

(ख) क्या यह मामला पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने सीमावर्ती राज्य में घुसपैठ और अशांति फैलाने वाले विद्रोही और साम्प्रदायिक ताकतों की गतिविधियां रोकने के लिए क्या उपाय किया है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सरकार को कश्मीरी युवकों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर और पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने में पाकिस्तान के हाथ होने की जानकारी है। इसका इरादा क्षेत्र में अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न करना है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) पाकिस्तान ने अपना हाथ होने की बात से इंकार किया है।

(घ) राज्य प्रशासन घुसपैठियों और तोड़फोड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है। केन्द्रीय सरकार राज्य में व्याप्त स्थिति पर निकट से निगरानी रख रही है और राज्य सरकार को आवश्यकतानुसार सहायता दे रही है।

वायुदूत से कीटनाशक दवाइयों का छिड़कना

1538. **श्री हरिहर सोरन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कीटनाशक दवाइयों के छिड़कने और बुवाई में वायुदूत सेवा का इस्तेमाल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान किन-किन राज्यों ने वायुदूत सेवाओं का इस्तेमाल किया; और

(ग) राज्यों ने बुवाई और कीटनशाक दवाइयां छिड़कने के लिए वायुदूत की सेवाएं प्राप्त करने पर कितनी धनराशि कम व्यय की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत वर्ष 1987-88 में वायुदूत सेवाओं का उपयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और हरियाणा द्वारा किया गया और खर्च की गई राशि इस प्रकार थी :

विमान से बुवाई	17,32,528 रुपये
विमान से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव	26,75,395 रुपये

दिल्ली में चोरी और डकैतियों के मामले

1539. **श्री शांतिलाल पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में चोरियों और डकैतियों के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) दिल्ली में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 1987 और 1988 (31.10.1988 तक) डकैती के 31 मामले और लूटमार के 358 मामले सूचित किए गए।

(ख) प्रत्येक पुलिस स्टेशन को प्रभागों में विभाजित किया गया है और प्रभाग अधिकारियों पर उत्तरदायित्व डाला गया है। पी०सी०आर० वाहन और मोटर साईकल गश्त में वृद्धि की गई है। अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारे जाते हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई गयी है। सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात की गयी हैं और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है।

साफ्ट वेयर सम्मेलन

1540. **श्री शांतिलाल पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यवसायी संघ ने अमरीका में प्रमुख कम्पनियों के बीच भारतीय साफ्ट वेयर की क्षमताओं और सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में इस संबंध में कोई सम्मेलन आयोजित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग). जी, नहीं। किन्तु इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा संयुक्त राज्य अमरीका स्थित भारतीय दूतावास संयुक्त राज्य अमरीका के दो स्थानों में "साफ्टवेयर इंडिया —1988" नामक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, इसमें से पहला दिनांक 21 तथा 22 नवम्बर, 1988 को सानजोस में तथा दूसरा 28 तथा 29 नवम्बर, 1988 को बोस्टन में आयोजित किया जाएगा। इसमें कई भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां भाग ले रही हैं।

पर्यटन परियोजना में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन

1541. **श्री शांतिलाल पटेल :**

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

श्री के० प्रधानी :

श्री जी०एस० वासवराजू :

श्री एच० वी० पाटिल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं, होटलों में पूंजी निवेश के लिए नई नीति/प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) क्या अनेक विदेशी होटल मालिकों ने इन प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए होटलों का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो नीति/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यह पर्यटन उद्योग के लिए कितना लाभप्रद सिद्ध होगा और इससे अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विदेशी होटल मालिकों को भारत में स्वयं होटल स्थापित करने की अनुमति नहीं है किन्तु वे भारतीय पार्टियों के सहयोग से भारत में होटलों की स्थापना कर सकते हैं।

पर्यटन उद्योग के लिए घोषित किए गए प्रमुख प्रोत्साहन आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० और 80 सीसी के लाभ हैं। इसके अलावा, एक से तीन स्टार श्रेणी के होटलों के संबंध में ब्याज सहायता की दर को 1% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है और वित्तीय संस्थानों को विदेशी मुद्रा आय से जुड़ी ब्याज में छूट संबंधी स्कीम होटलों को भी उपलब्ध कराई गई है। इन प्रोत्साहनों से देश के लिए विदेशी मुद्रा आय में ठोस वृद्धि होने की संभावना है।

राजस्थान को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

1542. **श्री शान्ति धारीवाल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बनाने के लिए, एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग को राजस्थान सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुआवजे की राशि में वृद्धि

[अनुवाद]

1543. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को देने वाले मुआवजे की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). यात्री की मृत्यु या घायल होने की स्थिति में वाहक का दायित्व 1955 के हेग प्रोटोकोल द्वारा यथा-संशोधित वारसा कनवेंशन, 1929 जैसे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज द्वारा नियंत्रित होता है। विमान वहन अधिनियम इन दोनों कनवेंशनों पर आधारित हैं। अंतर्राष्ट्रीय वहन के लिए वित्तीय सीमा का दायित्व 250,000 फ्रांक तक निर्धारित किया गया है। 1980 में अंतर्देशीय वाहक के लिए इसे एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। दायित्व की सीमा में कोई भी वृद्धि सभी वाहकों, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों पर लागू होगा और इसलिए यह वाहक की उस दायित्व को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर होगा।

दिल्ली में आतंकवादियों के हमले

1544. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा हमले की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गए;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले अचानक हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 48।

(ख) 32 मामलों में 99 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

साम्प्रदायिक घटनायें

1545. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जुलाई-सितम्बर, 1988 की तिमाही के दौरान, प्रत्येक राज्य में कितनी साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं;

(ख) बड़ी घटनाओं का, उनकी अवधि, उनमें मारे गये लोगों की संख्या और नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्ति के मूल्य सहित, संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1988 के दौरान साम्प्रदायिक स्थिति में और बिगाड़ नजर आया है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न सेनाओं सहित युद्धप्रिय संगठनों पर तथा उनके सदस्यों द्वारा घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) देश के प्रत्येक राज्य में विभिन्न युद्धप्रिय, उग्रवादी व हिंसक संगठनों के पनपने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) साम्प्रदायिक घटनाओं से संबद्ध ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) मुख्य साम्प्रदायिक घटनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अन्तर्गत साम्प्रदायिक अथवा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में ग्रस्त किसी संगठन/एसोसिएशन पर रोक लगाने के पर्याप्त उपबंध पहले ही विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 अनेक उपबंध हैं। इसी प्रकार किसी संगठन के सदस्यों द्वारा घातक हथियार ले जाए जाने से भारतीय दंड संहिता/अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का प्रयोग कर निपटा जा सकता है।

(ङ) वामपंथी उग्रवादी, जो सी०पी०आई० (एम०एल०) के नाम से भी जाने जाते हैं, बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश में सक्रिय हैं। वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के भागों में कार्यरत हैं।

विवरण-I

उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जुलाई-सितम्बर, 1988 के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	जुलाई-सितम्बर, 1988 के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	असम	3
3.	बिहार	14
4.	गुजरात	15
5.	हरियाणा	1
6.	जम्मू और कश्मीर	2
7.	कर्नाटक	7
8.	केरल	2
9.	मध्य प्रदेश	9
10.	महाराष्ट्र	10
11.	राजस्थान	2
12.	तमिलनाडु	1
13.	त्रिपुरा	1
14.	उत्तर प्रदेश	22
15.	पश्चिम बंगाल	5
	जोड़	102

विवरण-2

जनवरी से अक्तूबर, 1988 के दौरान देश में हुए मुख्य साम्प्रदायिक दंगों के ब्यौरे

स्थान और दिनांक	व्यक्तियों की संख्या		सम्पत्ति का नुकसान (रुपए लाखों में)
	मारे गए	घायल हुए	
महाराष्ट्र			
1. औरंगाबाद (17.5.1988)	11	178	29.55
2. पेठान (19.5.1988)	7	11	6.85
3. बिडकिन (19.5.1988)	5	24	7.87
पश्चिम बंगाल			
बहरामपुर (24.6.1988) जिला-मुर्शीदाबाद	14	39	0.06
कर्नाटक			
बिदर (14-15.9.1988)	6	62	50.00
उत्तर प्रदेश			
1. अलीगढ़ (6-13.10.1988)	5	52	उपलब्ध नहीं
2. मुज्जफर नगर (6-13.10.1988)	24	80	उपलब्ध नहीं
3. खतौली (6-13.10.1988)	2	12	उपलब्ध नहीं
4. फैजाबाद (21-24.10.1988)	5	10	उपलब्ध नहीं

बूढ़े लोगों के संबंध में अंतर-मंत्रालयीय समिति

1546. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूढ़े लोगों की समस्याओं संबंधी अंतर-मंत्रालयीय समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा उठाए गए संभावित कदमों की अपेक्षित जानकारी एकत्र की है, ताकि एक राष्ट्रीय नीति और कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या मुख्य जानकारी एकत्र की गई हैं; और

(ग) बूढ़े लोगों के लिए तय की जाने वाली राष्ट्रीय नीति और कार्यवाही कार्यक्रम की रूप-रेखा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) ऐसी कोई राष्ट्रीय नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है।

महिलाओं के प्रति अपराध

1547. **डा० ए०के० पटेल :**

श्री जी०एस० बासवराजू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध के कितने मामले दर्ज किये गए;

(ग) उनमें से कितने मामलों की जांच की गई है;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया; और

(ङ) महिलाओं के प्रति अपराधों में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु क्या उपाय किये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान। दहेज के कारण हुई मौतों, महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ और अभद्र व्यवहार स्त्रीधन का दुरुपयोग शीर्ष के अंतर्गत आंकड़ों में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ङ) निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

(i) दहेज निषेध अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है और अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था की गई है।

(ii) भारतीय दण्ड संहिता में एक नयी धारा जोड़कर महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा उत्पीड़न और निर्दयता के अपराध को संज्ञेय अपराध बनाया गया है।

(iii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई धाराएं 113-क और 113-ख जोड़ी गई हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा यह अनुमान लगाये जाने की व्यवस्था है कि विवाहित महिला को आत्महत्या/दहेज के कारण मृत्यु के लिए अवप्रेरित किया गया है।

(iv) दिल्ली प्रशासन ने आपदग्रस्त महिलाओं के लिए अल्पावधि तक ठहरने के लिये आवास गृह स्थापित किए हैं।

(v) मृत्युपूर्व बयान लेने के लिए विशेष मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया है।

(vi) दहेज की बुराई के बारे में जनता को जनसंपर्क माध्यमों द्वारा अवगत कराया जाता है।

(vii) दहेज के कारण मृत्यु के मामलों में दो शल्य चिकित्सकों द्वारा शव परीक्षा कराये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(viii) महिलाओं के प्रति अपराध के लिए महिला पुलिस-उपायुक्त के पर्यवेक्षण में एक विशेष कक्ष गठित किया गया है।

विवरण

	सूचित किये गये मामले 15.10.1988	वे मामले जिनमें चालान किया गया	गिरफ्तार किए गये व्यक्ति	दोष सिद्ध व्यक्ति
बलात्कार	91	41	137	—
दहेज मामले	238	79	184	—
पति अथवा ससुराल वालों द्वारा क्रूरता	288	121	460	—
दहेज के कारण हुई मौतें	78	35	155	—
महिलाओं से छेड़छाड़	2426	2424	3768	3632
महिलाओं से अभद्र व्यवहार	102	50	119	—
दहेज निषेध अधिनियम	9	3	10	—

विमान से छिड़काव

1548. **श्री के० राममूर्ति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 लाख एकड़ भूमि पर विमान से छिड़काव करने के नियोजित कार्य में से शेष 2.41 लाख एकड़ भूमि पर छिड़काव करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1,72,000 एकड़ भूमि पर विमान से बीज छिड़कने के लक्ष्य को वर्ष 1987-88 में प्राप्त कर लिया गया था; और

(ग) वर्ष 1988 में अब तक कितनी भूमि पर विमान से बीज छिड़के गए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पटिल) : (क) यद्यपि वास्तव में किये गए हवाई छिड़काव की सीमा का निर्धारण, कीट/महामारी की घटनाओं के आधार पर, राज्य सरकारों; संघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा वास्तव में अवार्ड किये गए कार्य पर निर्भर करेगा, तथापि हवाई छिड़काव में सुधार करने के लिये एक नार्कोटिंग नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

(ख) 1987-88 के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में 77,839 एकड़ से अधिक भूमि पर विमान से बीज का छिड़काव किया गया था जबकि इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) केवल मध्य प्रदेश राज्य में 37,341 एकड़ भूमि पर।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रशिक्षित गिरोह

1549. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर घाटी में तोड़-फोड़ करने वाली ताकतों के पाकिस्तान प्रशिक्षित गिरोह का पता लगाया गया है तथा उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यदि हां, तो उन में से कितने लोग गिरफ्तार किये गए हैं;

(ख) क्या उनसे कोई हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है तथा जब्त किया गया है, यदि हां, तो किस प्रकार के हथियार और गोला-बारूद जब्त किए गए हैं तथा बरामद किये गये हैं; और

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों ने यह बात मान ली है कि उन्होंने पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा वे भारत में अस्थिरता पैदा करने वाले थे ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 80 व्यक्तियों को पकड़ा गया है।

(ख) भारी मात्रा में कारतूसों सहित कैलाशनिकोव राइफलें, डिटोनेटर सहित प्लास्टिक विस्फोटक पदार्थ, फ्यूज वायर तथा समयबद्ध (टाईम्बड) विस्फोटक पदार्थ बरामद किए हैं।

(ग) जांच पड़ताल और पूछताछ से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तात के अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था तथा इसका इरादा क्षेत्र में अव्यवस्था तथा अस्थिरता पैदा करना था।

कोचीन नगर की विकास संबंधी परियोजना रिपोर्ट

1550. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र राज्य दल ने कोचीन नगर और इसके निकटवर्ती द्वीप समूह के विकास के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो दल की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) परियोजना के लिए दी जाने वाली धनराशि में केन्द्र और राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई कोचीन और समीपवर्ती द्वीपसमूहों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र राज्य टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) टीम की महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6767/88]**

(ग) केन्द्र राज्य टीम द्वारा सिफारिश किए अनुसार कोचीन और समीपवर्ती दीपसमूहों के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक धनराशियों की कुल आवश्यकता के तथा

इन धनराशियों को केन्द्र और राज्य सरकार के बीच बांटने और अन्य स्रोतों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

(करोड़ रु०)

		सातवीं पंचवर्षीय योजना (1988-90)	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95)	जोड़
1.	अपेक्षित कुल निधियां	205.95	308 88	514.83
2.	केन्द्र सरकार का हिस्सा	117.68	144.91	262.59
3.	केरल राज्य सरकार का हिस्सा	56.84	85.64	142.48
4.	अन्य स्रोत (वित्तीय संस्थागत सहित)	9 95	57.63	67.58
5.	1995 (आठवीं योजना की समाप्ति) अदृष्ट मांग		42.18	42.18

केरल राज्य सरकार द्वारा उक्त मद 4 और 5 के अधीन दर्शायी गई समस्त राशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

तमिलनाडु में वन्नियारों की समस्या

1551. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में वन्नियारों की समस्या को समाधान करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : तमिलनाडु की राज्य सरकार को वन्नियारों की समस्या की जानकारी है । राज्य सरकार द्वारा सभी समाहर्ताओं/पुलिस अधीक्षकों को स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं । सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकार ने भी वन्नियार तथा आदि द्रविड़ समुदायों के नेताओं की बैठक बुलाई है तथा आचार संहिता तैयार की है । दोनों समुदायों के नेताओं द्वारा मेलमिलाप तथा संयम बरतने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई योजना पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं ।

बोइंग विमानों की उड़ान के घंटे

1552. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

श्री तम्पन थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के विमानों द्वारा प्रतिदिन और प्रतिवर्ष औसतन कितने घंटे उड़ान भरी जाती है ;

(ख) बोइंग-737 विमानों की प्रतिवर्ष कितने घंटे उड़ान भरने की क्षमता है; और

(ग) उड़ान के घंटे कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1987-88 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में विमान के प्रतिदिन और प्रतिवर्ष औसतन उड़ान घंटे इस प्रकार हैं :—

विमान	दैनिक औसत	वार्षिक औसत
एयरबस ए-300	7.40	2872
बोइंग-737	8.45	3185
एफ-27	4.20	1573
एचएस-748	6.35	2416

(ख) बोइंग 737 विमान के निर्माताओं ने उड़ान घंटों में तब तक कोई प्रतिबंध नहीं रखा है जब तक कि निर्धारित रख रखाव संबंधी जांच होती रहे।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने हाल में विलंब कम करने की दृष्टि से बोइंग 737 विमान का उपयोग कम किया है ताकि उसके रख-रखाव के लिये अधिक समय दिया जा सके।

कन्या शिशु हत्या

1553. **डॉ० वी० एल० शैलेश** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और देश के अन्य भागों में कन्या शिशु हत्या की प्रवृत्ति प्रचलित है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में शराब और नशीली औषधों की लत की समस्या

1554. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब और नशीली औषधों की लत की समस्या के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). छात्र समूहों, औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में किए गए अध्ययन और स्थानीय स्तर पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में व्यसनियों के लिए चेतना निर्माण, परामर्श और मार्गदर्शन निर्व्यसन और पुनर्वास सहित विभिन्न कल्याण उपाय शुरू किए गए हैं।

भारत और सोवियत संघ के बीच पर्यटन

1555. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**

श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पर्यटक सोवियत संघ से भारत आए और कितने भारत से सोवियत संघ गए;

(ख) क्या होटल और विमान क्षमता के अभाव के कारण भारत और सोवियत संघ के बीच पर्यटन प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन दो देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ से भारत की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
1985	14,202
1986	17,069
1987	27,968

सोवियत संघ सहित विभिन्न देशों को यात्रा पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों के आंकड़े संकलित नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि पर्यटक आगमनों की बढ़ती हुई संख्या से स्पष्ट है कि भारत में मौजूदा होटल और विमान क्षमता ने सोवियत संघ से भारत आने वाले पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

(ग) सोवियत संघ में आयोजित भारत महोत्सव एवं भारत में आयोजित सोवियत महोत्सव से अपेक्षा है कि ये दोनों देशों के बीच पर्यटक यातायात को पर्याप्त बढ़ावा देंगे। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच पर्यटन संबंध को सुदृढ़ करने के लिए सोवियत संघ, और भारत पर्यटन संगोष्ठियां आयोजित की गईं। प्रचार सामग्री का उत्पादन एवं रूसी भाषा में गाइड का प्रशिक्षण तथा सोवियत संघ में भारतीय रेस्तराओं की स्थापना ताकि भारतीय भोजन वहां लोकप्रिय हो सके जैसे किए गये कुछ उपायों से सोवियत संघ और भारत के बीच पर्यटक यातायात में वृद्धि होगी।

भिक्षावृत्ति निवारण संबंधी व्यापक कानून

1556. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**

श्रीमती माधुरी सिंह :

श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों के लिए भिक्षावृत्ति निवारण हेतु एक व्यापक कानून तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे पूरे देश में भिक्षावृत्ति किस सीमा तक समाप्त हो जाएगी ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). प्रस्तावित कानून का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति की समस्या से निपटने के लिए एक रूपीय कानूनी ढांचा प्रदान करना है।

(ग) इस स्तर पर प्रश्न नही उठता।

इम्फाल हवाई अड्डे का विकास

1557. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल हवाई अड्डे का सुधार करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं;

(ख) वर्तमान योजना के अन्तर्गत उठाये गये कदमों के साथ नये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक लागू किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). धावनपथ और टैक्सीपथ के सुदृढ़ीकरण करने का कार्य पूरा हो चुका है। विमान परिचालन की सुरक्षा में सुधार करने के लिए उपकरण अवतरण प्रणाली की भी स्थापना की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत विमान सेवाओं में सुधार लाना

1558. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई अनेक विमान दुर्घटनाओं से वायुदूत द्वारा अपने नेट वर्क, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालन करने के लिए वायुदूत की क्षमता पर भारी धक्का पहुंचा है;

(ख) वायुदूत के पास इस समय विभिन्न प्रकार के कितने विमान हैं और इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कितने चलाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दिनांक 19.10.1988 को एक एफ-27 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप, वायुदूत को कमालपुर और कैलाशहर के लिए अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी।

(ख) इस समय वायुदूत के बेड़े में निम्नलिखित विमान सम्मिलित हैं—

डोर्नियर-228	—	10
एफ-27	—	03
एच०एल०-748	—	05

(ग) वायुदूत द्वारा अपने प्रचालनों के मौजूदा स्तर को बनाए रखने और प्रस्तावित विस्तार योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में पर्यटन क्षेत्रों का विकास

1559. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कुछ पर्यटन क्षेत्रों को विकास के लिए चुना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा देशी तथा विदेशों पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में निम्नलिखित यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं—

1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क-धौली-रत्नगिरि-ललितगिरि--उदयगिरि-भद्रक-चांदीपुर-खिचिंग-जोशीपुर (सिमलोपाल)।

2. भुवनेश्वर-चिल्का झील-गोपालपुर समुद्रतट-तप्तपानो-कोरापुट-बोलनगीर-झरसुगुदा-अंगुल-टिकरपाड़ा-तलचेर।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं—आधार-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता, ब्रोशरों, फोल्डरों और पोस्टरों का प्रकाशन, फिल्मों का निर्माण आदि।

चिल्का झील पर तैरता होटल

1560. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा में चिल्का झील पर तैरते होटल के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह तैरता होटल कब तक तैयार हो जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के कारण प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब समझौते का कार्यान्वयन

1561. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब समझौता लागू करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : समझौता ज्ञापन की 11 मदों में से 8 मदों को लागू कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों का फ्रांस में प्रशिक्षण

1562. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों को फ्रांस में एयरबस ए-320 विमानों का प्रचालन प्रशिक्षण देना तय किया गया था;

(ख) क्या विमान चालकों ने प्रशिक्षण के लिए जाने से इंकार कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 19 एयरबस ए-320 विमान प्राप्त करने के लिए किए गए खरीद करार के अनुसार, विमान के विनिर्माता मैसर्स एयरबस इन्डस्ट्री, इंडियन एयरलाइन्स के 152 पाइलटों को एरोफारमेशन, फ्रांस के पास प्रशिक्षित करेंगे। अनुदेशकों और पाइलटों के लिए प्रशिक्षण क्रमश: फरवरी, 1989 और अप्रैल 1989 से शुरू होगा। अभी तक किसी भी पाइलट को ए-320 प्रशिक्षण के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुलंदशहर में पोलियो के टीके बनाने की फैक्टरी स्थापित करना

1563. **श्री आर०एम० भोये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में पोलियो का टीका बनाने की एक फैक्ट्री की स्थापना पर परस्पर सहमति व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस फैक्टरी की क्षमता क्या होगी तथा समझौते के नियम और शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी हां। सोवियत संघ के प्रौद्योगिकी परामर्शदायी सहयोग के साथ उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर में वैक्सीनों में अनुसंधान एवं विकास तथा ओरल पोलियो वैक्सीन (ओ०पी०वी०) के निर्माण के लिए अनुसंधान तथा विकास-सह-उत्पादन इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित इकाई में प्रति वर्ष ओ०पी०वी० की 100 मिलियन खुराकों की उत्पादन क्षमता रखने का विचार किया जा रहा है। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी परामर्शदायी सहयोग, भारत और सोवियत संघ के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग के एकीकृत दीर्घावधिक कार्यक्रम के

अंतर्गत, जिस पर प्रधान मंत्री तथा सोवियत संघ के महासचिव द्वारा जुलाई 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे, निम्नलिखित क्षेत्रों में होगा—

1. मूल वैज्ञानिक जानकारी में परामर्श,
2. बीज जीवाणुओं की आपूर्ति,
3. कार्मिक का प्रशिक्षण,
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रमाणन का नियत्रण, तथा
5. प्रारंभिक चरणों में निरूपण के लिए सांद्रित की बहु-मात्रा (बल्क संन्सेंट्रेट) का अन्तरण।

दीमापुर-मोरेह और सिल्चर-इम्फाल राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार

1564. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीमापुर-मोरेह और सिल्चर-इम्फाल राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या मणिपुर स्थित वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से रक्षोपाय करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). इस संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) (i) **दीमापुर-मोरेह राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-39)**

दीमापुर-मोरेह राजमार्ग की लम्बाई 323 किलोमीटर है, जिसमें से 129 किलोमीटर (दीमापुर-मोरेह) सीमा सड़क संगठन के रखरखाव में है और 194 किलोमीटर (मोरम-मोरेह) मणिपुर लोक निर्माण विभाग के रखरखाव में हैं।

जहां तक सीमा सड़क संगठन के अधीन के भाग के रखरखाव का संबंध है, यह सड़क दुहरे-पथ (लेन) राष्ट्रीय राजमार्ग के विनिर्देशन के अनुसार है और इस सड़क को और चौड़ा करने के बारे में कोई विचार नहीं है। फिर भी जहां तक मणिपुर लोक निर्माण विभाग के अधीन के भाग, जो कि मध्यम चौड़ाई वाली लेन है, रख-रखाव का संबंध है उसको चरणबद्ध रूप से दुहरे-पथ वाली चौड़ाई में चौड़ा किया जा रहा है।

उपर्युक्त राजमार्ग के लिए किए गए/किए जाने वाले अन्य सुधारात्मक कार्यों का संबंध खड़ंजों को मजबूत करने पुलों/पुलियाओं का निर्माण एवं फिसलन से बचाव के कार्यों से है।

(ii) **सिल्चर-इम्फाल राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-53)**

इस राजमार्ग (सिल्चर-इम्फाल) की लम्बाई 267 किलोमीटर है और समस्त सड़क, सीमा सड़क संगठन के रख-रखाव में है।

इस राजमार्ग पर किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों के स्वरूप का संबंध, सड़क के विस्तार को चौड़ा करके एकहरी-लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग के विनिर्देशन के अनुसार बनाना, खड़ंजों को मजबूत करना, पुलों/पुलियाओं का निर्माण और फिसलन से बचाव के कार्यों से है।

(ख) दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को, फिसलन-ढालूदार क्षेत्रों में, भू-स्खलन से बचाने की आवश्यकता है। लेकिन यातायात की वर्तमान/तैयार की गई तीव्रता को देखते हुए इनमें से केवल एक (दीमापुर-मोरेह राजमार्ग) मार्ग को, हिस्सों में चौड़ा करने की आवश्यकता है।

(ग) (i) चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-39 को मध्यम लेन से चौड़ा करके दुहरी-लेन में बदलने के कार्य, और

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग-39 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-53—दोनों के लिए "जहां आवश्यकता हो" के आधार पर भू-स्खलन के बचाव एवं सड़क को साफ करने के कार्य।

कृषि क्षेत्र के लिए संसाधनों का आवंटन

1565. **श्री के० राममूर्ति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए संकेत के अनुसार कृषि क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए संसाधन आवंटन प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, या उठाए जाने क विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख). पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि संबंधी क्षेत्रक महत्वपूर्ण आवंटन प्राप्त कर रहे हैं जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कृषि संबंधी क्षेत्रक के लिए परिव्यय प्रथम पंचवर्षीय योजना में 238.4 करोड़ रुपए से बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना 10573.62 करोड़ रुपए हो गया है। आठवीं योजना में कृषीय क्षेत्रक को पर्याप्त महत्व दिया जाएगा जिसकी आयोजना संसाधनों के उच्चतर आवंटनों वाले 15 कृषि जलवायु के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीति तथा संसाधन आवंटन का विवरण उपगमन पत्र तथा प्रारूप आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, में दिया जाएगा।

वीसा नियमों को उदार बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच संधि वार्ता

1566. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीसा नियमों तथा प्रक्रियाओं को उदार बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच कोई संधि वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1987 तथा वर्ष 1988 में अब तक प्रत्येक महीने में भारत द्वारा कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीसा जारी किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). 1974 के भारत-पाकिस्तान वीसा समझौते के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच अधिकारी स्तर की बैठकें हुई हैं किन्तु अब तक कोई नए फैसले नहीं किए गए हैं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

	1987	1988
जनवरी	9453	11038
फरवरी	10340	13950
मार्च	15826	12469
अप्रैल	10792	8089
मई	10736	10506
जून	9353	13705
जुलाई	9270	11717
अगस्त	7385	11865
सितम्बर	9428	12331
अक्तूबर	12061	9456
नवम्बर	10142	
दिसम्बर	11021	

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुर्नगठन

1567. **श्री गुरुदास कामत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुर्नगठन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नए प्रस्ताव से कितने प्रतिशत अधिसंख्या को लाभ होगा; और

(घ) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (घ). आयोजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब और जहां आवश्यक हो, सहित गरीबी उन्मूलन, असमानता दूर करना, स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के ढांचे में तीव्र साम्प्रदायिक मैत्री के क्रम में, पूर्ण अर्थव्यवस्था की पुर्नसंरचना करना है। ब्यौरे वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिए गए हैं।

माइक्रॉन प्रौद्योगिकी का आयात

1568. **श्री मोहम्मद अहफूज अली खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा में लगभग 60 करोड़ रुपए की धनराशि की लागत वाले 1.5 माइक्रॉन प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित आयात से स्वदेशी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) यदि नहीं, तो आयात करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ). यह मामला अभी भी विचाराधीन है; इस आयात से भारतीय प्रौद्योगिकी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12.00 मध्यान्ह

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : भारत सरकार को···*···के खिलाफ एक जांच आयोग नियुक्त करना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मुख्य मंत्री के आधार पर चर्चा की अनुमति नही दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ये सारी बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। कुछ मुद्दे हो सकते हैं किंतु आप को मालूम होना चाहिए कि मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। क्या मैं नियमों का उल्लंघन कर सकता हूं ? क्या मुझे आपके कहने पर ऐसा करना चाहिए ? आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। आप यह मुझे भी दे सकते हैं। मैं इसे आगे भेज दूंगा। यह गृह मंत्रालय

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और भारत सरकार या जो भी सम्बन्धित है उसको करना है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : आपको सहयोग देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यहां सहयोग का कोई सवाल ही नहीं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हमने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करने के लिए मूल प्रस्ताव की सूचना दी है। उन्होंने लोक आयुक्त नियुक्त करने की अनुमति देने से इन्कार किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख लूंगा।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारी एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांगें गत दो वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : हमने···*···द्वारा अवैध रूप से भवन निर्माण के सम्बन्ध में और इस भवन को व्यापारिक काम्पलेक्स के रूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ दीजिए। मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रतिदिन बहुत गम्भीर रिपोर्ट आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है। आप मुझे कुछ दीजिए। मैं देख लूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने मुझे बोफोर्स दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनका उल्लेख किया है। पहले ब्यौरा प्राप्त करूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : हमने जो प्रस्ताव किया था उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.03 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्ष 1985-86 का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन और उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डॉ० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्ष 1985-86 के आठवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 6733/88]

क्षेत्रीय संगणक केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1987-88 और सेन्टर फार इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नालॉजी, इम्फाल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) क्षेत्रीय संगणक केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो क्षेत्रीय संगणक केन्द्र, चण्डीगढ़ के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 6734/88]

(2) (एक) सेन्टर फार इलेक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नालॉजी, इम्फाल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलेक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नालॉजी, इम्फाल के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6735/88]

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1988, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1988, जो 23 जुलाई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 590 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पंचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6736/88]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1988, जो 26 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 186 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय, औद्योगिक सुरक्षा बल (तीसरा संशोधन) नियम, 1988 जो 21 मई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 402 में प्रकाशित हुए थे।

[पंचालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 6737/88]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षार्थी की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1988, जो 13 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 639 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षार्थी अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1988, जो 13 अगस्त, 1988 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 638 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षार्थी अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1988 जो 13 अगस्त 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 640 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1988 जो 20 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 657 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1988 जो, 3 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 697 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1988, जो 3 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 696 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1988, जो 24 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 744 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1988, जो 24 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 745 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन नियम, 1988, जो 17 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 729 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय वन सेवा (काडर) संशोधन, नियम 1988, जो 4 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1062 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[पंचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6738/88]

(4) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1988, जो 11 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1000 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (श्रेणी "क" के पद) भर्ती नियम, 1988 जो, 27 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1036 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[पंचालन में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 6739/88]

(5) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (पशु परिवहन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1988, जो 4 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 440 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस सब-इन्सपेक्टर (लेखा-परीक्षक) भर्ती नियम, 1988 जो 2 जुलाई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 533 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1988, जो 8 अक्तूबर 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 783 में प्रकाशित हुए थे।

[पंचालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6740/88]

किशोर न्याय (दिल्ली) नियम, 1987 और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण और अण्डमान तथा निकोबार किशोर न्याय नियम, 1988

[हिन्दी]

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 62 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) किशोर न्याय (दिल्ली) नियम, 1987, जो 17 नवम्बर, 1987 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 43 (1)/87/1 सी०डब्लू यू०डी०एस० डब्ल्यू में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अण्डमान तथा निकोबार किशोर न्याय नियम, 1988, जो 15 अप्रैल 1988 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में अधिसूचना संख्या 9/88 एफ० संख्या 48/-(8)/87-टी०डब्ल्यू० में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त पद 1 की अधिसूचना (एक) को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6741/88]

12.04 म०प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :
"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 नवम्बर, 1988 को हुई अपनी बैठक में पारित भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1988 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

भाण्डागारण निगम संशोधन विधेयक, 1988

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1988, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, को सभा पटल पर रखता हूं।

12.05 म०प०

वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन के बारे में वक्तव्य

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन के बारे में भावी नीति पर एक वक्तव्य देने जा रहा हूं।

सरकार की नीति सदैव यह सुनिश्चित करने की रही है कि सारे देश में वनस्पति उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। दुर्भाग्य से पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चल रही सूखे की स्थिति के कारण सरकार ने भारी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात का सहारा लिया जिसमें से समय समय पर कुछ मात्रा वनस्पति उद्योग को भिन्न-भिन्न प्रतिशत में निर्मुक्त की गई, परन्तु बड़ा भाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए, आवंटित किया गया।

इस समय वनस्पति उद्योग के शत-प्रतिशत देशीय तेल इस्तेमाल करने की अनुमति है, और उसके बदले उन्हें 40 प्रतिशत आयातित खाद्य तेल 15000/-रु० प्रति मी०टन की सामान्य दर पर और 10000/-रु० प्रति मी०टन की वाणिज्यिक दर से, जिसमें कि बिक्री कर तथा सड़क भाड़ा प्रभार आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है, आवंटित किए जाते हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, कि वनस्पति, जो कि एक आवश्यक वस्तु है, सारे देश में समान उपभोक्ता मूल्यों पर मिल सके, जो इस समय 15 कि०ग्रा० के हर टीन के लिए 350/-रु० (स्थानीय करों को छोड़कर) है। जहां तक वनस्पति उद्योग द्वारा देशीय तेलों के इस्तेमाल का संबंध है, उत्पादकों पर एक्सपेलर मूंगफली तथा सरसों के तेल जैसे पारम्परिक तेलों का इस्तेमाल करने की रोक है, ताकि ये तेल सीधी खपत के लिए आसानी से मिल सकें, परन्तु उन्हें गैर-पारम्परिक तेलों तथा वृक्ष और वन मूल के अप्रवान• तेलों का अधिक-से-अधिक इस्तेमाल करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया जाता रहा है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि इस वर्ष देश भर में तिलहनों की प्रत्याशित भरपूर फसल की वजह से सरकार ने वनस्पति उद्योग को आयातित तेलों का आवंटन करने की मौजूदा नीति की पुनरीक्षा की है। यह पुनरीक्षा किसानों को अपने उत्पाद के लिए आकर्षक मूल्य दिलाने तथा आयातित तेलों पर निर्भरता कम करके कीमती विदेशी मुद्रा बचाने के दोहरे उद्देश्य से की गई है। सरकार ने अब वनस्पति उद्योग को आयातित तेल 19000/-रु० प्रति मी० टन की खुली बाजार दरों (ओपन विडो रेट), अर्थात भाड़े, बिक्री कर, आदि की कोई प्रतिपूर्ति किए बिना, आवंटित करने का निर्णय किया है। यह नई नीति 1 दिसम्बर, 1988 से प्रभावी होगी।

वनस्पति उद्योग को अधिक तेल मिल सकें इस दृष्टि से वनस्पति तैयार करने में विलायक निष्कर्षित मूंगफली और तिल के तेल का उपयोग करने की भी अनुमति दे दी गई है। इससे न केवल मूंगफली और तिल की खली निकालने में तेजी आएगी, बल्कि खली और तिलहनों के लिए बेहतर मूल्य भी मिल सकेंगे जिसके फलस्वरूप किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। भण्डारण नियंत्रण आदेश 1985 में संशोधन करके सीमाओं में वृद्धि की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से भी अनुरोध किया गया है कि वे तिलहनों की खरीद पर ऋण सीमाओं में छूट दें, ताकि किसानों को और अधिक लाभ मिल सके।

[श्री सुख राम]

सरकार खाद्य तेलों और वनस्पति के मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखती रहेगी, ताकि जब भी जरूरत पड़े आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

---

12 08 म०प०

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने हेतु अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने हेतु अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बेलगाम से गोवा, बम्बई और बंगलौर के लिए बोइंग विमान सेवाएं आरम्भ की जाना

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : बेलगाम उत्तर कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। यहां औद्योगिक प्रगति हुई है। अल्युमीनियम कारखाने तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्योगों से सम्बद्ध तथा सहायक उद्योगों को सहायता मिली है। वहां सहकारी सोसाइटी के अन्तर्गत चीनी के आठ कारखाने और कताई के चार कारखाने हैं। तथा वहीं निजी कताई कारखाने भी हैं। वहां कपास और गन्ने का तथा तम्बाकू का भारी उत्पादन होता है।

बेलगाम जिला महाराष्ट्र और गोआ राज्यों से मिलता है। बम्बई, बंगलौर और गोआ के लिए विमान यातायात बढ़ गया है। अतः बेलगाम से गोआ, बंबई और बंगलौर के लिए बोइंग सेवा आरंभ करना आवश्यक बन गया है। इससे बेलगाम जिले की प्रगति में अत्यन्त सहायता मिलेगी। इस संदर्भ में बेलगाम हवाई अड्डे के 'रनवे' का पुनर्निर्माण करना भी बहुत आवश्यक है।

(दो) एल्युमिनियम फास्फाइड और ई०डी०वी० एम्प्यूल्स का दुरुपयोग रोकने के लिए उन्हें "अनुसूचित औषधियों" में सम्मिलित किया जाना

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : महोदय, हाल ही में हरियाणा तथा अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में एल्युमीनियम फास्फाइड तथा ई० डी० वी० एम्प्यूल्स जैसे कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने के कई मामले सामने आए हैं। ये रसायन खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके प्रयोग से मृत्यु निश्चित है और इसकी कोई प्रतिकारक दवा नहीं है। ये औषधियां दवाई की दुकानों पर खुले आम बेची जाती हैं और हर व्यक्ति, चाहे बच्चे हों या महिलाएं, इन्हें खरीद सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, इसे आत्महत्या का निश्चित साधन मानकर लोग इनका प्रयोग करने लगे हैं।

अत: कृषि मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दें। इन दवाइयों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसे विनियमित किया जाए। इन्हें अनुसूचित औषधियों की सूची में रखा जाना चाहिए। क्रेता को इसे रखने और निर्धारित अवधि में इसके प्रयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। केवल कुछ दुकानों को ही इन औषधियों के बेचने का परमिट दिया जाना चाहिए।

इन सुरक्षोपायों के द्वारा हम इस संकट का निवारण कर सकते हैं और इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।

(तीन) हथकरघा बुनकरों, विशेषकर नागपुर क्षेत्र के बुनकरों की आय बढ़ाए जाने के लिए कदम उठाए जाना

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : महोदय, मैं सभा का ध्यान नागपुर क्षेत्र के लगभग 50,000 हथकरघा बुनकरों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। एक हथकरघे पर पूरे परिवार को सारा दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बुनकरों का परिवार प्रतिदिन केवल 11 रुपए ही कमा पाता है। कम मजदूरी के कारण उनमें बहुत असंतोष है। कई अभ्यावेदन देने के बावजूद न तो राज्य सरकार ने और न केन्द्र सरकार ने ही हथकरघा बुनकरों की दयनीय स्थिति पर कोई ध्यान दिया है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए कि हथकरघा बुनकरों की दैनिक आय को बढ़ाकर कम से कम 20 रु० प्रतिदिन कर दिया जाए ताकि वे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। वस्त्र मंत्री कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

(चार) चम्बल कम्प्लेक्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : महोदय, कोटा शहर से 40 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के चिन्ह मिलते हैं जो चम्बल नदी के दोनों किनारों की ओर फैले हुए हैं। दाहिने किनारे की ओर बोदोली मन्दिर और बायें किनारे की ओर भानरोड गढ़ किला और उनके साथ जुड़ा गेम दर्रा पशु-विहार पर्यटकों के लिए आकर्षक के स्थान हैं।

मन्दिरों और किलों के अतिरिक्त, चम्बल घाटी के दोनों ओर पहले बहुत से वन्य पशु मिलते थे और ये वर्षों तक प्रकृति प्रेमियों और खिलाड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं। नदी पर कोटा बांध, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांधों के बनने से इस ओर लोगों

[श्री जुझार सिंह]

का आकर्षण और बढ़ गया है। पर्यटकों द्वारा इस नदी की लंबी और गहरी धारा का उपयोग खेलों तथा मछली पकड़ने के लिए भी किया जा सकता है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरा माननीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध है कि वे समूचे चम्बल काम्प्लैक्स में नदी के लंबे पुल में पानी के खेलों की व्यवस्था करके, इसे एक राष्ट्रीय पार्क घोषित करें।

12.14 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(पांच) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में उद्यमियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निदेश दिये जाना

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। सूखग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम बनाए जाने के बावजूद, गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की परेशानियों में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 30 वर्षों से इस देश की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया है। इस क्षेत्र में खनिज बहुतायत में हैं। वाणिज्यिक और औद्योगिक दोहन के लिए वहां 'बैराइट्स', लाइम-स्टोन, लौह-अयस्क, स्लैब्स और हीरे उपलब्ध हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने माना है कि इस भूक्षेत्र में जल सहित भूमिगत खनिज प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन केन्द्र सरकार ने यहां के सार्वजनिक क्षेत्र में अब तक कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया है। खनिज पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह जरूरी है कि भारत सरकार वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को ये निर्देश दें कि वे इस क्षेत्र के वास्तव में जरूरतमंद उद्यमियों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराएं।

यह भी जरूरी है कि रायलसीमा प्रदेश में स्थित औद्योगिक एककों को कतिपय विशेष प्रोत्साहन दिये जाएं।

(छः) भारत सरकार और मैसर्स समतेल-कोनिग के बीच हुए समझौता-ज्ञापन को रद्द किए जाने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, भारत सरकार और मैसर्स समतेल-कोनिग के बीच भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों के हस्तान्तरण के बारे में, जिसमें मैसर्स समतेल-कोनिग के 40-40 प्रतिशत और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेष 20 प्रतिशत शेयर होंगे, 22.6.88 को हुए समझौता-ज्ञापन के परिणामस्वरूप बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है।

इसमें "अन्यत्र सुविधाएं स्थापित करने" की बात भी कही गई है जिससे कर्मचारियों के मन में यह भावना पैदा हो गई है कि उन्हें प्राप्त वर्तमान सुविधाओं को क्रमशः समाप्त कर दिया जाएगा। इस समझौते से लाभ अर्जन करने वाली एकक में विदेशी एककों द्वारा अपने पैर जमा लेने के अतिरिक्त 50 प्रतिशत से भी अधिक लाभ देश से बाहर चला जाएगा।

मेरा रक्षा मंत्री से अनुरोध है कि वे इस सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए देश के हित में समझौता-ज्ञापन रद्द कर दें।

(सात) देश की खनिज तेल की मांग पूरी करने के लिए देश में उसका उत्पादन बढ़ाया जाना

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : यह देखा गया है कि पिछले तीन वर्षों में कच्चे तेल का उत्पादन इसके लक्ष्य से काफी कम हुआ है। इस बात में भी संदेह है कि बम्बई-हाई, कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिन में हुई नई खोजों से कच्चे तेल की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। विदेशी मुद्रा की विषम परिस्थिति होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, इसके उत्पादन और खपत के बीच बहुत अन्तर होने के कारण सरकार को उसका आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश में उत्पादन बढ़ाए और आयात में कटौती करे। साथ ही भारत को आत्म-निर्भर बनाने और भू-गर्भिक भंडार स्थापित करके कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा भविष्य में इसकी मांग को पूरा करने के लिए उनका दोहन करने के प्रयास किये जाने चाहिये।

[हिन्दी]

(आठ) अस्पतालों से दुर्घटना के शिकार लोगों की ओर शीघ्र ध्यान दिये जाने के लिए आग्रह किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा रानी तोमर (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में हृदय रोग और कैंसर के बाद दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यातायात तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनी कार्यों के बढ़ने से दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ रही है। दुर्घटनाओं के कारण हर साल दस हजार लोग विकलांगों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का सही समय पर इलाज किया जाए तो दुर्घटना से मरने वालों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। इस कार्य में आपात चिकित्सा दल के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे दुर्घटना संबंधी मामलों को तुरंत देखें।

12.18 म०प०

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। अब श्री बिंदेशवरी दुबे इस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे।

श्रम मंत्री (श्री बिंदेशवरी दुबे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री बिंदेश्वरी दुबे]

माननीय सदस्यों को यह पता होगा कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में बच्चे के जन्म *से पहले और बाद में कुछ संस्थाओं* में महिलाओं की नौकरी विनियमित करने और उन्हें प्रसूति प्रसुविधा तथा कुछ अन्य लाभ देने का प्रावधान है। यह अधिनियम कुछ कारखानों, खानों, बागानों और सर्कस उद्योग पर भी लागू होता है। राज्य सरकारें इसे अन्य संस्थाओं पर भी लागू कर सकती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, जिसमें प्रसूति प्रसुविधा और कुछ अन्य लाभ देने का प्रावधान है, के क्रमिक रूप से लागू किए जाने के कारण प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का क्षेत्र कुछ हद तक कम हो गया है। तथापि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इस समय कारखानों और विशिष्ट क्षेत्रों में स्थापित कुछ अन्य विशेष संस्थानों तक सीमित है। अत: प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम अब भी उन संस्थाओं में काम कर रही महिला कर्मचारियों पर लागू है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आतीं तथा उन महिला कर्मचारियों पर भी लागू होता है, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में नियोजित हैं किन्तु मजदूरी की अधिकतम सीमा के कारण इसके अंतर्गत नहीं आती हैं।

इस अधिनियम के तहत महिला कर्मचारी प्रसव के लिए 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन की दर से प्रसूति सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने की अधिकारी हैं। गर्भावस्था के कारण उत्पन्न बीमारी के मामले में वे एक महीने की वेतन सहित अतिरिक्त छुट्टी की अधिकारी हैं। वे गर्भपात के मामले में भी छः सप्ताह की प्रसूति सम्बन्धी सुविधाओं की अधिकारी हैं। अधिनियम में गर्भवती महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान बनाए गए हैं।

अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया था। तब से इसमें और संशोधन के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग के एक कार्यकारी दल ने 1984 में अधिनियम के उपबन्धों का पुनरीक्षण किया था तथा कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी। अनेक सुझावों/सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा अब इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं :—

(एक) इस अधिनियम के उपबन्धों को उन दुकानों अथवा संस्थानों पर भी लागू किया जाएगा जिसमें 10 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हों;

(दो) प्रसूति लाभ देने की अवधि को पिछले 12 महीनों में 160 दिन की वास्तविक कार्य की अवधि को घटा कर पिछले 12 महीनों में 80 दिन की वास्तविक कार्य की अवधि किया जा रहा है।

(तीन) प्रसूति अवकाश के प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रसूति लाभ को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित या संशोधित औसत दैनिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी अथवा दस रुपये, जो भी अधिक हो, निश्चित किया जा रहा है। वर्तमान दर औसत दैनिक मजदूरी अथवा एक रुपया प्रतिदिन, जो भी अधिक हो दी जा रही है।

(चार) नियोजक द्वारा प्रसूति पूर्व अथवा प्रसूति के पश्चात् होने वाला खर्च न दिए जाने की स्थिति में महिला कर्मचारियों को देय चिकित्सा बोनस की दर को 25 रुपये से बढ़ा कर 250 रुपये किया जा रहा है।

(पांच) यह उपबन्ध भी किया जा रहा है कि पीड़ित महिला अथवा पंजीकृत श्रमिक संघ, जिसकी वह महिला सदस्य है, के पदधारी अथवा स्वयंसेवी संगठन या कोई इंसपेक्टर द्वारा सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस समय शिकायतें केवल इंसपेक्टर की पूर्व स्वीकृति से ही दर्ज कराई जा सकती हैं।

संक्षेप में इस विधेयक के जरिए और अधिक कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मुझे आशा है सदस्य प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करेंगे जो कि किसी भी प्रकार के विवाद से परे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापरित पर विचार किया जाये।"

श्री जी० भूपति।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैटरनिटी बैनीफिट अमेंडमेंट बिल को मैंने अच्छी तरह से देखा है और मंत्री महोदय का वक्तव्य भी सुना है। लेकिन मुझे इसमें कोई बेनीफिट नहीं दिखाई दिया। आपने कहा है कि एक नए इंसपैक्टर को अपाइन्ट करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्सपैक्टर को बेनीफिट होगा। प्रैगनेंट महिलाओं को कोई खास बेनीफिट इससे नहीं होगा, यह बहुत दुख की बात है। केन्द्र सरकार को थोड़ा सा चेंज लाना जरूरी है। यह बेनीफिट सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट सैक्टर में काम करने वालों के लिए है। गांव में जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं, उनको इससे कोई बेनीफिट नहीं है। एग्रीकल्चर लेबर जब प्रेगनेंट होती हैं तो उनको अनक्वालीफाईड आया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उस आया को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। वह कुछ भी दवा दे देती है और इंजैक्शन भी नहीं लगाया जाता जिसकी वहज से काफी प्रैगनेंट लेडीज मर जाती हैं। एग्रीकल्चर लेबर के लिए सरकार को बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे आन्ध्र प्रदेश में बीस से पच्चीस गांवों के एक मण्डल के लिए एक सेन्टर बनाए और जो मण्डल का हैडक्वार्टर हो उसमें एक मैटरनिटी होम बनाया जाए तो इससे काफी बेनीफिट प्रेगनेंट लेडीज को होगा। जब महिलाएं प्रैगनेंट होती हैं तो उनके मन में बहुत-सी भावनाएं होती हैं, वे अच्छी-अच्छी चीजों को देखना चाहती हैं। जो चीजें उसे मिलनी चाहिए खाने के लिए नहीं मिल पातीं। क्योंकि गरीबों के पास यह चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि अगर वह अच्छा भोजन नहीं करेंगी, तो बच्चे का विकास ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा। आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पहले पच्चीस रुपये मिलते थे उसको बढ़ाकर ढाई सौ रुपये कर दिया है। हम परिवार नियोजन को लागू करने जा रहे

(श्री जी० भूपति)

हैं तो मेरा इसमें सुझाव है कि उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इसको बदलिये, इससे बहुत से लोग परिवार नियोजन अपनाने की कोशिश करेंगे। दो बच्चों के बाद किसी गर्भवती महिला को यह सुविधा नहीं देनी चाहिए। जिससे वह स्वयं परिवार नियोजन को अपनाये। आपने इसमें यह भी कहा है कि किसी निजी व्यवसाय में अगर 10 महिला कम-से-कम काम करती हैं तो उसको यह सुविधा मिलेगी, वरना इससे कम वाले को नहीं। मेरा सरकार से और मंत्रीजी से सुझाव है कि अगर एक महिला भी काम करे तो उसको भी यह सुविधा देनी चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मैटरनिटी बेनीफिट अमेंडमेंट बिल 1988 का समर्थन करता हूं जो कि सदन में प्रस्तुत किया गया है। यह बिल 81 में आया था। बाद में इसका संशोधन किया गया। वर्किंग ग्रुप आन इकोनोमिक एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन ने रिव्यू करके इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी और उन रिकमेंडेशंस के आधार पर यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विस्तार से जो उल्लेख किया गया है वह है शाप एण्ड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि अगर 10 महिलाओं से अधिक काम करती हैं तो उन पर यह लागू होगा और पहले 160 दिन छुट्टी का प्रोविजन था जिसमें आपने अब 80 दिन कर दिया है। मेटरनिटी बेनीफिट में 10 रुपये रोज का प्रोविजन किया गया है। जो न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकारों में है इसके आधार पर मेटरनिटी बेनीफिट मिलना चाहिए। चिकित्सा सुविधा को 25 रुपये से बढ़ाकर आपने 250 रुपये कर दिया है। 25 रुपये तो पहले बहुत ही कम थे। परन्तु जिस प्रकार से दवाओं के दाम बढ़े हुए हैं आपको इसको भी बढ़ाकर 500 रुपये कर देना चाहिए। अगर इसका प्रोविजन नहीं होता है तो चिकित्सा सुविधायें महिलायें प्राप्त नहीं कर सकतीं। महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता है उसके लिए जो हम प्रतिदिन 10 रुपये का प्रोविजन कर रहे हैं, यह उनके लिए बहुत ही कम है। ऐसे समय महिलाओं को पौष्टिक आहार की सख्त आवश्यकता होती है और 10 रुपये में मैं समझता हूं कि कुछ भी पौष्टिक आहार नहीं खरीदा जा सकता। इस कारण वह महिला अपने स्वास्थ्य को मेन्टेन नहीं कर सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस राशि को बढ़ाकर उतना कर दिया जाए जितना कि उस स्टेट में मिनिमम वेज निश्चित की गयी है। मैं तो चाहूंगा कि कम-से-कम यह राशि 20 रुपया प्रति दिन होनी चाहिए। यदि सम्भव न हो तो कम-से-कम मिनिमम वेज तो अवश्य होनी चाहिए। मुझे आशा है आप इस पर अवश्य विचार करेंगे।

जहां तक इस कानून के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, उसकी जिम्मेदारी इंसपैक्टर्स पर आती है। जितने भी स्वास्थ से सम्बन्धित मामले हैं, शॉप्स या दूसरे इस्टैब्लिशमेंटस में काम करने वाली महिलाओं के लिए वैसे तो कानून में प्रावधान किया गया है, परन्तु लेबर लॉज को प्रभावी ढंग से लागू करने में इंसपैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखने में यह आता है कि इंसपैक्टर्स की सिम्पैथी अक्सर एम्पलायर की ओर होती है और वे गरीब मजदूरों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति इंसपैक्टर्स की कोई सहानुभूति नहीं होती। इस कारण भी मजदूर उनको मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जिन बेनीफिटस की हमने कानून में व्यवस्था की है, उनका लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता। मैं समझता हूं कि इसका प्रावधान भी हमें अवश्य करना चाहिए कि एक मजदूर को उसे मिलने वाले तमाम हक-हकूक या अधिकार मिल सकें। आपने इस बिल में इंसपैक्टर की पूर्व अनुमति के बिना भी शिकायत दायर करने का मजदूरों को अधिकार दिया है, जो इस दिशा में उठाया गया एक सराहनीय पग कहा जा सकता है क्योंकि पहले

कोई महिला कर्मचारी अपने हकों को पाने के लिए यदि कहीं शिकायत करना चाहती थी तो उसे पहले इंसपैक्टर की अनुमति लेनी पड़ती थी। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अब उसे इंसपैक्टर की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। वह सीधे अपना अधिकार या हक पाने के लिए फाइट कर सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन प्रावधानों से अधिकतर फैक्टरीज वर्कस, माइन्स वर्कस या इंडस्ट्रियल वर्कस ही लाभान्वित होंगे। हमने इन प्रावधानों को यद्यपि प्रभावी ढंग से बनाया है, फिर भी जब तक हमारे लेबर औफिसर डैडिकेटिड तरीके से कार्य नहीं करते, निष्ठावान नहीं होंगे तब तक इन प्रावधानों का लाभ उन मजदूरों को नहीं मिल पायेगा क्योंकि लेबर औफिसर्स पर ही इन प्रावधानों को लागू कराने की जिम्मेदारी आती है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी आपके मंत्रालय को सजग होकर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हर लेबर औफिसर सच्चे माने में, निष्ठा-पूर्वक मजदूरों को उन हकों का लाभ दिला सके, जिनकी व्यवस्था हमने इस बिल में की है। इन शब्दों के साथ मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती बिमा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, इस विधेयक के उपबन्धों को उन दुकानों और संस्थानों पर भी लागू किया जा रहा है जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पहले यह संख्या 20 थी। इसका लाभ संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को होगा। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। 1981 की जनगणना के अनुसार कामकाजी आयु वर्ग की महिलाओं का मात्र 14 प्रतिशत ही वास्तव में मुख्य श्रमिकों के रूप में कार्य करता है। जनगणना से बाद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने सर्वेक्षण किया तथा उनके सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या थोड़ी-सी अधिक थी। लेकिन महिलाओं की राष्ट्रीय संदर्शी योजना में इन महिलाओं के इस कम योगदान की दर पर खेद व्यक्त किया है। इस समय जो महिलाएं वास्तव में काम कर रही हैं उसमें से 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में जैसे कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं। अतएव इन महिलाओं को इस विधेयक से लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ है सिर्फ 10 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलेगा। यह देश की कुल कामकाजी महिलाओं की 1.4 प्रतिशत है। अत: भारत की सिर्फ 1.4 प्रतिशत माताएं इस विधेयक से लाभ उठा सकेंगी। 98.6 प्रतिशत माताएं इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आयेंगी।

महोदय राष्ट्रीय संदर्शी योजना बड़े जोर शोर से शुरू की गयी थी। हमें आशा व उम्मीद थी कि सरकार के रवयै में परिवर्तन होगा। लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने सब कामकाजी महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया—भारत की सारी महिलाओं को मातृत्व सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने से वंचित कर दिया। अब सरकार ई० एस० ई० आई० के प्रबन्ध में परिवर्तन करके काम काजी महिलाओं के प्रति अत्यन्त निष्ठुरता प्रदर्शित की है। पहले यह व्यवस्था थी कि कोई भी जिसने 13 सप्ताह तक ई० एस० ई० में योगदान दिया होता था वह राहत पाने का अधिकारी था। इससे यह लाभ था कि अस्थायी व बदली कर्मचारी जो 13 सप्ताह तक चाहे हफ्ते में एक दिन भी जाते थे वे इसका लाभ उठा सकते थे। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब 91 दिन तक काम करने के बाद ही उसे यह सुविधाएं मिल सकेंगी। वास्तव में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तथा दुख की बात है। मातृत्व सम्बन्धी सुविधाएं पाना हर माता का अधिकार है। मेरी मांग है कि इस देश की सारी महिलाओं को चाहे वह किसी क्षेत्र में हों—संगठित अथवा असंगठित, कृषि में हों, अथवा स्वयं रोजगार में हों, ग्रामीण तथा अन्य सभी महिलाओं को इस विधेयक से लाभ मिलना चाहिए। यदि

[श्रीमती विमा घोष गोस्वामी]

सरकार की काम काजी महिलाओं तथा उनके बच्चों के प्रति वास्तव में चिन्तित है तो उसे यह लाभ सारे भारतवर्ष की माताओं व बच्चों को मुहय्या कराना चाहिए ।

मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि मातृत्व राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है । गर्भवती महिलाओं में से 65 प्रतिशत महिलाएं रक्तक्षीणता की शिकार हैं । सभी स्त्रोतों से यहां तक कि राष्ट्रीय संदर्शी योजना सहित सभी आंकड़ों से पता चलता है कि गर्भवती महिलाओं में से 65 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण तथा रक्तक्षीणता से पीड़ित हैं । हम इन कर्मचारियों की सहायता कैसे करेंगे ? मेरी मांग है कि इस देश की सभी महिलाएं इस विधेयक में प्रदत्त चिकित्सा सम्बन्धी बोनस का लाभ उठा सकें ।

नकद लाभ तथा चिकित्सा बोनस की बात करें तो इसे दस गुना बढ़ाया गया है । स्पष्ट रूप से 1961 के बाद हुई मूल्य वृद्धि की तुलना में यह नगन्य है । 1961 से इस विषय में सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करीब दस गुणा बढ़ गया है । तथा यह वास्तव में उसकी पूर्ति नहीं करता । 25 रुपये के बदले अब 250 रुपये तथा एक रुपये की जगह 10 रुपये कर दिए गए हैं । मैं विपक्ष के सहयोगियों की इस बात से सहमत हूं कि यह राशि बहुत कम है । यह राशि एक माता या एक बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है । इन सभी वर्षों में मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है तथा महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है । उनकी मातृत्व सम्बन्धी सुविधाओं अथवा मातृत्व सम्बन्धी नकद लाभों में कोई वृद्धि नहीं की गई है । अब हम आशा कर रहे थे कि कोई वास्तविक हल खोजा जाएगा । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । नकद लाभ तथा चिकित्सा लाभों में ठोस रूप से वृद्धि की जानी चाहिए तथा इस विधेयक को पारित करने के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार नकद लाभ व चिकित्सा बोनस में वृद्धि की जानी चाहिए । चिकित्सा बोनस 250 रु० है जो कि बहुत कम है । वर्तमान मूल्यों पर विचार करें तो यह राशि प्रसवपूर्व तथा गर्भपात के समय देख भाल के लिए कम से कम 600 रु० की जानी चाहिए तथा 12 सप्ताह की अवधि न तो माता और न ही बच्चे की देख भाल के लिए पर्याप्त है ।

कुछ समय पूर्व, यह बात चल रही थी कि सरकार इस समयावधि को और बढ़ाने का विचार कर रही है लेकिन इस विधेयक से इस विचार की झलक नहीं मिलती । वर्ष 1979 में मद्रास में काम काजी महिलाओं के प्रथम सम्मेलन में यह मांग की गई थी कि माता के स्वास्थ्य लाभ तथा बच्चे के लिए भी प्रसूति छुट्टी की अवधि कम से कम चार महीने होनी चाहिए । घर तथा कार्य क्षेत्र के दोहरे बोझ पर विचार करते हुए छुट्टी की अवधि चार मास की जानी चाहिए तथा यह छुट्टी माता की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए । यह मार्च 1988 में 'काम काजी महिलाओं की आवाज' में कहा गया है । दिसम्बर 1987 में काम काजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वयन समिति के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित करते हुए श्री संगमा ने जब वे श्रम मंत्री थे कहा था कि अब प्रसूति छुट्टी माता की इच्छा के अनुसार दी जाएगी क्योंकि बहुत सी महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद छुट्टी लेना पसन्द करती हैं । यह बात प्रतिनिधिमण्डल को बतायी गई थी । परन्तु इस विधेयक में यह नहीं है । हमने एक संशोधन रखा है तथा मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे ताकि पूर्व मंत्री श्री संगमा द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा हो सके ।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के नियमों के बावजूद बहुत सी स्त्रियां प्रसूति प्रविसुधाओं तथा अवकाश से वंचित रह जाती हैं, जो कि गर्भस्त्राव, गर्भपात व समयपूर्व प्रसव का शिकार होती हैं। केन्द्रीय सरकार के अधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सों को अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद गर्भस्त्राव होने की स्थिति में प्रसूति लाभों व अवकाश से वंचित रखा जाता है। अत: मैं मांग करती हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सों को गर्भस्त्राव होने पर भी प्रसूति के लाभ व अवकाश दिए जाएं ये नियम व विनियम उन महिलाओं पर भी लागू होने चाहिए जिन्हें गर्भस्त्राव, गर्भपात व समयपूर्व प्रसव हुआ हो।

यह बहुत दुख की बात है कि कुछ राज्यों में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय महिलाओं की समस्याओं पर कोई ध्यान दिए बिना उनके लिए प्रसूति लाभ व अवकाश के संबंधी नियमों को दो बच्चों तक सीमित किया जा रहा है। इस देश में अभी तक परिवार में निर्णय महिला नहीं लेती है; बल्कि अधिकतर उसका पति ही लेता है। अत: महिला और उसके बच्चे की उस निर्णय के लिए सजा देना, जो कि उसके हाथ में नहीं है, वास्तव में अफसोस की बात है। यह नहीं होना चाहिए।

उड़ीसा में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब में प्रसूति अवकाश के लिए यह शर्त रखी गयी है कि इसके लिए एक प्रमाणपत्र सिविल सर्जन से लेना चाहिए। इस तरह के दमनकारी प्राविधानों से यह पता चलता है कि सरकार महिलाओं के बारे में चिन्तित नहीं है तथा छोटे परिवार के सम्बन्ध में सरकारी मानदण्डों को लागू करने के नाम पर वह छोटे-छोटे बच्चों को मुश्किल में डाल रही है।

हमें हमेशा बताया गया है कि सरकार परिवार नियोजन को समझा-बुझाकर लागू कर रही है, दबाव के द्वारा नहीं। परन्तु हमने कई राज्यों तथा प्रतिष्ठानों में देखा है कि महिलाओं को चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। मैं मांग करती हूं कि इन दमनकारी तरीकों को लागू न किया जाए तथा जहां कहीं भी ये लागू किए गए हों, उनको वापस ले लिया जाए।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वह चिकित्सा बोनस के लिए 600 रु० और महिलाओं की मर्जी के अनुसार 4 महीनों के अवकाश के बारे में मेरे संशोधनों को स्वीकार करें। तथा इसको असंगठित क्षेत्रों पर सभी अन्य क्षेत्रों पर तथा देश की सभी माताओं के लिए लागू करना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के दोस्तों ने कहा कि इस बिल में कोई नई बात नहीं है, मैंने इस बिल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और वैसे भी दुबे जी इस देश के जाने-माने मजदूर नेता हैं, बहुत सोच-समझ कर वह इस बिल को लाए हैं, यह बड़ी प्रशंसा की बात है।

जिस शाप या एस्टैब्लिशमैंट में 10 या दस से ज्यादा आदमी काम करेंगे, उस पर यह लागू होगा। जो औरतें काम करती थीं, पहले 160 दिन की जगह अब आपने 80 दिन का प्रावीजन किया है, न्यूनतम मजदूरी को .0 रुपये तक लागू कराया, मेडिकल बोनस को 250 रुपये करवाया और यह कहा कि अब शिकायतें कोई भी आदमी जाकर कर सकता है। कोई भी वालेंटरी एजेंसी के वर्कर्स अगर इससे एफेक्टिड हुए हों तो वह भी शिकायत कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने पैनल्टी को बढ़ा दिया है। मैंने सारी बातों को बड़े गौर से पढ़ा है, लेकिन मैं एक-दो बातें आपसे कहना

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

चाहता हूं। आप भले ही एक-आधी सुविधा दीजिए लेकिन इसे इम्लीमेंट करवा दीजिए। आज होता क्या है ? आप कहते हैं कि जहां 10 या 10 से ज्यादा लेडी वर्कर्स काम करेंगी वहां पर यह कानून व्यवहार में लाया जाएगा। मैं व्यावहारिक अनुभव से यह कहता हूं कि लोग 10 वर्कर्स को होने नहीं देते हैं। एक ही वर्कर का नाम दो महीने तक रमा रहता है, दो महीने के बाद राधा हो जाता है और उसके अगले दो महीने के बाद कमला हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एम्पलायर ज्यादा होशियार है बनिस्पत कि कानून बनाने वाले से। इस प्रकार वह 10 वर्कर्स को उसमें होने नहीं देता है।

आज आप बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री देख सकते हैं जिसमें कि 10 वर्कर्स की जरूरत नहीं होती है। दिल्ली शहर से रेडिमेड गारमैंट्न बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और बहुत-सी स्त्रियां उसमें काम करती हैं लेकिन कौन-सी कम्पनी है जो कि अपने वर्कर्स को और अपने मजदूरों या अपने यहां काम करने वालों को मैटर्निटी बेनीफिट देती है। वह उनसे पूरा काम लेते हैं और बेनीफिट देने के समय कह देते हैं कि यह काम तो कांट्रैक्ट में कराया गया है और हमें पता नहीं है कि किसने यह काम किया और कौन हमें गारमैंट्स दे गया है। कहने का अर्थ यह है कि आपने जहां यह प्रावीजन किया हुआ है कि 10 वर्कर्स जहां हों वहीं यह मैटर्निटी बेनीफिट दिया जाये, इस प्रावीजन को खत्म कर दें और यदि वहां एक भी वर्कर हों और यह साबित हो जाए कि उसने वहां काम किया है तो वहां मैटर्निटी बेनिफिट मिलना चाहिए।

12.48 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार बीड़ी के उद्योग में हजारों लोग काम करते हैं लेकिन कहीं कोई रिकार्ड नहीं है कि किसने काम किया। लोग जाकर घर पर काम दे आते हैं। और वहां से ले आते हैं नतीजा यह होता है कि उन लोगों को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। मेरे कहना का अर्थ यह है कि इस कानून को कड़ाई से अमल में लाइए। हम यह कह कर अपनी जवाबदेही से हट नहीं सकते कि यह तो राज्यसरकारों का काम है। दिल्ली तो राजधानी है। यहां हमारी नाक के नीचे जो हो रहा है उसको हम ठीक-ठाक कर सकते हैं। दिल्ली में जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में मजदूर औरतें लगी हुई हैं, उनकी दशा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल भर वह काम करती है लेकिन रजिस्टर में कहीं कोई नाम नहीं रहता है। जब मैटर्निटी बेनिफिट देने की बात आती है तो कहा जाता है कि इसने हमारे यहां कोई काम नहीं किया। आप कम से कम दिल्ली में तो इसे ठीक-ठाक कर सकते हैं और फिर दिल्ली का उदाहरण देकर दूसरे राज्यों को कह सकते हैं कि जब दिल्ली में यह सुविधा मिली है तो और जगह भी वह मिलनी चाहिए।

दिल्ली शहर में ही टीचिंग शाप्स हैं। लोगों ने ट्यूशन पढ़ाने और कोचिंग देने के लिए दुकानें खोल रखी हैं और वहां पर लेडीज काम करती हैं। लेकिन उसमें से कितनी टीचिंग शाप्स हैं जहां मैटर्निटी बेनिफिट दिया जाता है। जहां लेडीज काम करती हैं, उनमें से कितनी टीचिंग शाप्स में मैटरनिटी बैनिफिट दिया जाता है ? मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप इसका कड़ाई से पालन कराइए। जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूड ऑफ मैडीकल साइंसेज में नर्सेज को मैटरनिटी बेनीफिट नहीं मिलता, इससे बढ़कर दुर्भाग्य और क्या हो सकता

है। आप एक काम्प्रीहैंसिव सर्वे कराइए कि कहां-कहां लोगों को यह सुविधा नहीं मिली है, उनको यह सुविधा दी जानी चाहिए। आपने यह बहुत अच्छा किया कि 160 दिन के बदले 80 दिन कर दिया। देहातों में भी फार्म्स पर काम करने वाली औरतें 80 दिन तो आराम से काम कर लेती हैं। इसमें कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे वहां एक रजिस्टर मेण्टेन हो कि जिस औरत मजदूर ने 80 दिन तक काम किया है उसे मेटरनिटी बैनीफिट दिया जाना चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि दो बच्चों तक के लिए मैटरनिटी बैनीफिट में आप ज्यादा से ज्यादा सुविधा कर दें लेकिन दो बच्चों के बाद भी मैटरनिटी बैनीफिट को खत्म नहीं करें बल्कि पहले की अपेक्षा कम कर दें। मैं कहना चाहूंगा कि कम्पलेण्ट्स करने का अधिकार केवल वालेण्टरी एजेंसीज या महिला को ही नहीं होना चाहिए बल्कि कोई इण्डीविजुअल भी करना चाहे, जैसे अखबार का रिपोर्टर है, उसने यह पता लगाया कि इस उद्योग में महिलाओं का शोषण हो रहा है जैसे कंस्ट्रक्शन इण्डस्ट्री है, तो उस इण्डीविजुअल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह इस तरह की कम्प्लेण्ट कर सके और उस पर सुनवाई हो और इस पर अमल हो।

अन्त में मैं कहूंगा कि यह बहुत ही नैक और प्रोग्रेसिव बिल है और सरकार को चाहिए कि इसे पूरे दम लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर इम्पलीमैंट कराए, इसको क्रियान्वित करे।

12.52 म० प०

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के अध्यक्ष श्री गोर्बाचोव की यात्रा के बारे में वक्तव्य

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय जैसा कि सदन को मालूम है सोवियत संघ की कम्युनिष्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव और सर्वोच्च सोवियत की प्रीजीडियम के सभापति श्री गोर्बाचोव शांति, निरस्त्रीकरण और विकास संबंध इंदिरा गांधी पुरस्कार लेने के लिए हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत आए थे। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने हमारे विश्व को नाभिकीय हथियारों से मुक्त करने और शांति, सहयोग, सद्भावना और समझबूझ की ताकतों को मजबूत बनाने की दिशा में जो योगदान दिया है, उससे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में अद्वितीय और गुणात्मक परिवर्तन आया है। उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हम एक ऐसे व्यक्ति को अपना आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं जो इस बात का प्रतीक है कि वह शांति, प्रगति और समृद्धि को भावपूर्ण रूप से लाने के लिए लालायित है जिसके लिए कि इंदिरा गांधी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। राष्ट्रपति गोर्बाचोव की यात्रा इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि सोवियत सरकार और वहां की जनता उन मूल्यों का अत्यधिक सम्मान करती है जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। वे उस दूरदर्शिता का भी सम्मान करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी ने सुदृढ़ और आत्म-निर्भर भारत के लिये दिखाई थी।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के अध्यक्ष श्री गोर्बाचोव की यात्रा के बारे में वक्तव्य

21 नवम्बर, 1988

[श्री राजीव गांधी]

महोदय, राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव और मैंने नवम्बर, 1986 में उनकी पिछली भारत यात्रा के दौरान जिस दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें हमारे दोनों देशों की वह वचनबद्धता निहित थी कि हम विश्व को नाभिकीय युद्ध के खतरे से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और नाभिकीय-शस्त्र मुक्त तथा अहिंसक विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। इस वर्ष जून में मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष अधिवेशन के समक्ष निरस्त्रीकरण के संबंध जो कार्य योजना प्रस्तुत की थी, उसमें विश्व समुदाय को उन ठोस कदमों के बारे में बताया गया था जो दिल्ली घोषणा में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए जा सकते हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव ने हमारी कार्य योजना का समर्थन किया है। भारत और सोवियत संघ इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि नाभिकीय शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने, सैनिक समताओं वाली उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों पर नए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित करने तथा नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल करने अथवा उनके इस्तेमाल की धमकी पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय सम्पन्न करने के निमित्त काम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है।

राष्ट्रपति गोर्बाचोव की इस यात्रा से हमें क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का एक और अवसर मिला। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि जुलाई, 1987 में उनके साथ मेरी पिछली मुलाकात के बाद से हाल ही के विगत में जिन तनावों और सन्देहों ने विश्व की स्थिति बिगाड़ दी थी उनमें कमी आई है। मध्यम दूरी नाभिकीय बल सन्धि पर हस्ताक्षर होना, अफगानिस्तान के सम्बन्ध में जनेवा समझौते, ईरान-इराक युद्ध बन्द होना तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका से सम्बन्धित मसलों का बातचीत द्वारा समाधान खोजने की दिशा में हुई प्रगति इस बात की अभिव्यक्ति है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नया युग उभर कर सामने आ रहा है। राष्ट्रपति गोर्बाचोव की निर्भीक और कल्पनाशील पहलकदमियां टकराव के स्थान पर सहयोग, सन्देह के स्थान पर विश्वास और शंका के स्थान पर आशा उत्पन्न कर रही हैं। सोवियत संघ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका की तथा शान्ति, निरस्त्रीकरण और विकास को संवर्धित करने के हमारे प्रयासों की अत्यधिक सराहना करता है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, अफगानिस्तान की घटनाओं से हमारे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था और यहां तक कि हमारे सुरक्षा वातावरण को भी खतरा पैदा हो गया था। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की यह आशा रही है कि जेनेवा समझौतों से इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के नए युग की शुरूआत होगी और अफगान लोग अपने भाग्य का फैसला बिना किसी विदेशी हस्त के स्वयं कर सकेंगे। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने मुझे बताया कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में एक व्यापक आधार वाली सरकार की स्थापना का समर्थन तो करता है किन्तु वह इस बात से चिंतित है कि जनेवा समझौतों का बराबर उल्लंघन किया जा रहा है हम आशा करते हैं कि इन समझौतों को शब्द और भावना में पूरी तरह से क्रिया-चयन किया जाएगा ताकि अफगानिस्तान की जनता अपनी शक्ति राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के कार्यों में लगा सके।

सदन को मालूम है कि सोवियत संघ के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूती से सुदृढ़ होते जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली बैठकों में जो विभिन्न निर्णय और समझौते किए थे, राष्ट्रपति गोर्बाचोव की यात्रा के दौरान हमने उनके क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6745/88]

भारत में नाभिकीय विद्युत केन्द्र का निर्माण करने।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6744/88]

शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाहरी अन्तरिक्ष के अनुसंधान, विन्ध्याचल थर्मल विद्युत केन्द्र के दूसरे चरण की स्थापना,

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 6742/88]

दोहरे कराधान के परिहार के संबंध में करारों पर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6746/88]

तथा विद्युत परियोजनाओं में आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी प्रोटोकाल पर कल हस्ताक्षर किए गए थे। इन करारों और प्रोटोकाल का पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 6742/6746]

इन करारों से हमारे पहले ही बहुपक्षीय आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को नई गति और नया आयाम मिलेगा। हमने भारत-सोवियत शिखर वार्ता वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए जिसका पाठ शांति, मैत्री और सहयोग को सुदृढ़ करने की हमारी समान वचनबद्धता को परिलक्षित करता है। इस वक्तव्य का पाठ भी सदन की मेज पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6747/88]

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उन अद्वितीय प्रदर्शनों से हमारे संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं जिनसे भारत और सोवियत संघ की जनता गतवर्ष एक दूसरे की प्राचीन, समृद्ध और विवध सांस्कृतिक विरासत से अवगत हुई है।

अध्यक्ष महोदय, सोवियत संघ के साथ हमारी मैत्री समय की कसौटी पर खरी उतरी है। राष्ट्रपति गोर्बाचोव की भारत यात्रा, जो विगत दो वर्षों में उनकी दूसरी यात्रा थी, सोवियत नेताओं और वहां की जनता इस इच्छा का प्रतीक है कि वे इस मैत्री को और सुदृढ़ और व्यापक बनाना चाहते हैं। हम भी उनकी इस इच्छा का स्वागत करते हैं और इन संबंधों का संवर्धन करने के लिए पूर्ण सहयोग देंगे।

12.58 म०प०

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : सदन अब प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी रखेगा।

श्री तम्पन थामस।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, यद्यपि श्री दुबे द्वारा पुरःस्थापित इस विधेयक में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन की व्यवस्था है, एक सुधारवादी बात है, परन्तु इस विधेयक को लाने से पहले इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। 1961 के बाद से इस विधेयक में यह पहला संशोधन है।

जैसाकि बताया गया है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम की परिधि में कुछ नये वर्गों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि असंगठित है तथा नियोजकों के अधीन कार्यरत है परन्तु वह किसी फैक्टरी, खान अथवा बागान अथवा किसी दुकान एवं संस्थान की परिभाषा में नहीं आता है। वह ठेकेदारों के अधीन, घरों अथवा उन स्थानों पर कार्य करते हैं जहां उनको काम दिया जाता है। उनसे काम लिया जाता है परन्तु वे इस अधिनियम के अन्तर्गत

1.00 म०प०

नहीं आते हैं। अतः जैसाकि इस पक्ष के एक सदस्य द्वारा पहले कहा गया था। महिलाओं के हितों को देखना होगा, क्योंकि यह देश के हित में है। इसके लिए समुचित कानून बनाने की आवश्यकता है। काम कर रही महिलाओं को राष्ट्रीय दृष्टि से संरक्षण देना होगा, चाहे वह कहीं भी काम क्यों न कर रही हों।

दूसरी चीज जोकि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कही थी, वह कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों के बारे में थी। कर्मचारी राज्य बीमा का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों में कार्यरत महिलाओं के हितों को देखना है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ई०एस०आई० अस्पतालों की स्थिति सोचनीय है। उन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि कोई महिला वहां जाती है···

अध्यक्ष महोदय : आप भोजनकाल के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

हम सभा की बैठक मध्याह्न के भोजन के लिए स्थगित करते हैं तथा 2 म०प० पर पुनः समवेत होंगे।

1.01 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.05 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तम्पन थामस अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैं देश में कार्यरत सभी महिलाओं को प्रसूति लाभ दिए जाने की बात कर रहा था। निःसन्देह, 1961 के पिछले अधिनियम के मुकाबले अब कुछ सुधार हुआ है

तथा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। परन्तु आकस्मिक व ठेके के आधार पर कृषि भूमि पर बहुत सी महिलायें काम करती हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि कार्यरत महिलाओं को अधिक सहायता सुनिश्चित की जा सके। हमारी महिलायें कृषि भूमि पर ही ठेके पर काम नहीं करतीं, बल्कि घरों में भी काम करती हैं। इन्हीं क्षेत्रों में महिलायें अधिकतर कार्यरत हैं। मुझे यह नहीं पता है कि सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इन महिलाओं को भी इसमें शामिल करके प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अन्तर्गत लाभ दिलवाया जाये। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे सारे देश पर प्रभाव पड़ेगा तथा महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में लाभ देने से सारे देश का भविष्य बदल जायेगा। यदि जच्चा और बच्चा, दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा की जायेगी तो यह देश के भविष्य के हित में होगा। यदि आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलेगा कि जच्चा-बच्चा दोनों के ही स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह हमारा दायित्व है और सरकार का कर्त्तव्य है कि वह जच्चा-बच्चा, दोनों के ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ध्यान दें। अतः इसके लिए उपयुक्त सुरक्षोपाय किये जाने चाहिये। निःसन्देह मैं संशोधन में दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी कार्यरत महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उनको ऐसे सभी लाभ मिलेंगे।

मैं यह भी कहूंगा कि जो भी सुझाव इस समय दिये गए हैं, बहुत कम हैं। इस संशोधनकारी विधेयक द्वारा बहुत कम सहायता दी गई है। व्यवस्था केवल इतनी है कि 1 रु० की जगह 10 रुपये तथा 20 रुपये की जगह 250 रुपये दिये जाएंगे। यह कोई राहत नहीं है।

हाल ही में बम्बई में मैंने देखा था एक प्रतिष्ठान ने एक ट्रेड यूनियन के साथ द्विपक्षीय समझौता किया था जिसके अंतर्गत चार महीने की छुट्टी देने की व्यवस्था है, इस प्रकार इससे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत लाभ बढ़ाये गए हैं। यह संविदात्मक दायित्व है जोकि एक ट्रेड यूनियन ने किया है। बम्बई के इस उदाहरण से पता चलता है कि वह प्रतिष्ठान इस तरह के और लाभ देने में सक्षम है। किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा यह कहे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वह ऐसा नहीं कर सकता है।

इसके अतिरिक्त दूसरा पहलू भी है। हमें जन शक्ति को बढ़ाने की भी बात सोचनी है। इन प्रसूति सुविधाओं को प्रदान करते समय हमें उद्योग द्वारा जन शक्ति बढ़ाने के लिये उठाये गये कदमों को भी प्रोत्साहन देना है। इस तरह के कदमों द्वारा जन शक्ति या अन्य इस तरह की बातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि और अधिक लाभ दिये जाने चाहिये, और इस मामले को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये। इससे एक और मुद्दा उठता है इससे पहले कि आप इस बात पर विचार करें, मैं कहता हूं कि इस प्रसुविधा से देश की भावी जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसमें व देश की जनसंख्या में कुछ सम्बन्ध है। वास्तव में कुछ सुविधायें जो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में दी गई हैं, बच्चों को नहीं दी जा रही हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य के खर्च की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है तो अच्छा होगा। हमें बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा की व्यवस्था करनी चाहिये। हमें इसे प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये। किन्तु यह उद्देश्यहीन हो जाता है क्योंकि यदि स्वतंत्रता के समय हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी और अब यह बढ़कर 80 करोड़ हो गई तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति स्थिति को

[श्री तम्पन थामस]

नहीं संभाल सकता है। अधिक प्रसूती सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ यदि ऐसे कल्याणकारी उपायों से हम जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में समर्थ हो सके तब ही उनका अपेक्षित प्रभाव होगा। भारत सरकार में इस आशय का एक परिपत्र निकला था कि जिन सरकारी कर्मचारियों के दो या दो से कम बच्चे हैं उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुझे नहीं पता कि क्या यह परिपत्र औद्योगिक कामगारों पर भी लागू होता है या नहीं। विधेयक या अधिनियम में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सन् 1976 के बाद ऐसा संशोधन लाने से केवल इस बात का आभास होता है कि सरकार ने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है कि परिवार नियोजन मानदण्डों का पालन करने वाले व्यक्तियों को अधिक प्रोत्साहन या सुविधाएं दी जानी चाहिए। मेरा ऐसा अनुभव रहा है केरल राज्य सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उन्होंने गर्भपात के लिए कुछ राशि या कुछ सुविधाएं देना शुरू किया है। एक तरह से उन्होंने गर्भपात को वैधानिक बना दिया। अब इसे सरकारी तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। यदि आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपको गर्भपात से संबंधित बड़े-बड़े बोर्ड लगे मिलेंगे। दिल्ली में और दिल्ली के आस पास हर छोटी दुकान पर गर्भपात के बोर्ड लगे होते हैं। किसी समझौते या कार्यपालक आदेश के जरिए उन्होंने यह सुविधा देनी शुरू की है। यह देखा गया कि यदि बिना कार्य किए, वे डाक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो वे कुछ राशि और सभी प्रकार के हक और अधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो लोग राष्ट्र के भविष्य के लिए बलिदान कर रहे हैं, उनके मामले में ऐसी कठिनाइयां दूर की जाएं, और उन्हें उचित, सुरक्षित और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। इसका सम्पूर्ण अध्ययन किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर सरकार द्वारा विधेयक लाया जाना चाहिए जिसमें राष्ट्र के स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया गया हो और जिसमें मां और बच्चे को समाज में उचित आदर दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक में सब कुछ पुराना है-अर्थात उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों और परम्पराओं को अपनाया है कि विशेषत: भारत जैसे समाज में, जहां महिलाओं को उचित दर्जा और मान्यता नहीं दी जाती, वहां महिलाओं पर विशेष ध्यान कैसे दिया जाए। मुझे आशा है कि माननीय श्रम मंत्री इस प्रकार के संशोधन वाला विधेयक प्रस्तुत करेंगे क्योंकि उन्होंने मजदूर संघ के आंदोलनों में भाग लिया है और वह उन सभी समस्याओं को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय इस देश की कामगार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए एक उचित विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करती हूं। मूल अधिनियम सन् 1961 में अधिनियमित किया गया और इसके बाद सन् 1976 में इसे संशोधित किया गया। इसके बाद इस अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया। मुझे खुशी है कि इस अधिनियम के क्षेत्र में विस्तार करने और महिलाओं को अधिक प्रसूती प्रसुविधाएं देने के लिए माननीय मंत्री ने इस सदन के समक्ष यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया।

कुल मिलाकर हमारे देश में श्रम कानूनों को कम महत्व दिया जाता है। हम श्रमिकों के लाभ के लिए बहुत सारे श्रम-कानून पारित कर चुके हैं। किन्तु कार्यान्वयन स्तर पर मुझे संदेह है कि

इन कानूनों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। मुझे इस बात में भी संदेह है कि इन कानूनों के लाभग्राही व्यक्ति वास्तव में इन कानूनों के बारे में जानते हैं या नहीं। हमें यह देखना है कि सभी श्रम कल्याण उपायों को ठीक ढंग से लागू किया जाये और संबंधित व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए। हमें इन सुविधाओं को प्राप्त करने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सतत निगरानी रखनी पड़ेगी। मैं माननीय प्रधान मंत्री, राजीव गांधी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के समय यह कहा कि वह महिलाओं की पचास प्रतिशत जनसंख्या को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि अधिकांश महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल किया जाए और उन्हें विकासात्मक क्रियाकलापों में अधिक-से-अधिक शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी शैक्षिक, सामाजिक और नैतिक बुराइयां दूर की जानी चाहिएं और हमें सभी कार्यकलापों में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह देश की महिलाओं की आर्थिक और नैतिक सुविधाओं के लिए सापेक्ष महत्व की योजना तैयार कर रहे हैं।

इस संशोधन विधेयक में उन्होंने यह कहा है कि प्रसूति सुविधाएं पहले से थोड़ी अधिक दी जाएंगी। किसी महिला के कार्य दिवसों की अनिवार्यता को 100 दिन से घटाकर 80 दिन किया जा रहा है। महोदय 80 दिन ही क्यों हम इसे आसानी से दो माह कर सकते हैं। यदि कोई महिला दो माह कार्य कर चुकी हो तो उसे प्रसूति सुविधा प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए।

यहां उन्होंने यह भी कहा····"कि···जहां दस या दस से अधिक व्यक्ति कार्य करते हों"। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? हमें दस की संख्या नियत नहीं करनी चाहिए। महिलाएं ही तो प्रसूति सुविधा प्राप्त करने की हकदार हैं। इसलिए चाहे एक महिला कार्य कर रही हो या दस महिलाएं कार्य कर रही हों या महिलाओं का एक समूह कार्यरत हो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह तो पक्षपात है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से ऐसे प्रतिबंध हटाने की अपील करती हूं और यह कहने का अनुरोध करती हूं कि किसी कारखाने या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी दुकान या किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी महिला ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने की हकदार होनी चाहिए। यदि आप वास्तव में ऐसी महिलाओं की मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे उस खण्ड को हटाने का अनुरोध करूंगी और इस बात का भी अनुरोध करूंगी कि वह यह देखें कि सभी कार्यरत महिलाएं इस सुविधा को प्राप्त करने की हकदार हों।

ये सुविधाएं महिलाओं के लिए ही हैं। यहां मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। यदि महिला बच्चे को सामान्य प्रसव से जन्म दे तो उसे कम धन की आवश्यकता होगी। किन्तु यदि उसे सीजेरिअन ऑपरेशन या इसी प्रकार के ऑपरेशन से गुजरना पड़े तो उसे ठीक होने में अधिक समय लगेगा। उसे अधिक आराम की आवश्यकता होगी। इसलिए ऐसे मामलों में थोड़ी अधिक राशि दी जानी चाहिए। जब कोई महिला इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसने असामान्य परिस्थितियों में बच्चे को जन्म दिया है तो दी जाने वाली प्रसूति प्रसुविधा में तदनुसार वृद्धि की जानी चाहिए। अन्यथा उसे अत्यधिक असुविधा होगी। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सामान्य डिलीवरी वाली महिला और सीजेरिअन या अन्य किसी प्रकार के जटिल ऑपरेशन से गुजरने वाली महिला में भेद किया जाना चाहिए।

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगी। हमें यह सुविधा तीन या दो बच्चों तक सीमित कर देनी चाहिए। यदि बिना कोई सीमा निर्धारित किए हम ऐसी सुविधाएं देते रहे तो मै नहीं समझती कि हम राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे। हमारे देश की जनसंख्या की पहले ही विस्फोटक स्थिति है और यदि ऐसी सुविधाएं मिलती रहें तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अधिक बच्चे पैदा करके ये सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए, यदि ऐसी सुविधा दी जाती है तो कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिएं। मैं यह सुविधा दिए जाने की विरोधी नहीं हूं किन्तु उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। यह सुविधा अधिकतम तीन बच्चों तक दी जानी चाहिए। हमें यह सुविधा तीन से अधिक बच्चों के लिए नही देनी चाहिए, अन्यथा, यदि जनसंख्या इस तरह बढ़ती रही तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह कि यहां उन्होंने कर्मचारी का जिकर किया। कर्मचारियों को कड़ा दण्ड दिया जाएगा। जो कर्मचारी इसका दुरुपयोग करेगा तो उसे दण्ड दिया जाएगा या यदि यह उस महिला तक सीमित हो जो प्रसूति प्रसुविधा का दुरुपयोग करके काम से अनुपस्थित रही हो तो उसे दण्ड दिया जाएगा। यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिन्हें ये कानून लागू करने हैं क्या वे आपको इसके बारे में बताएंगे। क्या आपको विश्वास है कि वे आपके कानूनों को लागू करेंगे? मुझे संदेह है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। उनकी इसे निचले स्तर पर लागू करने में अधिक रुचि नहीं है। मुझे संदेह है कि उनकी ऐसे कार्यों में कोई रुचि नहीं है। इसलिए मैं सदन में यह कहना चाहती हूं कि उनकी गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस सदन में पारित किए जाने वाले अन्तिम संशोधन तक उन्होंने कितने मामले दर्शाए हैं, कितने मामलों में दण्ड दिया गया है, उन्होंने कितने लोगों को सूचना दी है, और निचले स्तर तक उन्होंने कितना प्रचार किया है। यदि ऐसा प्रचार नहीं किया गया है, यदि ऐसे अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, यदि वे इन कानूनों को लागू करना नहीं जानते और इन सुविधाओं को गरीब वर्गों तथा उन व्यक्तियों को प्रदान नहीं कराते जिन्हें ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है तो सदन में ऐसे सामाजिक कानून को पारित करने और तालियां बजाने का कोई लाभ नहीं है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का, मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए, धन्यवाद करती हूं।

2.22 म० प०

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं। वास्तव में पहले अनेक कानून और अधिनियम थे जिनका संबंध प्रसूति सुविधाओं और ऐसी अन्य बातों से था और इन सबको इस अधिनियम अर्थात प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में सुव्यवस्थित तथा समेकित किया गया और उसी समय से यह प्रचलित हुआ है और इसको लागू किया जा रहा है।

अंतिम बार इसका संशोधन 1971 में हुआ था और 1976 से लेकर अब तक 10 वर्ष से अधिक लगभग 12 वर्ष की अवधि बीत चुकी है और बहुत से सुझाव सामने आए हैं। इसकी समीक्षा कार्य दल ने भी की। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा भी आर्थिक प्रशासनिक सुधार

आयोग के कार्यदल ने की और उन्होंने भी इस अधिनियम में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। वास्तव में उन्होने भी इस अधिनियम में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। वास्तव में संशोधन प्रस्तावों का स्वागत है और यह अविवादास्पद है। अत: इनका स्वागत है। निश्चय ही इनसे वर्तमान अधिनियम में सुधार होगा।

महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे से पहले के माननीय और जानकार वक्ता अधिनियम में शामिल किए जाने वाले नए उपबन्धों के बारे में बोल चुके हैं। किंतु साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे सामाजिक श्रम कानूनों की भांति हमें गम्भीर शंकाएं हैं अर्थात उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित कार्यान्वियन के संबंध में। उद्देश्य तो उच्च तथा प्रशंसनीय है किन्तु इसे कौन लागू करेगा ? विभाग में बहुत कम कर्मचारी हैं। निरीक्षकों तथा अन्य क्षेत्र कर्मचारियों जिन्हें यह काम सौंपा गया है, उनके पास इस प्रकार का कार्य समर्पित भाव से करने का समय नहीं है। मुझे इस बात का भय है कि इनमें से कुछ लोग प्रबन्ध से पूरी तरह मिले हुए हैं। वे प्रबंध के दोषों को नहीं समझते हैं। यह दूसरी बात है।

यह अच्छी बात है कि अब यह महिला कर्मकारों को प्रसूति प्रसुविधा उपलब्ध कराने के लिए दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है। इसका स्वागत है। किंतु यह बताया जाता है कि यह ऐसी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हों। मैं पूछना चाहता हूं कि महिला कर्मकारों तथा अन्य कर्मकारों का पंजीकरण कहां है। दुकानदार तथा अन्य प्रतिष्ठानों के प्रबन्धक उनके पास नियुक्त व्यक्तियों का उचित रजिस्टर नहीं रखते हैं। वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार, श्रम विभाग, श्रम प्रणाली इस स्थिति से निपटेगी। किंतु महिला कर्मकारों का पंजीकरण कहां होता है ? उदाहरण के तौर पर बीड़ी और केन्दु पत्ता श्रमिक सभी जगह बिखरे हुए हैं। उन्हें पत्ते बांटे जाते हैं और यह अपने घरों में बीड़ी तैयार करते हैं। यह ठेकेदारों और कारखाने के मालिकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बहुत जगहों पर तो कोई रजिस्टर भी नहीं हैं। अत: मैं यह कहता हूं कि जब तक कार्यान्वियन मशीनरी की ओर से ईमानदारी से काम नहीं होगा तब तक सुनिश्चित ढंग से कुछ भी नहीं होगा। कानून अच्छे हैं। किंतु क्या इन्हें उचित रूप से कार्यान्वित किया जाएगा ? इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि न केवल दोषी प्रबन्ध में और फैक्ट्री स्वामियों के खिलाफ निवारक और सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए बल्कि दोषी कर्मचारियों और श्रम निरीक्षक आदि के विरुद्ध भी होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में और भी बहुत कुछ करना है।

जैसा हम जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म देते समय एक लाख में 417.6 की मृत्यु होती है। यह मृत्यु दर है। इसके विपरीत अमेरिका में यह दर केवल 12.1 है। थाइलैंड जैसे देश में यह दर 100 है। निसन्देह हमारी संख्या अभी भी अधिक है और इसलिए इस संख्या को और घटाने के लिए और गम्भीर प्रयास करने की जरूरत है। इससे पहले वक्ताओं ने जिसमें मुझसे पहले बोलने वाली महिला सदस्या भी है कुछ सुझाव दिए। भारत जैसे देश में हमें गर्भवती माताओं की बहुत देखभाल करनी है और प्रसूति के पश्चात् बच्चों की ओर भी ध्यान देना है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विधेयक का सम्बन्ध हमारी जनता के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात शिशु और माता का स्वास्थ्य से है। हमें इसी ओर ध्यान देना है। किंतु साथ ही आप जनसंख्या वृद्धि पर भी विचार कीजिए जो सबसे बड़ी शत्रु है। हम आर्थिक और विज्ञान के क्षेत्र आदि में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। किंतु यह प्रगति और समृद्धि जनसंख्या में असाधारण वृद्धि से नष्ट

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

हो रही है। आप इसको कैसे कम कर रहे हैं ? अतः माननीय महिला सदस्य ने यह सुझाव दिया कि यह सुविधाएं दो अथवा तीन बच्चों के जन्म तक ही सीमित होनी चाहिए। इससे इस पर निवारक प्रभाव पड़ेगा।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि कुछ सरकारी उपक्रमों में भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। मुझे उड़ीसा में चिप्पलीमा में भारत सरकार के कृषि फार्म से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जहां न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। किसी क्षेत्र में कुछ ठेकेदार कोई बहाना बना रहे हैं। ठेकेदार कहते हैं कि "चूंकि हमारे निविदा पत्र में जो दरें बताई गई हैं वह न्यूनतम मजदूरी के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए हम उससे कम देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते।"

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसमें महिला श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यह एक वर्ष के दौरान दिया जाता है। मैं यह निवेदन करता हूं कि यह सुविधा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसी योजनाओं पर भी लागू होनी चाहिए जिनमें एक वर्ष के दौरान 100 दिन की अवधि के लिए महिला श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है। यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। इसको कार्यान्वित करने में गम्भीरता और ईमानदारी से काम होना चाहिए। अन्यथा यह उचित ढंग से कार्यान्वित किए बिना संविधि-संग्रह में सम्मिलित होगी। साथ ही श्रम नियमों और अन्य नियमों की कार्यान्वयन प्रणाली में केन्द्र की ओर से उचित तथा कड़ी निगरानी होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं। मैं आदरनीय श्रम मंत्री को सदन में यह विधेयक लाने पर धन्यवाद देता हूं। यह एक प्रगतिशील कानून है। साथ ही मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि यह उचित ढंग से कार्यान्वित होता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के गुणों और उपबंधों के संबंध में कुछ कहने से पूर्व, मैं सदन को इस विधेयक के एक महत्वपूर्ण पहलू के सम्बन्ध में याद दिलाना चाहूंगी। जहां तक भारत की कामकाजी महिलाओं का संबंध है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम उनके विपरीत ही रहा है क्योंकि बच्चे को गंदे पानी की भांति फैंकने वाली स्थिति थी। स्थिति लगभग ऐसी ही थी। केवल इसलिए कि प्रसूति प्रसुविधा दी जा सकती है, विभिन्न संगठित उद्योगों जैसे पटसन, नारियल जटा और चाय बागानों में महिला श्रमिकों को निकाला जाता रहा है, और अभी तक वे इस क्षति को पूरा नहीं कर सके हैं। यह बहुत बुरी बात है। मामले के इस पहलू को याद रखा जाए। निश्चय ही यह 1943 नहीं है। महिलाओं की स्थिति भी ऐसी नहीं है। किंतु ऐसे प्रत्येक प्रयास से जो पर्याप्त नहीं है सामान्यतः लाभ प्राप्त करने के बदले उन्हें आक्षेप ही सहना पड़ा।

विशेष रूप से मैं मंत्री महोदय और पूरे सदन को और सामान्य रूप में समाज को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसे उपाय यद्यपि सीमित भी हों फिर भी किए जाने चाहिएं और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे एक भी महिला को उद्योग से नहीं निकाला जाए। यह मेरा प्रथम निवेदन है। क्योंकि इसके बिना किसी भी वृद्धि का कोई लाभ नहीं होगा।

विधेयक के संबंध में चर्चा करते हुए यह सच है कि विधेयक के शेष उपबन्धों का स्वागत है और निश्चय ही एक प्रकार का सुधार है। चूंकि मंत्री महोदय ने स्वयं पहले ही स्पष्ट किया है मुझे

समय बचाने के लिए उन सभी खंडों को नहीं दोहराना है। किंतु मैं कहना चाहती हूं कि इस विधेयक में जिस सुधार का सुझाव किया जा रहा है उसके बावजूद अनेक दृष्टिकोणों से अपूर्ण है। पहले इस विधेयक में जिन वर्गों की बात की गई है। मेरे विचार में और भी विभिन्न वर्ग हैं जो इस विधेयक के अंतर्गत आने चाहिए। मैं उस बात पर आ रही हूं।

दूसरा जिस समयावधि का सुझाव दिया गया है उसको नहीं बदला गया है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि प्रसूति सुविधा की अवधि तीन महीने नहीं होनी चाहिए किंतु इसमें कम से कम एक महीना और बढ़ाया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला की इच्छानुसार ही होना चाहिए और ऐसा नहीं कि यह बच्चे को जन्म से पूर्व और पश्चात् दी जानी चाहिए। हमारे परिवारों में ऐसा है कि बच्चे के जन्म के पश्चात् महिलाओं को पूरी तरह अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और जन्म देने से पूर्व स्वाभाविक तौर पर यह उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। अत: माता की इच्छा का यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऐसा होना चाहिए।

दूसरा पहलू कार्यान्वित तंत्र के बारे में है। मैं इस पहलू पर भी बोलूंगी और अपने सुझाव दूंगी। जहां तक वर्गों का संबंध है, सबसे पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। यहां जिस वर्ग का सुझाव दिया गया है वह है : "दुकान और प्रतिष्ठान।" क्या प्रतिष्ठान में अस्पताल और नर्सिंग होम भी आ जाते हैं ? यदि नहीं तो मेरे विचार से स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि "प्रतिष्ठानों" में अस्पताल और नर्सिंग होम भी आते हैं। सिद्धांत यह है कि यदि नर्सों को बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी जाए तब तो उनका ध्यान उनके बच्चों की ओर बंट जाएगा और वे रोगियों की देखभाल नही कर सकेंगी और यह सिद्धांत पूरी तरह अर्थहीन है। जो माताएं हैं उन्हें अन्य लोगों के बच्चों के प्रति सबसे अच्छी भावना होगी। यहां यह रोगियों पर भी लागू होता है। अत: स्पष्टीकरण अथवा अधिसूचना के द्वारा "प्रतिष्ठान" शब्द में अन्य ऐसे वर्ग भी समाविष्ट होने चाहिए जो अभी तक इस विधेयक में समाविष्ट नहीं किए गए हैं। मैंने इसी संबंध में अपना संशोधन दिया है किंतु समय बीत गया है। "प्रतिष्ठान" शब्द के विषय के विस्तार की पूरी सम्भावना है। मंत्री महोदय ऐसा कर सकते हैं। वह अच्छी तरह ऐसा कर सकते हैं। अत: मैं उनसे निवेदन करूंगी कि इस विषय पर विचार करें।

दूसरा, मैं अन्य वर्गों के सम्बन्ध में भी कहना चाहती हूं। कृषि श्रमिक तथा जनता के अन्य वर्ग भी हैं। इन बातों के संबंध में पहले ही मेरी बहन श्रीमती विभा घोष गोस्वामी ने उल्लेख किया है, और उन्होंने कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं। दूसरे एक माननीय सदस्य ने भी वर्गों के संबंध में बहुत संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं इन्हें नहीं दोहराऊंगी। अत: मैं कहती हूं कि यह वर्ग होने चाहिए। कृषि मजदूरों को 3 रु० मजदूरी मिलती है उनके चिकित्सा प्रसुविधा का भुगतान कौन करेगा ? उन्हें प्रसुविधा मिलनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कोष तैयार किया जाना चाहिए जिसमें नियोक्ताओं को कुछ दान करना चाहिए और सरकार को भी कुछ करना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तब तो बेचारी माताओं और कृषि मजदूरों को कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।

महोदय, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। ये बड़े प्रसांगिक प्रश्न हैं। विधेयक में या सरकार के परिपत्र द्वारा श्रेणीवार समयावधि बढ़ायी जानी चाहिए। सरकार को ऐसा करने का पूरा अधिकार है।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

समयावधि बढ़ाने के लिए माताओं की इच्छाओं के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूं। क्रियान्वन तंत्र के बारे में यह कहना चाहती हूं कि यह कोई नयी बात नहीं है। इस प्रकार के कानूनों तथा अच्छे कानूनों को वास्तविक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। क्रियान्वन उचित रूप से नहीं किया जाता है। इसमें एक उपबन्ध बनाया गया है कि केवल महिलायें ही अपने मामलों को आगे नहीं बढ़ा सकती बल्कि स्वयंसेवी संगठन ऐसा कर सकते हैं। मैं इसका पूरी तरह से स्वागत करती हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि क्रियान्वयक्त के लिए निरीक्षण के बजाए एक निरीक्षणालय बनाया जाना चाहिए। ऐसे निरीक्षणालयों में व्यापार यूनियनों तथा संगठनों के प्रतिनिधि होने चाहिए। जिससे वहां जाकर शिकायत दर्ज की जा सके। परन्तु शिकायत पर ध्यान कौन देगा? यदि वहां आप और एक आदमी होगा तो आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं हालांकि सभी आदमी आवश्यक रूप से गलत नहीं होते हैं। मेरा यह भाव नहीं है। परन्तु यह विचार है कि स्वयंसेवी संगठनों को शिकायत दर्ज करनी चाहिए तथा क्रियान्वन तंत्र में इसका सहयोग होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि अकेले निरीक्षक के बजाय प्रत्येक स्थान पर निरीक्षणालय होने चाहिए ताकि सामूहिक संस्था उन शिकायतों को निपटा सके। अन्यथा सामाजिक दवाब नहीं रहेगा।

दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में जिसे बहुत से सदस्यों ने अनेक तरीकों से उठाया है कि जिन महिलाओं के दो या तीन से अधिक बच्चे हैं उन्हें प्रसूति सुविधायें नहीं मिलनी चाहिए। पिछली बार चौथे वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि दो बच्चों बाद महिलाओं को प्रसूति सुविधायें न दी जाए परन्तु मुझे यह समझाना पड़ेगा। मैं जानती हूं कि चौथे वेतन आयोग में कोई महिला नहीं थी। उसमें केवल पुरुष थे। यहां भी पुरुष बहुत हैं महिलायें बहुत कम हैं। परन्तु अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो कि बच्चे पैदा करने में अधिक सक्रिय कौन है। क्या महिलायें हैं। कभी नहीं। यदि आपको जनसंख्या के बारे में इतनी चिंता है तो यह कितनी हंसी की बात है। आप कह सकते थे कि यदि दो से अधिक बच्चे होंगे तो आदमी को मजदूरी नहीं मिलेगी। यदि आप इसे नियंत्रित करने के लिए कहते तो मैं इसका समर्थन करती।

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : मैं जनसंख्या नियन्त्रित नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं नियंत्रित करने के लिए कह रही हूं। परन्तु यह दंडनीय उपायों के द्वारा नहीं बल्कि प्रोत्साहनों द्वारा किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

डॉ० गौरी शंकर राजहंस (भंभारपुर) : उनका कहना है कि अधिक सक्रिय को दंड दिया जाना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि कोई सक्रिय है तो पीड़ित को नहीं; बल्कि उसे दंड दिया जाना चाहिए। परन्तु यह सिफारिश करते समय किस प्रकार दिमाग काम करता है कि जिस महिला के दो से अधिक बच्चे हों उसे दंड दिया जाना चाहिए। इसे ही पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अन्य बहुत सी हंसी की बातें हैं। 1986 में एक मामले पर होहल्ला हुआ। वह क्या था? भुज में एक दूर संचार की श्रमिका को प्रसूति सुविधाएं नहीं दी गई थीं। यह कह गया कि वह अविवाहित है। सरकार विभाग ने बचाव के लिए एक परिपत्र जारी किया कि अविवाहित महिलाओं को प्रसूति सुविधाएं नहीं दी जा सकती जैसे कि अविवाहित

महिला ने बच्चा स्वयं पैदा किया हो। यह निसंदेह हंसी की बात है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन में कभी नहीं कह गया कि···(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : कुन्ती ने स्वयं एक बच्चा पैदा किया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह शादी का एक तरीका है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप ठीक कहते हैं यदि यह परिपत्र पातिव्रत बचाने के लिए जारी किया गया था। दुर्भाग्यवश जब वह लड़की न्यायालय में गयी तो कहा गया कि शादी के बाद उसने अपना उपनाम नहीं बदला था। यह मामला था। यह वास्तव में अविवाहित मां का मामला नहीं था। यह विवाहित मां थी। परन्तु उसका उपनाम नहीं बदला था।

लेकिन स्वयं अदालत ने फैसला देते समय स्थिति का बचाव किया है। उन्होंने कहा ठीक है विवाह बच्चों के लिए कोई कसौटी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ऐसा नहीं कहता। यह लड़की प्रसूति प्रसुविधाओं को प्राप्त करने की अधिकारी है तथा उसके बाद परिपत्र वापिस लेना पड़ा। यह सब अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद हुआ। हमारी व्यवस्था इस प्रकार की है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के सम्बन्ध में इसके लागू किए जाने वाले भाग में सारी चर्चा पुरुषों के बारे में है स्त्रियों के विषय में नहीं जिनके लाभ के लिए यह अधिनियम पास किए जाते हैं। अत: मैं अनुरोध करती हूं हमने जो कुछ पहले से श्रेणीवार कुछ सुझावों को उन्हें विधेयक में शामिल कर लेना चाहिए।

निश्चितरूप से इस्टेब्लिशमेंट वर्ग में नर्सों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि इस वर्ग को इस प्रकार से अलग रखा जाता है तो वास्तव में समाज के इस भाग के साथ बहुत ही निर्दयता बरती गई है।

यदि मैं अन्त में कुछ कहती हूं तो कृपया मुझे धमकी नहीं दें। गृहणियां भी प्रसूति प्रसुविधाओं की अधिकारी हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके दो या तीन दिन बाद से इन बेचारी गृहणियों को काम करना शुरू करना पड़ता है। क्या घर का काम काम नहीं हैं ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन के समझौते के अनुसार घर के कामों के लिए धन अदा किया जाना चाहिए। अत: इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए—जो गृहणियां काम काजी नहीं हैं आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि आप इसे तुरन्त करें। लेकिन आप इस पर विचार करें इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा जब आप योजनाएं बनाएं इसे भी उसमें शामिल करें।

मुझे आशा है कि हमारे जो सुझाव रचनात्मक हैं आप उन्हें स्वीकार करेंगे। तथा मुझे यह भी आशा है स्थिति में बदलाव अच्छी दिशा में होता है। धन्यवाद।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं। यह माननीय मंत्री महोदया पर निर्भर करता है कि वे इस पर विचार करें तथा मेरे संशोधन को स्वीकार करें। मेरा संशोधन खण्ड 2(1) के बारे में है। "फैक्टरी, खाने अथवा बागान" शब्दों के बाद 'या निगम' शब्द जोड़ा जाए। कुछ निगम ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है; कुछ निगम ऐसे भी हैं जो बिल्कुल व्यक्तिगत हैं। अत: 'निगम' शब्द को जोड़ा

जाना चाहिए। अथवा अन्यथा अदालत इसका अर्थ अलग लगा सकती है। विशेष रूप से यह शब्द जोड़ा जाना चाहिए।

दूसरे लागू करने वाले अधिकारियों के बारे खण्ड 8 (2) में यह कहा गया है :

"निरीक्षक स्वप्रेरणा से या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद की प्राप्ति पर जांच कर सकेगा या करा सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(क) संदाय सदोषत: विधारित किया गया है तो वह निदेशों के अनुसार संदाय दिए जाने का निदेश दे सकेगा;

इसमें उसके आदेश क्या होंगे तथा वह आदेश कैसे देगा, नियमों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। खण्ड 8 (2) (ख) भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है :

"उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्युक्त या पदच्युत किया गया है तो वह ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित हो।"

अत: यह निरीक्षक के विवेक पर छोड़ दिया गया है, लेकिन नियमों में इसका स्पष्टरूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, नहीं तो व्यवहारिक रूप से अधिकारी हो जायेगा वह कुछ भी निर्णय दे सकता है।

इसी प्रकार खण्ड 11 के धारा 23 के एक प्रतिस्थापन है। यदि शिकायत की जाती है तो चाहे प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट अथवा कोई मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई करता है; लेकिन अपराध संज्ञेय बनाया जाना जाहिए।

अत: दो प्राधिकारी हैं। एक प्राधिकारी है इंस्पैक्टर और दूसरा न्यायालय। दो प्राधिकारियों के बीच संघर्ष होगा। इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि आप इस अधिनियम को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस अपराध को संज्ञेय अपराध क्यों नहीं मानते ? आप यह क्यों चाहते हैं कि शिकायत दर्ज की जानी चाहिए ? निर्धन श्रमिक न तो शिकायत दर्ज करा सकता है, न ही अपने खर्च पर न्यायालय जा सकते हैं। हममें से जो लोग चीन गए थे उन्होंने देखा कि कारखानों में नौटिस बोर्ड पर ही महिलाओं के नाम लिखे हैं और उनके नाम के आगे उनके द्वारा अपनाए गए परिवार नियोजन के तरीके का उल्लेख किया गया है। चीन में एक ही बच्चा होने का मानदंड रखा गया है। अत: जब हम अपने देश में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की बात करते हैं तो हमें इसके लिए उन्हें हतोत्साहित भी करना चाहिए। हमें नियमों में यह जरूरी कर देना चाहिए कि ये उपबन्ध उन महिला कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

इस कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वित करने के बारे में काफी कुछ कहा गया है। खेतिहर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के बारे में मेरे सहयोगियों ने कई संशोधन भी दिए हैं। यह संभव नहीं है क्योंकि कृषि के क्षेत्र और किसी असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिला कर्मचारियों के बारे में राज्यों तथा केन्द्र के पास कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि आप वास्तव में इस अधिनियम को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो राज्य

सरकारों के श्रम विभाग को बी०डी०ओ० के सहयोग से असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों के जो हमारे देश के कुल कर्मचारियों का 90 प्रतिशत है आंकड़े तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह अधिनियम इस समय केवल इस देश की कुछ महिलाओं के लिए ही सहायक होगा।

कार्यान्वयन के बारे में कई सदस्यों ने बोला है। कार्यान्वयन के स्तर पर जिस बारे में बहुत कुछ कहा गया है—इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका जिक्र हमें पारिचालित की गई श्रम आंकड़े पुस्तिका में किया गया है। हमने देखा कि 1987 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि अंत:-राज्यीय प्रवासी कर्मचारियों पर अधिक बल दिया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। मैं कहता हूं कि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। श्रम विभाग की परामर्शदात्री समिति ने कुछ राज्यों का दौरा किया था और कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। हमें यह देखकर बहुत दु:ख हुआ कि श्रम मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को छोड़कर असंगठित श्रमिकों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी किंतु चर्चा के लिए कार्य सूची में कोई गुंजाइश न होने के कारण इस पर चर्चा नहीं की जा सकी। विभाग के सचिव ने बताया कि इस पर आगामी जनवरी में चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

इसी तरह राज्य मंत्रियों के सम्मेलन संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि दावा अधिकारियों और दंड अधिकारियों को खंड स्तर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में खंड स्तर पर बल दिया गया है। उस स्तर पर क्या किया गया है? मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण दें। जब हम कर्मचारियों की भलाई की बात करते हैं तो इसे ठीक से कार्यान्वित किया जाना चाहिए अथवा मात्र अधिनियम पारित कर देने का कोई फायदा नहीं है। पुन: 1987 में हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड और त्रिपक्षीय निकायों द्वारा विधान के कार्यान्वयन की नियमित संवीक्षा करने का निर्णय लिया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सलाहकार बोर्डों और त्रिपक्षीय निकायों द्वारा किए गए विधान के कार्यान्वयन के संबंध में कोई संवीक्षा की गई है। क्या सलाहकार बोर्ड काम कर रहे हैं? क्या संवीक्षा से लिए सलाहकार बोर्ड बनाए गए हैं, उन्होंने सरकार को क्या सिफारिशें की हैं? और सरकार ने उन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

दूसरी सिफारिश यह थी कि राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन के भुगतान को लागू करें। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका सही कार्यान्वयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए उत्प्रवासी अधिनियम को लीजिए। इसे कड़ाई से कार्यान्वित नहीं किया गया है। हम कर्मचारियों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे हर बार पीड़ित किए जाने पर शिकायत करें। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के हजारों श्रमिकों पर अत्याचार किया गया है और उन्हें विदेश भेजने के लिए दिल्ली लाया गया है। श्रम ठेकेदारों ने प्रत्येक मजदूर से 10000 रुपये से 15000 रुपये तक लेकर उन्हे पीड़ित किया है। इन परिस्थितियों में, यदि अधिकारी चाहे कि कुछ श्रमिकों को शिकायत करनी चाहिए और केवल तब ही कार्यवाही की जाएगी, तो यह व्यर्थ होगा। ज्यों ही संसद सदस्य, स्वयंसेवी संगठन अथवा समाचार पत्र श्रम विभाग का ध्यान इस ओर दिलाएंगे, श्रम विभाग कार्यवाही करे और इस बात को ध्यान में रखे कि पुलिस पर केवल मजदूर द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर ही कार्यवाही करने के लिए बात न छोड़ी जाए। अन्यथा मजदूरों पर

[श्री सोमनाथ रथ]

इस तरह अत्याचार और उनका शोषण नहीं रुकेगा। अतः श्रम विभाग को आगे आना चाहिए और जब ऐसी बातों की ओर ध्यान दिलाया जाए तो उन्हें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। वास्तव में, मैं श्रम विभाग का और विशेष रूप से श्री टंडन का, जो आप्रवास विभाग के संयुक्त सचिव और निदेशक थे, आभारी हूं कि उन्होंने श्रमिकों का शोषण करने वाले कुछ श्रम ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी-कार्यवाही की। लेकिन श्री टंडन द्वारा वह पद छोड़ने के बाद क्या किया गया है? उन दोषी व्यक्तियों ने पुनः अपने सिर उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या श्रम मंत्रालय ने उन बेइमान ठेकेदारों के विरुद्ध और कोई अभियोग लगाया गया है? उन्होंने वापिस आकर फिर लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया है। अधिकांश ऐसे लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। अतः मैं पुनः सुझाव दूंगा कि संसद सदस्यों या किसी अन्य से कोई सूचना मिलने पर श्रम विभाग को पहल करनी चाहिए। इसका कार्यान्वयन मुख्य बात है। यह काम ईमानदारी से किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों को वांछित लाभ मिल सकें।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मेटर्निटी अमेंडमेंट बिल-87 जो यहां पर लाया गया है, का समर्थन करता हूं और साथ साथ मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इस अमेंडमेंट के जरिए कुछ और महिलाओं को भी मेटर्निटी बेनीफिट्स के परव्यू में लाया गया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें इसमें बहुत अच्छी हुई हैं। **(व्यवधान)**

2.59 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, श्रम मंत्री महोदय ने कुछ और शाप्स में और स्टेब्लिशमेंट्स में इस बिल को लागू किया है, लेकिन अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट मे एक औरत भी काम करती है तो वहां पर इस बिल को लागू क्यों नही किया गया। 10 की सीमा क्यों रखी गई है, यह समझ में नहीं आता कि जहां पर 10 हों वहां पर यह बिल क्यों लागू होना चाहिए।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : दस वर्कर होने चाहिए, महिलाएं चाहे जितनी हों।

श्री शांति धारीवाल : यही मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में 5-6 औरतें हैं और मेल वहां पर नहीं हैं तो उन पर इस बिल के जरिए कितना बड़ा अत्याचार है।

3.00 म०प०

उसको भी इसका हक मिलना चाहिए। अगर किसी एस्टेबलिशमेंट में कुल नौ आदमी काम करते हैं और उनमें एक ही औरत हैं तो उसको भी बेनीफिट मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे एस्टेबलिशमेंट हैं जहां पर सिर्फ औरतें ही काम करती हैं जैसे इलेक्ट्रॉटिक्स गुड्स में है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर बीस आदमी काम करते हैं लेकिन नौ ही शो करते हैं। अभी डा० राजहंस जी ने कहा था कि राम का राभी और फिर पामी हो जाता है। आपने हमेशा ही श्रमिकों का साथ निभाया है इसलिए आप जानते होंगे कि हर औरत को जो वर्किंग वुमेन है, उसको अगर हम मेटरनिटी

बेनीफिट दिलवा सकते हैं और दिलवाने की कोशिश होनी चाहिए। यह पाबंदी न हो कि दस या पन्द्रह हों। मेटरनिटी बेनीफिट सिर्फ पहले बच्चे तक वर्किंग वुमेन को मिलना चाहिए, दूसरे बच्चे के समय नहीं मिलना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : इसमें क्या सिर्फ औरत का ही दोष है, पुरुष का कोई दोष नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री शांति धारीवाल : पापुलेशन बढ़ती जा रही है। औरत और आदमी चाहे कोई हो, एक बच्चे से ज्यादा बेनीफिट नहीं मिलना चाहिए। अगर औरत को बेनीफिट पहुंचता है तो वह मर्द को भी पहुंचता है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे देश के समाज में ऐसा नहीं चलता है।

श्री शांति धारीवाल : समाज को बदलना पड़ेगा···(**व्यवधान**)···यह आपने अच्छा किया कि 25 रुपये की बजाए 250 रुपये कर दिये हैं। हमारी तनख्वाह भी बढ़ गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ढाई सौ रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। पहले बच्चे का सारा खर्च जब तक मेटरनिटी होम से औरत घर न चली जाए तब तक पूरा खर्चा एस्टेबलिशमेंट को उठाना चाहिए। कानून तो आपने बहुत बना दिये हैं। लेकिन जहां-जहां इन्सपैक्टर्स इन्वाल्व होते हैं, उनको मजबूत करने के लिए ये कानून बन जाते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी को अगर आप सही तरीके से पालन करने के लिए कहेंगे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा न्याय होगा। आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने मैटरनिटी बेनीफिट अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। यह सही है कि सन् 61 में यह कानून बना था। उस वक्त यह कुछ संस्थानों और प्रतिष्ठानों को ही कवर करता था। बाद में 1976 में इसमें फिर संशोधन हुए। उसके बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र छूट गए थे, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए श्रम मंत्री जी जो इस क्षेत्र के सिद्धहस्त, अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं, ने उन खामियों को दूर करने के लिए काफी कोशिश की है जिनकी ओर इशारा किया गया था कई संस्थानों द्वारा इस प्रचलित कानून में संशोधन करने के लिए यह सही है, वैसे तो समस्याओं का समाधान होता है और समस्यायें फिर बनती रहती हैं, लेकिन यह सही है कि जो संशोधन इसमें लाया गया है वह काबिले तारीफ है। उससे संख्या में महिलाओं को राहत मिलेगी। हिन्दुस्थान इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमारी सरकार वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है डिलीवरी के बीच का वह दुनिया से सबसे ज्यादा, ऐसा हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया है और उसके आधार पर उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उसके अनुसार भारत में 'मृत्यु' दर प्रति लाख 417,6 है, अमेरिका में 12.1 प्रतिशत है और बैंकाक में 100 है। इससे प्रतीत होता है कि पोस्ट नेटल एण्ड प्री नेटल केयर जितना होना चाहिए आज भी हम उतना मुहैया नहीं करा रहे हैं। चाहे वह किसी भी वजह से हो। जो महिलायें प्लांटेशन में काम कर रही हैं, खान में काम कर रही हैं या अन्य जगहों पर काम कर रही हैं जिनके हितों की सुरक्षा उन्हें नहीं मिल पाई थी गर्भावस्था में उनको सुविधायें देने का काम श्रम मंत्रालय ने किया है। चाहे 160 से घटाकर 80 दिन करके, चाहे कवरेज को बढ़ाकर किया, लेकिन कानून बन,

[डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी]

जाना ही काफी नहीं होता। जो ओवजेक्ट होता है कानून बनाने का और जिसके लिए बनता है अगर इन दोनों की पूर्ति नहीं होती है तो यह मात्र कानून की किताब में पन्ना जोड़ना ही हो जाता है। राज्य सरकारें इसे लागू नहीं कर सकतीं, न केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई सिस्टम इंट्रोडूस किया है जिससे रजिस्टर रखा जाये और मालूम पड़े कि हर प्रतिष्ठान में कितनी महिलायें काम करती हैं और उनकी संख्या कितनी है। जब रजिस्टर बनेगा ही नहीं तो किस आधार पर आप देखेंगे कि मेटरनिटी बेनिफिट मिलता है या नहीं। इसलिए कड़ाई से इस बिल का पालन करायें और काम्प्रेहेंसिव करते हुए ऐसा सिस्टम बनायें जिसमें वेलफेयर आर्गेनाइजेशंस का भी रोल हो, विमेन्स आर्गेनाइजेशंस का भी रोल हो, राज्य सरकारों का और केन्द्र सरकार का भी रोल हो, श्रम मंत्रालय केन्द्र सरकार दोनों मिलकर यह स्कीम बनायें जिससे बेनिफिशरीज को बेनिफिट मिले, यह सुनिश्चित किया जा सके। आपने जो डिफाल्टर इम्पलाइज के बारे में उल्लेख किया है उसमें मैं श्रम मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो प्रावधान है कि अगर कोई एग्रीव्ड महिला है और वह एक वर्ष के अन्दर अपना क्लेम करती है तो वह क्लेम फोरफिट हो जायेगा। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको सारी जिन्दगी लड़ने का हक दिया जाना चाहिए। इसलिए एक वर्ष की जो सीमा रखी है कि अगर वह इस अवधि में क्लेम नहीं करती है तो उसका क्लेम करने का कोई फायदा नहीं तो जो कानून की भावना है यह ठीक नहीं है, इसको सरल किया जाना चाहिए। उसे इस बात का हक दिया जाना चाहिए कि वह जब चाहे क्लेम कर सकती है। इसी प्रकार आपने व्यवस्था कर दी है एग्रीव्ड वर्क्स या विमेंस आर्गेनाइजेशन के लोग यह समझते हैं कि प्रसूति प्रसुविधा की सुविधा नहीं मिल रही है तो वह कोर्ट में जा सकते हैं, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं इन्सपेक्टर को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि शांति धारीवाल जी ने बताया कि कोर्ट में जाकर चाहे वह मेट्रोपोलिटिन न्यायाधीश की कोर्ट हो, या एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो बीस वर्ष तक मुकदमा लड़ना पड़ेगा, उसके आरनामेंट्स सब बिक जायेंगे आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था भी करा दें कि इन क्लेम्स का निपटारा अधिक से अधिक 15 दिनों में या 30 दिनों में अवश्य हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि एक ओर तो उसे ये बैनिफिटस भी न मिलें और दूसरी ओर अदालतों के 500 बार चक्कर काटने में उसको जो खर्चा करना पड़े, उसके लिए उसे अपना घर बेचने को मजबूर होना पड़े। आजकल स्थिति ऐसी ही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप वास्तव में महिला वर्कर्स को मैटरनिटी बैनिफिटस देना चाहते हैं तो इस मामले में एक टाइम लिमिट अवश्य रखें। ऐसे केसेज चाहे वे इंसपेक्टर के स्तर पर हों, किसी मजिस्ट्रेट के स्तर पर हों या न्यायपालिका के स्तर पर हों, उन का निर्णय कम से कम समय में करा दिया जाए।

अभी कुछ समय पूर्व एक सम्मानित महिला सदस्य ने सुझाव दिया था कि जिन महिला वर्कर्स के दो या तीन बच्चे हों उन्हें इस एक्ट के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। उसका कारण यह है कि पौपूलेशन कन्ट्रोल करने के लिए भारत सरकार हर साल हजारों करोड़ों रुपया खर्च करती आ रही है परन्तु उसका जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। दूसरे प्रजातन्त्र में प्यूनिटिव प्रोसेस कभी सफल नहीं हो सकता। इसके बजाए यदि हम एजूकेशन के माध्यम से, अवैयरनेस बढ़ाकर, इसकी सीरियसनैस समझा कर पौपूलेशन कन्ट्रोल करायें तो वह ज्यादा इफैक्टिव सिद्ध हो सकता है। यदि कोई महिला गर्भावस्था की एडवांस स्टेज में हो, नवें महीने हम उससे कहें कि तुम्हें काम अवश्य करना पड़ेगा नहीं तो डिस-

मिस कर दिया जाएगा, उसे कोई बैनिफिट न दें तो मेरे ख्याल से यह उसके साथ अमानवीय व्यवहार माना जाएगा। इसका कोई औचित्य प्रतीत होता कि हम उन महिलाओं को न तो छुट्टी दें और न किसी तरह के बैनिफिटस दें। ऐसे समय उसे आराम की सख्त जरूरत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पौपूलेशन कन्ट्रोल होना चाहिए क्यों कि उसके बिना हमारी सारी वरक्की निगेटिव होती जा रही है परन्तु मैं इस सदन में दिए गए उस सुझाव को बिल्कुल वाजिब नहीं मानता। इन्सानियत का तकाजा है कि इस मामले में कोई लिमिट नहीं लगाई जानी चाहिए। यदि कोई महिला वर्कर प्रिगनैंट हो गई तो उसे तमाम सुविधायें मिलनी ही चाहिएं।

इसी क्रम में, मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बहुत से संस्थान और प्रतिष्ठान एम्पलाईज स्टेट इन्श्योरैंस स्कीम के अंतर्गत गवर्न होते हैं, उनमें तो प्री-नैटल, पोस्ट नैटल केयर और दूसरीं मैडीकल फैसिलिटीज काफी मात्रा में उपलब्ध रहती है परन्तु जब यह बिल एक्ट बन जाएगा तो ऐसे दुकान, ऐसे इंस्टीट्यूशन्स या संस्थान, जहां 10 लोग भी काम करते हैं, जिसमें एक दो महिलाएं भी हैं, में जब यह कानून लागू होगा तो हमने उन महिलाओं की पोस्ट नैटल केयर के लिए मात्र 250 रु० की रकम निश्चित की है, जिसे आजकल के महंगाई के जमाने में मैं बिल्कुल नाकाफी मानता हूं क्योंकि इससे तो लैक्टोज भर का काम भी नहीं चलेगा। इस राशि से उसके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं की जा सकती। हिन्दुस्तान में न्यूट्रीशन एक प्रौब्लम है। गरीबी या पारिवारिक भार को वजह से आज भी महिलाओं को गर्भावस्था में जिस आयरन, कैलशियम और प्रोटीन युक्त खुराक की आवश्यकता होती है, वह उसे नहीं मिल पाती। वर्तमान बिल में आपने यह राशि 25 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी है, इसे उन्नतिशील कदम ही माना जाएगा, लेकिन जिस मंशा से इस रकम में बढ़ोत्तरी की गई है, वह आजकल की परिस्थितियों में अब भी नाकाफी है। इसे और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। दरअसल, इस अवस्था में महिलाओं को एनीमिया, रक्तांघता जैसी अनेक प्रकार की काम्प्लीकेशन्स हो जाया करती हैं तो आफ्टर डिलीवरी उसके ट्रीटमैंट की उचित व्यवस्था के लिए उसे काफी सहायता मिलनी आवश्यक है। यदि कोई भूखा व्यक्ति सामने आ जाए और हम उसे खाना खिलाना चाहें तो एक चम्मच चावल दे देने से उसकी भूख शांत नहीं हो सकती, उसे कम से कम इतना अवश्य खिलाया जाना चाहिए ताकि उसकी भूख शांत हो जाए, वह जी सके और काम कर सके।

ऐसे भी हमारे कई संस्थान और इस्टैब्लिशमैंटस हैं जहां आपके विभाग को यह पता लगाने में दिक्कत आयेगी कि महिला वर्कर्स को ये सुविधाएं दी भी जा रहीं हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, कई उद्योगों में सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं, जैसे कारपैट इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, जहां टैंडर फिंगर से काम होता है, नौटिंग आदि कार्य भी महिलाएं ही करती हैं, परन्तु उन कारखानों में उन महिलाओं का कोई एनरोलमेंट नहीं होता, वहां कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता, सिर्फ महिलाओं को आवश्यक सामान दे दिया जाता है और वे अपने घरों में ही महीने, दो महीने चार महीने में कारपैट बनाकर तैयार कर लेती हैं और एम्पलायर को दे आती हैं। उनके हितों की रक्षा कैसे हो। यहां कई सम्मानित सदस्यों ने बीड़ी वर्कर्स के संबंध में भी सुझाव दिए हैं जिनकी संख्या हिन्दुस्तान में लाखों में है।

3.15 प०प०

इनकी भी यही हालत है, पत्ते इनको घर भेज दिए जाते हैं, महिलाएं इन्हें तैयार करती हैं। इन्हें वैलफेयर बैनिफिट कैसे मिले ?

[डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी]

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके इम्पलीमैंटेशन आस्पेक्ट को गम्भीरता से देखा जाए, रजिस्टर तैयार किया जाय और जो इन नियमों का उल्लघंन करे, उनको अन्ततोगत्वा कॉगनीजेबल आफेंस के अंतर्गत दंडित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : निःसंदेश यह विधेयक मूल अधिनियम, अर्थात प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। महोदय, इस संशोधन के संबंध में मेरी आशंका यह है कि 1961 से लेकर आज तक मूल अधिनियम सरकार की फाइलों में बंद पड़ा था; इसे कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया। और मैं यह भी नहीं कह सकता कि इस विधेयक में जो संशोधन लाया गया है, वह भी कागजी कार्यवाही ही होगा।

संविधान के निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 42 में, जो कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, कार्य करने की उचित और मानवीय परिस्थितियों तथा प्रसूति राहत का प्रावधान, उप-शीर्षक का सही समावेश किया है। काम करने वाले लोगों, विशेषकर विभिन्न उद्योगों, सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में काम करने वाली महिलाओं से संविधान के अंतर्गत यह वायदा किया गया था और सरकार ने अथवा संबंधित संरक्षकों ने महिलाओं की समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप लोगों को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन उपायों को कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। मेरे राज्य आसाम में लाखों लोग अंग्रेजी शासन के दौरान चाय बागानों में काम करने के लिए आए थे और आज भी देश के अन्य लोगों की तुलना में उनकी हालता बदतर है। यदि आप वहां जाएं तो आपको वहां काम करने वाली महिलाओं की दुर्दशा देखकर हैरानी होगी। चाय उद्योग में काम कर रही उन महिलाओं को 2 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, यदि आप सिलचर या कछार जिले में जाएं तो आप देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम कर रही महिला श्रमिकों के साथ सरकार द्वारा किए गए वायदे का क्या हुआ ? केन्द्र सरकार के विभिन्न संस्थानों में काम कर रही महिलाओं के साथ सरकार द्वारा किए गए वायदे का क्या हुआ ?

सभापति महोदय : राज्य सरकारों के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री भद्रेश्वर तांती : ठीक है, यदि राज्य सरकारें इस मामले में सुषुप्त है तो क्या केन्द्र सरकार को भी आंख मूंद लेनी चाहिए। आप जिम्मेदारी बांट सकते हैं। यदि राज्य सरकारें इस मामले में जागृत नहीं हैं तो आपको आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए।

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की परम्परा को स्वीकार किया है। किन्तु इसे केवल कागजों पर ही अपनाया गया है, सिद्धान्ततः नहीं। निःसंदेह राज्य प्रसूति लाभ से संबंधित कानून को कार्यान्वित कर रही है, केन्द्र सरकार नहीं। निःसंदेह सरकारी विभागों में काम कर रही महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। मैं यह मानता हूं कि मुझे यह बात सच्चाई और ईमानदारी से कहनी चाहिए। लेकिन जो लोग उद्योगों में कार्य कर रहे हैं उनका भविष्य अंधकारमय है। उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। हमने उनसे वायदा किया है और सरकार को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लाभ कर्मचारी वर्गों को भी मिलें। हम यह देखते हैं कि—मुझे यह देखकर हैरानी होती है पुराने अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अथवा नये अधिनियम के खंड 11 के अंतर्गत कौन सुनवाई करेगा? इसे अपराध कौन मानेगा ? केवल इंसपेक्टर, संगठन तथा ट्रेड यूनियन ही, अन्य कोई नहीं। यह एक नागरिक इसे अपराध क्यों नहीं मान सकता। अधिनियम के इस विशेष उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिए वह निरीक्षक अथवा अदालत के सम्मुख शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर सकता है ? दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस को सौंप सकता है। लेकिन इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक प्राधिकारी के सम्मुख शिकायत दर्ज क्यों नही कर सकता है ? यह दोहरे मापदंड किस लिए हैं ? जहां तक दंडित होने का प्रश्न है तो मेरे सम्मुख ऐसा एक भी मामला नहीं आया है जिसमें कानून का उल्लंघन करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रबंधकों को सजा अथवा दंड दिया गया हो। मेरे राज्य में महिला कामगारों को कभी भी नियमित नहीं किया जाता है। नौ महीने के बाद उनके नाम प्रबन्धकों द्वारा बदल दिए जाते हैं ताकि वे सभी लाभों से वंचित रहें। यह सारे देश में हो रहा है।

आज का बच्चा कल का प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन जन्म ले रहे बच्चों के प्रति क्या बचनबद्धता है ? वे भोजन, आश्रय तथा कपड़ों के अभाव में मर रहे हैं। हालांकि हम स्वयं को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, कल्याणकारी देश मानते हैं लेकिन कामकाजी वर्ग के कल्याण के लिए, कामगारों के बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को कभी भी कार्यान्वित नहीं किया जाता है। यदि वह इन सभी कठिनाईयों को सहन करेगा तो आप यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह एक अच्छा नागरिक होगा ? निजी क्षेत्र में महिलाओं को प्रसूति लाभ तथा अन्य सुविधाएं कभी भी नहीं दी जाती हैं। ऐसी कोई एंजेसी नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि ये कानून समुचित रूप से लागू हो रहे हैं या नहीं। यदि निजी क्षेत्र में इन कानूनों के लागू न होने का इंसपेक्टर को पता लगता भी है तो उन्हें कभी सजा नहीं दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कामगारों की सुरक्षा हेतु सकारात्मक उपाय किए जाएं; अन्यथा आपके प्रधान मंत्री का यह कथन 'गरीबी हटाओ' केवल कागजों पर ही रहेगा।

श्री विजय एन० पाटिल (ईरन्दोल) : मैं प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय किए हैं चाहे ये कर्मचारी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में हो या फिर सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र अथवा छोटी फैक्ट्रियों में हों। लेकिन मैं इस उपाय के बारे में कहूंगा कि यह अच्छे उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया बहुत अच्छा कार्य है।

हर व्यक्ति अपने बच्चे की देख-भाल करता है। लेकिन विचार योग्य मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हम उस बच्चे की बाल्य अवस्था में उसकी देख-भाल करने में सक्षम हैं। विज्ञान के विकास के साथ हम समाज में परिवर्तन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले की संयुक्त परिवार पद्धति समाप्त हो रही है। अब परिवार का मतलब पति-पत्नी तथा बच्चे से ही है। अब बहुत छोटे-छोटे परिवार हैं। ज्यादातर मामलों में देश के लगभग सभी भागों में पहले पचास या सत्तर लोगों तक का परिवार हुआ करता था। बड़ी वय के लोग बच्चों की देखरेख किया करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि मां को भी आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है। अनेक महिलाएं अब फैक्ट्रियों, सरकारी

[श्री विजय एन० पाटिल]

उद्यमों और कार्यालयों में कार्य करने लगी हैं। जहां तक सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं का संबंध है, वे यह लाभ ले रही हैं लेकिन छोटी इकाइयों में ये लाभ समुचित रूप से नहीं दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि अनेक बार नियोक्ता अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते। इसे रोकने के लिए समुचित अवधि के लिए उन्हें छुट्टी दिलाने के लिए और छुट्टी पर जाने वाले व्यक्ति को समुचित धनराशि देने के लिए सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है। सरकार द्वारा चिकित्सा लाभ को 25 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये करने के निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। लेकिन जैसे हम भविष्य निधि अधिनियम के मामलों में करते हैं यानी यदि भविष्य निधि अधिनियम का पालन नहीं किया जाता अथवा इसकी राशि जमा नहीं होती है तो इसे संज्ञेय अपराध माना जाता है और नियोक्ता को तुरंत सजा दी जाती है लेकिन यहां पर ऐसी सजा की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले मित्रों ने कहा है, यह आवश्यक है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम से बचने वालों को संज्ञेय अपराध के अन्तर्गत लाया जाए।

हमारे मन्त्रिमंडलीय स्तर तथा राज्य मंत्री दोनों ही श्रम मंत्रियों का श्रमिकों के कल्याण के क्षेत्र में काफी अनुभव है। लेकिन जहां तक प्रसूति प्रसुविधा योजनाओं का संबंध है तो मैं कहना चाहूंगा कि राजीवजी के जोशीले सोच-विचार के अनुसार महिला उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन देने का सुझाव है। ये रियायतें उद्योग प्रारम्भ करने वाली महिलाओं को नकद रूप में राजसहायता अथवा अन्य रियायतें देना है। महिला उद्यमियों से हमारा यह अभिप्राय है कि इनके उद्यमों में कर्मचारियों का कम-से-कम 50 प्रतिशत भाग महिलाएं होनी चाहिएं। अत: इन मामलों में यदि इस दस की संख्या को, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु निम्नतम आवश्यकता है, घटा कर पांच कर दिया जाए तो यह अधिक उचित होगा।

इस अधिनियम के तहत पौधे लगाने तथा अन्य फैसिलिटीज को लाया गया है लेकिन निर्माण-ठेकेदारों के लिए क्या किया गया है ? वे महिलाओं को दैनिक मजदूरी के आधार पर नौकरी देते है लेकिन वे इसके लिए बहुत अधिक महिलाओं को नौकरी देते हैं। अत: इस प्रकार के नियोक्ताओं को, चाहे वे भवन निर्माण के ठेकेदार हों या सड़क निर्माण के ठेकेदार हों या बांध निर्माण के ठेकेदार हों, इस अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिए। यदि ठेका 10 लाख रुपये से अधिक का है और ठेकेदार के पास महिलाएं कार्यरत हैं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि कम-से-कम दस महिलाएं वहां कार्यरत हैं। अत: निर्माण के ठेकेदारों को भी इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए और उन्हें भी अपने पास कार्यरत महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा देनी चाहिए।

मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि यदि उनके अधिक बच्चे हैं तो उन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए। हम यूरोप में देखते हैं कि वहां सरकारें दम्पत्तियों को अधिक बच्चे पैदा करने हेतु प्रोत्साहन देती है। लेकिन यहां इसके विपरीत है। किंतु यहां स्थिति इसके विपरीत है। अत: यह हतोत्साह अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है। हमारा देश एक कल्याणकारी देश है और हम एक समाजवादी पद्धित का समाज चाहते हैं लेकिन यदि एक व्यक्ति 10 बच्चे पैदा करता है तो प्रश्न है कि क्या सभी 10 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए अथवा यदि एक व्यक्ति 12 बच्चे पैदा करता है तो प्रश्न है कि क्या इन सभी बच्चों को राशनकार्ड द्वारा अन्न दिया जाना चाहिए। हमें इस बारे में पुनर्विचार करना है। जो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हें अधिक रियायतें दी जानी चाहिएं। यहां इस मामले

में भी हम ऐसा कर सकते हैं। यदि बच्चा पहला है तो अवकाश दिवसों की संख्या अधिक होनी चाहिए, यदि बच्चा दूसरा है तो अवकाश दिवसों में थोड़ी कमी होनी चाहिए और तीसरे बच्चे के लिए और अधिक कटौती होनी चाहिए और चौथे बच्चे के लिए नियोक्ता को अवकाश देने के लिए तो कहा जाना चाहिए लेकिन उसे वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह अधिक बच्चे पैदा करने पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबन्ध होगा। अतः वहीं तो हमें ये उपाय प्रारम्भ करने हैं और यह विधेयक इसके लिए उचित है जहां हम इन उपायों को लागू कर सकते हैं और हम प्रत्यक्ष रियायतें दे सकते हैं तथा बच्चे अधिक पैदा करने पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगा सकते हैं।

अन्त में, मैं कहूंगा कि यह एक अत्यंत अच्छा उपाय है लेकिन मेरे मित्रों का कहना है कि बोनस 250 रुपये से अधिक होना चाहिए क्योंकि यह पर्याप्त धनराशि नहीं है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं मेटरनिटी बैनीफिट बिल, 1988, जो वर्किंग वीमैन को प्रोटेक्शन देने के लिए मंत्री जी लाए हैं, उसके लिए उनको बधाई देना चाहती हूं।

आठवीं लोक सभा का हमारा एचीवमेंट यह है कि महिलाओं की भलाई के लिए बहुत सारे बिल इस हाऊस में लाए गये हैं। यह बिल बहुत अच्छा है लेकिन मुझे दो-चार बातें जरूर कहनी हैं। और जो दूसरे मेम्बर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती। पहली बात तो मैं यह कहना चाहती हूं कि कानून बनाना बहुत आसान है लेकिन उसका इम्पलीमेन्टेशन पूरी तरह से करना बहुत कठिन है। इनडिसेन्सी टू वीमैन बिल, डाउरी प्रोहीबीशन बिल, सती को रोकने वाला बिल आदि इस हाउस में पास हुए और राईट टू इक्वल वेजेज टू वीमैन का कानून भी इस हाउस में बना लेकिन बात यह है कि हर कानून का इम्पलीमेन्टेन प्रोपरली हमारे देश में नहीं होता है। यह ठीक है कि अकेले गवर्नमेंट का यह काम नहीं है और हर आदमी को इस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन बात यह है कि सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए। यह जिम्मेवारी सरकार की है। यह जो मेटरनिटी बैनीफिट बिल मंत्री मंत्री जी लाए हैं, मैं उनसे कहूंगी कि पहले दिल्ली से इसको शुरू किया जाए। दिल्ली के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं जैसे इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में यह मेडिकल बैनीफिट नहीं मिलता। इसको विभा जी ने रेज किया है। दिल्ली देश की कैपीटल है और दिल्ली कैपीटल में अगर एक चीज इम्पलीमेंट नहीं होती है, तो बाहर कैसे होगी। इसलिए पहले आप दिल्ली से शुरू कीजिए। उससे दूसरे राज्यों को मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है।

एक चीज आपने बहुत अच्छी की है कि पहले जो 160 दिन काम करने की लिमिट थी मैटरनिटी बैनीफिट देने के लिए, उसको रिड्यूस करके 80 डेज किया है। आपने अच्छा किया है। हमारे देश में टी प्लान्टेशन में ऐसी लेबर है, ऐग्रीकल्चर लेबर है, कंस्ट्रकशन में लेडीज काम करती हैं, बीडी इंडस्ट्री में लेडी वर्कर काम करती हैं, अनआरगेनाइज्ड सेक्टर में वीमेंस काम करती हैं।

[कुमारी ममता बनर्जी]

आपने जब इस बिल में 80 डेज की लिमिट फिक्स कर दी है तो इनमें क्या होगा कि वे लोग 79 डेज में उनकी नौकरी खत्म कर देंगे या कोई अलग से रजिस्टर बना लेंगे जिनमें उनकी अलग से नौकरी दिखा देंगे। इस तरह से वे लोग वीमेंस को एक्सप्लोएट करेंगे। आपने यह 80 दिन की लिमिट क्यों रखी है ? आपको जब वीमेंस को मेटरनिटी बेनीफिट देना है तो ये डेज फिक्स नहीं करना चाहिए। आपको सबको बेनीफिट देना चाहिए। क्योंकि इस डेज की लिमिट फिक्स करने से वीमेंस का एक्सप्लायटेशन हो सकता है। इस पर ध्यान देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं।

शाप्स एण्ड एस्टेब्लिशमेंट में जहां दस लोग काम करते हैं वहां आपने कहा है कि उनको मेटरनिटी लीव मिलेगा। लेकिन बहुत सारे सोफिस्टीकेटिड सामान बनाने के छोटे-छोटे सेन्टर हैं जिनमें तीन-चार या पांच-छः वर्कर काम करते हैं उनको तो इसका बेनीफिट नहीं मिलेगा। जब आपने दस की लिमिट फिक्स कर दी है तो वे लोग इसका हाफ मेम्बर कर देंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जब आपको बेनीफिट देना है तो सभी वीमेंस वर्कर को देना है।

हमारे देश में जो वर्किंग वीमेंस हैं इनका बहुत सारे फील्ड में कोई मस्टर रोल नहीं है कि किस सेक्टर में कितनी लेडी वर्कर काम करती हैं। एग्रीकल्चर में कितनी लेडी वर्कर काम करती हैं, बीड़ी इंडस्ट्रीज में कितनी लेडी वर्कर काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन में, स्माल स्केल इंडस्ट्री में, काटेज इंडस्ट्री में कितनी लेडी वर्कर काम करती हैं इनका कोई मस्टर रोल अभी तक हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इनका मस्टर रोल रखना चाहिए। जब आपइनका मस्टर रोल रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस-किस सेक्टर में कितने-कितने लेडी वर्कर काम करते हैंऔर फिर उनको इस बिल का एडवांटेज मिल सकेगा।

हमारी जो वीमेंस काम करती हैं पहले तो उनको बहुत काएडवांटेज मिलते हैं दूसरे उनको एम्पलाएमेंट भी बहुत कम मिलती है। आप सारी कंट्री के एम्पलाएमेंट एक्सचेंज के रजिस्टर उठा कर देख लीजिये कि उनको एक साल में कितनी नौकरी मिली है। आपको इससे मालूम हो जायेगा। आप इसके लिए सर्वे करा कर देख लीजिये। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि लेडीज को नौकरी में पूरी अपोरचुनिटीज नहीं मिलती हैं। एक आफिस में जब सौ लोगों का रिक्रूटमेंट होता है तो उनमें दो लेडीज को मौका मिलता है। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम मौका मिलता है। आपको लेडीज को एम्पलाएमेंट में पूरा मौका देना चाहिये। उनके लिए उसी तरह से कोटा फिक्स कर देना चाहिये जिस तरह से ए०आई०सी०सी० ने 30 परसेंट लेडीज के लिए कोटा रखा है। यह बहुत अच्छी बात होगी। आपको इसके लिए देखना चाहिये कि यह कैसे हो सकता है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिये।

एक बात और है कि किसी भी लेडी वर्कर को मिनियम वेज नहीं मिलता है। इसके लिए एक्ट है लेकिन इसका पालन नहीं होता है। आप तो बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं, आप इंटक के प्रेजीडेंट भी रहे हैं। आपको तो मालूम है कि हर सेक्टर में लेडीज का किस तरह एक्सप्लोयटेशन होता है। प्राइवेट सेक्टर वाले तो उन्हें बहुत चीट करते हैं। इसलिए आपको लेडी वर्कर के बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मेटरनिटी लीव के बारे में और दूसरे एडवांटेज के बारे में कोई उनका एक्सप्लोयटेशन न कर सके। आप इसके लिए इंस्पेक्टर अपोइंट करेंगे, यह भी अच्छी बात है। लेकिन

इसमें देखना यह होगा कि उनका जल्दी से जल्दी क्लेम पास हो । इसके बारे में आप लोक अदालत से भी इस प्राब्लम को सोल्व करा सकते हैं कि एक पीरियड में उनका क्लेम पास हो जाए।

एक बात मैं चिल्ड्रन के बारे में कहना चाहती हूं कि वे हमारी नेशनल प्रापर्टी हैं । उनको हमें नेशनल प्रापर्टी समझकर ट्रीट करना चाहिये । जिन लोगों के पास पैसा है, प्रापर्टी है उनके बच्चों के लिए तो कोई प्राब्लम नहीं होती । लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उन्हीं के बच्चों को सारी प्राब्लम होती है । इसलिए अपने देश एक यूनिफार्म पालिसी बनाकर बच्चों की देखभाल करनी चाहिये । यही अच्छा होगा ।

हमारी गुजरात गवर्नमेंट मेटरनिटी बेनीफिट के लिए असिसटेंश देती है । लेकिन और कोई गवर्नमेंट यह असिसटेंश नहीं देती है । एग्रीकल्चर में अनआरगेनाइज्ड सेक्टर में हमारी गुजरात गवर्नमेंट असिसटेंश देती है तो और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यह असिसटेंश देनी चाहिये ।

अनआरगेनाइज्ड सेक्टर में मस्टर रोल नहीं है जिससे वीमेन वर्कर्स का बहुत एक्सप्लायटेशन होता है इसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिये । एग्रीकल्चर लेबर्स के बारे भी आप ध्यान दीजिये ।

यह बिल बहुत अच्छा है । इस बिल का ठीक से इम्पलीमेंटेशन हो इस पर आप ध्यान देंगे इसकी मुझे आशा है । इससे वीमेन वर्कर्स को बेनीफिट मिलेगा ।

3.41 म०प०

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : सभापति महोदय, यह जो मेटरनिटी अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया है, जिस पर बहस चल रही है, इस पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं । मेरे अन्य साथियों ने भी अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं । इस पर विचार करते समय मुझे एक याद आती है कि एक बार मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ कार में जा रहा था तो उन्होंने एक जुमला मुझसे कहा कि कितनी औरतें ऐसी हैं जो सड़कों पर अपने बच्चे जनती हैं । कितनी गरीबी है, गुरबत है । इस गरीबी को आप दिमाग में रखिये । यह बात सही है कि हमारे उद्योगपति और बड़े-बड़े आदमी अपनी महिलाओं को बच्चा होने से पहले अस्पताल दाखिल करा देते हैं, उनके पास रुपया होता है, रुपये की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ऐसी गरीब महिलाओं को भी देखिये जो सड़कों पर बच्चे जनती हैं । आप दिल्ली की झौंपड़ियों में जाकर देखिये कि उनकी क्या हालत है, आप यहां पर बैठे हैं, लेकिन गुजरात की हालत वहां पर जाकर देखिये । क्या गरीब इस बात को जानते हैं कि मेटरनिटी बेनीफिट मिलता है । आप गरीब की हालत जाकर देखिये कि किस तरह से वह अपनी ज़िंदगी गुजारता है । उनको अस्पताल देखने को भी नहीं मिलता है ।

इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो अमेंडमेंट यहां पर प्रस्तुत किये हैं, इनमें से कुछ की मैं ताईद करता हूं, कुछ की नहीं करता । अभी त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आपने जो 250 रुपये किये हैं, 250 रुपये में आजकल क्या होता है । पुराने जमाने में लोग अपनी पत्नी के लिए 10 किलो देशी घी लेकर रखते थे, जब उसको बच्चा होने वाला होता था, आज इसकी कीमत 700 रुपये है । तो 250 रुपये से उनका क्या होगा । इनको पूरा फायदा मिलना चाहिये । जब तक स्त्री अस्पताल से घर नहीं आ जाती, पूरा आराम नहीं करती, तब तक उसको पूरी तन्ख्वाह और पूरे फायदे मिलने चाहिये ।

[श्री मोहम्मद महफूज अली खां]

मैं त्रिपाटी जी की इस बात से भी सहमत हूं और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसको काग्नीजिबल आफेंस बनाना चाहिए, इसके बिना इस पर अमल नहीं होगा, क्योंकि इंसपेक्टर कारखाने वालों से मिल जाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, रिश्वत का बाजार बहुत गर्म है, आप यकीन मानिए।

3.45 म०प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

इसको काग्नीजेबल आफेंस बना दीजिए। जिन कारखानों में सिर्फ चारया पांच औरतें हैं, उनके लिये भी कम्पलसरी कर दें। बड़े अस्पतालों में गरीब की औरतें नहीं जाती सिर्फ बड़े लोगों की औरतें ही जाती हैं और वे ही बेनीफिट उठाती हैं। गरीब औरतों की कोई केयर नहीं करता। इंसपैक्टर्स भी कारखानेदारों से मिले होते हैं और सही रिपोर्ट नहीं देते। कानून तो आप बना लेते हैं लेकिन इसका इम्पलीमेंटेशन भी सही तरीके से होना चाहिए, इसकी हमेशा शिकायत रहती है। बिल में जो अमेंडमेंट हैं, वह बहुत अच्छे हैं, उनकी मैं ताईद करता हूं। ममता जी ने ठीक कहा कि कोई मस्टर रोल नहीं होता कि कितनी औरतें काम करती हैं। मस्टर रोल बनना चाहिये और बाकायदा इसका रिकार्ड होना चाहिये कि कितनी लेडीज काम कर रही हैं चाहे वह प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में हों। उनको मेटरनिटी बेनीफिट मिलना चाहिये। बाहर के मुल्कों जैसे यू०के० वगैरह में सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब बच्चा पैदा होने को होता है तो मां अस्पताल में दाखिल हो जाती है और उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, मां-बाप से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। वे ही परवरिश करते हैं, अलाऊंस देते हैं और अच्छे फीडिंग से अच्छा बच्चा पैदा होता है।

[अनुवाद]

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर): क्या इसे राज्य का दायित्व बना दिया जाए ?

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : हां, निश्चित रूप से यह होना चाहिये।

[हिन्दी]

यहां भी वैसा ही होना चाहिये। आप जरा यह देखें कि झौंपड़ियों में रहने वाली औरतों के साथ डॉक्टरों और नर्सों का क्या रवैया होता है। उनको कोई नहीं पूछता। सारे बेनीफिट बड़े लोगों को ही मिलते हैं। इंसपैक्टर्स से कह दीजिये कि वे आंखें खोल लें क्योंकि वे कारखानेदारों से मिले हुए होते हैं और सही रिपोर्ट नहीं देते। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री महाबीर प्रसाद यादव (माधीपुरा): सभापति महोदय, हमारे देश व हमारी संस्कृति में महिलाओं को सम्मानित स्थान दिया गया है।

"यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते; रमन्ते तत्र देवता, कुपुत्रो जायते पचीदपि कुमाता न भवति"

मैं इसका भाव बता देता हूं : "यह सही कहा गया है कि ईश्वर सब जगह नहीं जा सकते हैं, अत: बच्चों की देख-भाल के लिए मां को भेजा गया है।" परन्तु पाश्चात्य संस्कृति के आरम्भ के बाद एक कवि की कविता आजकल चल रही है।

'स्त्री, कुत्ता और झुका हुआ वृक्ष, जितना काटेंगे उतना अच्छा होगा।'

जब से पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी हो रही है, महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना हमारे पूर्वजों ने दिया था।

अब मैं विधेयक की विशेषताओं पर आता हूं। मैं सोच रहा था कि माननीय मंत्री दुबेजी चोकि बिहार के मुख्य मन्त्री थे तथा बहुत ही दयावान माने जाते हैं दुबे को चौबे और चौबे को छबे बना देंगे। परन्तु जब हमने विधेयक को पढ़ा तो इसका उल्टा देखा। "दोनों जगहों पर 160 दिन के स्थान पर 80 दिन कर दिया जाये।" अर्थात् दुबेजी ने छबेजी नहीं बनाया। बल्कि उन्होंने उसे दुबेजी बना दिया। मैं सोचता था कि वह उसको कम-से-कम वैसा ही रहने देंगे जैसा था। यह बात मैं ने अधिनियम को ठीक से न समझने के कारण कही है।

एक और बात जो मुझे कहनी है, यह है मैंने बहुत से सदस्यों को कहते हुए सुना है, कि जिनके पास है वह लेंगे और जिनके पास नहीं है वह नहीं लेंगे। यह दुःख की बात है कि कोई भी कानून बना दिया जाये परन्तु लाभार्थी लाभ नहीं उठा पाते हैं। प्रधान मंत्री के शब्द देश में गूंज रहे हैं कि 6 रुपये में से 1 रु० ही लाभार्थी को मिल पाता है, प्रधान मंत्री के इस भाषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक कहानी की ओर आकर्षित करता हूं।

[हिन्दी]

एक राजा था डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि आप एक किलो मक्खन खाओ तो आपकी सेहत सुधर जायेगी। तब उसने इसके लिए एक इंसपेक्टर रखा कि एक किलो मक्खन खिलाया करो मुझे, इंसपेक्टर आधा खुद खा जाता था और आधा राजा खाता था। राजा की सेहत बिगड़ गई तो एक इंसपेक्टर और रखा गया। तो एक चौथाई मक्खन राजा को मिलने लगा और तीन चौथाई वह दोनों खाने लगे। इस तरह से धीरे-धीरे राजा की मूंछ में ही मक्खन लगता था, मुंह में नहीं जाता था

[अनुवाद]

किसी भी तरह से कोई भी कानून बनाया जाये तो लाभ, लाभार्थियों को ही मिलना चाहिए। यही सरकार का असली उद्देश्य होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का यह संशोधन केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू नहीं होना चाहिए। मैं श्री मैफूज अली खान का भाषण सुन रहा था, जब उन्होंने पूछा था कि उन महिलाओं का क्या होगा जो प्रसव के एक ही दिन बाद खेत में कटाई के लिए चली जाती हैं। मैंने देखा है कि एक महिला प्रसव के एक दिन बाद ही खेत में काम कर रही थी। मैं सोच रहा था कि हमारे उदार मन्त्री महोदय इस अधिनियम की सीमा बढ़ा देंगे। परन्तु मुझे यह दिखाई नही दिया। किसी भी कानून के अन्तर्गत उन्होंने केवल दुकान अथवा प्रतिष्ठान को ही रखा है। यहां भी वह दुबेजी हैं और उन्होंने इस अधिनियम का क्षेत्राधिकार नहीं बढ़ाया है। मैं सलाह देता हूं कि इसका क्षेत्र बढ़ाकर उन गरीब महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए जो प्रसव के तुरन्त बाद खेतों में काम करने चली जाती हैं।

मैं मैफूज अली खान से सहमत हूं। ऐसे अस्पताल हैं जहां उन माताओं का ख्याल नहीं रखा जाता जो बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं। अतः मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस अधिनियम का क्षेत्र बढ़ा देना चाहिए तथा सरकार जो भी लाभ देने का प्रस्ताव कर रही है वह असली लाभार्थियों तक अवश्य पहुंचना चाहिए। केवल कानून बनाना ही काफी नहीं है।

[श्री महाबीर प्रसाद यादव]

अन्त में, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि मातायें ही नहीं बल्कि बच्चों की भी उचित देखभाल हो।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति जी, सदन में प्रस्तुत मैटरनिटी बैनिफिट अमेंडमेंट बिल, 1988 का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मेरे पूर्व-वक्ताओं ने काफी विस्तार में जा कर इस बिल के सम्बन्ध में बहुत अच्छे-अच्छे रचनात्मक सुझाव दिए हैं लेकिन मैं अपने आपको दो-तीन मुख्य सुझावों तक ही सीमित रखूंगा।

सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस बिल की क्लाज 4 (सी) की सब-क्लाज (3) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"वह अधिकतम कालावधि जिसके लिए कोई स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, बारह सप्ताह होगी, जिसमें से छह सप्ताह से अनधिक उसके प्रस्ताव की प्रत्याशित तारीख के पूर्व होंगे।"

[हिन्दी]

मैं स्वयं मेडिकल क्षेत्र से आता हूं इसलिए मुझे इस सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी भी है कि जनरली प्रसव काल 40 हफ्ते का माना जाता है। प्रसव काल के 22वें से 24वें हफ्ते तक, जो बच्चा मदर के बूम्ब में रहता है, वह वायबल होने लगता है, घूमने लगता है। यह अवस्था 24वें हफ्ते तक अवश्य आ जाती है। इसलिए मैटरनिटी बैनिफिट के लिए आपने जो बारह हफ्ते की इस बिल में व्यवस्था की है उसे बढ़ाकर 16 हफ्ते कर दिया जाना चाहिए, अर्थात् 8 हफ्ते डिलीवरी से पूर्व और 8 हफ्ते डिलीवरी के पश्चात् अवश्य ही मिलने चाहिए और वह भी तब, जब कि डिलीवरी नौर्मल हो। शायद आपको मालूम होगा कि डिलीवरीज भी दो प्रकार की होती हैं—नौर्मल और एब्नौर्मल—और कभी-कभी एब्नौर्मल डिलीवरी में ऐसी पोजीशन भी आती है कि दो दिन, तीन दिन या पांच दिन तक या एक हफ्ते तक भी, काम्पलीकेटिड डिलीवरी चलती रहती है। उसमें खासकर गरीब महिला मजदूरों का जितना खर्च आता है, जो एग्रीकल्चर सैक्टर से या किसी दूसरे ऐसे ही सैक्टर से आती हैं, उनके लिए मात्र 250 रुपये में सारा खर्चा कर पाना बिल्कुल असम्भव है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां आप 12 हफ्ते के बदले 16 हफ्ते की एक महिला वर्कर को सुविधा दें, वहीं इस 250 रुपये के प्रावधान को भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि काम्पलीकेटिड डिलीवरीज का खर्चा भी वे गरीब महिलायें उठाने में समर्थ हो सकें। वैसे यह खर्चा उनके एम्पलॉयर को वहन करना चाहिए क्योंकि काम्पलीकेटिड डिलीवरीज में कई दवायें ऐसी होती हैं जिनकी कौस्ट इतनी ज्यादा होती है कि 250 रुपये में कुछ नहीं हो पायेगा।

4.00 म०प०

तो यह पूरी की पूरी कॉस्ट एम्पलॉयर की तरफ से मिलनी चाहिए। मेरी एक तो यह डिमांड है माननीय मन्त्री जी से आपकी मारफत। दूसरी है, और भी पहले के लोगों ने बताई है, मान्यवर,

कांट्रेक्ट लेबर के विषय में और केजुअल लेबर के विषय में, इन दो चर्चाओं पर अपने को केन्द्रित करना चाहिए, खासकर अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में। यह बात बिल्कुल तय है कि मैटर्निटी बेनिफिट ज्यादातर आर्गेनाइज्ड सैक्टर में मिलेगा। अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर, और वह भी मौस्टली एग्रीकल्चर लेबर की बात मैं करना चाहता हूं और उसमें भी ईंट के भट्टों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि जब ईंट के भट्टे लगाए जाते हैं, तो उनमें बहुत महिलाएं काम करती हैं। उनका रजिस्ट्रेशन करना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जो रजिस्टर होता है। वह प्रॉपरली मैंनटेन नहीं होता है। तो ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं, जो कि प्राईवेट सैक्टर में और रूरल एरियाज में हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां कि ज्यादातर महिलाएं कार्यरत हैं, उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ईन्ट के भट्टे की बात मैंने कही। इसके साथ ही, "क्वैरीज" शब्द भी इस्तेमाल होना चाहिए इस बिल में ताकि इस प्रावधान को हम बड़े से बड़ा बना पाएं। क्वैरीज में भी बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। यह सर्वविदित है। हमारे बिहार से, उड़ीसा से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो कांट्रेक्ट लेबर के रूप में पंजाब और हरियाणा में जाते हैं और वहां पर एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करते हैं उनमें भी आधी महिलाएं हुआ करती हैं। तो उनके ऊपर भी यह प्रावधान लागू होना चाहिए।

मान्यवर, यह एक बहुत अच्छी बात है कि डाटा बैंक की बात कही गई है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक उस सैक्टर को आर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सुविधा जो हम आर्गेनाइज्ड सैक्टर को देने की बात करते हैं, अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर को नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस सुविधा को आर्गेनाइज्ड सैक्टर को देने के साथ-साथ अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर को भी, खासकर एग्रीकल्चर लेबर को पहुंचाना चाहिए। एग्रीकल्चर लेबर के विषय में माननीय मन्त्री जी का एक बहुत बढ़िया कंसैप्ट है और वह इस पर बहुत आगे काम कर रहे हैं। इसलिए इसको जल्दी-से-जल्दी अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में पहुंचाएं और उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए।

मान्यवर, तीसरी बात जो अंतिम बात है, वह कार्यान्विति के सम्बन्ध में है। कार्यान्वयन के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। कार्यान्विति में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, मैं यह मानता हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें मात्र सरकार को ही ब्लेम करें, तो यह बात अच्छी नही है, खासकर के कुछ ऐसे सैक्टर हैं जिनमें कि सरकार का बहुत बड़ा हाथ नहीं होता है, वह दूसरे की मिलीभगत से कारोबार चलाते हैं। बहुत सारे उद्योग हमारे यहां हैं, जिनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और बिना रजिस्ट्रेशन के उद्योग चला रहे है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे उद्योगों में 10 की संख्या बनी है, 10 तक बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसे उद्योग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मिनिमम वेजेज उसमें नहीं मिलते हैं, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे उद्योगों में, वे किस रूप में कार्य कर पाएंगे, इसके विषय में भी माननीय मन्त्री ध्यान दें, तो काफी बेहतर होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, इस अधिनियम में संशोधन लाने से पहले पिछले चार वर्षों में अनेक श्रम कानूनों पर इस सदन में चर्चा की गई। वे हैं : बाल श्रम उत्सादन अधिनियम पांच घंटे का काम, दो घंटे का विश्राम; आराम करने के स्थान तथा उनको रात्रि विद्यालयों में भेजना, आदि, हम ऊंची-ऊंची बाते करते हैं। मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। इस सदन में श्रम के सम्बन्ध जो कुछ भी चर्चा हुई है उसका प्रत्येक शब्द मुझे ज्ञात है परन्तु उसका 1 प्रतिशित भी

क्रियान्वित नहीं किया गया है। केवल राज्य सरकारों का ही दोष नहीं है। बल्कि केन्द्र सरकार ने भी इसको लागू नहीं किया है जबकि सदन के आठ दिन बर्बाद हो गये हैं। भविष्य निधि को 8.33% से 10% बढ़ाने की भी घोषणा की गयी थी। बहुत तालियां बजी थीं। श्री संगमा यहां बैठे थे। हमने भी कहा था कि यह अच्छा है। कर्मचारी अवकाश प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से अधिक भविष्य निधि प्राप्त करेंगे। इसका रेडिया, टी०वी० व अन्य सरकारी प्रचार माध्यमों से खूब प्रचार किया गया। इसको इस वर्ष मार्च या अप्रैल में पारित किया गया था। इसके बाद मैंने अपने सभी कर्मचारियों को महाराष्ट्र और गुजरात में बता दिया था कि सभी को 10% भविष्य निधि मिलेगी। आपके राजीव गांधी···**···बैठे हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री विश्वेश्वरी दुबे : मैं इस पर आपत्ति करता हूं।

डॉ० दत्ता सामंत : मैं अपनी बात पर स्थिर हूं। **(व्यवधान)** इस सरकार ने उद्योगपतियों को सूचित कर दिया है। **(व्यवधान)**

मैं आपके पापों का भण्डाफोड़ कर दूंगा।

आप श्रमिकों के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

डॉ० दत्ता सामंत : यह असंसदीय नहीं है। **(व्यवधान)** महोदय मैं नहीं बैठूंगा। **(व्यवधान)**

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ** **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं चाहता हूं कि अपमानजनक टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये। कृपया इस पर अपना विनिर्णय दीजिये। **(व्यवधान)** यह अपमानजनक टिप्पणियां मानहानिपूर्ण हैं। अतः इन्हें निकाल देना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। आप इन्हें बोलने दें।

डॉ० दत्ता सामंत : मैंने बम्बई में अपने कर्मचारियों से कहा था कि सरकार ने भविष्यनिधि को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। नियोजक इसे सरकार के दबाव के कारण नहीं बल्कि मेरे दबाव के कारण देने को किसी समय तैयार हुए हैं। इस सरकार ने उन्हें सूचित कर दिया है। यद्यपि नौ महिने बीत चुके हैं परन्तु अभी तक तारीख निश्चित नहीं हुई है। ये केवल बनावटी आंसू हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि उपदान अधिनियम जिसको इस सदन ने पारित किया था की

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

क्या स्थिति है···(व्यवधान) इस विधेयक का भी यही हश्र होने वाला है। उपदान अधिनियम पारित किया गया तथा इस सदन में तालियां बजीं कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी तथा खण्ड 4 के अनुसार यह जीवन बीमा निगम के पास जमा होगा। यह अच्छा था क्योंकि 150 फैक्ट्रियां बन्द थीं तथा कर्मचारियों को उपदान नहीं मिल रहा था, परन्तु उन्हें ब्याज तो मिलेगा। परन्तु खण्ड 4 बाद में अधिनियम से हटा दिया गया इस तरह कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा रही है।

देश के कानूनों को लागू करने का यह तरीका नहीं है। क्या आप कोई भी श्रम कानून, जो इस सदन ने पारित किया है, लागू कर पाये हैं ? यह केवल प्रचार है। कर्मचारियों से कोई लगाव नहीं है। न्यूनतम वेतन नहीं दिये गये। एक आयोग का गठन किया गया था। दो हफ्ते पहले मंत्री महोदय, जो यहां उपस्थित है, ने बैठक बुलाई थी जहां अनेक कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों ने कहा था कि वे न्यूनतम मजदूरी को लागू कर रहे हैं, तथा इसके पुनरीक्षण की कोई जरूरत नहीं है। परन्तु जैसाकि आप जानते है कि 6 से 7 करोड़ कृषि मजदूर नुकसान उठा रहे हैं। आप इन्हें न्यूनतम मजदूरी व थोड़ा सा मंहगाई भत्ता क्यों नहीं दे देते ? इसी से 50 प्रतिशत गरीबी दूर हो जायेगी।

हम चार वर्षों से चिल्ला रहे हैं। इसके विपरीत उस आयोग ने 14 अन्य जांच आयोग नियुक्त किये हैं—बधुआ मजदूरों के लिए एक आयोग और मंहगाई भत्ते के लिए एक और आयोग आदि। ऐसा केवल समय को बर्बाद करने के लिए किया गया है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे गम्भीरतापूर्वक कीजिए। क्या आप इस विधेयक को कार्यान्वित करने जा रहे हैं ? इस देश में दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के भाग्य में क्या बदा है ? क्या मंत्री महोदय के पास इस बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं कि इस देश में अथवा दिल्ली में दुकानों और प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है ? यह कोई नहीं जानता कि इन दुकानों और प्रतिष्ठानों में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में 8 हजार फैक्ट्रियों के लिए एक निरीक्षक है और अब 10 हजार फैक्ट्रियों के लिए एक निरीक्षक होगा मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना में रुचि नहीं रखता हूं। परन्तु मुझे दुख इस बात का है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन के अनुसार आप एक नया पैसा भी खर्च करने नहीं जा रहे हैं। यहां आपने निरीक्षकों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया है। यह गुमराह करने वाली बात है। आपके द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी निरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। राज्य सरकारों के निरीक्षक पहले ही हैं ! कुछ राज्य सरकारें इसकी परवाह ही नहीं करेंगी। आप सुबह-शाम टेलीविजन पर केवल कुछ प्रचार चाहते हैं और आपके मन में मजदूरों और गरीब महिलाओं के लिए कोई सहानुभूति नहीं है।

आप इसे कार्यान्वित करने नहीं जा रहे हैं, आपकी ऐसी इच्छा नहीं है आपके मन में श्रमिकों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। आप केवल कानून बना करके चुपचाप बैठ जायेंगे।

यदि आप वास्तव में इन श्रमिकों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कृपया इसे गम्भीरतापूर्वक लीजिये। इस विधान द्वारा कितने लोगों को लाभ प्राप्त होगा। वास्तव में आप महिला श्रमिकों के लिए रोजगार को कम करने जा रहे हैं। बम्बई की कपड़ा मिलों में महिला श्रमिकों की संख्या 40 हजार थी आज उनकी संख्या घटकर 10 हजार रह गई है। मिल मालिक उनको काम पर नहीं लगाते क्योंकि वे दूसरी पाली में काम नहीं करती हैं। वे उन्हें निकाल रहे हैं। प्रसूति प्रसुविधाओं के कारण

[डा० दत्ता सामंत]

सम्पन्न उद्योग ब्रिटेनिया बिस्कुट ने एक परिपत्र जारी किया है कि किसी भी महिला को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस कानून के अन्तर्गत दुकानों और प्रतिष्ठानों में भी उन्हें प्रसूति सुविधा दी जानी है तो उन्हें बिल्कुल भी नियुक्त नहीं किया जायेगा ऐसे विधानों के कारण ही उन लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा। मुझे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी कि श्रम-मंत्री जो स्वयं एक दलित और पिछड़े क्षेत्र से हैं, पहलुओं को ध्यान में नहीं रखेंगे।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या जो बातें कही गई हैं क्या वे इस विधेयक से सम्बधित हैं ? मैं समझता हूं कि वे बाते संगत नहीं हैं।

डॉ० दत्ता समान्त : आप उनसे क्यों बच रहे हैं ?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करते समय उन्होंने सभी श्रम कानूनों की चर्चा की है। उन्होंने श्रम कानूनों के सभी उपबन्धों के बारे में उल्लेख किया है। क्या यह संगत है ?

डॉ० दत्ता सामन्त : मेरी टिप्पणी यह है कि आप एक नया पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। यदि मेरी बात गलत है तो आप उसे ठीक कर दीजिए। यदि यह विधेयक पारित कर दिया जाता है तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में बहुत-सी महिलाएं छोटी फैक्ट्रियों में काम मांगने नहीं जाएंगी इसमें क्या असंगत बात है ? मैं केवल मतलब की बात ही कर रहा हूं। यदि आप इन उपबन्धों को कार्यान्वित करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा। इस विधेयक में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए मैं इस प्रकार की बातें कह रहा हूं।

इन सुझावों की बात पर आते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में यह केवल दिखावटी प्रेम है और ऐसा लगता है कि इस बारे में कोई कार्य नहीं किया जायेगा। मैं इस बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहता था परन्तु क्योंकि मैं सदन में आ गया हूं इसलिए मैंने इस पर भाषण मैंने के बारे में सोचा। सामान्यत: छुट्टी देते समय परम्परा यह है कि तीन महीने के बाद महिला श्रमिक मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करती है और दस महीने के बाद उसे उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। सरकारी कर्मचारियों और बड़े कारखानों के श्रमिकों के लिए तो यह ठीक है लेकिन गरीब श्रमिकों की स्थिति तो देखिये। वे पहले ही कुपोषित व्यक्ति है। आप उन्हें न्यूनतम मजदूरी के विकल्प में 10 रुपये दे रहे हैं। अत: मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आप छुट्टी की अनुमति देते हैं उस समय उन्हें कम से कम 50 प्रतिशत राशि तो दीजिये। मैं समझता हूं कि आप कम से कम इस बारे में तो विचार कर सकते हैं।

फिर कुल अदायगी 12 सप्ताहों के लिए की जाती है। कभी-कभी ऐसी शर्त रखी होती है कि 6 सप्ताह प्रसव से पहले और 6 सप्ताह प्रसव के बाद छुट्टी लेनी होगी। यह वास्तव में एक दयनीय स्थिति है। किस महिला को यह जानकारी होती है कि उसे कब प्रसव होगा ? इस प्रकार की कमियों को दूर किया जाना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि सरकार किस लिए परेशान हो रही है। आज वर्ष 1988 में भी हम ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें 1 रुपया पहले और प्रसूति बोनस के रूप में 25 रुपये बाद में दिये गये थे। महोदय, आज दुनिया चांद पर जा चुकी है और हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं, परन्तु

इस युग में भी भारतीय महिलाओं को प्रसूति लाभ केवल 1 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है और प्रसूति बोनस के रूप में 25 रुपये मिल रहे हैं। हम अपनी स्थिति पर शर्मिन्दा हैं। इन गत 40 वर्षों में आप क्या कर रहे थे। आप पिछले 40 वर्षों से सत्ता में हैं। आप श्रमिकों के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? यद्यपि 250 रुपये की सीमा को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम मजदूरी क्या है। बम्बई में यह 700 रुपये है। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये से लेकर 700 रुपये के आसपास होनी चाहिए। ऊंची मजदूरी की तो बात ही छोड़िये किसी भी दुकान अथवा प्रतिष्ठान में न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इससे लाभ मिलेगा परन्तु कृपया 250 रुपये की सीमा निर्धारित मत कीजिये। जो श्रमिक दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते उनमें से 90 प्रतिशत को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं। यद्यपि बम्बई एक अत्यन्त विकसित शहर है परन्तु वहां भी दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम को उचित रूप से लागू नहीं किया है। क्या इस बारे में कोई रिकार्ड रखा गया है? 70 प्रतिशत बचुआ श्रमिकों को इसमें नामांकित नहीं किया गया है। मैं कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण बातें कह रहा हूं। माननीय मंत्री मेरे साथ आ सकते हैं और मैं उन्हें वास्तविक स्थिति दिखा सकता हूं। यह मेरी व्यथा है और यह कोई राजनैतिक आलोचना नहीं है। मैं इस बात पर आपसे सहमत हूं कि कुछ राज्य सरकारें राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं और वे इस अधिनियम को कार्यान्वित न करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रसूति बोनस के रूप में आप उन्हें 250 रुपये की बजाय एक माह का वेतन दीजिए और ऐसा अवश्य किया जा सकता है।

जब आप गरीब लोगों को चिकित्सा लाभ देते हैं तो आपको डाक्टर द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र देखने चाहिए क्योंकि ये लोग उन्हें परेशान कर सकते हैं।

इस सदन में हम लोग बहुत-सी बातों पर चर्चा करते हैं और बहुत से विधेयकों को पारित करते हैं। परन्तु इस देश में न्यूनतम मजदूरी को भी कार्यान्वित नहीं किया जाता है। जहां तक राजनेताओं का सम्बंध है, उनकी ऐसा करने को कोई इच्छा नहीं है। यह मंहगाई भत्ते से भी सम्बंधित नहीं है। गरीबी बढ़ रही है। चाय, चीनी और काफी जैसे उद्योगों में भी न्यूनतम मजदूरी को कार्यान्वित नहीं किया जाता है। यदि समय हो तो मैं माननीय मंत्री को इस बारे में आंकड़े दे सकता हूं। मैं पुनः इस सरकार और माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये क्योंकि वे श्रमिकों की स्थिति से अवगत हैं। हमें न्यायवादी होना चाहिए और इन उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें अपने घिसे-पिटे तंत्र का प्रयोग करना चाहिए वे इसके लिए पुलिस-स्टेशनों का उपयोग कर सकते हैं।

यहां वे कहते हैं कि यूनियनें न्यायालय में जा सकती हैं। बम्बई में एक मुकदमे का फैसला होने में 15 वर्ष लगते हैं। मेरे पास ऐसे मामले हैं जिनमें बम्बई न्यायालय द्वारा पहले ही 21 वर्ष लिए जा चुके हैं और जो 1000 रुपये से अधिक राशि के मुकदमे हैं। यह बात ठीक है कि मेरा संगठन चल रहा है। परन्तु 10 रुपये के लिए कौन मुकदमा करेगा? इसे कोई भी व्यक्ति प्रमाणित नहीं करेगा। पिछले 40 वर्षों में क्या ऐसा कोई नियोक्ता हुआ है जिस पर अभियोजन चलाया गया हो और इस कानून के कारण उसे जेल भेज दिया गया हो? वे समझते हैं कि वे उसे दो वर्ष की कड़ी सजा देंगे। कोई भी व्यक्ति इस बारे में शिकायत नहीं करेगा कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर सकेगा और कुछ भी नहीं होगा। हम गरीबों के बारे में केवल कुछ बातें ही कर सकते हैं।

[डा वृत्ता सामंत]

इस सदन में बहुत सारे श्रम कानूनों को पारित किया जाता है, परन्तु इन उपबन्धों को कार्यान्वित करने की सरकार की कोई इच्छा नहीं है : हम बाल श्रम विधेयक अथवा बोनस विधेयक अथवा उपदान विधेयक पर केवल शैक्षणिक चर्चा ही करते हैं। इस सदन में बहुत से विधेयकों को पारित किया गया है, परन्तु उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया और इस विधेयक का भी यही हाल होगा। अतः यद्यपि आपकी इच्छा नेक है क्योंकि आप इस सदन में श्रमिकों के बारे में बात कर रहे हैं परन्तु पिछले 40 वर्षों में आपने उन श्रमिकों के लिए क्या किया है ? मुझे श्रमिकों के लिए इस प्रकार की मौखिक सहानुभूति पसन्द नहीं है। यदि आप यह कहते हैं कि आप निवोक्ता समर्थक हैं तो हमें उसकी चिन्ता नही है। परन्तु यह दिखाकर कि आप श्रमिक समर्थक हैं, इस देश को धोखा देने का प्रयास मत कीजिये।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं, लेकिन इसमें जो यह बंधन रखा गया है कि 10 महिलाएं होनी चाहिएं, इसके लिए मेरा कहना यह है कि अगर एक महिला भी कहीं पर काम करती है, तो उसको भी पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ बनेगा। आज महिलाएं काम करती हैं और आर्थिक रूप से अपने परिवार का हाथ बंटाती हैं, इसलिए प्रसूति के समय महिलाओं को पूरा आराम मिलना चाहिए, चाहे वे किसी संस्थान में कितनी ही संख्या में काम क्यों न करती हों। जिस तरह से गुजरात में खेत मजदूर महिलाओं को प्रसूति बेनीफिट दिया जाता है, इसी तरह से सारे देश में इस तरह का कानून लागू किया जाना चाहिए, ताकि खेत में काम करने वाली असंगठित महिलाओं को लाभ मिल सके। मेरा यह भी सुझाव है कि जो महिलाएं घरों में सफाई और कपड़े धोने का काम करती हैं, उनको भी इस कानून का लाभ मिलना चाहिए। उनको अभी कुछ नहीं मिलता है। कई साथियों ने बीड़ी मजदूरों की बात की, श्रमिक महिलाओं की बात कही, लेकिन जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, सफाई आदि का काम करती हैं, उनको भी धनराशि की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए उनको भी इसके तहत लाभ दिलवाया जाना चाहिए। अगर हर श्रमिक महिला का बच्चा स्वस्थ रखना है तो उसको इस कानून का लाभ देना होगा।

कई साथियों ने कहा कि फैमली प्लानिंग प्रोग्राम को इससे संबद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर यह किया जाए कि श्रमिक महिला को दो बच्चों के बाद प्रसूति लाभ नहीं मिलेगा तो वह भी अपने घर में इस बात के लिए दबाव डाल सकेगी कि दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमको इस प्रोग्राम को इससे अवश्य संपद करना चाहिए। यह प्रोग्राम हमारे देश का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इससे यह प्रोग्राम भी आगे बढ़ सकेगा।

मेरा मंत्री जी से एक बार फिर आग्रह है कि हर श्रमिक महिला को प्रसूति लाभ मिलना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर रहेगा। आज अधिक बच्चे होने का एक कारण यह भी है कि बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं और उनकी मृत्यु दर अधिक है। अगर एक बच्चा स्वस्थ रहे तो लोग दो तीन बच्चे भी नहीं करेंगे। इस बिल के जरिए बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होने की संभावना है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हर महिला को प्रसूति लाभ मिलना चाहिए और मैं तो यह भी कहूंगी कि मिस-डिलीवरी में भी प्रसूति लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी महिलाओं में बहुत कमजोरी आ जाती है।

सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से अपने विचार इस बिल के बारे में प्रस्तुत कर दिये हैं, आशा है मेरे सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक यहां पर संशोधन के लिए लाया गया है, इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और इसको कल्याणकारी विधेयक कहा गया है, मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की आबादी 70 करोड़ है और तेजी से बढ़ रही है। हर साल एक करोड़ नए चेहरे हमारे यहां आ जाते हैं। इसके लिए मेरा कहना है कि सरकार को कोई इस तरह की प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे आबादी अधिक न बढ़ सके। यह आवश्यक है कि जन्म दर पर कंट्रोल होना चाहिए, इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महिला और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। बच्चे अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो लोग अधिक बच्चे नहीं पैदा करेंगे। आज बच्चों की मृत्यु दर अधिक है इसलिए लोग सोचते हैं कि 2-3 बच्चे तो अवश्य होने चाहिएं, अगर एक बच्चा स्वस्थ होगा तो लोग 2-3 बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इस सदन में कई कल्याणकारी कानून पास किए गए। बाल श्रमिक कानून पास किया गया, लेकिन क्या यह कानून लागू हो पाया। आज भी कितने छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। दहेज विरोधी कानून पास किया गया, लेकिन आए दिन बहुओं को दहेज के लिए जलाया जाता है। पहले दहेज खुले रूप में लिया जाता था, लेकिन कानून बनने से लोग चुपचाप दहेज लेते हैं, दहेज न मिलने पर बहू पर इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब यह है कल्याणकारी कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, कानून कारगर तरीके से लागू होना चाहिए। कुछ मामलों में पुलिस केस भी बनता है, सजा भी होती है, लेकिन कानून पूरी तरह से लागू नहीं होता है और न ही उसका लाभ पूरा लोगों को मिल पाता है। यह सदन बिल पास करने में उदार जरूर है। लेकिन जो कानून को लागू करने वाले हैं, वे लागू नहीं कर सकते। क्यों यह लागू नहीं होता। किसी देश में सरकार बनती है तो वह किसी वर्ग की हिफाजत के लिए बनती हैं, सब वर्गों की हिफाजत के लिए नहीं बनती। जैसे अमीर वर्ग की हिफाजत के लिए यह सरकार काम कर रही है। यह सरकार कुछ काम और न करें, कुछ इस तरह के कानून न बनाए तो जनता में और भी क्षोभ पैदा होगा। जनता को गुमराह करने की कला सरकार में है। इस बिल का बड़े जोर-शोर से सरकार प्रचार करेगी। लेकिन जहां पर पांच आदमी बीड़ी बनाने वाले हैं और पांच औरतें हैं, उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी। अगर कोई कारखाने वाला नौ को रखता है तो बेनीफिट नहीं मिलेगा, इसका असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा। कानून का मतलब यह है कि जो सर्विस में हैं उनको लाभ होना चाहिए। हम देहात के रहने वाले हैं इसलिए हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो खेत में औरतें काम करती हैं, उनका वहीं पर बच्चा हो जाता है। यह व्यावहारिक बात है और इसको समझने की जरूरत है। हमारे साथियों ने ठीक ही कहा कि सड़कों पर काम करते हुए ही बच्चा पैदा हो जाता है। उनके लिए कोई डॉक्टरी जांच

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

नहीं होती है। मैं एक सोशलिस्ट कंट्री में गया था, वहां के अधिकारियों से मैंने जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि जो भी वर्किंग वुमेन हैं वह जब गर्भवती होती है तो उसकी सेलेरी में पच्चीस प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो जाती है। वह महिला डिलीवरी से तीन महीने पहले छुट्टी पर चली जाती है और जब बच्चा एक साल का हो जाता है तो उसकी सेलेरी में पचास प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो जाती है। जच्चा-बच्चा इतने तंदरुस्त हो जाते हैं कि उनको काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उनको 18 महीने की सेलेरी यानि ड्योढ़ा दिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से जो माननीय महिला अभी बोल रही थीं, उन्होंने बताया कि बच्चा राष्ट्र की सम्पत्ति है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ही बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति होते हैं। किसी वर्ग की सरकार होती है और उसी वर्ग के बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति होते हैं, सभी बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति नही हैं। सभी बच्चों की हालत आप देख ही रहे हैं। लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब लोग गुमराह नहीं होंगे। पब्लिक सैक्टर में तो आपका कानून लागू हो जायेगा लेकिन प्राईवेट सैक्टर में लागू होने में कठिनाई होगी। वे लोग तो छंटनी ज्यादा करते हैं, इससे रोजी-रोटी ही समाप्त हो जायेगी। प्राइवेट सैक्टर वाले आपके मददगार हैं। वह कानून उस पर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि उस कानून की क्रियान्विति ठीक नहीं होती। आपने अगर लागू कर दिया तो आप टिकेंगे नहीं। जैसे आपने भूमिबन्दी कानून लागू किया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, वह कानून लागू नहीं हो सका। क्योंकि आपके साथ बैठे हुए लैंड लार्ड हैं, दौलतमन्द हैं, आप कैसे उन पर हाथ डालेंगे। यह सचमुच में यह कल्याणकारी कानून है, लेकिन मेरा सुझाव है कि कोई महिला जब गर्भवती हो तो उसे सही सुविधा मिलनी चाहिए और एक वर्ष तक का उसका बच्चा हो जाये तब तक उसे छुट्टी मिलनी चाहिए जिससे वह और उसका बच्चा दोनों तंदुरुस्त हों और देश की सेवा कर सकें।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि अधिकांश सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया है और इसे कल्याणकारी बताया है। बहुत से सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है, जो कि स्वाभाविक है कि कानून चाहे जितने भी बनें जब तक इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं होगा तब तक उनके कोई मायने नहीं हैं। इसलिए कल्याणकारी कानून होते हुए भी उसके कार्यान्वयन में पूरी व्यवस्था करने के बाद ही उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको मिलेगा। इसलिए जितने भी कानून बनाये जा रहे हैं या हम संशोधन ला रहे हैं, श्रम मंत्रालय और अन्य कानूनों के वह लागू हों इसके लिए न सिर्फ पेनल्टी क्लाज को हम कड़ा कर रहे हैं बल्कि और भी जो खामियां थी उनको दूर कर रहे हैं। पहले इस कानून में कार्यान्वयन के लिए इंस्पेक्टर ही केस फाइल कर सकता था, उसकी इजाजत के बिना केस फाइल नहीं हो सकता था। सिर्फ इंस्पेक्टर की मर्जी पर ही उसे न छोड़ा जाये इसके लिए हमने व्यवस्था की कि जो एग्रीव्ड महिला हैं या इनके जो बीमेंस आर्गेनाइजेशन हैं, जो कारखानों में या शाप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाली हैं इनकी महिलायें जो किसी स्वयं सेवी संस्थान की सदस्य हों तो वह अपील कर सकती है कि इस कानून का उल्लंघन हुआ है उसको मेटरनिटी सुविधा नहीं मिली है या उसको जान-बूझकर काम से निकाला गया है जिससे वह मेटरनिटी बेनिफिट से वंचित हो जाये तो इसके लिए दण्ड में व्यवस्था की गई है और इसे और कड़ा बनाया गया है कि 12 हफ्ते की छुट्टी से वंचित करने के लिए किसी भी वर्कर को ऐसा साहस नहीं पड़े कि वह इतना दण्ड सहने को तैयार हो। जहां पहले ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये जुर्माना और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की सजा थी उसको बढ़ाकर कम से कम तीन महीने

की सजा, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम दो हजार रुपये जुर्माना, जिसे 5 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, का प्रावधान हमने वर्तमान बिल में किया है। इसलिए आपकी इस शिकायत में कोई वजन नहीं है कि हम इस बिल को निष्ठापूर्वक इम्पलीमैंट नहीं कराना चाहते। हम स्पष्ट भावना से इस बिल को सदन में लाये हैं और इसे निष्ठापूर्वक इम्पलीमैंट कराया जाएगा।

कुछ माननीय साथियों ने सुझाव दिया कि जिन महिला श्रमिकों के दो या उससे ज्यादा बच्चे हो चुके हों, उन्हें मेटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे तो इसका उत्तर श्रीमती गीता मुखर्जी ने पर्याप्त रूप से दे दिया है, बहुत सुन्दर जवाब उन्होंने दिया है, उससे ज्यादा कहने की हमें जरूरत नहीं है, परन्तु मैं उसमें सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय नीति बनायी है जिसमें स्पष्ट प्रावधान यह किया गया है कि इस कार्यक्रम को लोग स्वेच्छा से अपनायें, हम लोगों को एजूकेट करें, मोटिवेट करें ताकि वे इस कार्यक्रम को अपना लें। उसमें किसी तरह का एलीमैंट ऑफ प्रैशर या दबाव डालकर हम किसी को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित न करें, ऐसी व्यवस्था की गयी है। उस सिद्धांत में हम विश्वास नहीं करते कि किसी के साथ जबर्दस्ती की जाए। अब जितनी महिला श्रमिक हमारे देश में काम करती हैं, उनके बस की बात नहीं है, हम उन्हें दूसरी तरह से इंसैन्टिव देने जा रहे हैं, उन्हें शिक्षित किया जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना उनके हित में नहीं है। हमारी नेशनल पौलिसी भी इससे प्रभावित होती है। यदि किसी महिला के दो से ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद हम उसके स्वास्थ्य की रक्षा न करें, उसके लिए दवा की व्यवस्था न करें तो वह अमानवीय होगा, इनहयूमन होगा। अतः कोई ऐसा प्रावधान करना कि ये सुविधाएं दो बच्चों तक ही सीमित रहेंगी, दो से अधिक बच्चे होने पर महिला श्रमिकों को मेटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, उचित प्रतीत नहीं होता। इसीलिए हमने इस बिल में वैसी कोई बन्दिश नहीं लगायी है।

मुझे लगता है कि बहुत से माननीय साथियों ने शायद इस बिल को ठीक से नहीं पढ़ा। उन्होंने शिकायत की कि हमने मेटरनिटी बेनिफिट 10 रुपये का कैसे रख दिया कि 10 रुपये के हिसाब से ही उसे यह सुविधा मिलेगी, परन्तु ऐसा नहीं है। इस बिल में प्रावधान है कि यदि वह महिला वर्कर पीस रेट पर काम करती है तो ऐवरेज वेज के अनुसार या मिनिमम वेज एक्ट के मुताबिक, जो भी उसकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, या दस रुपये, जो भी सबसे अधिक आये, हायर हो, उस रकम के अनुसार उसे छुट्टी मिलेगी। अब न्यूनतम मजदूरी भी समय समय पर रिवाइज होती रहती है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि यह महिला वर्कर की चॉइस पर होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने एक कन्वैन्शन बनाया है, जिसे मैम्बर कन्ट्री की हैसियत से भारत ने भी रैटिफाई किया है कि हम यह नहीं कहेंगे कि प्रसव के पूर्व 6 हफ्ते और प्रसव के बाद 6 हफ्ते कुल 12 हफ्ते की छुट्टियां लेना जरूरी है, एक दिन भी पूर्व प्रसव के यदि वह छुट्टियां लेती है तो शेष 12 हफ्ते में से एक दिन कम की छुट्टियां उसे बाद में लेने का पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर 12 हफ्ते से अधिक छुट्टियां कोई भी महिला श्रमिक नहीं ले सकेगी। इस तरह हमने उसके लिए चॉइस दी है। एक सुझाव यहां दिया गया कि 1960 को 100 बेस मानने पर आज प्राइस इन्डैक्स इतना बढ़ गया है तो भी आपने इसमें 10 गुना वृद्धि ही क्यों की, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, यह बहुत पर्याप्त है और जैसे जैसे एम्पलाईज स्टेट इन्श्योरैंस का कवरेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रसूति महिलाओं और दूसरी महिला श्रमिकों की चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी हम उठाते जा रहे हैं।

[श्री बिन्देशवरी दुबे]

पहले तो यह सिर्फ माइन्स में, फैक्ट्रीज में और प्लांटेशन में लागू था। प्रथम बार इसको हमने शॉप्स एण्ड एस्टाब्लिशमेंट में लागू किया है जैसा कि आप जानते हैं शॉप्स एण्ड एस्टाब्लिशमेंट में रजिस्टर रखना आवश्यक है, लेकिन जितने भी लेबर लॉज और सोश्यल सिक्योरिटी लॉज पास किए हैं, ये जिस एक्ट के साथ सोश्यल लेबर एक्ट रखा है, उसमें संख्या 10 के ऊपर की रखी हैं। 10 से नीचे ऐनफोर्समिट सम्भव नहीं है। इसलिए ऐसा किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 10 स्त्रियां होनी चाहिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, 10 व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए।

कंजूमर प्राइस इंडैक्स का एक सदस्य ने गलत हिसाब बता दिया। उनको सही हिसाब बताने के लिए कह रहा हूं, यह मानकर नहीं कि उनको ज्यादा नहीं मिलनाचाहिए। प्रोग्रेसिवली, धीरे-धीरे आहिस्ता-आहिस्ता वह बढ़ता जा रहा है। अगर हम अलग से कोई ऐसी बात कहें, तो उसकी इम्पलीमेंटेशन की कठिनाई होगी। एक माननीय सदस्य ने संशोधन लाना चाहा कि 2 वर्कर्स पर ही कर दिया जाए। हम जानते हैं कि दो वर्कर पर करना संभव नहीं है। दो वर्कर्स की बात यदि करते हैं, तो एनफोर्समेंट सम्भव नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य: दस ही क्यों किया, आठ या नौ क्यों नहीं हो सकता ?

श्री बिंदेशवरी दुबे: दस इसलिए किया कि जितने भी लेबर लॉज हम अभी तक लाए हैं, उन सब में दस की संख्या ही कम से कम है, यह भी उसी पर आधारित है। यह इसलिए है कि उसके लिए एक सरटेन प्रोफार्मा है प्रैस्क्राइब्ड किया हुआ है। कोर-रजिस्टर रखा हुआ है, उसके लिए रिकार्ड रखना आवश्यक है। अगर वह रिकार्ड नहीं रखता है, तो भी वायलेशन आफ एक्ट होगा। इसलिए जितनी दूर तक इसका इम्पलीमैंटेशन कर सकते हैं, उतनी दूर तक रख सकते हैं। पहले तो यह फैक्ट्री और माइन्स तक ही था, अब इसको शॉप्स एण्ड एस्टाब्लिशमेंट पर लागू कर रहे हैं। दस की संख्या सिर्फ इसलिए रखी गई है। दूसरी बात यह है कि अपने देश में इतनी गरीबी है और आई०आर०डी०पी० में, सैल्फ एम्पलॉयमेंट में जो काम कर रहे हैं, कुछ अपने परिवार का काम करते हैं और एक-दो आदमी बाहर का रख लेते हैं और यदि हम दस से कम पर लागू करें तो उनके ऊपर भी यह लागू होगा, तो जिनको हमने गरीबी से ऊपर उठाने के लिए और उनकी उन्नति के लिए उनको जो सुविधाएं दी हैं, उनके ऊपर यह यदि लागू होता है, तो यह उनके ऊपर एक बहुत बड़ा वजन बन जाएगा। इसलिए हमने इसको प्रेक्टीकल एप्रोच में किया है। इसके लिए अलग से नया रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां 10 आदमी काम करते हैं वहां रिकॉर्ड तो मैनटेन होता ही है, वहीं उसी में एक कॉलम और जोड़ दिया जाएगा।

अभी प्रोफैसर महावीर प्रसाद यादव बोल रहे थे उन्होंने कहा चौबे जी गए छब्बे जी बनने को और वे दुबे जी बन कर आ गए। ऐसी बात नहीं है। शायद उन्होंने इसको ठीक से पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। हमने उसका क्वालिफाइंग पीरियड 80 डेज कर दिया है। डा० मनोज पांडे जी ने कुछ मैडीकल साइड की बात कही। वह अच्छी बात है। जब महिला गर्भवती हो जाती है, तो उसको कोई ऐसा काम नहीं दिया जाता है, तीन महीने के बाद से जिससे कि उसके गर्भ पर बुरा असर पड़े या गर्भपात होने का डर हो। उसको ऐसा भारी कोई काम नहीं दिया जाता है, यह कानून में प्रावधान है। मैटर्निटी एक्ट में जो छुट्टी देने की व्यवस्था है, उसके अलावा भी यह व्यवस्था

है, 12 हफ्ते तो यों ही है, उसके लिए मैडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी व्यवस्था है कि प्रसूति काल के 6 हफ्ते बाद भी यदि उसकी तबियत नहीं सुधरती है और बीमार रहती है और डाक्टर उसे सर्टिफाई करता है तो एक महीने की और उसको सवेतन छुट्टी मिल सकती है। इस तरह से 4 महीने की वेतन सहित छुट्टी और ऊपर से 250 रुपए मैडिकल बोनस है। जहां गर्भवती महिला के प्रसूति काल के पूर्व और बाद चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है वहां पर दवा आदि खरीदने के लिए यह 250 रुपए की व्यवस्था है। लेकिन सवेतन छुट्टी उसकी 14 हफ्ते और तबियत ठीक न हो तो 1 महीने और, और यदि इस बीच गर्भपात हो जाए तो 6 हफ्ते की छुट्टी और भी मिल सकती है, यह व्यवस्था इसमें है।

कुछ बातें कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स की और दूसरे अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर की कही गई, यह बात ठीक है। यह एक आइडियल कंडीशन की बात है और मैं आवश्यक भी मानता हूं कि हर व्यक्ति और हर महिला के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हम जिन परिस्थितियों में पड़ गए हैं, गुलामी के दिनों में जिस गरीबी में पड़ गए हैं, जो हमारी दुरावस्था हो गई है जो हमारी आर्थिक दीनता हो गई है, उससे अभी हम निकल रहे हैं। एक डैवलपिंग कन्ट्री के सारे देश के लोगों को एक साथ सोशल सिक्योरिटी के कवर में लाना कोई आसान बात नहीं है।

एक साथी ने कह दिया कि हमने 10 ही पर किया तो उन्होंने कहा कि इससे इनके एम्प्लायमैंट पर खतरा हो जाएगा और अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में जाने पर और भी खतरा हो सकता है। जब तक सरकार इस लायक सक्षम न हो जाए कि वह देश के सारे लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके तब तक अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में खासतौर पर एग्रीकल्चर सैक्टर में तो एम्प्लायर और एम्प्लाई रिलेशन्स ठीक चलाना मुश्किल हो जाएगा।

वहां पर कोई रिकार्ड भी नहीं हो सकता है।

डा० वत्ता सामन्त : अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर को ठीक करो।

श्री विन्देश्वरी दुबे : आप तो आसमान की बात करते हैं, जमीन पर चलना भी नहीं जानते। आप महाराष्ट्र की बात करते हैं कि वहां 4, 5 रुपया मिनिमम वेज मिलता है, आप क्या वहां पर कर रहे हैं ? (व्यवधान)

आप क्या ट्रेड यूनियनिज्म कर रहे हैं ?

आपको तो एक कला मालूम है। मैं यह जानता हूं कि कहीं पर भी आप हीट जैनरेट कर सकते हैं, आप बर्फ में भी गर्मी पैदा कर सकते हैं। आप यह गर्मी वहां पैदा करते तब मैं आपको समझता। (व्यवधान)

सुनिए आपने भी जिन्दगी गुजारी है, मैंने भी, गरीबी के बारे में मुझे आप न बताइए, जिसने गरीबी स्वयं देखी है और गरीबी को दूर करने का काम किया है। तो क्या आप मुझे गरीबी के बारे में बताएंगे, बम्बई में रहने वाले ? ऐसे मामलों में हम कोई राजनैतिक भाव से प्रेरित होकर नहीं, उससे ऊपर उठकर बात करें। इसमें आपका कोई सुझाव हो तो हम कर सकते हैं, सोच-समझ सकते हैं, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं, यह इम्पलीमैंट हो ही नहीं सकता।

सभापति महोदय, मैं इनके बारे में नहीं जानता, मैं तो मजदूर आन्दोलन में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व से लगा हुआ हूं खासतौर से श्रमिक विकास और मजदूरों के बारे में। यह ठीक है कि एक

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

साथ सब कुछ नहीं हो सकता लेकिन मजदूरों की जिन्दगी में क्रमिक विकास मजदूर आन्दोलन के माध्यम से मजदूर संगठनों के माध्यम से और जनता की संगठित शक्ति के माध्यम से आया है। एक ही दिन में सारी वांछनीय चीजें नहीं आ जातीं लेकिन यह आपको मानना पड़ेगा कि इस एक्ट का कवरेज जब शाप एंड एस्टेब्लिशमैंट में बढ़ाया गया जहां कम से कम 10 आदमी काम करते हों, इसका क्वालीफाइंग पीरियड 12 महीने डायरेक्ट और 60 दिन कम-से-कम आवश्यक न हो, डायरेक्ट ड्रास्टिकली घटाकर 80 दिन पर लाया गया। इसके अलावा मेटरनिटी रेट के सम्बन्ध में, जो पहले का पुराना रेट था उसको भी हमने सुधारा। चूंकि अब ई०एस०आई० की कवरेज बढ़ती जा रही है और मेरा ऐसा विश्वास है कि यह कवरेज और भी बढ़ती जायेगी, सात मिलियन लोग इसकी कवरेज में आ गए हैं, और तेजी से इसकी कवरेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं।

यह भी शिकायत की गई कि ई०एस०आई० में जो चिकित्सालय हैं उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमने अभी हाल में लेबर मिनिस्टर्स की एक कांफरेन्स बुलाई थी जिसमें माननीय सदस्य को भी निमंत्रित किया था परन्तु वे आए नहीं। कंसल्टेटिव कमेटी के मेम्बरों को भी मैंने बुलाया था। और हमने एक प्रस्ताव रखा था, अपनी तरफ से एक बात कही थी··· **(व्यवधान)**

डा० वत्ता सामंत : वहां पर कुछ होता तो है नहीं। सिर्फ टूर करने की बात रहती है।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मैंने तो निमंत्रित किया था लेकिन आप आए ही नहीं। **(व्यवधान)** हम और आप जैसे एक ही प्रोफेशन में रहे हैं लेकिन दोनों की दो दिशायें रही हैं। अगर थोड़ा अगल-बगल चलने वाले हों तो भी मिलकर चला जा सकता है लेकिन अगर दो भिन्न दिशाओं में चलने वाले हों तो मिलकर चलना सम्भव नहीं होता। मैं किसी पर कोई पर्सनल एस्पर्शन नहीं करना चाहता। इस मामले में रूलिंग पार्टी या दूसरी पार्टी का सवाल नहीं है। अभी हाल में जो लेबर मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स हुई थी उसमें यह विषय था कि ई०एस०आई० के हास्पिटल्स को कैसे हम दुरुस्त करें और उसकी कवरेज को कैसे तेजी से बढ़ायें। इस विषय पर हमने बातचीत की। अभी ई० एस०आई० का जो कारपोरेशन है वह कारपोरेशन सेवन अपान एठ्थ कंट्रीब्यूट करता है और वन अपान एठ्थ स्टेट गवर्नमेन्ट्स कंट्रिब्यूट करती हैं। उसका एन्टायर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेन्ट्स के हाथ में है। मैंने लेबर मिनिस्टर्स से रिक्वेस्ट की कि या तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके हाथ में है, उसको एफिशिएन्ट बनायें और चिकित्सालय की सुविधायें, जिनके बारे में शिकायतें हैं, उनको दुरुस्त करें या फिर ज्वाइन्ट बोर्ड्स बनायें। मैंने यहां तक आफर किया कि एक बटा आठ आपको देना भारी पड़ रहा हो और उसकी रेस्पांसिबिलिटी भी आप न छोड़ना चाहते हों तो मैंने कहा कि हम आपके अधिकार को लेना नहीं चाहते और एक बटा आठ खर्चा भी कारपोरेशन करने के लिए तैयार है, पूरा का पूरा खर्चा कारपोरेशन देने के लिए तैयार है, आप ज्वाइन्ट बोर्ड बनाकर उसका इन्तजाम कराइये ताकि उसमें अच्छी से अच्छी सुविधा डेवलप की जा सके। इस तरह से सरकार के मन में इस बात की पूरी ख्वाहिश है कि हम श्रमिकों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें, चिकित्सा की स्वास्थ्य की अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें।

डा० वत्ता सामंत : मीटिंग में डिसीजन्स क्या हुए ?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : जहां तक डिसीजन्स की बात है, एक दिन में कोई डिसीजन नहीं होते क्योंकि यह पर्स्युएशन का जमाना है। लेकिन जितने भी *कंसीवेबल मेथड्स आप कोअर्शन हो* सकते हैं, उनको आपने अपनाया है···**(व्यवधान)**

डा० दत्ता सामन्त : आप आइये बम्बई में। महीने में 4 हजार की सैलरी हमारे लेबर लेते हैं प्रीमीयर में। मालिक तो दे सकते हैं लेकिन वे आपको बुद्धू बना रहे हैं, तो हम क्या करें। **(व्यवधान)**

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मेरी मर्यादा इन बातों का जवाब देने से रोकती है। मैं तो मर्यादा के अन्दर रहने वाला आदमी हूं।···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मैं माननीय मंत्री से दो बातों के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकती हूं ? **(व्यवधान)**

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को अवसर दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने माननीय मंत्री से दो बातों के स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है, उनमें से एक है, अपने भाषण के दौरान, माननीय मंत्री ने बताया है कि न केवल यह 12 सप्ताह बल्कि और 4 सप्ताह का समय भी दिया जा सकता है। हो सकता है, यह मेरी अनभिज्ञता है। मुझे वह खण्ड नहीं मिला जिसमें वह स्पष्टीकरण दिया गया है। अतः यह एक बात है।

5.00 म०प०

और दूसरी बात कृषि मजदूरों के संबंध में संशोधन आये पर उस समय चर्चा की जाएगी। लेकिन अस्पतालों के सम्बन्ध में, जब हम बोल रहे थे, तो मैंने देखा आप सिर हिला रहे थे। जो भी हो, अस्पताल और नर्सिंग होम बहुत अधिक नहीं हैं।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मैं उस मुद्दे की ओर आ रहा हूं। मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। **(व्यवधान)**···

[हिन्दी]

मैं अभी अनआर्गेनाइज्ड लेबर के बारे में कहूंगा। श्रीमती गीता मुखर्जी ने अभी एक बात उठाई कि 12 हफ्ते के बाद का मेन एक्ट में प्रोविजन है या नहीं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 12 हफ्ते, तीन महीने के बाद का प्रोविजन कानून में है कि 6 हफ्ते इस तरफ या 6 हफ्ते उस तरफ या 12 हफ्ते की मेटरनिटी लीव ले सकती हैं। इसके अलावा भी अगर वह सिक सर्टिफिकेट प्रोड्यस करे, तो एक महीने की छुट्टी सवेतन मिल सकती है। यह ओरिजनल एक्ट में है। फिर उन्होंने पूछा कि हास्पीटल्स पर यह लागू होगा या नहीं। हॉस्पीटल्स में भी जो महिला श्रमिक हैं या नर्सेज वगैरह हैं, वे भी इस्टाबिलिशमेंट की कवरेज में आ जाएंगी और उन पर भी यह लागू होगा। यह जानकर आपको खुशी होगी।

5.01 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसकी खुशी सबको होगी कि सारे देश के लोगों पर सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लागू हो जाए लेकिन अभी जो हमारे गांव में रहने वाले लोग

[श्री बिन्देशवरी दुबे]

हैं, जिनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती, जहां पर अभी तक पावर्टी लाइन से इतने ज्यादा लोग नीचे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उनको अधिक रोजगार मिले और गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उनको लाया जाए, यह सबसे बड़ी ससस्या वहां पर है और सारी स्कीम्स एक दफा में ही वहां पर लागू नहीं हो सकती। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने जो नेशनल कमीशन आन रूरल वर्कर्स बनाया है, उसमें एक रेफ्रेन्स यह भी है कि क्या उनके लिए कोई सोशल सेक्युरिटी की भी व्यवस्था की जा सकती है। इस पर नेशनल कमीशन आन लेबर विचार करेगा और समेकित ढंग से विचार करेगा, कोई अलग-अलग नहीं और अगर ठीक समझेगा तो सोशल सेक्यूरिटी की व्यवस्था के बारे में भी रिकमेंडेशन दे सकता है। ···(**व्यवधान**)*

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतान्त के सम्मिलित किए जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[**हिन्दी**]

श्री बिन्देशवरी दुबे : व्हाइट कौलर और येलो कोलर की परिभाषा इनको मालूम नहीं है। ये श्री सोमनाथ चटर्जी से जा कर सीख लें कृपा करके। इससे ज्यादा और क्या मैं कह सकता हूं। ···(**व्यवधान**)*

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री जी नहीं मान रहे हैं।

[**हिन्दी**]

श्री बिन्देशवरी दुबे : व्हाइट कोलर और येलो कोलर किसको कहते हैं, ये जानते नहीं हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि इसकी प्रक्रिया और सरल बनाई गई है। इसमें यह भी दिया गया है कि अगर कोई इस्टाबिलिशमेंट या शॉप, फैक्ट्रीज और माइन्स पर तो यह पहले से ही लागू है, डाकूमेंट प्रोड्यूस न करें जैसा कि कहा गया कि मस्टर रोल नहीं रखते हैं और नाम नहीं रखते हैं, तो यह व्यवस्था की गई है कि डाकूमेंट प्रोड्यूस न करें, तो उसके लिए भी इम्प्रिजेनमेंट की सजा हो सकती है। जो एक साल तक का हो सकता है। उसके लिए जुर्माना हो सकता है। जुर्माना पांच हजार तक का हो सकता है।

गर्भावस्था में, गर्भवती महिलाओं को लोग निकाल देते हैं, उनको काम से हटा देते हैं। इस बिल में इसको एक सीरियस वायलेशन माना गया है। इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। उनको ऐसी महिलाओं को रीइनस्टेट तो करना ही होगा उसके साथ उनका पनिशमेंट भी होगा। न केवल ऐसी महिलाओं का रीइन्स्टेटमेंट होगा बल्कि एम्पलायर का पनिशमेंट भी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कल्याणकारी और लाभकारी बिल को जो कि खासकर महिलाओं के लिए है, यह सदन अवश्य स्वीकार करेगा। इस बिल पर जो सुझाव आये हैं

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

मैं उन सभी के बारे में तो अभी जवाब नही दे सकता लेकिन मुझे आशा है कि वे भविष्य में हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खंड-वार विचार होगा।

खण्ड 2 — धारा 2 में संशोधन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

"बागान" **के पश्चात्** "या कृषि फार्म" **अंत:स्थापित किया जाए।** (2)

पृष्ठ 1, पंक्ति 12, —

"सरकार का" **के पश्चात्** "या निजी" **अंत:स्थापित किया जाए।** (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 3, —

"दस" **के स्थान पर** "दो" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 4 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित किया जाए**—

"(ग) ऐसी महिला हिताधिकारियों को लागू होता है जो सरकार की ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजनाओं के अधीन कार्यरत हैं।" (5)

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 4 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित किया जाए**—

"(ग) ऐसी स्त्री हिताधिकारियों को लागू होता है जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन कार्यरत हैं और सरकार द्वारा या निजी फर्मों द्वारा या व्यक्तियों या ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य, बीड़ी बनाने के कार्य और पत्थर के कार्य में लगाई गई हैं।" (8)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 4 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"(ग) हर स्त्री को, जो कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत है, लागू होता है :

(घ) हर स्त्री को, जो कि कृषि से भिन्न व्यवसायों में ग्रामीण श्रमिक के रूप में कार्यरत है, लागू होता है।" (11)

श्रीमत विमा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : में प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 4 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये**—

"(ग) हर स्त्री को, जो असंगठित क्षेत्र, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, घरेलू उद्योग क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र और स्व-रोजगार क्षेत्र में कार्यरत हैं, लागू होता है।" (12)

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : उपाध्यक्ष जी, मैंने जो अमेंडमेंट्स रखे हैं उनके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ जवाब तो दिया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो शाप या एस्टेब्लिशमेंट लाखों रुपये का इनकम टैक्स देती हैं और उनमें जो औरतें काम करती हैं उनकी सबको इस बिल का बेनिफिट मिलना चाहिए। उनके लिए यह नहीं होना चाहिए कि उनमें कम से कम इतने लोग काम करते हों। अगर उनमें दो आदमी भी काम करते हों तो उनको इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। जो ज्यादा इनकम करते हैं उनमें जो भी औरत काम करती हों उनको बेनिफिट मिलना चाहिए।

आपने 160 दिन से घटाकर 80 दिन किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन हमारा जो आई०आर०डी०पी० प्रोगाम है, उसके अन्तर्गत जो लोग काम करते हैं उनको आप इस बिल से कैसे बेनिफिट देंगे ? क्या उनको भी इस बिल में लायेंगे या नहीं लायेंगे।

एग्रीकल्चरल फार्म प्राइवेट फार्म भी हैं। वहां पर भी पब लोग काम कर रहे हैं। उनको भी आप ई० एस० आई० में लायेंगे या नहीं लायेंगे इसका भी थोड़ा जवाब दीजिए।

हमारी स्वीपर कम्युनिटी के बहुत से लोग स्वीपिंग का काम करते हैं। आज कल हम देख रहे हैं कि वहां पर भी कांट्रेक्टर लोग आ रहे हैं। पालिका बाजार में पहले कुछ लोग काम कर रहे थे। उन्हें सारे बेनिफिट मिलते थे। अब उनको हटाकर कांट्रेक्टर को लगाया जा रहा है। यह क्या तरीका है कि किसी दूसरे आदमी को फायदा देने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको आप हटा देते हैं। इसके बारे में आप क्या सोच रहे है ? इसके बारे में भी मंत्री महोदय जवाब देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्रीमती विमा घोष गोस्वामी : महोदय, जहां तक मेरे संशोधन का सम्बन्ध है और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि केवल 10 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं ही इस उपबन्ध के अन्तर्गत आती हैं।

इस प्रकार भारत में 90 प्रतिशत से अधिक माताएं इस विधेयक की परिधि के बाहर रहेंगी। अत: जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस विधेयक के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए जिसमें असंगठित क्षेत्र कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों, गृह क्षेत्र तथा स्व:रोजगार क्षेत्र में प्रत्येक कामकाजी महिला को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। अत: मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करे जो कि बहुत ही यथोचित है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं भी उनके द्वारा रखे गए मुद्दे का पूरी तरह से समर्थन करती हूं। मैं केवल इस मुद्दे पर बल देना चाहती हूं कि माननीय मंत्री ने कहा था कि जब राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा केवल उसके बाद इस विषय को लिया जा सकता है। मेरा अनुरोध यह होगा, वर्तमान स्थिति में, यदि स्वयं मंत्री जी का विभाग इस समय इस विषय को लेता है तो वह एक स्वागत योग्य कदम होगा।

[हिन्दी]

श्री बिन्देश्वरी दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि संशोधन पेश करने वाले साथियों ने कहा है कि जहां पर दो श्रमिक भी हों वहां पर भी इस एक्ट को लागू करना चाहिए। इसमें एन्फोर्समेंट की बहुत कठिनाई होगी। मान लीजिए एक चाय की दुकान है, वहां पर एक चाय पिलाने वाला है और एक सफाई करने वाली महिला है, वहां पर भी अगर हम सोशल सिक्यूरिटी देने लगेंगे तो उसके एम्प्लायमेंट की भी समस्या आएगी। जितने भी लेबर लाज हैं, माइन्स एक्ट और सर्कस इंडस्ट्री को छोड़कर, सबके एन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर, इतनी मशीनरी है या नहीं इसका पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए भी लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में राज्यों से यह जानकारी ली गई थी कि शाप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स पर इसको लागू करना है, उनकी राय लेकर ही यह अमेंडमेंट लाया गया। आजकल शाप्स में काफी लड़कियां काम करती हैं, इसलिए उनको बेनिफिट देना आवश्यक था। इसलिए इसकी संख्या दो करने से एन्फोर्समेंट की समस्या आएगी।

इसी तरह से आर०एल०ई०जी०पी० या दूसरे प्रोग्राम्स के तहत इसका लाभ देने की बात कही गई, तो जो काम पेरीनियल नेचर का होता है, वहीं पर इसका लाभ दिया जा सकता है। आप देखें कि मूल एक्ट में दिया गया है, वर्ष में 160 दिन और बाद में अमेंडमेंट करके इसको 80 दिन किया गया है। कैजुअल नेचर के कामों में इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन का कोई स्रोत नहीं है। आर०एल०ई०जी०पी० आदि जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इनमें जो श्रमिक काम करते हैं वे कभी कुछ दिन एक जगह पर काम करते हैं, फिर दूसरी जगह काम करते हैं, वह फ्लोटिंग वर्किंग पापूलेशन होती है, जहां कुछ दिन काम मिल गया वहां कर लिया। कहीं पर किसी ब्लाक में या पंचायत में इनका रिकार्ड मेंटेन करना संभव नहीं होता। इसलिए वह सब काम करना संभव नहीं है। एक समेकित इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात सोची जा सकती है। इसीलिए हमने कहा कि नेशनल कमीशन ओन रूरल वर्कर्स इस पर गहराई से सोचेगा। श्रीमती गीता मुखर्जी स्वयं इसकी मैम्बर हैं। यहां पर प्रैशर डालने की बजाय वहां पर क्यों नहीं जल्दी करवा सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वहां की हालत जानते हुए ही आपसे कह रही हूं।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : आप बहुत ही जानकार और विदुषी महिला हैं, कमिटेड हैं और प्रैशर डालकर काम कराने वाली महिला हैं। वहां पर करा लीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जब आपके ऊपर प्रैशर नहीं डाल सकती तो उनके ऊपर कैसे डालूंगी।

श्री विश्वेश्वरी दुबे : इसका कवरेज ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, एनफोर्समेंट संभव नहीं होगा इसलिए मैं इन संशोधनों को मानने में मजबूर हूं। मैं चाहूंगा कि संशोधनकर्ता अपना संशोधन वापिस ले लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह सदन सहमत है, तो मैं खंड 2 में रखे गए सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा। अब मैं खंड 2 में रखे गए सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 से 5, 8, 11 और 12 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4—खण्ड 5 में संशोधन

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 36 से 39 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया** जाए—

'"(3) वह अधिकतम कालावधि, जिसके लिए कोई स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, प्रसव की तारीख सहित चार महीने की होगी और उसका उपभोग स्त्री की इच्छानुसार किया जायेगा";' (6)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 36 से 39 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया** जाए—

'"(3) वह अधिकतम कालावधि, जिसके लिए कोई स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, प्रसव की तारीख सहित बारह सप्ताह की होगी और उसका उपभोग स्त्री की इच्छानुसार किया जाएगा";' (7)

श्रीमती विमा घोष गोस्वामी : महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि मूल अधिनियम में, महिला चार और सप्ताह के लिए छुट्टी ले सकती है—चाहे वह चिकित्सा अवकाश ही हो, लेकिन प्रसूति छुट्टी के रूप में नहीं ले सकती। लेकिन सभी महिला कर्मचारियों और उनके संगठनों ने मांग की है कि कम-से-कम चार महीने बच्चे की देखभाल के लिए होने चाहिए। प्रसूति के बाद बच्चे की देख-भाल के लिए कम-से-कम उनके पास 2½ अथवा तीन महीने होने चाहिए। बच्चे को भी अपनी मां की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। अतः मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनकी प्रसूति छुट्टी के लिए अधिकतम चार महीने की अवधि को स्वीकार करना चाहिए और वह भी महिला की इच्छानुसार।

विधेयक में, यह लिखा गया है कि प्रसूति से पहले छः सप्ताह के अधिक नहीं लेनी चाहिए। सभी महिला कर्मचारी और हम जिस बात पर विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यह महिला की इच्छानुसार होना चाहिए कि वे प्रसूति से पहले अधिक छुट्टी ले सकती है अथवा प्रसूति के बाद अधिक छुट्टी ले सकती है। प्रसूति के दिन को सम्मिलित करते हुए, उन्हें चार महीने की छुट्टी को लेने के लिए उनकी इच्छा का उपयोग करने दिया जाना चाहिए। अतः मैं मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह उसे स्वीकार करें।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा संशोधन भी बहुत ही साधारण है। मेरा विचार है कि वह उसे स्वीकार कर लेंगे। जब मैं कामकाजी महिलाओं के प्रतिनिधियों के साथ श्री संगमा से मिला था, जब इस विधेयक के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा था, तो हमें यह बताया गया था कि इस संशोधन विशेष को जिसको कि मैंने रखा है तथा अन्य अच्छे सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा और यह कि 12 सप्ताह की प्रसूति छुट्टी लेने में इच्छा माता की ही होगी। चाहे वह यह छुट्टी प्रसूति से दो सप्ताह पहले ही क्यों न ले। और प्रसूति के बाद, वह चार सप्ताह की छुट्टी ले सकती है। यह एक बहुत ही साधारण संशोधन है और उसमें कोई वित्तीय खर्च शामिल नहीं है। मुझे आशा है कि मन्त्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मैंने पहले ही कहा कि जहां तक इच्छा की बात है आई०एल०ओ० के लोगों की कंवेंशन हमने रेटिफाई की है। डिलीवरी के दिन से अधिकतम 6 सप्ताह पहले तो मिनिमम कुछ भी हो सकता है। सिर्फ यह है कि 6 सप्ताह से पहले नहीं ले सकती। कोई महिला चाहे तो दो सप्ताह पहले ले सकती है और बाकी 10 सप्ताह जो उसका है वह डिलीवरी के बाद ले सकती है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है।

[अनुवाद]

डॉ० दत्ता सामन्त : प्रसूति चार सप्ताह के बाद हो सकती है; उसमें सात सप्ताह लग सकते हैं। आप इसे कुल 12 सप्ताह कर दीजिए।

[हिन्दी]

एक सप्ताह ज्यादा हो जायेगा तो कट कर देते हैं।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : एग्रीगेट 12 सप्ताह का है। पहले मेन एक्ट में यह था कि 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद में।

श्री वसुदेव आचार्य : 6 सप्ताह से पहले क्यों नहीं ले सकती।

श्री विन्देशवरी दुबे : यह आई०एल०ओ० की कंवेंशन हमने रेटिफाई की है। उन्होंने यह *रिजोलूशन पास किया कि डिलीवरी के 6 सप्ताह पहले ज्यादा-से-ज्यादा*

[अनुवाद]

वे प्रसूति से पहले अधिक से अधिक छः सप्ताह का अवकाश ले सकती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परम्परा का अनुसमर्थन किया है।

[हिन्दी]

आई०एल०ओ० की स्प्रिट यह है कि डिलीवरी के बाद ही ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है। इसलिए यह रिस्ट्रक्शन कि 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद में लेना होगा यह ठीक नहीं है। इसीलिए आई०एल०ओ० ने यह कवेंशन की···इसलिए यह उनके हित में है, उनके लिए एडवान्टेजस है। एक बात आपने यह कही कि हमने एक महिला श्रमिक को 4 महीने से ज्यादा के अवकाश का प्रावधान क्यों नहीं किया परन्तु मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आई०एल०ओ० का भी यह कन्वेंशन है, जिसके अनुसार हमने इस बिल में प्रावधान किया है। उसमें "मिनिमम" शब्द मौजूद है यानी मिनिमम ऑफ 12 वीक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी हिन्दुस्तान में वह स्थिति नहीं आई है कि कोई उससे ज्यादा पे करने की स्थिति में है। उसका कारण यह भी है कि अब हम इस बिल के प्रावधानों को मात्र बड़ी फैक्टरीज या मिल-ओनर्स पर ही लागू नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इसमें कई ऐसी छोटी-छोटी शॉपस या इस्टैब्लिशमैंट्स भी कवर हो जाते हैं, जहां 10 कर्मचारी भी काम करते हैं। उन कर्मचारियों या श्रमिकों को भी इस बिल के तमाम लाभ मिलने लगेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी शॉप या इस्टैब्लिशमैंट भी हो जहां 10 में से 7 महिला कर्मचारी या श्रमिक हों, यदि हम वहां इनसिस्ट करें कि हर हालत में आपको चार महीने की मेटरनिटी लीव महिला वर्कर्स को देनी ही होगी तो उसकी प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। फिर ऐसे संस्थानों या छोटी इस्टैब्लिशमैंट्स में महिला वर्कर्स को न रखने की टैन्डैंसी बढ़ेगी जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि फिर महिला वर्कर्स को कम रोजगार मिलने लगेंगे। इस सबके बावजूद हमने यह प्रावधान भी रखा है कि यदि कोई महिला श्रमिक इतनी अवधि के बाद भी बीमार रहती है, प्रसूति अवस्था के बाद, तो उसे एक और महीने की सवेतन छुट्टियां मिल सकती हैं।

डॉ० दत्ता सामन्त : यह कम्पलसरी नहीं है, समटाइम्स एम्पलायर रिफयूज कर देते हैं।

श्री विन्देशवरी दुबे : नहीं नहीं, एम्पलायर कभी मना नहीं कर सकता, बिल में ऐसी व्यवस्था है कि कोई रिफयूज नहीं कर सकता, उसे मैडिकल लीव देनी ही पड़ेगी, तीन महीने के बाद, एक महीना और···यदि उसे आवश्यकता हो तो···

डॉ० दत्ता सामन्त : तीन महीने के बाद यदि कोई वर्कर ज्यादा छुट्टियां चाहे तो उसका मैडिकल सर्टिफिकेट उसका एम्पलायर एक्सैप्ट करे या न करे, यह एम्पलायर पर डिपैंड करता है।

श्री विन्देशवरी दुबे : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एम्पलायर के ऊपर डिपैंड नहीं रहेगा। यदि हम चार महीना और एक महीना, कुल 5 महीने की छुट्टियों की व्यवस्था कर देंगे तो वह महिला श्रमिकों के लिए डिस-एडवान्टेजस हो जाएगा, उसके हित में नहीं रहेगा। इससे

एम्पलायर वीमन वर्कर्स को एम्पलायमैंट में लेना कम कर देंगे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, मैं चाहूंगा कि इन अमैंडमैंट्स के मूवर महोदय अपने अमैंडमैंट्स को वापस ले लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रही हैं ?

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती गोस्वामी और श्री आचार्य द्वारा प्रस्तुत खंड 4 के संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 6 तथा 9 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि खंड 5 में कोई संशोधन नहीं है, मैं खंड 4 और 5 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 6—धारा 8 में संशोधन

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"दो सौ पचास रुपये" **के स्थान पर** "छह सौ रुपये" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (7)

महोदय दूसरे पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि नए मूल्य सूचकांक के अनुसार 250 रुपये कुछ नहीं हैं। महोदय, हमारी लगभग 65 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं आरक्तक हैं और उन्हें पोषक आहार चाहिए। उन्हें किसी सामान्य महिला से अधिक पोषक आहार चाहिए। फिर प्रसूति के पश्चात् भी उसे पौष्टिक आहार चाहिए। उसको भी फिर बाद में बच्चे के लिए बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है। अतः मेरा संशोधन यह है कि चिकित्सा बोनस 600 रुपये होना चाहिए। मेरे विचार से इसमें और विस्तार और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बिन्देशवरी दुबे : जैसा मैंने पहले कहा, पूर्व में 25 रुपये का नियमों में प्रावधान था जिसे हमने 10 गुना बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है। अब हर महिला श्रमिक को 250 रुपये मैडिकल बोनस मिलने लगेगा। आप यहां पर 600 रुपये करने का सुझाव देती हैं, कोई उसे हजार रुपये करने का सुझाव देगा लेकिन हमने सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही यह राशि निश्चित की है,

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

जितना प्रैक्टिकली सम्भव हो सकता था, हमने वही किया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने संशोधन को वापस ले लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रही हैं ?

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती विभा घोष गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत खंड 6 के संशोधन संख्या 7 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

चूंकि खंड 7 और 8 में कोई संशोधन नहीं हैं, मैं खंड 6 से 8 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 से 8 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 9—धारा 21 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

श्री हसमाई मेहता (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4.

पंक्ति 17 से 19 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**—

> "**परन्तु न्यायालय,** यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त ने इस अधिनियम के अधीन पहले कोई दण्डनीय अपराध नहीं किया है और यह कि उसने इस अधिनियम के अधीन सम्बंधित स्त्री को संदेय राशि संदत्त कर दी है या यथास्थिति, सेवोन्मुक्त या पदच्युत आदेश विखण्डित कर दिया है और पूर्ण पिछली मजदूरी देकर उसका पुनःस्थापन कर दिया है, **लेख-बद्ध किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, न्यूनतम अवधि के कारावास का या कारावास के बजाय जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।**"(1)

कम से कम मैं मंत्री जी को सहमत करना चाहता हूं और अपने संशोधन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। लोकतन्त्र में सरकार को संसद सदस्यों द्वारा दिए गए संशोधनों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अनुभव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोनों पक्ष के संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर कुल मिलाकर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है; ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतन्त्र में, सरकार द्वारा संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए चाहे वे संशोधन किसी भी पक्ष से हों; यह प्रतिष्ठा की बात नहीं होनी चाहिए कि सरकार किसी भी संशोधन को

स्वीकार नहीं करेगी। मेरा निवेदन यह है कि न्यायालय को कम से कम दण्ड को टालने का इतना स्वनिर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है। हमने देखा है कि न्यायालय सामाजिक न्याय के प्रतिपूर्ण वचनबद्धता के अभाव के कारण आर्थिक अपराधियों और नियोक्ताओं के प्रति अति उदार हैं। अतः मैंने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि न्यायालय को स्वनिर्णय का अधिकार तब उपलब्ध होना चाहिए जब प्रथम अपराध हो; जहां भी पूर्व अपराध सिद्ध हो चुका हो, तो उसमें कोई स्वनिर्णय नहीं होना चाहिए। यदि पहला अपराध भी हो, तो कम से कम दण्ड त्याग दिया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि न्यायालय केवल उस समय उदार व्यवहार करेगा जब सम्बद्ध कर्मकार बहाल किया जाता है और देय रकम पहले ही दे दी गई हो; जिसका अर्थ यह है कि जब अपराध पूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा हो; कानूनी शुल्क पहले दिए जाने चाहिए; जहां भी मातृत्व अवधि के दौरान किसी महिला को नौकरी से निकाल दिया गया हो या सेवाएं समाप्त कर दी गई हों तो उन आदेशों को वापिस लिया जाना चाहिए; उसको पुरानी मजदूरी देकर बहाल किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय समझ लेता है कि यह सारे काम किए गए हैं—जिसका अर्थ यह है कि अब तो कम से कम कानून का पालन किया गया है—केवल तब न्यूनतम दण्ड टाल दिया जाना चाहिए; और केवल तब यदि यह पहला अपराध है। मैं मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वरी दुबे : उपाध्यक्ष जी, हरभाई मेहता जी की इंटेंशन ठीक हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अच्छी इंटेन्शन से इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी हम ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम कह रहे हैं—

[अनुवाद]

"परन्तु न्यायालय, लेखबद्ध किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, न्यूनतम अवधि के कारावास का या कारावास के बजाय जुर्माने का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।"

पर्याप्त कारण लेखबद्ध होने चाहिएं।

[हिन्दी]

"फार सफिशियेंट रीजन इन राइटिंग" जब हम इतनी बात कह रहे हैं, तो इससे ज्यादा अगर हम कोई और बात कहें, तो वह जुडीशियल के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रीक्शन हो जाएगा, जो प्रॉपर नहीं होगा। यह जुडीश्यल नॉर्म्स के खिलाफ जाता है, इसलिए उचित नहीं है। इसमें प्रैस्टिज का सवाल नहीं है। इस अमेंडमेंट को मानना संभव नहीं है। मेरी उनसे विनती है कि वे इसे वापस ले लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री हरभाई मेहता : मैं मंत्री के तर्क से सहमत नहीं हूं। किंतु राज्य सभा ने विधेयक पहले ही पारित कर दिया है अतः, मैं संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री मेहता को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि खण्ड 10 और 11 में कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं सदन में खण्ड 9 से 11 मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 9 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री विन्देश्वरी दुबे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.35 म०प०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1988 एक संक्षिप्त विधेयक है जिसमें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में आवश्यक प्रकृति के केवल दो संशोधन दिए गए हैं।

बड़े उद्योगों को न केवल अपने अनुसंधान और विकास केन्द्रों में विकसित की गई प्रौद्योगिकी का वाणिज्यकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है बल्कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों जिनका वित्तपोषण सार्वजनिक कोष से किया गया है का वाणिज्यकरण करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हालांकि, वर्तमान में, अपने देश में विकसित की गई प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में कम्पनियों के लिए दिए गए प्रोत्साहन और छूट उपाय उन कम्पनियों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जो एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसलिए, इस विधेयक की धारा 22 क प्रस्तावित संशोधन में एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को, अधिनियम की धारा 21 और धारा 22 के प्रावधानों के संचालन (प्रक्रिया) से उस समय छूट देने का प्रावधान है जब वे कम्पनियां पूर्णत: हमारे देश में विकसित की गई प्रौद्योगिकी पर आधारित किसी नए उपक्रम या स्थापना में मूल विस्तार करें। फिर भी, मैं इस बात का उल्लेख कर दूं कि प्रस्तावित प्रावधान के अन्तर्गत एम० आर० टी० पी० उपक्रमों को छूट देने के लिए धारा 22 क के अधीन अधिसूचना जारी करते समय केन्द्र सरकार के पास यथाआवश्यक समझी गए अनुसार ऐसी निबंधन और शर्तों को लागू करने की शक्तियां (अधिकार) होंगी।

द्वितीय संशोधन का संबंध केन्द्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से है। वर्तमान में, अधिनियम की धारा 67 के अधीन नियम बनाने की शक्ति में इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव (पूर्वव्याप्ति) को बनाए रखने की शक्ति नहीं दी गई है। विधेयक का खण्ड 3 अधिनियम की धारा 67 को संशोधित करने और केन्द्र सरकार को 1 जनवरी 1986 को पूर्वप्रभावी रूप से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने के लिए लाया गया है। धारा 67 के लिए प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इस प्रशासनिक कठिनाई को दूर करना है।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन में विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी शक्ति से विरोध करता हूं।

श्री के० एस० राव (मछलीपत्तनम) : पूरी शक्ति से ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां। मैं इसी की बात कर रहा हूं।

अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह बहुत ही संक्षिप्त और अहानिकर विधेयक है और यह कि इसमें केवल एक या दो खण्ड हैं या केवल दो संशोधन पेश किए जा रहे हैं।

[श्री सी० माधव रेड्डी]

धारा 22, जिसमें संशोधन किया जा रहा है, स्पष्टत: उद्योगपतियों द्वारा विकसित की गई देश की केवल कुछ (निश्चित) स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिए है जिनका उपयोग और विकास उद्योगपतियों और एकाधिकारियों द्वारा किया जाएगा ताकि भारत सरकार अधिसूचना जारी कर सके जिसके अन्तर्गत ऐसे लोगों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम, विशेषकर अधिनियम की धारा 21 और 22 के प्रचालन से छूट दी जा सके जो माल का उत्पादन करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग और प्रयोग करना चाहते हैं।

यह मूल प्रश्न है। किन्तु, महोदय, यह इतना सरल नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है। हम जानते हैं कि इस अधिनियम में—इसके आगमन से ही—सात बार संशोधन किया जा चुका है। यह आठवां संशोधन है। इसी संसद में हम इस अधिनियम को दो बार संशोधित कर चुके हैं, एक बार 1985 में और फिर 1986 में। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। किन्तु ये सभी सातों संशोधन जिन्हें किया गया है—वे संशोधन क्या हैं ? मैंने इस विधेयक के सभी संशोधनों को पढ़ा है और मैंने यह देखा है कि सभी संशोधन एकाधिकारियों को छूट देने से सम्बन्धित हैं।

श्री लोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्योंकि यह एकाधिकारियों की सरकार है।

श्री सी० माधव रेड्डी : एक भी ऐसा संशोधन नहीं है जिनसे मूल अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति की गई हो या जिन्हें मूल अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लाया गया हो। एक भी संशोधन ऐसा नहीं है। इन सभी संशोधनों में कुछ निश्चित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए एकाधिकारियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई हैं। जब यह अधिनियम 1969 में पारित किया गया था तो इसके क्या उद्देश्य थे। हमारे संविधान की राज्य-नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों में प्रस्तुत किए गए अनुसार इन उद्देश्यों ने ही इस विधेयक को पेश करने का आधार बनाया जिसे बाद में अधिनियम का रूप दिया। सन् 1970 में गठित एकाधिकार आयोग को यह सुनिश्चित करना था कि समाज (समुदाय) के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए ताकि यह जन-हित के लिए उपयोगी सिद्ध हो, और यह कि आर्थिक प्रणाली के संचालन (प्रचालन) से सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न हो और राष्ट्र के लिए हानिकारक न हो। अब यह देखें कि पिछले 19 वर्षों में अर्थात् इस अधिनियम की अवधि में, इन उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा किया गया है। मुझे संदेह है कि इन उद्देश्यों की कोई प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुत: पिछले 19 महीनों के दौरान अधिक और अधिक रियायतें दी गई हैं। बड़े उद्योगों की शिकायत (खीज) के बावजूद भी इस कानून के अधिनियमन के बाद वे सरकार से रियायतें प्राप्त करने की स्थिति में हैं, वे विस्तार और प्रसार करने की स्थिति में हैं, वे एक के बाद एक कम्पनी बनाने की स्थिति में हैं, वे अपनी सम्पत्तियों में कई गुणा—दस गुणा या 12 गुणा—वृद्धि करने की स्थिति में है। आज हमें प्रतीत है कि आप उन्हें जितनी रियायतें देते हैं वे उतनी ही और रियायतें मांगते हैं इसलिए अधिनियम का उद्देश्य निष्फल हो रहा है। 1985 में हमने संशोधन विधेयक द्वारा आस्तियों की सीमा 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी थी। 1986 में दूसरा विधेयक पारित करके कुछ और रियायतें दीं। इस एम० आर० पी० एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य बड़े उद्योगपतियों को उत्पादन बढ़ाने के नाम पर रियायतें देना है। मैं जानता हूं कि हम सब उत्पादन चाहते हैं। निश्चित रूप से हम उत्पादन चाहते हैं

परन्तु उत्पादन के साथ सामाजिक-न्याय होना चाहिए। हमारा यह उद्देश्य है। यदि सामाजिक न्याय के बिना उत्पादन होता है तो उत्पादन का इतना महत्व नहीं है।

हम चाहते थे कि एकाधिकार तथा उद्योगपतियों के अविरत विकास पर प्रतिबन्ध होना चाहिए जो सम्पूर्ण धन को अपने हाथों में ले सकते हैं। परन्तु क्या हमने ये उद्देश्य प्राप्त कर लिये हैं? मुझे कहते हुए खेद है कि ये उद्देश्य बड़ी दूर हैं। हमें कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। हर बार हम कोई न कोई बहाना करते हैं क्योंकि हम उत्पादन पर जोर देते हैं। यदि किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादन कम होता है तो हम कहते हैं कि हमें एकाधिकारियों को रियायतें देनी चाहिए तथा उत्पादन बढ़ाना चाहिए परन्तु सामाजिक-न्याय के प्रश्न पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमने इसकी कभी चिंता नहीं की कि समान वितरण हुआ है या नहीं।

मूलतः अधिनियम में व्यवस्था थी कि वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाए तथा रिपोर्ट पर चर्चा की जाए। मैं जानता हूं कि सभा के पटल पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं की गई। मैं उन रिपोर्टों को देख रहा था जो पहले पेश की गयीं थीं। 1986 की रिपोर्ट में प्रत्येक अध्याय के बाद यह कहा गया था कि एकाधिकारियों के अनेक आवेदन पत्रों को आयोग के समक्ष बिल्कुल नहीं रखा गया था। औद्योगिक लाइसेंस तथा दूसरी रियायतों के बहुत कम आवेदन पत्र आयोग के समक्ष रखे गये। निर्णय आयोग ने नहीं बल्कि सरकार ने लिये। उन्हें आयोग को कभी नहीं भेजा गया। पेप्सी कोला के मामले को भी आयोग को नहीं भेजा गया।

डा० वत्सा सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : कोका कोला के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री सी० माधव रेड्डी : यह आयेगा। परन्तु पेप्सी कोला के आवेदन पत्र को आयोग की राय के लिए उस तक भेजे बिना ही मंजूरी दे दी गयी।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : परंतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग ने उस जिम्मेदारी को लेने से नहीं रोका जिसकी अधिनियम में व्यवस्था है।

श्री सी० माधव रेड्डी : जब कभी कोई आवेदन पत्र आया या फाइल पेश की गई तो यह सरकार का कार्य है कि वह उस मामले को आयोग के पास यह जानने के लिए भेजें कि क्या वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। ऐसा नहीं किया गया है।

मैं दूसरे या तीसरे संशोधन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जो सामान्य संशोधन हैं। यद्यपि धारा 22क में संशोधन सामान्य दिखाई देता है परन्तु इससे एकाधिकारियों के लिए सभी द्वार खुल जाएंगे...(**व्यवधान**) मैं इससे सहमत हूं कि शब्दों से यह सामान्य संशोधन है। हो सकता है आपने इसकी बारीकी से जांच न की हो। इसलिए मैं आप पर दोषारोपण नहीं करता। परन्तु मैं यह बताऊंगा कि इससे सभी द्वार किस प्रकार खुलेंगे। हम सबको उद्योगपतियों का अनुभव है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं। हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाएं जिस प्रौद्योगिकी को विकसित कर रही हैं तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कुछ किया जा रहा है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं परन्तु मैं जानता हूं कि उनमें से बहुत सी प्रौद्योगिकी व्यवहारिक नहीं हैं जो कि सी० एस० आई० आर० की चालीस से अधिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर

[श्री सी० माधव रेड्डी]

प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए उनके पास सुविधायें नहीं हैं। बहुत से उद्योगपति उनसे बातचीत करके इस प्रौद्योगिकी को लेते हैं। उनसे लेते हैं तथा दूसरे देशों से प्रौद्योगिकी की तस्करी करते हैं जिसे बही में नहीं दिखाया जाता है। यद्यपि यह प्रौद्योगिकी दूसरे देशों से उधार ली जाती है परन्तु इसे क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद या किसी दूसरी प्रयोगशाला द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी के रूप में दिखाया जाता है।...(व्यवधान)

श्री जे० बेंगल राव : वे एम० आर० टी०पी० या प्राइवेट प्रयोगशालायें नही हैं बल्कि सरकारी प्रयोगशालायें हैं। वे वैज्ञानिक विभाग के अधीन हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां, मैं जानता हूं कि सी० एस० आई० आर० के नियंत्रण में लगभग चालीस सरकारी प्रयोगशालायें हैं। परन्तु मैं बता रहा हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी अपनी प्रौद्योगिकी बेचने में दिलचस्पी है। एन० आर० डी० सी० के माध्यम से उद्योगपतियों को इस प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जाता है इस प्रौद्योगिकी के नाम पर वे दूसरे देशों से प्रौद्योगिकी की तस्करी करते हैं तथा इसे स्वदेशी प्रौद्योगिकी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत से उद्योग खुल जायेंगे क्योंकि आपने सभी द्वार खोल दिये हैं। मैं आपको चावल की भूसी से खाद्य तेल बनाने की प्रौद्योगिकी के बारे में बता सकता हूं जिसे अनन्तपुर ओ०टी०आर०आई ने विकसित किया है। परन्तु अनन्तपुर प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं होता है। यह केवल लिखित रूप में है। वास्तविक प्रौद्योगिकी को जापान से मंगाया जायेगा जहां चावल की भूसी से खाद्य तेल तैयार किया जा रहा है। मैं आपको एक विशेष उदाहरण दे रहा हूं कि बड़े उद्योग पति इस प्रौद्योगिकी की किस प्रकार तस्करी करेंगे, किस प्रकार से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के रूप में दिखाया जायेगा तथा इससे सभी द्वार किस प्रकार खुलेंगे। मुझे खेद है कि सरकार ने इस पहलू की उचित रूप से जांच नहीं की है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में पहले अनेक संशोधन किये गये परन्तु यह सबसे गम्भीर संशोधन है क्योंकि इससे सभी द्वार खुलने की सम्भावना है तथा बड़े उद्योगपति उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आ जायेंगे यह अधिनियम किस लिए है ? इसे खत्म कर दीजिए। यदि सरकार की उत्पादन के साथ सामाजिक-न्याय की इच्छा नहीं है; केवल उत्पादन बढ़ाने की रुचि है तो निश्चित रूप से आप सभी द्वार खोल देंगे। वास्तविक रूप से आप चाहते हैं कि विश्व के उद्योगपति आकर हमारे देश में मुक्त उद्योग स्थापित करें। सरकार अनुभव कर रही है कि रूस में भी आज प्रेस्टोयरिका खुलेपन की नीति की बात हो रही है तो चिंता की क्या बात है ? ये प्रतिबन्ध क्यों लगाये जाते हैं ? समाजवाद का नारा क्यों लगाया जाता जाता है ? अब आप समाजवाद को भूल जाइये। हमें केवल मुक्तरूप से उत्पादन करना चाहिए। ठीक है आप कहिए मैं समझ सकता हूं परन्तु समाजवाद के ये बहाने क्यों किये जाते हैं ? आप बहाना करते हैं कि आपका समाजवादी समाज है या आपका वास्तव में समाजवादी समाज का उद्देश्य प्राप्त करेंगे। परन्तु आप अपनी उदार नीतियों से सभी द्वार खोल रहे हैं। (व्यवधान)। इस वजह से मैं इस अधिनियम का कड़ा विरोध करता हूं तथा सभा से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को आगे न बढ़ाकर अस्वीकृत किया जाए।

श्री शांताराम नायक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या मन्त्री महोदय ने इसे साधारण संशोधन कहा है क्योंकि मैं उनकी बात ठीक से सुन नहीं पाया था। लेकिन मेरा तो कहना है कि संशोधन साधारण नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता है और यह न्यायोचित संशोधन है क्योंकि इस एक लाइन के संशोधन से मंत्रालय ने देश की अपनी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। रेड्डी जी ने कहा है कि सरकार द्वारा रखे गए पिछले सातों संशोधन एकाधिकार व्यापार करने वालों के पक्ष में थे अर्थात इस विधेयक के उद्देश्य के विरुद्ध थे। सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि 1969 में यह विधान हमारी सरकार द्वारा बनाया गया था और कोई भी व्यक्ति कभी भी यह नहीं कह सकता कि विपक्ष के किसी सदस्य ने कभी भी इतना दबाव डाला कि सरकार के पास ऐसा कानून बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस पार्टी की इच्छा के कारण ही एकाधिकार व्यापार पर रोक लगी जिसके फलस्वरूप यह विधेयक लाया गया और पुनः हम ही अपने विवेक से और देश के हित में समय-समय पर बनाए गए कानूनों में थोड़ी ढील दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा, शायद रेड्डी जी ने भी नहीं कहा, यदि उन्होंने कहा होता कि वह सिद्धान्ततः संशोधन से सहमत हैं तो मुझे खुशी होती। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने उनसे ऐसी अपेक्षा इसलिए की थी क्योंकि मैं हैरान हूं कि वह देश की प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना कैसे नहीं चाहते। उन्हें कुछ कहना चाहिए था किन्तु यह कहना कि यह संशोधन जिसमें देश की प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया गया है एकदम गलत है क्योंकि उससे विवाद बढ़ेंगे, जो कि ठीक नहीं हैं। यदि इससे विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए कानून भी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग यह दावा करते हैं कि वे देशी प्रौद्योगिकी विकसित करना चाहते हैं, उन्हें मंत्रालय मंजूरी दे देगा। ऐसा नहीं है। गहरी छानबीन के बाद ही संबंधित मामलों को स्वीकृति दी जाएगी। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि इसके धारा 22क के अंतर्गत आने के बाद, किस उपबंध के अंतर्गत इसे स्वीकृति दी जाएगी ?

श्री शांताराम नायक : मेरा निवेदन यह है कि इसका स्वतः अर्थ यह नहीं है कि जो कोई भी देशज प्रौद्योगिकी शुरू करने या विकसित करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे स्वतः ही स्वीकृति मिल जाएगी क्योंकि धारा 22क के अनुसार :

> "केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 21 या धारा 22 के सभी या कोई उपबंध किसी ऐसी प्रस्थापना को लागू नहीं होंगे।"

अतः छूट देने के लिए अधिसूचना जारी करनी होगी। अन्यथा स्वीकृति देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। पार्टी को जाकर सभी शर्तों को पूरा करना होगा कि यह देशीय प्रौद्योगिकी ही है और सरकार इस संबंध में अपनी नीति अपनाएगी कि किसी मामले में, किस स्थिति में इस विशेष धारा के अंतर्गत इस परियोजना को स्वीकृति देनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय हमें बताएं कि धारा 21 और 22क के अंतर्गत सरकार का इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के बारे में क्या विचार है। उन्हें अपने उत्तर में इस बारे में बताना चाहिए ताकि हमारी नेकनीयत, हमारे उद्देश्यों और हमारे विचारों के बारे में देश को पता चल सके।

(श्री शांताराम नायक)

दूसरे, मैं व्यक्तिगत रूप से 1969 में बनाए गए इस कानून को बहुत महत्व देता हूं। इस अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है :

"इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि आर्थिक प्रणाली की संक्रिया के परिणामस्वरूप आर्थिक शक्ति का जन-सामान्य के लिए अहितकर रूप में संकेन्द्रण न हो, और एकाधिकारों के नियंत्रण का, एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के प्रतिषेध का और उनसे संबद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध किया जा सके।"

वर्ष 1969 में इस विशेष उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया था। बाद में समय-समय पर हमें कुछ संशोधन करने पड़े। धारा 22क को अब प्रतिबंधात्मक खंड बना दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल इसे और उदार बनाना है। मूल धारा 22क (1) में कहा गया है :

"केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 21 या 22 के सभी या कोई उपबंध किसी ऐसी प्रस्थापना को लागू नहीं होंगे।"

यहां विभिन्न शर्तों और मामलों का जिक्र किया गया है।

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उद्योग या सेवा के संबंध में।
इसमें एक परन्तुक है।

(ख) किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए या किन्हीं सेवाओं, जो केवल भारत से बाहर निर्यात करने के लिए हैं, के प्रावधान के लिए;

(ग) जो मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किए गये या स्थापित किए जाने वाले उपक्रम से संबंधित है।

इन विशिष्ट मामलों में, सरकार एक और खंड जोड़ना चाहेगी अर्थात "(कक) जो पूर्णतः भारत में विकसित की गई प्रौद्योगिकी पर आधारित है।" कई वर्षों से इस अधिनियम के प्रवर्तन से हमें विश्वास हो गया है कि यदि हमारी देशज प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाना है, तो यही एक धारा आड़े आती है। प्रौद्योगिकी के विकास के हित में यदि सरकार यह समझती है कि देशज प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए यह संशोधन जरूरी है, तो सरकार कहां गलत है ? जैसा कि रेड्डी जी ने कहा कि यदि बहुत अधिक आवेदन-पत्र या प्रस्ताव आ जाते हैं और यदि सरकार यह जांच किए बिना कि यह प्रौद्योगिकी वास्तव में महत्वपूर्ण है अथवा देश में विकसित की गई है, क्या वे सेवाओं या वस्तुएं जो देश तथा प्रौद्योगिकी के विकास के हित में विकसित की जानी जरूरी हैं या नहीं, और यदि सरकार यूं ही बिना जांच पड़ताल किए स्वीकृति दे देती है, तब तो हम समझ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शांता राम नायक अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट पेश करेंगी।

5.59 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

62वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 62वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल सुबह 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 22 नवम्बर 1988/1 अग्रहायण, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली-110006